न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), झाँसी।
उपस्थितः–अनुभव द्विवेदी (एच०जे०एस०)
(जे०ओ०कोड–यू०पी०–1637)

UPJS010066332018

विशेष परीक्षण संख्या–227/2018
सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010066332018

राज्य..**अभियोगी**

बनाम

राजेन्द्र गुर्जर पुत्र भरत सिंह निवासी– लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद झांसी।
....**अभियुक्त**

अपराध सं०–344/2018
अंतर्गत धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं०
थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी

तथा

UPJS010040202021

सत्रवाद संख्या–617/2021
सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010040202021

राज्य..**अभियोगी**

बनाम

1– प्रहलाद पुत्र रावराजा, निवासी– लकारा, थाना–सीपरी बाजार, जनपद– झांसी।
2– सागर राणा पुत्र सुधीर राणा, निवासी– फिरोजपुर बाँगर, थाना– खरखौंदा, जनपद–सोनीपत, हरियाणा।
3– रोहित उर्फ रोहिताश पुत्र श्री कृष्ण सिंह, निवासी– धर्मलोकपुर, थाना– कोतवाली, जनपद–मथुरा।
....**अभियुक्तगण**

अपराध सं०–344/2018
अंतर्गत धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं०
थाना– नवाबाद, जनपद– झांसी।

तथा

UPJS010040902019

विशेष परीक्षण संख्या–103/2019

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010040902019

राज्य..**अभियोगी**

बनाम

1–सरदार सिंह पुत्र जरदान सिंह गुर्जर, निवासी–लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद–झांसी।

2–भरत सिंह पुत्र अमर सिंह उर्फ अतर सिंह गुर्जर, निवासी–ग्राम लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद– झांसी।

3–राव राजा पुत्र जरदान सिंह गुर्जर, निवासी–ग्राम लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद–झांसी।

..अभियुक्तगण

अपराध सं०–344/2018

अंतर्गत धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं०

थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी।

तथा

UPJS010040892019

विशेष परीक्षण संख्या–102/2019

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010040892019

राज्य..**अभियोगी**

बनाम

1–ऊधम सिंह गुर्जर पुत्र रामरस, निवासी– ग्राम लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद–झांसी।

2–भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र मान सिंह , निवासी– ग्राम लकारा, थाना– सीपरी बाजार, जनपद– झांसी।

3–गौरव उर्फ मोन्टी पुत्र त्रिलोक सिंह, निवासी– 971/974, मेन रोड पीट खुर्द, बवाना, रोहिणी, दिल्ली।

4–कमलेश यादव पुत्र बाबूलाल यादव, निवासी–45 इलाहाबादी बगिया, रेलगंज, पुलिया नं०–9, प्रेमनगर , जनपद– झांसी। **............................अभियुक्तगण**

अपराध सं०–344/2018

अंतर्गत धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं०

थाना– नवाबाद, जनपद– झांसी।

तथा

UPJS010040912019

विशेष परीक्षण संख्या–104/2019

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010040912019

राज्य...**अभियोगी**

बनाम

कमलेश यादव पुत्र बाबूलाल यादव, निवासी–45 इलाहाबादी बगिया, रेलगंज, पुलिया नं०–9, प्रेमनगर , जनपद– झांसी।

....**अभियुक्त**

अपराध सं०–188/2019

अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम

थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी।

तथा

UPJS010034052020

सत्रवाद संख्या–625/2020

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010034052020

राज्य...**अभियोगी**

बनाम

नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू पुत्र सुखदर्शन सिंह, निवासी–सिसाना थाना–खरखौदा, जनपद –सोनीपत, हरियाणा।

....**अभियुक्त**

अपराध सं०–344/2018

अंतर्गत धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं०

थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी।

तथा

UPJS010063202021

सत्रवाद संख्या–1010/2021

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010063202021

राज्य...**अभियोगी**

बनाम

सनम उर्फ मांगे पुत्र महेश जाट, निवासी–समसपुर खालसा, थाना– जाफरपुर कला, रोहिणी दिल्ली।

..अभियुक्त

अपराध सं०–344/2018

अंतर्गत धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं०

थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी।

तथा

UPJS010004972021

सत्रवाद संख्या–95/2021

सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010004972021

राज्य...**अभियोगी**

बनाम

सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता पुत्र हरिशंकर गेड़ा, निवासी–चतुरयाना, थाना– कोतवाली, जनपद–झांसी।

..अभियुक्त

अपराध सं०–344/2018

अंतर्गत धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं०

थाना– नवाबाद, झांसी।

तथा
UPJS010062792023

सत्रवाद संख्या–1244/2023
सी०एन०आर०संख्या–यूपीजेएस–010062792023

राज्य...**अभियोगी**

बनाम

1– रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता पुत्र हरिशंकर गेड़ा, निवासी–चतुरयाना, थाना–कोतवाली, जनपद–झांसी।

2– बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता पुत्र हरिशंकर गेड़ा, निवासी–चतुरयाना, थाना–कोतवाली, जनपद–झांसी।

...अभियुक्तगण

अपराध सं०–344/2018
अंतर्गत धारा–147,148,302/149,307/149,506 भा०दं०सं०
थाना– नवाबाद, जनपद–झांसी।
(धारा–319 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बतौर अभियुक्त तलब)

निर्णय

1. **सत्र परीक्षण सं०–227/2018** सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर, **सत्र परीक्षण सं०–617/2021** सरकार बनाम प्रहलाद व दो अन्य, **सत्र परीक्षण सं०–103/2019** सरकार बनाम सरदार सिंह व दो अन्य, **सत्र परीक्षण सं०–102/2019** सरकार बनाम ऊधम सिंह गुर्जर व तीन अन्य, **सत्र परीक्षण सं०–625/2020** सरदार बनाम नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, **सत्र परीक्षण सं०–1010/2021** सरकार बनाम सनम उर्फ मांगे, **सत्र परीक्षण सं०–95/2021** सरकार बनाम सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता तथा **सत्र परीक्षण सं०–1244/2023** सरकार बनाम रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व एक अन्य की पत्रावलियां एक ही घटना व एक ही मुकदमा अपराध सं० से संबंधित होने के कारण एक साथ निर्णीत की जा रही हैं। **सत्र परीक्षण सं०**–104/2019 सरकार बनाम कमलेश यादव उक्त अपराध में ही कथित रुप से प्रयुक्त आयुध से संबंधित है, अतः इस सत्र परीक्षण को भी अन्य उक्त सत्र परीक्षण के साथ ही निर्णीत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावलियों में साक्ष्य का संकलन एक साथ किया गया है जो सत्र परीक्षण सं०–227/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर में संकलित है। पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा मौखिक साक्ष्य संकलन/अंकन की प्रक्रिया में एक साथ सहभागिता की गयी है। सभी मौखिक साक्ष्य एक ही पत्रावली सत्र परीक्षण सं०–227/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर में संकलित है।

2. **सत्र परीक्षण सं०–227/2018** सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर में **अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर** का विचारण धारा 147,148,302/149,307/149,506 भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं०–617/2021** सरकार बनाम प्रहलाद व दो अन्य में **अभियुक्तगण प्रहलाद, सागर राणा** तथा **रोहित उर्फ रोहिताश** का विचारण धारा 148,302/149, 307/149,506,302/120 बी,307/120 बी भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं०**–103/2019 सरकार बनाम सरदार सिंह व दो अन्य में **अभियुक्तगण सरदार सिंह, भरत सिंह** व **राव राजा** का विचारण धारा 147,148,302/149, 307/149,506,

120 बी भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं०–102/2019** सरकार बनाम ऊधम सिंह गुर्जर व तीन अन्य में **अभियुक्तगण ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, गौरव उर्फ मोन्टी** तथा **कमलेश यादव** का विचारण धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भां०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं० – 625/2020** सरदार बनाम नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू में **अभियुक्त नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू** का विचारण धारा 148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं०– 1010/2021** सरकार बनाम सनम उर्फ मांगे में अभियुक्त **सनम उर्फ मांगे** का विचारण धारा 148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत, **सत्र परीक्षण सं०– 95/2021** सरकार बनाम सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता में **अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता** का विचारण धारा 148, 302/149, 307/149, 506, 302/120 बी, 307/120 बी भा० दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत तथा **सत्र परीक्षण सं०–1244/2023** सरकार बनाम रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व एक अन्य में **अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता** तथा **बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता** का विचारण धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० के आरोपों के अन्तर्गत किया गया। इनके अतिरिक्त, **सत्र परीक्षण संख्या–104/2019** सरकार बनाम कमलेश यादव की पत्रावली में **अभियुक्त कमलेश यादव** का विचारण धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप के अन्तर्गत किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि सत्र परीक्षण संख्या –104/2019 सरकार बनाम कमलेश यादव, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली के अतिरिक्त, अन्य सभी पत्रावलियाँ मु०अ०सं०–344/2018, थाना–नवाबाद, जनपद– झाँसी से सम्बन्धित है। सत्र परीक्षण संख्या–1244/2023 के अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के अतिरिक्त समस्त अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, जिन पर विभिन्न तिथियों में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर पत्रावलियों को सत्र सुपुर्द किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता को आदेश दिनांकित 24–08–2023 के द्वारा प्रकरण में बतौर अभियुक्तगण तलब किया गया। अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के उपस्थित न आने के फलस्वरूप इन अभियुक्तगण से सम्बन्धित पत्रावली को पृथक किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या – 1244/2023 के रूप में दर्ज की गई। पश्चात में रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता उपस्थित आये। सत्र परीक्षण संख्या–104/2019 सरकार बनाम कमलेश यादव की पत्रावली मु०अ०सं०–188/2019, थाना–नवाबाद, जनपद– झाँसी से सम्बन्धित है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा संचित वर्मा द्वारा थानाध्यक्ष, नवाबाद, जनपद झांसी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.07.2018 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रदर्श क–1, में निम्नवत कथन किये गये–

"*निवेदन है कि मै संचित वर्मा व मेरे पिता संजय वर्मा आज दिनांक 21।07।2018 समय करीब 11.00 बजे कचहरी गये हुए थे। मेरे पिता की तारीख जिला जज झांसी के यहां नियत थी एवं । तारीख सिविल जज जुनियर डिवीजन में नियत थी। मेरे पिता दिन के लगभग 1.30 पर तारीख कर के अपनी गाड़ी पेजारों स्पोर्ट्स UP–93–AN 6301 से निकले जिसको रवि वर्मा चला रहा था। एवं पिताजी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी जय गोस्वामी पुत्र हरिओम गोस्वामी निवासी लक्ष्मी गेट बाहर झांसी, सुनील कुशवाहा पुत्र गोविन्द दास निवासी उन्नाव गेट झांसी थे। एवं दो मिनट बाद ही उनके पिछे पिछे से मैं अपनी मोटरसाईकिल से जिसे अजय सोनी पुत्र स्वं नारायणदास सोनी 176, गणेश मडिया बड़ा बाजार गाड़ी एक्टीवा काले कलर की जैसे ही मेरे पिताजी की गाड़ी चौराहे से मुड़कर बस स्टैण्ड की तरफ मुड़कर आगे चली तो वहां स्थित मन्दिर से पहले प्रतिक्षालय के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था। जिसका नं० UP93–T–8047 है। एवं एक लोडर नीले रंग का जिसका नं० UP 98 AT–3437 था*

की उसकी आड़ में से अचानक सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा, पुत्र गण हरिशरण गेड़ा निवासी गण चतुरयाना झांसी एवं अंगद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, पुत्रगण रावराज, उधम गुर्जर पुत्र राम रस गुर्जर, राजेन्द्र गुरजर पुत्र भरत सिंह गुर्जर, शिवम गुर्जर पुत्र सरदार सिंह गुर्जर, पुष्पेन्द्र गुर्जर पुत्र मानसिंह गुर्जर समस्त निवासीगण ग्राम लकारा एवं दो तीन अज्ञात वयक्ति अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर आये और अन्धाधुंध जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी एवं चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई गयी ड्राइवर को गोली लगते ही गाड़ी खड़े हुए लोडर व ट्रक से टकरा गयी एवं उपरोक्त लोगों की फायरिंग से मेरे पिता संजय वर्मा व उनकी गाड़ी में बैठे हुये सभी लोगों को गम्भीर एवं प्राणघातक चोटें आयी है उपरोक्त घटना को मैंनें व मेरे साथी के अलावा गौरव वर्मा तनय विष्णु वर्मा, निवासी–सुभाषगंज, मेरे चचेरे भाई प्रतीक वर्मा तनय स्व अजय वर्मा निवासी –मोहल्ला वासदेव बड़ा बाजार व अन्य लोगों ने देखा हमलावर अपनी मोटर साईकिलो से हवाई फायरिंग करते हुये यह कहते हुये कि किसी ने गवाही देने की हिम्मत करी तो जान से मार देगें । और यह कहते हुये बस स्टैण्ड की तरफ भाग गये। उपरोक्त हमलावरों के इस दुस्साहीक ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से लोगों में भगदड़ मच गयी एवं लोगों में अफरा तफरी बढ़ गयी एवं आतंक का महौला छा गया एवं लोग अपने–अपने प्रतिष्ठान बन्द करके भाग गये, एवं राहगीरों में भगदड़ मच गयी। हम लोग घायलों को तुरन्त मेडिकल कालेज झाँसी लेकर आये यहा उनका इलाज चल रहा है। मेडिकल कालेज में भर्ती कराते समय डाक्टर ने जय गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया।

रिंकु गेड़ा, सोनू गेड़ा तथा सरदार सिंह आदि ने मेरे चाचा अजय वर्मा की हत्या कर दी थी । जिनकी इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी सजा बरकरार रखी गयी थी। एवं मानसिंह ने मा० सुप्रीम कोर्ट में रिट् दायार की थी। जो की खारिज कर दी गयी जिसकी पैरवी प्रार्थी के पिता करते थे। एवं उपरोक्त सभी लोग मेरे पिता के ऊपर योजनावद्व तरिके से कई बार हमला करने का प्रयास कर चुके है। परन्तु असफल रहे परन्तु आज उपरोक्त अभियुक्तगणों ने एक राय होकर दिन दहाड़े मेरे पिता के ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ”

5. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की सूचना के आधार पर थाना नवाबाद, जनपद झांसी में दिनांक 21.07.2018 को 21.57 बजे मु०अ०सं०–344/2018 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506 भा०द०सं० अभियुक्तगण सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा, अंगद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, उधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर व पुष्पेन्द्र गुर्जर के विरुद्ध दर्ज किया गया। केस डायरी के अनुसार मुकदमे से संबंधित घटना की जानकारी जरिये वायरलैस सेट व टेलीफोन प्राप्त होने पर संबंधित थानाध्यक्ष अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वाहन पजेरो स्पोर्ट्स UP93AN6301 के ड्राइवर व मौजूद अन्य व्यक्तियों को गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आयीं, जिन्हें परिवारीजनों द्वारा इलाज हेतु मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां मजरूब जय गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया गया तथा अन्य लोगों का इलाज चलता रहा। मजरूब संजय वर्मा के पुत्र संचित वर्मा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचक द्वारा दिनांक 21.07.2018 को ही घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान चोटिल के वाहन UP93AN6301 से तीन अदद तौलिया खूनालूद, जिनमें एक तौलिया फटी थी तथा एक कपड़ा, रंग काला खूनालूद बरामद किया गया तथा तौलियों को सील मुहर कर फर्द तैयार की गयी। साथ ही उक्त वाहन के अंदर से कांच के टूटे टुकड़े व बाहर सड़क से प्राप्त टुकड़े कब्जा पुलिस में लिये गये तथा इन्हें अलग अलग लिफाफों में सीलकर मुहर लगाई गयी तथा फर्द तैयार की गयी। इसी प्रकार, पुलिस द्वारा उक्त वाहन से दो अदद चश्मा, रंग काला, एक अदद चश्मा सफेद खोल नारंगी को कब्जा पुलिस लेकर कपड़े में सील मुहर किया गया व फर्द बरामदगी तैयार की गयी। उक्त वाहन से ही दो अदद प्रार्थना पत्र पारिवारिक समझौता विलेख, एक टाइपशुदा व एक हस्तलिखित, को

कब्जा पुलिस लेकर सील मुहर कर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। घटनास्थल के निरीक्षण के समय उक्त वाहन से एक बुलेट खूनालूद बरामद हुआ जिसे लिफाफे में रखकर सील मुहर कर फर्द तैयार की गयी। घटनास्थल से ही 12 अदद खोखा 9 एमएम, जिनके पेंदे पर 9 एमएम 2Z03KF अंकित था, दो खोखे, जिन पर 7.63 MUSUR PPU अंकित था, एक बुलेट व एक टिकली बरामद हुये। फर्द बरामदगी तैयार की गयी। वादी मुकदमा व अन्य चोटिलों के बयान अंकित कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया।

6. केस डायरी के अनुसार दिनांक 01–08–2018 को नामित अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की गिरफ्तारी सखी हनुमान मन्दिर, झाँसी के सामने से की गई। अभियुक्त ने विवेचक को दिये बयान में जुर्म स्वीकार करते हुये यह बताया था कि प्रहलाद गुर्जर, अंगद गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर, ऊधम गुर्जर, सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा, सभी लोगों ने एक राय होकर योजनाबद्व तरीके से घटना कारित करवाया। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा विवेचक को सूचना दी गई कि प्रहलाद गुर्जर ने ऊधम गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर व राजेन्द्र सिंह गुर्जर को बुलाकर, संजय वर्मा से बदला लेने और इसमें साथ देने की बात कही। प्रहलाद गुर्जर ने योजना बनाने में तथा शूटरो की व्यवस्था करने के विषय में भी बताया तथा संजय वर्मा के कुछ पुराने दुश्मनों से कुछ लोगों के रूपया लेकर कार्य करने को तैयार होने के विषय में भी बताया। सभी लोगों ने योजना में साथ होने की बात कही। प्रहलाद गुर्जर ने दिनांक 21–07–2018 को संजय वर्मा की कचहरी में तारीख के बाद हत्या की योजना बनाई तथा सभी लोगों को बचने के लिये अलग–अलग जगहों पर भेजा। इसी साजिश के अन्तर्गत दिनांक 21–07–2018 की घटना कारित की गई। प्रकट तथ्य के आधार पर अभियोग में धारा–120 बी भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गई। राजेन्द्र सिंह गुर्जर ने विवेचक को यह भी बताया कि शूटरों को अधिकांश रूपया प्रहलाद गुर्जर द्वारा दिया गया था तथा राजेन्द्र सिंह गुर्जर ने भी गेहूँ बेचकर दो लाख रूपया की व्यवस्था की थी।

7. दिनांक 09–08–2018 के पर्चा–10 के अनुसार अभियुक्त रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा की गिरफ्तारी थाना–टप्पल, जनपद–अलीगढ़ में होने की सूचना जरिये दूरभाष प्राप्त हुई, जिस पर विवेचक ने थाना–टप्पल, जनपद–अलीगढ़ जाकर अभियुक्त रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा का बयान अंकित किया। उक्त बयानों के आधार पर अभियुक्तगण सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, सरदार सिंह गुर्जर, मोण्टी, धांधू उर्फ पटवारी, माँगे व अजय के नाम घटना में सम्मिलित होने के सन्दर्भ में प्रकाश में आये। रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा ने अपने बयानों में बताया कि संजय वर्मा की सरदार सिंह गुर्जर से पुरानी दुश्मनी चल रही है। इसलिये सरदार सिंह गुर्जर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय पारस गैंग के लीडर मोण्टी को बीस लाख रूपया की सुपारी दी थी। मोण्टी ने रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा को सरदार सिंह गुर्जर के पास झाँसी भेजा था। सरदार सिंह गुर्जर से मिलकर उक्त व्यक्ति सरदार सिंह गुर्जर के परिवारीजन प्रहलाद गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर व राजेन्द्र सिंह गुर्जर के सम्पर्क में रहने लगे। बीस लाख रूपयों के एवज में घटना को कारित किया जाना तय किया गया। घटना को संजय वर्मा के बेटे की ओरछा स्थित होटल में सगाई के दौरान कारित करने की योजना बनाई गई, जो सफल नहीं हो सकी। इसके पश्चात दिनांक 21–07–2018 को संजय वर्मा की जिला कचहरी, झाँसी में पेशी से निकलने पर रास्ते में हत्या की योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वित करने के लिये दो मोटरसाईकिल को प्रहलाद गुर्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया था। दिनांक 21–07–2018 को घटना कारित करने के बाद अभियुक्तगण ने अपनी पल्सर मोटरसाईकिल को घुमाकर जेल दीवार के किनारे सूनसान स्थल पर खड़ा कर दिया तथा मोटरसाईकिल को छोड़कर भाग गये। केस डायरी दिनांकित 09–08–2018 के अनुसार सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर बिना नम्बर 22–07–2018 को जेल दीवार के किनारे सूनसान स्थान पर खड़ी की गई थी। इन मोटरसाईकिलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकी परिसर में खड़ा किया गया जिसका कोई दावेदार नहीं आया। उक्त मोटरसाईकिलों को 14–08–2018 को 10.53 बजे थाने पर

लाकर दाखिल किया गया। केस डायरी के अनुसार सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश ने सहअभियुक्तगण माँगे तथा पटवारी उर्फ धांधू से मिलकर दिनांक 21–07–2018 की घटना कारित की। उक्त व्यक्ति पारस गैंग के सदस्य हैं, जिनका संचालन मोण्टी कर रहा था। मोण्टी को सरदार सिंह गुर्जर ने संजय वर्मा की हत्या के लिये बीस लाख रूपया की सुपारी दी थी। इस कार्य में संजय वर्मा व सरदार सिंह गुर्जर को जानने वाले एक अन्य व्यक्ति के भी संलिप्त होने की भूमिका पाई गई।

8. दिनांक 15–08–2018 को अंकित की गयी केस डायरी के अनुसार प्रहलाद सिंह गुर्जर की गिरफ्तारी की गई तथा प्रहलाद सिंह गुर्जर का बयान अंकित किया गया। प्रहलाद सिंह गुर्जर ने कमलेश कुमार यादव के जेल में निरूद्व होने, कमलेश कुमार यादव के सरदार सिंह गुर्जर, प्रहलाद सिंह गुर्जर व सोनू गेड़ा आदि से जेल में मुलाकात होने ,इन सभी के द्वारा योजना बनाकर घटना को अंजाम देने आदि के विषय में अपने बयान में बताया। प्रहलाद सिंह गुर्जर ने अपने बयान में यह भी बताया कि सोनू गेड़ा ने चार तारीख को ओरछा में घटना कारित करने की योजना बनाने के विषय में जानकारी दी तथा इस कार्य के लिये प्रहलाद सिंह गुर्जर व भूपेन्द्र गुर्जर ने कमलेश कुमार यादव को साढ़े पाँच लाख रूपया दिये। चार जुलाई को काम न होने पर कमलेश कुमार यादव ने प्रहलाद सिंह गुर्जर की पल्सर मोटरसाईकिल दिनांक 16–07–2018 को नीरज ऑटो सेन्टर पर चाबी सहित खड़ी कर देने को कहा, जिसके पश्चात प्रहलाद सिंह गुर्जर व राजेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा प्रहलाद सिंह गुर्जर की मोटरसाईकिल को निश्चित स्थान पर रखा गया। कमलेश कुमार यादव ने दिनांक 17–07–2018 को व्यापारियों के सम्मेलन में घटना को अंजाम देने की योजना बताई। किन्तु संजय वर्मा के सम्मेलन में न आने के कारण कार्य नहीं हो सका। इसके पश्चात कमलेश कुमार यादव ने दिनांक 21–07–2018 को संजय वर्मा की जिला कचहरी में पेशी के दौरान घटना को अंजाम देने की योजना के विषय में बताया। प्रहलाद सिंह गुर्जर ने यह भी बताया कि उक्त तिथि के पूर्व ही वे लोग परिवार सहित घर छोड़कर भाग गये। इसके पश्चात दिनांक 21–07–2018 की घटना को अंजाम दिया गया। अभियुक्त प्रहलाद सिंह गुर्जर ने थाने पर खड़ी अपनी मोटरसाईकिल की पहचान की, जिसे प्रहलाद सिंह गुर्जर ने योजना अनुसार दिनांक 16–07–2018 को नीरज ऑटो सेन्टर के सामने खड़ा करने को स्वीकार किया। उक्त आधार पर कमलेश कुमार यादव, रावराजा, भरत सिंह गुर्जर को वांछित अभियुक्त घोषित किया गया।

9. तत्पश्चात विवेचना में पंचायतनामा का अवलोकन कर साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। इसके पश्चात विवेचक सन्तप्रकाश के स्थानान्तरण के पश्चात निरीक्षक जितेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा विवेचना ग्रहण की गई। पुलिस उपमहानिरीक्षक के आदेशानुसार प्रकरण की विवेचना जनपद जालौन स्थानान्तरित की गई तथा निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। दौरान विवेचना चोटिलों के मेडिकल प्रपत्र तथा वाहन का टैक्निकल परीक्षण रिपोर्ट आदि प्राप्त किये गये। अलीगढ़ कारागार में निरूद्व सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के फोटोग्राफ को जरिये वाट्सअप विवेचक द्वारा प्राप्त किया गया तथा घटना स्थल के आस–पास लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज को प्राप्त कर, फोटो का मिलान कर, आवश्यक कार्यवाही किये जाने का विवरण अंकित किया गया। अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर की सी०डी०आर० व कैफ प्राप्त कर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुक्रम में 21–07–2018 को दोपहर 11.00 बजे से 02.00 के मध्य आगरा ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे की फुटेज प्राप्त करने हेतु आरक्षी पवन कुमार को भेजा गया, जिसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सी०सी०टी०वी० फुटेज के मात्र 60 दिनों तक संरक्षित रहने के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके पश्चात क्राइम सीन के रिक्रियेशन करने हेतु , पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित की गई। फोटोग्राफ व वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किये गये। विवेचक द्वारा घटना स्थल के आस–पास के सी०सी०टी०वी० कैमरों को देखा गया तथा विनय ट्रेडर्स पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में दिनांक 21–07–2018 का फुटेज भली–भाँति देखा गया, जिसमें अपरान्ह 13.00 से

14.00 के मध्य एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति एस०एच०ओ० टप्पल, जिला–अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश से मिलते पाये गये। सी०सी०टी०वी० कैमरे के फुटेज से फोटो बनवाये गये। चोटिल संजय वर्मा के पुत्र वादी संचित वर्मा का रिंग सेरेमनी कार्ड का तथा दिनांक 17–07–2018 के व्यापारिक गोष्ठी समारोह का स्नेह आमंत्रण कार्ड का अवलोकन किया गया, जिनके आधार पर पुलिस को दिये प्रहलाद सिंह गुर्जर के बयान को पुष्ट पाया गया तथा कमलेश कुमार यादव की भूमिका घटना में पाई गई। विवेचक द्वारा दिनांक 01–06–2018 से 20–07–2018 तक अभियुक्त रावराजा व भरत सिंह से अभियुक्तगण द्वारा कारागार में मिलने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई, जिसके अनुसार अभियुक्त रावराजा से अंगद पुत्र रावराजा व भरत सिंह से राजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र भरत सिंह के द्वारा मुलाकात करना बताया गया। आवश्यक साक्षीगण के बयान अंकित किये गये।

10. केस डायरी के पर्चा–37 दिनांकित 24–10–2018 में अंकित किया गया कि दिनांक 22–10–2018 को रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा ने पुलिस को दिये बयान में घटना की स्वीकारोक्ति की एवं घटना में प्रयोग की गई 9mm पिस्टल (आलाकत्ल) व घटनाक्रम में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, विक्रान्त बजाज मोटरसाईकिल को बरामद करने व सहभागीदार माँगे उर्फ सनम, पटवारी उर्फ धांधू, मोण्टी उर्फ मोनू तथा अजय को पकड़वाने का जुर्म इकबाल किया। अभियुक्त सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश का पुलिस अभिरक्षा हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

11. केस डायरी का पर्चा नं०–39 दिनांक 27.10.2018 को किता किया गया, जिसमें तमामी विवेचना उपरांत संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा पाया गया कि दिनांक 21–07–2018 को करीब 13.30 बजे दिन में कचेहरी चौराहे के निकट मंदिर से पहले प्रतीक्षालय के पास पजैरो स्पोर्ट्स गाड़ी नं०–UP93AN6301 में बैठकर जा रहे संजय वर्मा की रंजिशन हत्या करने के आशय से अभियुक्तगण सोनू, रिंकू, बॉबी, पुत्रगण हरिशरण गेढा , अंगद प्रहलाद, उधम गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, शिवम गुर्जर उर्फ परमवीर, पुष्पेन्द्र गुर्जर उर्फ भूपेन्द्र, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, मांगे , पटवारी उर्फ धांधू, अजय, मोण्टी ने कार व मोटरसाइकिल से आकर पजैरो स्पोर्ट्स गाड़ी को घेरकर संजय वर्मा एवं गाड़ी के ड्राइवर एवं संचित वर्मा के सुरक्षा गार्डों पर पिस्टल व कट्टों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे गनर जय प्रकाश गोस्वामी पुत्र हरिओम की गोली लगने से मृत्यु हो गयी, एवं संजय वर्मा, गनर सुनील कुशवाहा तथा ड्राइवर रवि वर्मा गोलियों के कारण मृत्युपरक चोटों से घायल हो गये थे। अभियुक्तों ने एक राय होकर अपराध किया तथा धमकी देकर भाग गये थे। इस घटना को अंजाम देने के लिये अभियुक्तगण सरदार सिंह गुर्जर, रावराजा, भरत सिंह तथा कमलेश कुमार यादव ने अपराधिक षडयंत्र कारित किया है। **अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर पुत्र भरत सिंह नि० – लकारा थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी के विरूद्ध** दिनांक 27.10.2018 को जुर्म धारा 147,148,149,302,307,506 भा०दं०सं० का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाते हुए **आरोप पत्र** न्यायालय प्रेषित किया गया। इसके बाद सह अभियुक्तगण सोनू गेड़ा आदि के विरूद्ध पूरक विवेचना प्रचलित रखी गई।

12. केस डायरी के अनुसार अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश को दिनांक 28–10–2018 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर घटना के स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया गया, जो अक्षरशः प्रमाणित हुआ। एस०सी०डी०–4 दिनांकित 31–10–2018 में अभियुक्त प्रहलाद सिंह गुर्जर की उपस्थिति के सम्बन्ध में सी०सी०टी०वी० फुटेज सी०आई०एस०एफ० आगरा से प्राप्त कर अवलोकन किये जाने का विवरण अंकित है। अभियुक्त प्रहलाद सिंह गुर्जर की सी०डी०आर० में सहअभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर, सोनू गेड़ा, ऊधम सिंह से कई बार बात किये जाने का विवरण, सी०डी०आर० व कैफ तथा धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र संलग्न एस०सी०डी० किये जाने को अंकित करते हुये, विवेचक ने यह निष्कर्ष प्राप्त कि अब तक की

तमामी विवेचना में घटना कारित करने के लिये अभियुक्तगण सरदार सिंह गुर्जर, रावराजा, भरत सिंह, प्रहलाद सिंह गुर्जर व कमलेश कुमार यादव ने आपराधिक षड्यन्त्र किया तथा अभियुक्तगण सागर राणा आदि को 20 लाख रूपया देकर हत्या करने तथा घटना कारित करने के लिये स्विफ्ट कार, पल्सर व बजाज कार उपलब्ध कराने का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये, **प्रहलाद सिंह गुर्जर, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश के विरूद्ध** धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाते हुये, **आरोपपत्र** न्यायालय प्रेषित की।

13. एस०सी०डी०–9 दिनांकित 26–11–2018 में विवेचक द्वारा विजय सोनी व संजीव गुप्ता के बयान अंकित किये गये। बयानों व उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर **अभियुक्त सरदार सिंह गुर्जर, भरत सिंह व रावराजा के विरूद्ध** धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भा०दं०सं० का अपराध प्रमाणित पाते हुये, **आरोपपत्र** न्यायालय प्रेषित किया गया।

14. तत्पश्चात गैर हाजिर अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये विवेचक द्वारा प्रयास किये गये। दौरान विवेचना अभियुक्त रिंकू गेड़ा, मनीष गुप्ता व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के सी०डी०आर० का अवलोकन किया गया, जिसमें लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश का पाया गया। इसके पश्चात विवेचक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी का स्थानान्तरण हुआ। आगे की विवेचना निरीक्षक उमेश चन्द्र त्रिपाठी द्वारा की गई। अभियुक्तगण की अभिरक्षा के प्रयास किये गये। तत्पश्चात विवेचना निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी को स्थानान्तरित हुई। केस डायरी के अनुसार दिनांक 27–03–2019 को अभियुक्तगण कमलेश यादव का पर्चा रूपकार हाजिरी प्राप्त हुई। अभियुक्त कमलेश यादव ने जुर्म स्वीकार करते हुये घटना कारित करने के सम्बन्ध में षड्यन्त्र की जानकारी दी थी। अभियुक्त कमलेश यादव के पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में पूछतांछ के दौरान अभियुक्त की निशांदेही पर 315 बोर का एक अदद तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामद तमंचे से अभियुक्त ने घटना कारित किये जाने को स्वीकार किया। मौके पर फर्द तैयार की गई। अन्य अभियुक्तगण गौरव उर्फ मोण्टी व भूपेन्द्र उर्फ पुष्पेन्द्र को भी अभिरक्षा में लिया गया।

15. इसके पश्चात **सोनू गेड़ा, कमलेश यादव, गौरव उर्फ मोण्टी, ऊधम सिंह, भूपेन्द्र उर्फ पुष्पेन्द्र के विरूद्ध** अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भा०दं० सं० का अपराध प्रमाणित पाते हुये **आरोपपत्र** न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त नीतेश उर्फ धांधू उर्फ पटवारी को 28–06–2019 को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने बयान में सनम उर्फ माँगे, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, गौरव उर्फ मोण्टी से मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकारा। नीतेश उर्फ धांधू उर्फ पटवारी ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को थाना खरखौंदा पुलिस द्वारा बरामद किया जाना बताया, जिसके अन्तर्गत सोनीपत में मुकदमा पंजीकृत होना अंकित है। अभियुक्त अजय का नाम नरेन्द्र झॉ प्रकाश में आया। **नीतेश उर्फ धांधू उर्फ पटवारी के विरूद्ध** धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भा०दं० सं० का अपराध प्रमाणित पाते हुये **आरोपपत्र** न्यायालय प्रेषित किया गया।

16. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 16–09–2020 को पुलिस अधीक्षक, सी०बी०सी०आई०डी० के आदेश से प्रकरण की विवेचना निरीक्षक हरे राम यादव के द्वारा सम्पादित की गई जिन्होनें विवेचना के पश्चात अभियुक्त **सनम उर्फ माँगे के विरूद्ध** धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाते हुये **आरोपपत्र** न्यायालय प्रेषित किया।

17. सत्र परीक्षण संख्या–104/2019 कमलेश कुमार यादव के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर संस्थित की गई है। उक्त प्रकरण की फर्द को विवेचक ललितेश नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रदर्श क–32 के रूप में साबित किया गया है। फर्द, **प्रदर्श क–32,** के अनुसार प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी के द्वारा जब हवालात में मौजूद अभियुक्त कमलेश यादव से घटना के विषय में पूछतांछ की गई तो जेल में बन्द राव राजा के कहने पर अभियुक्त कमलेश यादव ने शूटरों से सम्पर्क कर राव राजा

से 20 लाख रूपये का इन्तजाम करने को कहना स्वीकार किया। राव राजा के परिवारीजन से सम्पर्क करने पर परिवारीजन ने कमलेश यादव को रूपये उपलब्ध कराये। शूटर बुलाकर दिनांक 21–07–2018 की घटना को कारित किया गया। अभियुक्त ने अपने पास 315 बोर का कट्टा, जिससे फायरिंग की गई थी, को झाँसी दतिया चौराहे के पास, जेल अधीक्षक के घर के सामने, रोड के पूरब वॉच टॉवर के नीचे, नाली के किनारे, झाड़ियों में छिपाने के विषय में बताया। बरामदगी के लिये ललितेश नारायण तिवारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बताये गये स्थान पर पहुँचे। अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा 315 बोर को टॉवर के नीचे बनी नाली के किनारे कूड़े के ढेर से निकालकर उपलब्ध कराया, जो चालू हालत में था तथा उसमें एक खोखा फंसा हुआ था, जिसमें गंध आ रही थी। बरामद तंमचे को 15.35 बजे कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर आने–जाने वाले लोगों से गवाही के लिये कहने पर कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ। बरामद आलाकत्ल तंमचा 315 बोर को मौके पर एक सफेद कपड़े में रखकर सर्व मुहर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा फर्द उपनिरीक्षक दामोदर सिंह से बोल–बोल कर लिखाई गई। उक्त प्रकरण मु०अ०सं० –188/2019 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–नवाबाद, जनपद–झाँसी में दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचना के पश्चात **अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्व धारा– 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र** प्रेषित किया गया।

18. अभियुक्तगण के विरूद्ध विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत आरोप पत्रों पर विभिन्न तिथियों पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा पत्रावलियों को नियमानुसार सत्र सुपुर्द किया गया। विभिन्न सत्र परीक्षणों में भिन्न–भिन्न तिथियों पर आरोप विरचित किये गये। साक्ष्य अंकन की कार्यवाही समस्त पत्रावलियों में समेकित रूप से की गयी। अभियुक्तगण मनीष गुप्ता उर्फ रिंकू गेडा को तथा संदीप गुप्ता उर्फ बॉबी गेडा को न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रा० पत्र पर आदेश पारित कर बतौर अभियुक्त तलब किया गया। दोनों अभियुक्त के उपस्थित होने पर आरोप विरचित कर कार्यवाही की गयी।

19. अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षीगण निम्नवत हैंः–

पी०डब्लू०–1 संचित वर्मा (वादी मुकदमा)
पी०डब्लू०–2 संजय वर्मा (चोटिल)
पी०डब्लू०–3 रवि वर्मा (चोटिल)
पी०डब्लू०–4 संजीव गुप्ता
पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी (चिकित्सक)
पी०डब्लू०–6 डॉ० प्रभात चौरसिया (चिकित्सक)
पी०डब्लू०–7 डॉ० अंकित कुमार यादव (रेडिलॉजिस्ट)
पी०डब्लू०–8 उ०नि० अरविन्द सिंह (पंचायतनामा से सम्बन्धित साक्षी)
पी०डब्लू०–9 उ०नि० विजय नारायण पाठक (जी०डी० कायमी सम्बन्धी)
पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत (चिकित्सक)
पी०डब्लू०–11 डॉ० नितिन पी घोघें (कन्सलटेण्ट रेडियोलॉजी)
पी०डब्लू०–12 डॉ०हर्ष भार्गव (कन्सलटेण्ट आर्थोपेडिक)
पी०डब्लू०–13 निरीक्षक सन्त प्रकाश (विवेचक)
पी०डब्लू०–14 निरीक्षक जितेन्द्र सिंह चन्देल (विवेचक)
पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी (विवेचक)
पी०डब्लू०–16 निरीक्षक ललितेश कुमार त्रिपाठी (विवेचक)
पी०डब्लू०–17 निरीक्षक उमेश चन्द्र त्रिपाठी (विवेचक)
पी०डब्लू०–18 हे०कां० सुरेन्द्र कुमार (आयुध अधि० के प्रकरण की जी०डी० कायमी सम्बन्धी)

पी०डब्लू०–19 उ०नि० दामोदर सिंह आयुध अधि० के प्रकरण का साक्षी)
पी०डब्लू०–20 उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार (आयुध अधि० के प्रकरण के विवेचक)
पी०डब्लू०–21 निरीक्षक हरे राम यादव (सी०बी०सी०आई०डी०, विवेचक)

20. पी०डब्लू०–1 संचित वर्मा प्रकरण के वादी मुकदमा हैं, जिन्होनें प्रकरण की **तहरीर** को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी ने मृतक जय गोस्वामी को **मृत घोषित किये जाने के प्रमाणपत्र** को **प्रदर्श क–2** के रूप में, **चोटिल सुनील कुशवाहा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या** को **प्रदर्श क–3** के रूप में, **चोटिल रवि वर्मा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या** को **प्रदर्श क–4** के रूप में तथा **चोटिल संजय वर्मा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या** को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–6 डॉ० प्रभात चौरसिया (चिकित्सक) ने मृतक जय गोस्वामी की **पोस्टमार्टम आख्या** को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–7 अंकित कुमार यादव ने चोटिल रवि वर्मा, संजय वर्मा व सुनील कुशवाहा से सम्बन्धित **3 एक्सरे रिपोर्ट** को क्रमशः **प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह ने मृतक जय गोस्वामी के **पंचायतनामें** को **प्रदर्श क–10** तथा **पुलिस प्रपत्रों** को **प्रदर्श क–11** लगायत **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–9 उपनिरीक्षक विजय नारायण पाठक (हेड मुहर्रिर) ने प्रकरण की **चिक एफ०आई०आर०** को **प्रदर्श क–15** तथा **जी०डी० कायमी** को **प्रदर्श क–16** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत (चिकित्सक) ने **चोटिल रवि वर्मा की** मेडिकल कॉलेज, झाँसी की मूल **बी०एच०टी०** को **प्रदर्श क–17** तथा **चोटिल संजय वर्मा** की मेडिकल कॉलेज, झाँसी की **बी०एच०टी०** को **प्रदर्श क–18** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–11 डॉ० नितिन पी० घोघें ने **चोटिल संजय वर्मा की सी०टी० स्कैन रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–19** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–12 डॉ० हर्ष भार्गव ने **चोटिल संजय वर्मा** की इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली की **डिस्चार्ज समरी** को **प्रदर्श क–20** के रूप में तथा **चोटिल संजय वर्मा** की उक्त अस्पताल की **ओ०पी०डी० के चिकित्सीय पर्चे** को **प्रदर्श क–21** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–13 निरीक्षक सन्त प्रकाश ने प्रकरण की **नक्शा–नजरी** को **प्रदर्श क–22** के रूप में, **घटनास्थल से बरामद सामानों की 6 फर्द** को **प्रदर्श क–23** लगायत **प्रदर्श क–28** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–15 निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने **अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर के विरूद्व प्रेषित आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–29** के रूप में, **अभियुक्तगण प्रहलाद, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश के विरूद्व प्रस्तुत आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–30** के रूप में, **अभियुक्तगण सरदार सिंह, भरत सिंह व रावराजा के विरूद्व प्रेषित आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–31** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–16 निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने **अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, कमलेश यादव, गौरव उर्फ मोण्टी, ऊधम सिंह गुर्जर तथा भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह के विरूद्व प्रस्तुत आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–33** के रूप में, **अभियुक्तगण नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू के विरूद्व प्रस्तुत आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–39** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–21 निरीक्षक हरेराम यादव ने **अभियुक्त सनम उर्फ माँगे के विरूद्व प्रस्तुत आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–40** (जिस पर बयान के दौरान प्रदर्श क–39 अंकित किया गया किन्तु पश्चातवर्ती आदेश दिनांकित 10–09–2025 के अनुपालन में प्रदर्श क–40 डाला गया है) के रूप में साबित किया है।

21. पी०डब्लू०–16 निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने **आयुध अधिनियम के प्रकरण से सम्बन्धित फर्द बरामदगी 1 अदद तमंचा 315 बोर मय 1 खोखा** (मु०अ०सं० 344/2018 उपरोक्त का कथित आलाकत्ल) को **प्रदर्श क–32** के रूप में, पी०डब्लू०–18 हे०कां० सुरेन्द्र कुमार ने सत्र परीक्षण संख्या–104/2019 **अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–34** तथा **जी०डी० कायमी** को **प्रदर्श क–35** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–20 उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने **आयुध अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण की नक्शा–नजरी** को **प्रदर्श क–36** तथा **अभियोजन**

स्वीकृति को **प्रदर्श क–37** व **अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध धारा –3/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोपपत्र** को **प्रदर्श क–38** के रूप में साबित किया है।

22. उक्त के अतिरिक्त, **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या** भी **प्रदर्श क–41** तथा **प्रदर्श क–42** के रूप में पत्रावली पर संलग्न की गई है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न वस्तु प्रदर्श भी अभियोजन साक्षीगण के माध्यम से साबित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये वस्तु प्रदर्श निम्नवत् हैंः–

पी०डब्लू०–6 डॉ० प्रभात चौरसिया (मृतक के शव विच्छेदनकर्ता) ने **पोस्टमार्टम के दौरान शव से बरामद की गई एक नीली जीन्स पैंट मय बेल्ट, महरून टीशर्ट, एक स्लेटी चड्डी** को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 2, वस्तु प्रदर्श 3** व **वस्तु प्रदर्श 4** के रूप में साबित किया है तथा इन वस्तुओं के **बंडल के कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श–1** के रूप में साबित किया है। इसी साक्षी ने पोस्टमार्टम के समय शव से बुलेट्स बरामद किये जाने का कथन करते हुये, **सात अलग–अलग कागज** को **वस्तु प्रदर्श–7 लगायत वस्तु प्रदर्श–13** तथा इन कागजों के अन्दर लिपटे हुये **बुलेट्स** को **वस्तु प्रदर्श–14 लगायत वस्तु प्रदर्श–20** के रूप में साबित किया है। इन लिपटे हुये 7 कागजों को धारित करने वाले प्लास्टिक के डिब्बे को **वस्तु प्रदर्श–6** के रूप में तथा इन वस्तुओं के बंडल के कपड़े को **वस्तु प्रदर्श–5** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–7 डॉ० अंकित कुमार यादव ने **चोटिल रवि वर्मा से सम्बन्धित तीन एक्सरे फिल्मों, चोटिल संजय वर्मा से सम्बन्धित दो एक्सरे फिल्मों तथा चोटिल सुनील कुशवाहा से सम्बन्धित चार एक्सरे फिल्मों** को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–21 लगायत वस्तु प्रदर्श–29** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत (तत्कालीन न्यूरोसर्जन मेडिकल कॉलेज, झाँसी) ने मरीज रवि वर्मा के ऑपरेशन के दौरान निकाली गई मैटेलिक फॉरेन बॉडी को सर्जरी विभाग में सुरक्षित रख देने का बयान देते हुये साक्ष्य अंकन के समय अपने साथ आये रिकार्ड कीपर द्वारा साथ लाये ले जाने का बयान दिया है तथा प्लास्टिक के डिब्बी के अन्दर **फॉरेन मैटेलिक बॉडी** को **वस्तु प्रदर्श–32, प्लास्टिक की डिब्बी** को **वस्तु प्रदर्श–31, सफेद टेप** को **वस्तु प्रदर्श–30** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–11 डॉ० नितिन पी घोघें (सीनियर कन्सलटेण्ट, इन्दप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली) ने **चोटिल संजय वर्मा के सी०टी० स्कैन फिल्म** (कुल 4) को **वस्तु प्रदर्श–33** लगायत **वस्तु प्रदर्श–36** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने विवेचना के दौरान संकलित **फोटोग्राफ** (पत्रावली पर प्रपत्र संख्या–40ए/1 लगायत 40ए/17 व एक अन्य फोटोग्राफ, जो सूचीबद्ध नहीं है, किन्तु पेपर 40ए/11 व 40ए/12 के मध्य संलग्न है), को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–37** लगायत **वस्तु प्रदर्श–54** के रूप में, वादी मुकदमा संचित वर्मा का **सेरेमनी कार्ड मय लिफाफा** को **वस्तु प्रदर्श–55** के रूप में, **स्नेह आमत्रण कार्ड शपथ ग्रहण व व्यापारिक गोष्ठी** को **वस्तु प्रदर्श–56** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० –13 निरीक्षक चन्द्रप्रकाश ने प्रकरण से सम्बन्धित **दो प्रार्थनापत्र (पारिवारिक समझौता विलेख)** को भी साबित किया है। **टाईपशुदा प्रार्थनापत्र, वस्तु प्रदर्श–58** तथा **हस्तलिखित प्रार्थनापत्र, वस्तु प्रदर्श–59** तथा इसको धारित करने वाले **कपड़े** पर **वस्तु प्रदर्श–57** अंकित है। इस साक्षी द्वारा सफेद रंग की **तीन खून लगे तौलिया** को **वस्तु प्रदर्श–60, 61 व 62** के रूप में तथा **काले रंग के कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श–63** के रूप में साबित किया गया है। खुले बंडल के अन्दर से निकले **काँच के टुकड़े** को **वस्तु प्रदर्श–65** व **खुले बंडल** को **वस्तु प्रदर्श–64** के रूप में साबित किया है। **बंडल के अन्दर से प्राप्त चश्मे** को **वस्तु प्रदर्श–66** के रूप में साबित किया है तथा **नारंगी रंग के चश्मे की डिब्बी** को **वस्तु प्रदर्श–67** के रूप में साबित किया है। **डिब्बी के अन्दर से निकले चश्मे** को **वस्तु प्रदर्श–68** व **हरे कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श–69** के रूप में साबित किया गया है। एक अन्य बंडल के अन्दर से निकले **काँच के टुकड़े** को **वस्तु प्रदर्श–71** तथा इसके **खुले हुये बंडल** को **वस्तु प्रदर्श–70** के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी ने सील सर्वमुहर बंडल के अन्दर रखे प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे के भीतर खुले लिफाफे में रखे 14 खोखा कारतूस को भी साबित किया है। इसमें **12 खोखा कारतूस 9 एमएम** को **वस्तु प्रदर्श–**

72 लगायत वस्तु प्रदर्श–83, दो खोखा कारतूस अन्य बोर के, को **वस्तु प्रदर्श–84** व **वस्तु प्रदर्श–85** के रूप में साबित किया है। डिब्बे के अन्दर से ही एक पोलीथीन में दो अलग सफेद कागजों में लिपटी बुलेट की टिकली को भी साबित किया है। जे–1 कागज के अन्दर मौजूद **टिकली** को **वस्तु प्रदर्श–86** व जे–2 कागज के अन्दर मौजूद **टिकली** को **वस्तु प्रदर्श–87** के रूप में साबित किया है।

24. पी०डब्लू०–19 उपनिरीक्षक दामोदर सिंह ने सत्र परीक्षण संख्या–104/19 राज्य बनाम कमलेश यादव की पत्रावली में संलग्न फर्द को साबित करते हुये, इससे सम्बन्धित **तमंचा 315 बोर** को **वस्तु प्रदर्श–89, एक खोखा कारतूस** को **वस्तु प्रदर्श–90** तथा इसको धारित करने वाले **कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श–88** के रूप में साबित किया गया है।

25. मृतक जयप्रकाश गोस्वामी की **पोस्टमार्टम आख्या, प्रदर्श क–6,** के रूप में है, जिसे पी०डब्लू०–6 डॉ० प्रभात चौरसिया (चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला झाँसी) द्वारा साबित किया गया है। उक्त आख्या पर आख्या संख्या–659/18 व दिनांक 22–07–2018 अंकित है। प्रपत्र के अनुसार शव विच्छेदन हेतु शव को 22–07–2018 को 11.00 बजे दिन में प्राप्त किया गया तथा उक्त तिथि को 11.45 बजे शव विच्छेदन आरम्भ कर, उक्त तिथि को 12.40 बजे समाप्त किया गया। शव की पहचान गौरव गोस्वामी व रविन्द्र कुमार गोस्वामी (मृतक के क्रमशः भाई व चचेरे भाई) द्वारा पहचान की गई। चिकित्सालय के अभिलेखों के विवरण के अन्तर्गत अंकित किया गया है कि व्यक्ति को 21–07–2018 को 02.30 बजे दोपहर मेडिकल कॉलेज झाँसी के आकस्मिक विभाग में मृतक के रूप में लाया गया था। शव के कपड़ों के अन्तर्गत एक नीली जीन्स पैंट मय बेल्ट खूल लगा हुआ, एक महरून टीशर्ट खून लगी हुई, एक स्लेटी चड्डी, एक हाथ में लाल कलावा अंकित है। साथ ही टीशर्ट में छेद के निशान होना भी अंकित किया गया है। मृत्यु पश्चात की अकड़न पूरे शरीर में होना अंकित किया गया है। **पोस्टमार्टम आख्या में शव में बाह्रय चोटों के अन्तर्गत निम्न चोटें अंकित की गई हैं–**

1. गन शॉट इंजरीज– 1. दाहिनी तरफ के गाल पर एक एण्ट्री बूंड 2 सेमी० x 1/2 सेमी० आकार का अण्डाकार मौजूद था जो कि फैंरिगस से होता हुआ बांये तरफ के जबड़े तक मौजूद था, जहां से बुलेट रिकवर की गयी थी। घाव के चारों तरफ टैटूइंग व ब्लैकनिंग २ सेमी० के क्षेत्रफल में उपस्थित थी, एक्जिट बूंड अनुपस्थित था।

2. एक एण्ट्री बूंड 2 सेमी० x2 सेमी० आकार का मुंह के ठीक ऊपर अपर मैक्जिला इंसीजन टीथ के लेबल पर मौजूद था। जो जहां से बुलट गुजरते हुए बेस ऑफ स्कल से होते हुई गर्दन के पिछले हिस्से फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइन पर इंपैक्टिड पायी गयी थी। वूंड के चारों तरफ टैटूइंग व ब्लैकनिंग मौजूद थी और एक्जिट बूंड अनुपस्थित था।

3. व 4. दो एण्ट्री वूंड 1/2 सेमी० x 1/2 सेमी० आकार के आपस में 4 सेमी. की दूरी पर दाहिने कंधे पर कंधे के टिप से 5 सेमी० नीचे मौजूद था एवं बुलट वहां से गुजरती हुई मसल्स को भेदती हुई एवं दाहिने फेफड़े की पैरीटोनियम को भेदती हुई अंदर के बिसरा को भेदती हुई दाहिने फेफड़े से दोनों बुलट रिकवर की गयीं। घाव के चारों तरफ 2 सेमी० के क्षेत्रफल में टैटूइंग व ब्लैकनिंग मौजूद थी, एक्जिट वूंड अनुपस्थित था।

5. एक एण्ट्री वूंड पीठ के दाहिनी तरफ आठवीं थौरॉसिव वर्टिब्रा पर दाहिंने शोल्डर टिप से 24 सेमी० नीचे एवं मिड लाइन से 15 सेमी० दूर मौजूद था एक्जिट वूंड अनुपस्थित था, बुलट अंदरूनी बिसरा को छेदती हुई बर्टिब्रल कॉलम में इंपैक्टिड हो गयी थी।

6. एक एण्ट्री वूंड 2.5 सेमी. x २ सेमी. आकार का गर्दन के सबसे निचले हिस्से से 25 सेमी० नीचे दसवीं थौरासिव बर्टिब्रल स्पाइन के लेबल पर बुलट हड्डी को भेदती और आंतरिक कोशिकाओं को छेदती हुई बिसरा में इंपैक्टिड हो गयी। घाव के चारों तरफ 2 सेमी० के एरिआ में एब्रेडिड कॉलर मौजूद था और एक्जिट बूंड अनुपस्थित था।

7. एक एण्ट्री वूंड 2 सेमी० x2 सेमी० आकार का ग्यारहवीं थौरासिव बर्टिब्रल स्पाइन पर मौजूद था बुलट वहां से गुजरती हुई आंतरिक बिसरा को भेदती हुई दाहिनी तरफ की पीठ

से बाहर निकल गयी। जिसके एक्जिट वूंड का विवरण घाव क्रमांक 11 में मौजूद है।

8. एक वूंड ऑफ एण्ट्री 2 सेमी० x1/2 सेमी० आकार का अण्डाकार मिडलाइन के बगल में सी 7 स्पाइन से 36 सेमी० नीचे गर्दन के निचले हिस्से से मिडलाइन से 5 सेमी० दूर दाहिनी तरफ मौजूद था एक्जिट वूंड अनुपस्थित था। बुलट अंदरूनी बिसरा को भेदती हुई, हड्डी में इंपैक्टिड हो गयी थी।

9. वूड ऑफ एक्जिट 3.2 सेमी० x2 सेमी० आकार का मिडलाइन से 5 सेमी० दूर थौरेकोलंबर स्पाइन के दाहिनी तरफ मौजूद था ।

10. एक वूंड ऑफ एक्जिट पीठ के दाहिनी तरफ 3 सेमी० x2.5 सेमी० आकार का जिसकी मार्जिन घाव के बाहर की तरफ निकलीं हुई थी, राइट ग्लूटियर रीजन में कॉक्सिस बर्टिब्रा से 11 सेमी० दूर मौजूद था।

11. एक वूंड ऑफ एक्जिट पीठ के दाहिनी तरफ 3 सेमी० x3 सेमी० आकार का हिप बोन से 6 सेमी० ऊपर मिडलाइन से 17 सेमी० की दूरी पर मौजूद था।

उक्त आख्या में आन्तरिक परीक्षण के अन्तर्गत अंकित है कि **स्कैल्प–** सामान्य थी, मस्तिष्क की भित्तियां लैसेरेटिड थी। खोपड़ी के अंदर की हड्डियां फ्रैक्चर्ड थी जोकि बुलट के अंदर गुजरने वाले रास्ते में थीं। खोपड़ी की अंदरूनी गुहा में रक्त मौजूद था। मस्तिष्क का बजन 1340 ग्राम था। **मुख की गुहा** –लैसेरेटिड थी। **दांत** –16/16 थे। **मुख गुहा एवं फैरिंग्स** में लैसेरेटिड वूंड मौजूद था। **गर्दन** की कोशिकायें लैसेरेटिड थीं। **प्लूरल कैविटी** में रक्त भरा हुआ था। **दांहिने एवं बांये फेफड़े** में कई सारे लैसेरेटिड वूंड मौजूद थे जिसमें रक्त भरा हुआ था। दाहिने फेफड़े का बजन 500 ग्राम व वांयें फेफड़े का बजन 400 ग्राम था। **हृदय** की भित्तयां सामान्य थी हृदय के दोनों चैंबर रक्त रहित थे। हृदय का बजन 280 ग्राम था। **पेट** फूला हुआ था। पैरीटोनियल कैविटी के अंदर रक्त भरा हुआ था आमाशय के अंदर 150 मि०ली० अधपचा हुआ भोजन मौजूद था। छोटी आंत में पाचन के रस व गैसें मौजूद थी। बड़ी आंत में मल व गैसें मौजूद थीं। लीवर फटा हुआ था, जिसका बजन 1200 ग्राम था। स्प्लीन फटी हुई थी जिसका बजन 160 ग्राम था। दाहिनी किडनी 100 ग्राम एवं वायीं किडनी 90 ग्राम की थी। दोनों किडनी फटी हुईं थीं। **पैल्विश** के अंदर को कोशिकायें बुलट के रास्ते में फटी हुईं थीं। पैल्विक बोन सामान्य थी। **जननांग** सामान्य थे।

पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की राय व्यक्त के अनुसार मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के पूर्व लगभग 1 दिन के भीतर आना संभावित है। मृतक की मत्यु, मृत्यु पूर्व आयी गन शॉट इंजरी से उत्पन्न शॉक एवं हैंमरेज (अत्यधिक रक्त स्राव) से होना संभावित है। पोस्टमार्टम के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर शव के शरीर से बरामद की गयी मैटालिक पैलेट (बुलेट) एवं सिले हुए शव को, 9 पुलिस प्रपत्र, दो सैम्पल सील, एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 7 पेज संबंधित कांस्टेबल 1017 अनीता एवं होमगार्ड 871 नारायण दास थाना नवाबाद को सुपुर्द की किया जाना भी अंकित किया गया।

26. **प्रदर्श क–10** मृतक का पंचायतनामा है, जो पत्रावली पर प्रपत्र संख्या–39ए/1 व 39ए/2 के रूप में संलग्न है। इस प्रपत्र को पी०डब्लू० –8 उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह द्वारा साबित किया गया है, पंचायतनामा प्रदर्श क–10 में मृतक का नाम जयप्रकाश गोस्वामी पुत्र हरीओम गोस्वामी, निवासी–लक्ष्मी गेट अन्दर, थाना–कोतवाली, जनपद–झाँसी अंकित है। इस प्रपत्र पर थाने में रिपोर्ट करने का दिनांक व समय 21–07–2018, 15.35 बजे अंकित किया गया है। जाँच का आरम्भ 21–07–2018 समय 15.40 बजे किया जाना तथा वह स्थान, जिसमें जाँच करने वाले पदाधिकारी गये है– मोर्चरी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी अंकित है। जाँच की समाप्ति 21–07–2018 को 16.10 पर किया जाना अंकित किया गया है। पंचायतनामा में अंकित है कि वॉर्डबॉय की सूचना के अनुसार उक्त जय कुमार गोस्वामी को आर्म्स इंजरी का विवरण देकर समय 2.30 बजे झाँसी में भर्ती कराया गया था जिसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना पर उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में उपस्थित हुये। श्री रविन्द कुमार गोस्वामी, श्री धीरेन्द्र कुमार गोस्वामी, श्री

मनोज गोस्वामी, श्री गौरव गोस्वामी तथा गौतम शर्मा को पंचान नियुक्त किया गया। हुलिया शव को अंकित करते हुये कपड़ों के अन्तर्गत कत्थई गोल गले की बनियान, कच्छा बाजारू, जीन्स की पैंट नीली, आसमानी रंग की जिसपर खून के धब्बे, दाहिनी कलाई पर कलावा, अंकित है। चोट के अन्तर्गत दाहिने गाल के ऊपरी भाग पर गोली का निशान तथा पीठ पर दाहिने कूल्हे से हाथ तक 7 गोलियों के निशान, नाक से खून निकलना अंकित किया गया है। राय पंचान के अनुसार, पंचों की राय में मृतक की मृत्यु अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियाँ मारने के कारण हुई हैं। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये मृतक का पोस्टमार्टम कराने का मत व्यक्त किया गया है। उपनिरीक्षक ने भी पंचों की राय से मेल खाती राय को अंकित किया और शव को कपड़े में रखकर सर्व मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्यवाही की।

27. प्रदर्श क–3 रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी के चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार **सुनील कुशवाहा** पुत्र गोविंददास, निवासी बूढा भोजला, थाना सीपरी बाजार, जिला झाँसी का **चोट प्रपत्र** (चिकित्सा विधिक परीक्षण प्रपत्र) है। उक्त आख्या में '*अग्रेषित करने वाला/लाने वाला*' के कॉलम के अन्तर्गत सुरेश कुशवाहा पुत्र अजुद्दी कुशवाहा, निवासी– पूर्ववत अंकित किया गया है। उक्त प्रपत्र में परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक व समय 21–07–2018, 02.50 पी०एम० दोपहर अंकित है। चोटों के विवरण के अन्तर्गत चोटिल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें होना अंकित है–

चोट नं०–1– दाहिने निप्पल, बाँयीं तरफ गोली का घाव 1 सेमी x1 सेमीx अंदरूनी अंगों तक गहरा, ब्लैक्निंग एण्ड टैटूइंग से घिरा या अंदर को जाता हुआ घाव था, खून बह रहा।

चोट क्र०–2– पीछे दाहिने तरफ बीच में आई०डब्ल्यू०, आकार 5 सेमी x1 सेमी० x 1 सेमी०।

चोट क्र०–3– दाहिने कलाई पर लैफ्ट लैटरली आई०डब्ल्यू०, आकार 5 सेमी x1 सेमी० x 1 सेमी०, खून बह रहा था।

चोटों की प्रकृति को प्राणघातक व अवधि ताजी अंकित है व उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु अग्नेयास्त्र अंकित किया गया है। एमएलसी एक्स–रे की सलाह दिया जाना भी अंकित है।

28. प्रदर्श क–4 रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय झाँसी के चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार **रवि वर्मा** पुत्र अवध किशोर, निवासी–बड़ागाँव गेट, कोतवाली, झाँसी का **चोट प्रपत्र** (चिकित्सा विधिक परीक्षण प्रपत्र) है। उक्त आख्या में '*अग्रेषित करने वाला/लाने वाला*' के कॉलम के अन्तर्गत सुरेन्द्र पुत्र तुलसीदास, निवासी–पूर्ववत अंकित किया गया है। उक्त प्रपत्र में परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक व समय 21–07–2018, 02.30 पी०एम० दोपहर अंकित है। चोटों के विवरण के अन्तर्गत चोटिल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें होना अंकित है–

चोट नं०–1– सिर के पिछले मध्य भाग पर आग्नेयास्त्र की चोट, 1 सेमी x1 सेमी, अंदरूनी अंग तक गहरा, ब्लैकिंग व टैटूइंग से घिरा, गोली का अंदर घुसता हुआ घाव था।

चोट क्र०–2– लेफ्ट अपर लिम्ब कलाई के बीच के बाँयी तरफ आग्नेयास्त्र का घाव 1 सेमी x1 सेमी०, अंदरूनी अंगों तक गहरा, ब्लैकिंग व टैटूइंग से घिरा, गोली का अंदर घुसता हुआ घाव था, रक्त बहता।

चोटों की प्रकृति को प्राणघातक व अवधि ताजी अंकित है व उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु अग्नेयास्त्र अंकित किया गया है। एमएलसी एक्स–रे की सलाह दिया जाना भी अंकित है।

29. प्रदर्श क–5 रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय झाँसी के चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार **संजय वर्मा** पुत्र हरीमोहन वर्मा, निवासी बडाबाजार, थाना कोतवाली, जिला झाँसी का **चोट प्रपत्र** (चिकित्सा विधिक परीक्षण प्रपत्र) है। उक्त आख्या में '*अग्रेषित करने वाला/लाने वाला*' के कॉलम के अन्तर्गत संचित वर्मा पुत्र संजय वर्मा,

निवासी–पूर्ववत् अंकित किया गया है। उक्त प्रपत्र में परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक व समय 21–07–2018, 03.00 पी०एम० दोपहर अंकित है। चोटों के विवरण के अन्तर्गत चोटिल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें होना अंकित है–

चोट नं०–1– दाहिने कंधे के जोड के शीर्ष पर गोली का अंदर घुसता हुआ घाव, 1 सेमी x1 सेमी०, अंदरूनी अंगों तक गहरा, ब्लैकिंग व टैटूइंग से घिरा, खून बहता।

चोटों की अवधि ताजी थी व प्रकृति पर्यवेक्षण में (KUO) अंकित की गयी। उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु के अन्तर्गत अग्नेयास्त्र की चोट अथवा अग्नेयास्त्र के द्वारा अंकित किया गया। चोट प्रपत्र में चोटिल की पहचान के चिन्ह कुछ प्राप्त न होना अंकित करते हुये, चोटिल के अंगूठा निशानी को अंकित कराया गया है।

30. प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 क्रमशः चोटिल रवि वर्मा, संजय वर्मा तथा सुनील कुशवाहा के सन्दर्भ में रा०ल०बा० मेडिकल चिकित्सालय, झाँसी के रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोलॉजिस्ट द्वारा निर्मित रेडियो प्रत्यावेदन रिपोर्ट है। उक्त तीनों ही प्रदर्शों पर दिनांक 21–07–2018 की तिथि अंकित है। रवि वर्मा की रिपोर्ट में स्कल(खोपड़ी) की तथा कलाई सहित बांये एल्बो की एक्सरे फिल्में, कुल तीन फिल्में दिये जाना अंकित करते हुये, किसी बोनी इंजरी को प्रकट न होना अंकित किया गया है। चोटिल संजय वर्मा के सीने तथा दाहिने शोल्डर (कंधे) की बांये सहित दो एक्सरे फिल्में दिये जाने को अंकित करते हुये, यह भी अंकित किया गया है कि सीने में रेडियो ओपेक मैटेलिक डेन्सिटी प्रकट होता है। चोटिल सुनील कुशवाहा के सीने तथा दाहिने एल्बो की कलाई सहित चार एक्सरे फिल्मों को दिये जाने, इसमें किसी बोनी इंजरी के दृश्यमान न होने को अंकित किया गया है।

31. उक्त के अतिरिक्त, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या भी प्रदर्श क–41 तथा प्रदर्श क–42 के रूप में पत्रावली पर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या, प्रदर्श क–41, के अनुसार, उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 07–09–2018 व 15–10–2018 को विशेष वाहन कां० 474 राम सिंह द्वारा प्राप्त हुए–

3313–आग्ने–18

1–तीन नमूना मुहरें, जिन्हें नं०–1, नं०–2 व नं०–3 से चिन्हित किया गया है।

2–एक सर्वमुहर पैकेट, जिस पर नं०–1 के समान मुहरें लगी हैं तथा इस पर...PM No. 659/18 मृतक जय प्रकाश गोस्वामी... Date 22–7–18..." आदि लिखा है। इसे खोलने पर पाँच अदद कॉपर जैकेटिड विकृत चली बुलेट्स तथा दो चली बुलेट्स के जैकेट के विकृत/अपूर्ण भाग प्राप्त हुये। चली बुलेट्स को EB–1, EB–2, EB–3, EB–4 व EB–5 से तथा जैकेट के भागों को J–1 व J–2 से चिन्हित किया गया है।

3–एक सर्वमुहर पैकेट, जिस पर नं०–2 के समान मुहरें लगी हैं तथा इस पर " ...मु.अ.सं. 344/18 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 506 IPC..." आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक सील्ड लिफाफा प्राप्त हुआ, जिस पर नं०–2 के समान मुहरें लगी है तथा उपरोक्त सा विवरण लिखा है। इसे खोलने पर एक अदद कॉपर जैकेटिड चली विकृत बुलेट प्राप्त हुयी, जिसे EB–6 से चिन्हित किया गया है।

4–एक सर्वमुहर पैकेट, जिस पर नं०–3 के समान मुहरें लगी हैं तथा इस पर " .... मु.अ.सं. 344/18 धारा–147, 148, 149, 307, 302, 506 IPC..." आदि लिखा है। इसे खोलने पर एक सील्ड लिफाफा प्राप्त हुआ जिस पर नं० –3 के समान मुहरें लगी है तथा उपरोक्त सा विवरण लिखा है। इसे खोलने पर 12 अदद 9mm के चले कारतूस, दो अदद 7.63mm के चले कारतूस, एक अदद कॉपर जैकेटिड विकृत चली बुलेट तथा एक अदद कॉपर जैकटिड अतिविकृत चली बुलेट प्राप्त हुये। 9mm के चले कारतूसों को EC–1 से EC–12 तक से, 7.63mm के चले कारतूसों को EC–13 व EC–14, कॉपर जैकेटिड चली विकृत बुलेट को EB–7 से तथा कॉपर जैकेटिड चली अति विकृत बुलेट को EB–8 से चिन्हित किया गया है।

<u>9350–आग्रे–18</u>

5–एक नमूना मुहर, जिसे नं०–4 से चिन्हित किया गया है।

6–एक सर्वमुहर लिफाफा, जिस पर नं०–4 के समान मुहरें लगी हैं तथा इस पर" .... मु.अ.स. 344/18 धारा–147, 148, 149, 307, 302, 506, 120B IPC..." आदि लिखा है। इसे खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुये–

(i) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर के पीछे वाली सीट से एसिटिक एसिड से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–1 से चिन्हित किया गया है।

(ii)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर के पीछे वाली सीट के काँच से एसिटिक एसिड से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव पाप्त हुआ, जिसे CS–2 से चिन्हित किया गया है।

(iii) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट से एसिटिक एसिड स्वैव से लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–3 से चिन्हित किया गया है।

(iv)एक पोलीथीन पैकेट लिस पर ड्राइवर के बगल वाली सीट के बाहर सामने से एसिटिक एसिड से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–4 से चिन्हित किया गया है।

(v)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर पीछे वाली सीट के बाहर कॉच (ड्राइवर साइड) से एसिटिक एसिड से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–5 से चिन्हित किया गया है।

(vi)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट से अमोनिया से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–6 से चिन्हित किया गया है।

(vii) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट के पीछे वाले कॉच से लिया गया स्वैव अमोनिया से लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–7 से चिन्हित किया गया है।

(viii) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर के पीछे वाली सीट से अमोनिया से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–8 से चिन्हित किया गया है।

(ix) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर के बगल वाली सीट के बाहर सामने से अमोनिया से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव पाप्त हुआ, जिसे CS–9 से चिन्हित किया गया है।

(x)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर पीछे वाली सीट के बाहर काँच (ड्राइवर साइड) से अमोनिया से स्वैव लिखा है, इसमें एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–10 से चिन्हित किया गया है।

(xi)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर के पीछे वाली सीट से D.W. से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–11 से चिन्हित किया गया है।

(xii)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट के पीछे वाले कॉच से D.W. से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ. जिसे CS–12 से चिन्हित किया गया है।

(xiii)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट से D.W. से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ जिसे CS–13 से चिन्हित किया गया है।

(xiv)एक पोलीथीन पैकेट जिस पर ड्राइवर सीट के बगल बाहर सामने से D.W. से स्वैव लिखा है , इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–14 से चिन्हित किया गया है।

(xv) एक पोलीथीन पैकेट जिस पर पोछे वाली सीट के बाहर काँच (ड्राइवर साइड) से D.W. से स्वैव लिखा है, इससे एक कॉटन स्वैव प्राप्त हुआ, जिसे CS–15 ही चिन्हित किया गया है।

निरीक्षण/तथ्य

विवादित कॉटन स्वैव चिन्हित C–1 से CS–15 तक का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया।

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों /बुलेट्स पर उपस्थित चिन्हों का निरीक्षण हैण्डमैग्नीफायर/सूक्ष्मदर्शी यंत्रो दवारा किया गया।

विवादित 9mm कारतूसों चिन्हित EC–1 से EC–12 तक पर फायरिंग पिन, ब्रीच तथा इजैक्टर के चिन्ह उपस्थित हैं।

विवादित 7.63mm कारतूसों चिन्हित EC–13 व EC–14 पर फायरिंग पिन, ब्रीच तथा इजैक्टर के चिन्ह उपस्थित हैं।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–1, EB–2, EB–3 का भार क्रमशः 7.45gm, 7.46gm, 7.45gm व लम्बाई क्रमश: 12.5 mm, 13.3 mm, 13.1 mm तथा व्यास लगभग क्रमशः 9.1 mm, 9.1 mm. 9.1mm हैं। इन पर 6 Land 6 Grooves के चिन्ह उपस्थित है जिनका घुमाव दाहिनी ओर है। ये विकृत बुलेट्स हैं।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–4, EB–5 का भार क्रमशः 5.41gm, 5.44gm व लम्बाई क्रमशः 11.6mm, 11.4mm, तथा व्यास लगभग क्रमशः 7.8 mm. 7.8 mm है। इन पर 4 Land व 4 Grooves के चिन्ह उपस्थित है जिनका घुमाव दाहिनी ओर है। ये विकृत बुलेट्स हैं।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–6, EB–7 का भार क्रमशः 11.65gm, 11.50gm व लम्बाई क्रमश: 21.1 mm, 23.2 mm, तथा व्यास लगभग क्रमशः 9.1 mm, 9.1 mm है। इन पर Land/Groov Like Striations के चिन्ह उपस्थित है। ये विकृत बुलेट्स हैं।

विवादित बुलेट चिन्हित EB–8 का भार 7.39gm है। यह अति विकृत चली बुलेट है इस पर 6 Land व 6 Grooves के चिन्ह दृष्टिगोचर है। जिनके घुमाव की दिशा clear नहीं है।

विवादित चली बुलेट्स की जैकेट्स चिन्हित J–1 व J–2 का भार क्रमशः 1.04gm, 1.15gm है। ये चली बुलेट्स की जैकेट के भाग हैं। J–1 पर 4 Land व 5 Grooves के चिन्ह दृष्टिगोचर है जिनका घुमाव दाहिनी ओर है। J–2 पर 3 Land 3 Grooves के चिन्ह दृष्टिगोचर हैं जिनका घुमाव दाहिनी ओर है। ये विकृत/अपूर्ण जैकेट्स हैं।

अभिमत

1–विवादित कॉटन स्वैव चिन्हित CS–1 से CS–15 तक में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति Detect नहीं हुयी।

2–विवादित कारतूस EC–1, EC–2, EC–3, EC–4, EC–5, EC–6, EC–7, EC–8, EC–9, EC–10, EC–11, EC–12, .9mm पिस्टल में प्रयुक्त होने वाले चले कारतूस हैं।

3–विवादित कारतूस चिन्हित EC–13 व EC–14, 7.63mm माउजर पिस्टल में प्रयुक्त होने वाले चले कारतूस हैं।

4–विवाहित बुलेट्स चिन्हित EB–1, EB–2, व EB–3, 9mm पिस्टल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस की चली बुलेट्स हैं। बुलेट्स चिन्हित EB–1, EB–2 व EB–3, 9mm के चले कारतूसों चिन्हित EC–1 / EC–2 /EC–3/EC–4/EC–5/EC–6/EC–7/EC–8/EC–9/EC–10/EC–11/EC–12 के लोड के भाग हैं अथवा नहीं के सम्बन्ध में निश्चित मत देना सम्भव नहीं हैं।

5–विवादित बुलेट्स चिन्हित EB–4 व EB–5, 7.63mm पिस्टल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस की चली बुलेट्स प्रतीत होती है। बुलेट्स चिन्हित EB–4 व EB–5, 7.63mm के चले कारतूसों चिन्हित EC–13/EC–14 के लोड के भाग है अथवा नहीं के सम्बन्ध में निश्चित मत देना सम्भव नहीं है।

6–विवादित बुलेट्स चिन्हित EB–6 व EB–7, .38 बोर रिवॉल्वर में प्रयुक्त होने वाले कारतुम की चली बुलेट्स हैं।

7–विवादित बुलेट्स चिन्हित EB–8 अति विकृत चली बुलेट है जिसके बोर के विषय मत निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

8–विवादित जैकेट के चिन्हित J–1 व J–2, किसी चली बुलेट्स की जैकेट के अपूर्ण/विकृत भाग हैं।

नोट–1– उपरोक्त परिणाम प्रदर्शों के माइक्रोस्कोपिक/रासायनिक निरीक्षण/परीक्षण पर आधारित है।"

32. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या, प्रदर्श क 42, के अनुसार प्रयोगशाला को प्राप्त 1–पैण्ट मय बेल्ट, 2–टी–शर्ट, 3–चड्डी, 4–कलावा, 5–चश्मा मय बॉक्स, 6–काला चश्मा, 7–काँच के टुकडे (घटनास्थल), 8–काँच के टुकडे (गाडी से), 9–तौलिया, 10–तौलिया, 11–तौलिया, 12–टुकडा कपडा में 1 से 12 तक में रक्त पाया गया तथा 1, 2, 5 से 8 व 10 पर मानव रक्त पाया गया तथा 3, 4, 9, 11, 12 पर रक्त वियोजित पाया गया।

33. समस्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये।

34. अभियुक्त **राजेन्द्र गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह गुर्जर, प्रहलाद, भरत सिंह** एवं **राव राजा** ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत बताया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श व वस्तु प्रदर्श को झूठा व फर्जी तैयार किया जाना भी कहा है। इन अभियुक्तगण ने पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही को निष्पक्षतापूर्वक सम्पादित नहीं किये जाने का भी कथन किया है तथा सी०डी०आर० में निष्पक्षता न होने का भी कथन किया। इन अभियुक्तगण ने फर्द बरामदगी को भी झूठा बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० कायमी को एण्टे टाइम तैयार किये जाने का भी कथन किया है। मुकदमा को झूठा, फर्जी व रंजिशन चलाने जाने का कथन करते हुये, अभियोजन साक्षीगण द्वारा झूठा, फर्जी व रंजिशन साक्ष्य दिये जाने का भी कथन किया।

35. उक्त के अतिरिक्त, अभियुक्त **राजेन्द्र गुर्जर** ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये यह भी कहा कि चोटिल संजय वर्मा ने झूठा व फर्जी फंसाया गया है, उसने कोई घटना कारित नहीं की है। इन अभियुक्तगण द्वारा पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज के बारे में दर्ज कराये गये बयान को स्वीकार किया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य दिये जाने का भी कथन किया है। इसी प्रकार इन अभियुक्तगण ने संजय वर्मा के बयान में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहे एस०एल०पी० को खारिज कर दिये जाने के बारे में कुछ नहीं कहे जाने का बयान दिया है। अभियुक्त **ऊधम सिंह गुर्जर** ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर की माँग की तथा यह भी कथन किया है कि चोटिल संजय वर्मा ने उसके अर्थात अभियुक्त के चचेरे भाई चन्द्रशेखर की हत्या की, वह भूमाफिया है और उससे अर्थात अभियुक्त से मुकदमेंबाजी के कारण रंजिश मानता है। घटना के दिन वह अर्थात अभियुक्त आगरा में था।अभियुक्त **भूपेन्द्र सिंह गुर्जर** ने भी प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर की माँग करते हुये, षडयन्त्र के तहत रंजिशन झूठा फंसाये जाने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया कि घटना के समय वह अर्थात अभियुक्त आगरा में था। घटना में उसका अर्थात अभियुक्त का कोई सहयोग नहीं है। उसका नाम भूपेन्द्र है। स्कूल में भी उसका नाम भूपेन्द्र लिखा है। उसका कोई उपनाम नहीं है। अभियुक्त **प्रहलाद** ने भी प्रतिरक्षा साक्ष्य हेतु अवसर की माँग की तथा साथ ही यह कथन किया कि चोटिल संजय वर्मा द्वारा उसके अर्थात अभियुक्त के भाई चन्द्रशेखर की दिनांक 24–12–2004 को हत्या की गई, जिसमें जेल जाने के कारण उससे अर्थात अभियुक्त से रंजिश रखता है। वह अर्थात अभियुक्त दिनांक 19–07–2018 से 21–07–2018 तक आगरा में था। उसने कोई घटना कारित नहीं की। रंजिशन चोटिल संजय वर्मा से मिलकर पुलिस ने झूठा साक्ष्य संकलित कर झूठा फंसाया है। अभियुक्त **राव राजा** ने प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये, यह भी कथन किया है कि वह अर्थात अभियुक्त पूरी तरह (78 प्रतिशत) विकलांग है। विकलांगता सार्टीफिकेट 03–11–2018 का है। उस पर अर्थात् अभियुक्त पर लगाये समस्त आरोप झूठे हैं। अभियुक्त **भरत सिंह** ने प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये यह भी कथन किया कि उसके अर्थात

अभियुक्त के पुत्र चन्द्रशेखर की हत्या चोटिल संजय वर्मा व अन्य व्यक्तियों ने मिलकर 24–12–2004 को कर दी थी। संजय वर्मा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें संजय वर्मा जेल में निरूद्व रहा। इससे संजय वर्मा, उससे अर्थात अभियुक्त से रंजिश रखता है। वह अर्थात अभियुक्त 17 वर्षों से जेल में निरूद्व है। उसकी आयु 73 वर्ष है। वह कैंसर रोग से पीड़ित है। उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

36. अभियुक्त **सरदार सिंह** ने भी धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्षीगण के बयान को झूठा बताया है। चिकित्सीय साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विषय में जानकारी न होने का कथन किया है। विवेचक साक्षीगण द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फर्जी विवेचना करने, पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता को फर्जी लिखे जाने का कथन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चिक् कायमी एण्टी टाईम, एण्टी डेट फर्जी अंकित किये जाना बताते हुये, मुकदमें को रंजिशन झूठा चलाये जाना कहा है। इस अभियुक्त ने साक्षीगण द्वारा वादी से हितबद्व होकर रंजिशन झूठी गवाही दिये जाने, सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने तथा निर्दोष होने का बयान अंकित कराया है।

37. अभियुक्त **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता** ने अभियोजन कथानक के सन्दर्भ में वादी एवं चोटिल संजय वर्मा द्वारा षडयन्त्रपूर्वक झूठा नामजद कराये जाने, दिनांक 21–07–2018 को स्वयं के गोवा तथा अपने दोनों भाईयों रिकूं गेड़ा एवं बॉबी गेड़ा के भोपाल में होने का कथन किया है। पी०डब्लू०–1 संचित वर्मा 2006 में अजय वर्मा की हत्या किये जाने में अभियुक्त की भूमिका के बयान के सन्दर्भ में यह कथन किया है कि उसे अर्थात् अभियुक्त तथा उसके भाई को सत्र न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया गया है, जिसकी कोई अपील नहीं चल रही है। उसके अर्थात् अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता की कोई रिट् खारिज नहीं हुई थी। षडयन्त्र रचकर झूठा कथन किया गया है। अभियुक्त ने अपनी नामजदगी को झूठा बताया है। पी०डब्लू०–3 रवि वर्मा द्वारा चोटिल संजय वर्मा के दबाव में झूठी गवाही देने व चोटिल का पड़ोसी होना बताया है। चिकित्सीय साक्ष्य को वादी व चोटिल संजय वर्मा के दबाव में झूठा तैयार किया जाना कहा है। अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को झूठा व वादी के दबाव में किया जाना बताते हुये, साक्षीगण द्वारा झूठे प्रपत्र तैयार किये जाने का कथन किया है। विवेचकों द्वारा न्यायसंगत विवेचना न किये जाने का कथन करते हुये कहा है कि पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने सी०डी०आर० में 28 बार अभियुक्त द्वारा बात किये जाने की रिपोर्ट गलत दी, विवेचना के दौरान मोबाईल टावर लोकेशन व सी०सी०टी०वी० साक्ष्य के आधार पर दोनों भाईयों मनीष गुप्ता व संदीप गुप्ता के घटना की तिथि पर भोपाल में होने को तस्दीक किया है तथा उसके अर्थात् अभियुक्त सोनू गेड़ा के गोवा में होने की साक्ष्य संकलित नहीं की है। विवेचक द्वारा झूठा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का कथन करते हुये, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या को साबित न कराये जाना बताया है। मुकदमा को झूठा चलना बताते हुये, अभियोजन साक्षीगण द्वारा वादी के प्रभाव में झूठी गवाही देने का बयान दिया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये यह भी कहा है कि घटना के दिनांक को उसकी अर्थात् अभियुक्त की उपस्थिति गोवा में थी व भाईयों की उपस्थिति भोपाल में थी। पूर्व में भी उसे अर्थात् अभियुक्त को व उसके भाईयों को2006 में झूठा नामजद कराया गया था जिनमें सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

38. अभियुक्तगण **रिकूं गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता** व **बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता** ने अभियोजन कथानक को असत्य बताते हुये, वादी मुकदमा व चोटिल द्वारा षडयन्त्र रचकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने तथा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को वादी के प्रभाव में झूठा दिये जाने का, घटना के समय भोपाल में होने का कथन किया है। साथ ही पी०डब्लू०–1 संचित वर्मा द्वारा अजय वर्मा की हत्या में सजा किये जाने , माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे होने सम्बन्धी कथन को असत्य बताया है। अभियोजन प्रपत्र को झूठा तैयार किये जाने व झूठा साबित किया जाना बताते हुये, विवेचक द्वारा न्यायसंगत विवेचना न

किये जाने का कथन किया। पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा दिनांक 21–07–2018 को अभियुक्तगण की उपस्थिति को भोपाल में होने सम्बन्धी साक्ष्य को संकलित किये जाने का कथन करते हुये, यह भी कहा कि वादी के दबाव में सोनू गेड़ा के विरूद्व गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इन अभियुक्तगण अर्थात् रिंकू गेड़ा व बॉबी गेड़ा के अपराध में संलिप्तता एवं सहभागिता नहीं पाई गई थी एवं नाम पृथक् किये गये थे। विवेचक पी०डब्लू०–17 उमेश चन्द्र त्रिपाठी ने भी इन अभियुक्तगण की उपस्थिति घटना के समय भोपाल में होने की पुष्टि की गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या को साबित न कराये जाने का कथन करते हुये, मुकदमा को झूठा चलना बताया है तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये, दोनों ही अभियुक्तगण ने यह कथन किया है कि वे दोनों लम्बे समय से भोपाल में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। घटना के दिनांक व समय पर वे भोपाल में थे तथा भाई सोनू गेड़ा गोवा में था। अजय वर्मा की हत्या में झूठा नामजद किया गया था, जिसमें वे दोषमुक्त हो गये थे।

39. अभियुक्त **कमलेश यादव** ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये, यह कथन किया है कि उसका अर्थात् अभियुक्त का घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। शाम को वह घर पर था। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पी०डब्लू०–2 चोटिल संजय वर्मा व पी०डब्लू०–3 रवि वर्मा की साक्ष्य को झूठा बताते हुये पी०डब्लू०–4 संजीव गुप्ता को न जानने का, चिकित्सीय साक्ष्य व विवेचकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विषय में जानकारी न होने का, पी०डब्लू०–15 इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा स्वयं अर्थात् अभियुक्त के विरूद्व झूठा, फर्जी आरोपपत्र दाखिल करने तथा सी०डी०आर० को निष्पक्षता से अवलोकन न करने का कथन किया है। समस्त प्रदर्शों को झूठा बताते हुये, यह भी कहा है कि उसने अर्थात् अभियुक्त ने कोई जुर्म स्वीकार नहीं किया है। बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। स्वयं के विरूद्व कोई इनाम घोषित किये जाने को गलत बताते हुये, पी०डब्लू०–19 उपनिरीक्षक दामोदर सिंह द्वारा दिनांक 04–04–2019 को आलाकत्ल तंमचा की बरामदगी को गलत बताया है। बरामदगी को फर्जी दिखाये जाने का कथन करते हुये, प्रदर्श को झूठा व फर्जी बताया है। पी०डब्लू०–20 उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार व पी०डब्लू०–21 निरीक्षक हरे राम यादव की साक्ष्य को गलत बताते हुये, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या को भी गलत बताया है। इस अभियुक्त ने मुकदमा को झूठा व रंजिशन चलना बताते हुये, साक्षीगण द्वारा झूठा व फर्जी साक्ष्य रंजिशन दिये जाना कहा, प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये, यह भी कथन किया कि उसे अर्थात् अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उसके क्षेत्र में पार्टीबंदी है। अभियुक्त के विपक्षी पार्टी सतेन्द्र यादव व सज्जन यादव हैं, जिनका मेल–मिलाप उसके अर्थात् अभियुक्त के खिलाफ लोगों से हैं। यह दोनों भी प्रापर्टी का काम करते हैं। संजय वर्मा ने विरोधी पार्टी से मिलकर झूठा फंसाया है।

40. अभियुक्त **नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू** ने आरोपों को गलत व बेबुनियाद बताया, अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के विषय में या तो कोई जानकारी न होने अथवा इसके झूठा व निराधार होने का बयान दिया है। मुकदमा को झूठा चलना बताते हुये, अभियोजन साक्षीगण के बयानों को झूठा बताया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये, यह भी कथन किया कि उसे अर्थात् अभियुक्त को घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसे अर्थात् अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त **गौरव उर्फ मोण्टी** ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये, अभियोजन साक्षीगण के बयानों के सम्बन्ध में जानकारी न होने अथवा झूठा बयान दिये जाने का कथन किया। मुकदमा को झूठा चलना बताते हुये, सफाई साक्ष्य के अवसर की माँग की तथा यह भी कथन किया कि वह दिल्ली जेल में बंद था। दिल्ली जेल से उसे अर्थात् अभियुक्त को रिमाण्ड पर ले जाया गया, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त **सनम उर्फ माँगे** ने अभियोजन कथानक को गलत, बेबुनियाद तथा झूठा बताया है तथा साक्षीगण के बयान को झूठा दिये जाने का कथन किया है। चिकित्सीय साक्ष्य के विषय में जानकारी न होने का बयान देते हुये, गलत व झूठा आरोपपत्र प्रेषित किये जाना बताया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की

माँग करते हुये, घटना की कोई जानकारी न होने तथा गलत तथ्यों के आधार पर फंसाये जाने का बयान दिया है। अभियुक्त **रोहित उर्फ रोहिताश** ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये, घटना कारित न किये जाने का कथन किया है तथा यह भी कहा है कि पी०डब्लू० –1 संचित वर्मा उसे अर्थात् अभियुक्त को नामित नहीं किया है और न ही उसकी शिनाख्त की है। पी०डब्लू०–2 संजय वर्मा, पी०डब्लू०–3 रवि वर्मा के बयान को झूठा बताते हुये, यह भी कथन किया है कि उसे नामित नहीं किया गया है और न ही शिनाख्त की गई है। अन्य अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत कार्यवाही के आधार पर झूठा बताते हुये, यह भी कथन किया है कि उसकी किसी भी मजरूब, चश्मदीद साक्षीगण से नियमानुसार शिनाख्त नहीं कराई है। उसे अर्थात् अभियुक्त के मोबाईल की सी०डी०आर० नहीं निकलवायी गई थी, कोई बरामदगी नही की गई, उसके विरूद्व झूठे आधार पर आरोपपत्र लगाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य हेतु अवसर की याचना करते हुये, अभियुक्त ने यह भी कहा है कि दौरान मुकदमा यह जानकारी हुई है कि वादी का पिता स्वयं अपराधी है, जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है और पुलिस की मिली भगत से इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। अभियुक्त **सागर राणा** ने भी आरोपों को गलत व बेबुनियाद बताते हुये, साक्षीगण के बयान को झूठा बताया है अथवा बयानों के सम्बन्ध में कोई जानकारी न होने का कथन किया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य के अवसर की माँग करते हुये, अभियुक्त ने यह भी कहा है कि उसका इस मुकदमें से कोई लेना–देना नहीं है। प्रशासन की भूमिका है।

41. अभियुक्तगण की ओर से कुल **25 प्रतिरक्षा साक्षीगण** उपस्थित किये गये हैं। प्रतिरक्षा साक्षीगण निम्नवत हैः–

डी०डब्लू०–1 हरीशरण गुप्ता,
(अभियुक्तगण सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा व बॉबी गेड़ा की ओर से)
डी०डब्लू०–2 महेन्द्र अग्रवाल (बैंक कर्मचारी, आईसीआईसीआई बैंक, सतना) (अभियुक्त मनीष गुप्ता उर्फ रिंकू गेड़ा की ओर से)
डी०डब्लू०–3 विजेन्द्र सिंह चौधरी (बैंक कर्मचारी, आईसी०आई०सी०आई० बैंक, मुम्बई) (अभियुक्त मनीष गुप्ता उर्फ रिंकू गेड़ा की ओर से)
डी०डब्लू०–4 अभिषेक कुमार गुप्ता (फार्मेस्टिट जिला कारागार , झाँसी) (अभियुक्त रावराजा की ओर से)
डी०डब्लू०–5 आलोक जैन (शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) (अभियुक्त बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से)
डी०डब्लू०–6 डॉ० लक्ष्मी प्रसाद राजपूत (नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय झाँसी) (अभियुक्त रावराजा की ओर से)
डी०डब्लू०–7 कांस्टेबिल चन्द्र कांत शर्मा (हाल तैनाती सी०आई०एस०एफ०, ताजमहल आगरा) (अभियुक्त प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह की ओर से)
डी०डब्लू०–8 कमाण्डेन्ट सी०आई०एस०एफ० बृजभूषण (अभियुक्त प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह की ओर से)
डी०डब्लू०–9 मोहम्मद शाहिद कुरैशी (सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया खण्डवा, मध्यप्रदेश) (अभियुक्त रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता की ओर से)
डी०डब्लू०–10 चन्द्रिका सग्गी (अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की ओर से)
डी०डब्लू०–11 सलमान हैदर (अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर की ओर से)
डी०डब्लू०–12 अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा (स्वंय अभियुक्त)
डी०डब्लू०–13 देशराज केवट (अभियुक्त ऊधम सिंह गुर्जर की ओर से)
डी०डब्लू०–14 बेताल गुर्जर (अभियुक्त प्रहलाद, भूपेन्द्र व राजेन्द्र गुर्जर की ओर से) (मुख्य परीक्षा अपूर्ण)
डी०डब्लू०–15 रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता (स्वंय अभियुक्त)
डी०डब्लू०–16 मनोज पाल (अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर की ओर से)

डी०डब्लू०–17 रामकरन (फार्मेस्टिट केन्द्रीय कारागार, बरेली)
(अभियुक्त भरत सिंह की ओर से)
डी०डब्लू०–18 संदीप गुप्ता उर्फ बॉबी गेड़ा (स्वंय अभियुक्त)
डी०डब्लू०–19 अक्षय बाजपेयी (साइबर सिक्योरिटी व डिजीटल एक्सपर्ट)
(अभियुक्त मनीष गुप्ता, संदीप गुप्ता व सचिन गुप्ता की ओर से)
डी०डब्लू०–20 राजेन्द्र शिवहरे (सीनियर एक्जीक्यूटिव, इण्डिगो, ग्वालियर)
(अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा की ओर से)
डी०डब्लू०–21 डॉ० श्रीजी गर्ग, चिकित्सिका (अभियुक्त भरत सिंह की ओर से)
डी०डब्लू०–22 संदल दीप (सेवानिवृत्त असिस्टेण्ट कर्मेशियल मैनेजर, भारतीय रेल, अम्बाला) (अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर की ओर से)
डी०डब्लू०–23 सुशील लालचन्द्र यादव (सी०सी०टी०वी० इंजीनियर)
(अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर के लिये)
डी०डब्लू०–24 अजीत (होटल व्यवसायी) (अभियुक्त सचिन गुप्ता की ओर से)
डी०डब्लू०–25 सतेन्द्र सिंह (अभियुक्त प्रहलाद, भूपेन्द्र व राजेन्द्र की ओर से)

42. डी०डब्लू०–1 हरीशरण गुप्ता ने **डी०आई०जी० को कथित रूप से भेजे पत्र** दिनांकित 31–07–2018 की प्रति को **प्रदर्श ख–1** के रूप में, **मूल रसीद** को **प्रदर्श ख–2** के रूप में तथा रिकूं गेड़ा व बॉबी गेड़ा के **भोपाल स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सी०सी०टी०वी० फुटेज** की डी०वी०डी० को **प्रदर्श ख–3** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–3 विजेन्द्र सिंह चौधरी (बैंक कर्मचारी आई०सी०आई०सी०आई० बैंक मुम्बई) ने स्वयं द्वारा जारी **पत्र** को **प्रदर्श ख–4** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–5 आलोक जैन (शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) ने स्वयं द्वारा जारी **पत्र** को **प्रदर्श ख–5** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–6 डॉ० लक्ष्मी प्रसाद राजपूत (नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय झाँसी) ने अभियुक्त/बंदी राव राजा की **डिसएबेलिटी सार्टीफिकेट** की सत्यापित छायाप्रति को **प्रदर्श ख–7** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–7 कांस्टेबिल चन्द्र कांत शर्मा (हाल तैनात सी०आई०एस०एफ०, ताजमहल आगरा) ने वस्तु प्रदर्श ख–7 के सन्दर्भ में जारी स्वयं के **मूल शपथपत्र अन्तर्गत 65 बी साक्ष्य अधिनियम** को **प्रदर्श ख–8** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–9 मो० शाहिद कुरैशी ने स्वयं द्वारा जारी पत्र को प्रदर्श ख 9 के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–10 चन्द्रप्रकाश सग्गी ने अपने **विद्यालय के प्रवेश पंजिका** प्रासंगिक पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति को **प्रदर्श ख–10** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–11 सलमान हैदर ने विश्राम होटल बलसाड़ (गुजरात) के **रजिस्टर के पेज–51 की प्रमाणित प्रति** तथा **रजिस्टर के कवर पेज की प्रति** को क्रमशः **प्रदर्श ख–11** व **प्रदर्श ख–12** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–12 अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा ने सत्र परीक्षण संख्या–1010/2021 सरकार बनाम सनम माँगे की पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–18 ए/4 दिनांकित 17–07–2018 का दिल्ली से गोवा जाने के असल **बोर्डिंग पास** को **प्रदर्श ख–13** तथा बोर्डिंग पास के साथ **संलग्न लगेज की पाँच रसीदों** को संयुक्त रूप से **प्रदर्श ख–14** के रूप में साबित किया है। साथ ही उक्त पत्रावली में मौजूद कागज संख्या–18 ए/5 दिनांकित 21–07–2018 का गोवा से दिल्ली आने का **बोर्डिंग पास** को **प्रदर्श ख–15** के रूप में, उक्त बोर्डिंग पास के साथ संलग्न **लगेज की दो रसीदों को** क्रमशः **प्रदर्श ख–16** व **प्रदर्श ख–17** के रूप में साबित किया है। उक्त पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–18 ए/7 **लगेज की मूल रसीद** गोवा से दिल्ली को **प्रदर्श ख–18** के रूप में, उक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 20 ए/1 **होटल बेंच महीपालपुर की दिनांक 22–07–2018 की असल रसीद** को **प्रदर्श ख–19** के रूप में साबित किया है।

43. इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 22–12–2025 को ही साक्ष्य में अंकित न्यायालय के आदेश में आदेशित किया गया है कि **प्रदर्श ख–20** लगायत **प्रदर्श ख–25** स्वयं गवाह द्वारा निष्पादित नहीं है। अतः उक्त प्रपत्र पर डाले गये प्रदर्श निरस्त किये जाते

हैं। पश्चात् में पुनः उक्त से भिन्न प्रपत्रों पर **प्रदर्श ख–20** लगायत **प्रदर्श ख–25** अंकित किये गये हैं।

44. डी०डब्लू०–13 देशराज केवट ने न्यायालय XIII ADJ आगरा एस०एस०टी० नम्बर–505/2014 राज्य बनाम देशराज आदि की पत्रावली के **आदेश पत्र दिनांकित 21–07–2018 की प्रमाणित प्रति** को **प्रदर्श ख–20** के रूप में तथा विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम, आगरा के न्यायालय के जी०एस०टी० नं० 61/2015 के आदेश पत्र दिनांकित 21–07–2018 की सत्यप्रतिलिपि को **प्रदर्श ख–21** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–15 रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता ने भोपाल स्थित अपने प्रतिष्ठान/दुकान **न्यू आस्था मोटर्स सी०सी०टी०वी० फुटेज सम्बन्धित सी०डी०** को **प्रदर्श ख–22** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–19 अक्षय बाजपेयी (साइबर सिक्योरिटी व डिजीटल एक्सपर्ट) ने संदीप गुप्ता के गोवा सम्बन्धी **सी०सी०टी०वी० फुटेज की डिजिटल फॉरेन्सिक रिपोर्ट** को **प्रदर्श ख–23**, संदीप गुप्ता के भोपाल सम्बन्धी **सी०सी०टी०वी० फुटेज की डिजिटल फॉरेन्सिक रिपोर्ट** को **प्रदर्श ख–23** तथा मनीष गुप्ता उर्फ रिंकू गेड़ा से सम्बन्धित **सी०सी०टी०वी० फुटेज की डिजिटल फॉरेन्सिक रिपोर्ट** को **प्रदर्श ख–35** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–20 राजेन्द्र शिवहरे (सीनिरयर एक्जीक्यूटिव, इण्डिगो, ग्वालियर) द्वारा इंडिगो एयरलाइन्स के मैनेजर द्वारा जारी फ्लाइट संख्या–6E5532 गोवा से दिल्ली पी०एन०आर० संख्या–DJTEPH यात्रा दिनांक 22–07–2018 के सम्बन्ध में विवरण व फ्लाइट संख्या–6E–367 दिल्ली से गोवा पी०एन०आर० संख्या–TGIJ9D यात्रा दिनांक 17–07–2018 के सम्बन्ध में **डिजीटल पेपर्स** को **प्रदर्श ख–25** लगायत **प्रदर्श ख–33** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–21 डॉ० श्रीजी गर्ग ने अभियुक्त भरत सिंह के **रेडियोलॉजी रिपोर्ट** को **प्रदर्श ख–34** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–22 संदल दीप (सेवानिवृत्त असिस्टेण्ट कर्मेशियल मैनेजर, भारतीय रेल, अम्बाला) ने कागज संख्या–368 बी/4 जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत **भारतीय रेलवे की ओर से जारी सूचना** को **प्रदर्श ख–36** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू०–24 अजीत (होटल व्यवसायी होटल फर्नकदमा) ने सत्र परीक्षण संख्या–1010/2021 सरकार बनाम सनम माँगे की पत्रावली पर उपलबध कागज संख्या–22 ए/2 लगायत 22 ए/7 **(होटल के कम्प्यूटर जनरेटड बिल)** को साबित करते हुये, कागज संख्या–22 ए/2 व 22 ए/3 को **प्रदर्श ख–37**, कागज संख्या–22 ए/4 व 22 ए/5 को **प्रदर्श ख–38** तथा कागज संख्या–22 ए/6 लगायत 22/7 को **प्रदर्श ख–39**, सत्र परीक्षण संख्या–227/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि की पत्रावली में मौजूद कागज संख्या–469 बी/1 लगायत 469 बी/19 को **(होटल कम्प्यूटर जनरेटड बिल)** को **प्रदर्श ख–40** के रूप में साबित किया है।

45. **अभियुक्तगण की ओर से वस्तु प्रदर्श** भी प्रस्तुत व साबित किये गये हैः–

अभियुक्त मनीष गुप्ता की ओर से उपस्थित डी०डब्लू०–3 विजेन्द्र सिंह चौधरी (बैंक कर्मचारी आई०सी०आई०सी०आई० मुम्बई) ने कागज संख्या–25 ए/1 कपड़े के अन्दर पोलीथीन के कवर में रखी डी०वी०डी० (जो दो टुकड़ो में निकली थी) को साबित किया है, **टूटी हुई डी०वी०डी० के दो टुकड़ो** पर **वस्तु प्रदर्श ख–3, पॉलीथीन** पर **वस्तु प्रदर्श ख–2** तथा **कपड़े** पर **वस्तु प्रदर्श ख–1** डाला गया है। अभियुक्त संदीप गुप्ता उर्फ बॉबी गेड़ा की ओर से उपस्थित डी०डब्लू०–5 आलोक जैन (सेवानिवृत्त शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, भोपाल) ने पत्रावली में मौजूद पेपर संख्या–25 ए/3 के **सफेद कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श ख–4,** इसके अन्दर से निकले सफेद लिफाफे में **सी०डी० (5 टुकड़ो में)** को **वस्तु प्रदर्श ख–6** तथा **सफेद लिफाफे** को **वस्तु प्रदर्श ख–5** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त प्रहलाद व भूपेन्द्र की ओर से उपस्थित डी०डब्लू०–7 कास्टेबिल चन्द्रकान्त शर्मा ने दाखिल की गई **पेनड्राइव** (पत्रावली पर 419 ए) को **वस्तु प्रदर्श ख–7** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त मनीष गुप्ता की ओर से उपस्थित डी०डब्लू०–9 मो० शाहिद कुरैशी (सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया, खण्डवा, मध्यप्रदेश) ने पत्रावली पर मौजूद पेपर संख्या–25 ए/2

के **सफेद कपड़े** को **वस्तु प्रदर्श ख–8,** कपड़े के अन्दर रखे **प्लास्टिक की पन्नी** को **वस्तु प्रदर्श ख–9,** प्लास्टिक की पन्नी से निकले **सी०डी० (4 टुकड़ों में टूटी)** को **वस्तु प्रदर्श ख–10** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर की ओर से उपस्थित डी०डब्लू० –16 मनोज पाल ने **फोटोग्राफ्स** (513 ए/1) को **वस्तु प्रदर्श ख–11, फोटोग्राफ** (513 ए/2) को **वस्तु प्रदर्श ख–12, फोटोग्राफ** (513 ए/3) को **वस्तु प्रदर्श ख–13** के रूप में साबित किया है तथा **होटल विश्राम के सी०सी०टी०वी० फुटेज की सी०डी०/डी०वी०डी०** को **वस्तु प्रदर्श ख–14** के रूप में साबित किया है। डी०डब्लू० –18 संदीप गुप्ता उर्फ बॉबी गेड़ा ने **भोपाल स्थित प्रतिष्ठान के कथित सी०सी०टी०वी० फुटेज की सी०डी०** (520 बी) को **वस्तु प्रदर्श ख–15** के रूप में साबित किया है।

46. अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्तगण की ओर से **अंतिम बहस** को सुना।

47. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री देवेंद्र पांचाल ने बहस की। पीड़ित/चोटिल व वादी मुकदमा की ओर से अभियोजन पक्ष के सहायक के रूप में विद्वान अधिवक्तागण श्री जयदीप मिश्रा तथा श्री उत्कर्ष द्विवेदी ने भी उपस्थित रहकर बहस की। अभियुक्तगण सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेडा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश यादव द्वारा, अभियुक्तगण भरत सिंह, राव राजा, राजेंद्र गुर्जर, भूपेंद्र सिंह, प्रहलाद व ऊधम सिंह गुर्जर की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री अमीन उद्दीन व श्री कुमार वैभव तिवारी द्वारा, अभियुक्त कमलेश यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमीन उद्दीन द्वारा, अभियुक्तगण नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, गौरव उर्फ मोंटी व सागर राणा की ओर से विद्वान न्यायमित्र अधिवक्ता श्री माधुरी शरण नायक (आदेश दिनांकित 07.09.2022 से नियुक्त) द्वारा, अभियुक्त रोहित उर्फ रोहिताश की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष यादव द्वारा, अभियुक्त सरदार सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रताप वर्मा द्वारा तथा अभियुक्त सनम उर्फ मांगे की ओर से विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री प्रतीक समाधिया द्वारा बहस की गई।

48. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क किया गया कि प्रकरण में एक मृतक व तीन चोटिल हैं। अभियोजन पक्ष ने कुल 21 अभियोजन साक्षीगण उपस्थित किए हैं, जिनमें तथ्य के चार साक्षीगण हैं तथा शेष चिकित्सकीय साक्षीगण, विवेचकगण तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों से संबंधित साक्षीगण हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। चोटिल व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। अभियुक्तगण की वादी मुकदमा व चोटिल से रंजिश भी पूर्णतया साबित है, जिससे घटना का हेतुक (motive) साबित होता है। आग्नेयास्त्र को भी बरामद किया गया है, जिसकी भी पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित है तथा यदि इसमें कुछ विलंब हुआ प्रकट होता भी है तो इसके कारण को साक्ष्य के माध्यम से पूर्णतया स्पष्ट किया गया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किया जाना भी संदेह से परे साबित है। अभियोजन साक्षीगण ने न केवल घटना के समय अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान व साक्ष्य प्रस्तुत की है, वरन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराई गई दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों के कथन को भी घटना में उपस्थित अभियुक्तगण की संख्या से स्पष्ट किया है। समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। समस्त अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किए जाने की याचना की गई।

49. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन घटनाक्रम तथा अभियुक्तगण पर लगे आरोपों के संदेहास्पद होने का तर्क किया गया। अभियुक्तगण पर लगे आरोपों के साबित न होने के तर्कों में सभी अभियुक्तगण की ओर से सामान्य तर्क किए गए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट न केवल विलंबित है वरन् वादी द्वारा थाने पर दी गई सूचना प्रथम सूचना ही नहीं है। यह द्वितीय अथवा तृतीय सूचना रिपोर्ट है। संभव होने के बावजूद, वादी का थाने पर विलंब से तहरीर दिया जाना अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को संदेहास्पद बनाता है। घटना का हेतुक साबित तथा संभावित नहीं है। घटना का हेतुक वर्ष 2004–2006 की घटनाएं कही गई हैं, जिनमें पर्याप्त समय अवधि व्यतीत हो चुकी है। कोई ऐसा नवीन घटनाक्रम नहीं घटित हुआ है, जिसके आधार पर

रंजिशन अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना माना जा सके। प्रस्तुत साक्ष्य से स्वयं वादी की घटनास्थल पर मौजूदगी ही संदिग्ध है। मृतक व चोटिल के चिकित्सकीय प्रपत्र पूर्णतया संदिग्ध हैं। चिकित्सकीय प्रपत्रों व एफएसएल रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से अभियोजन कथानक में घटा घटनाक्रम पूर्णतया संदिग्ध होता है। घटना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं व संभावित साक्ष्यों को दौरान विवेचना संकलित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा, चोटिल तथा सभी अभियुक्तगण के मोबाइल फोन की लोकेशन या सीडीआर को दौरान विवेचना संकलित नहीं किया गया है। संकलित डीवीआर व मोबाइल फोन की लोकेशन अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थिति का खण्डन ही करते हैं। संभव रहे होने के बावजूद घटनास्थल से किसी सीसीटीवी फुटेज अथवा जनसाक्षी की साक्ष्य को संकलित नहीं किया गया है। विवेचना पूर्णतया दूषित है तथा अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाने के आशय से संपादित की गई है। अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण द्वारा घटनास्थल का भिन्न–भिन्न स्थान बताया गया है। चोटिल सहित आवश्यक साक्षीगण की साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोप पत्र में अंकित न होने के बावजूद तीन चिकित्सकों की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है, जिनके द्वारा साबित चिकित्सकीय प्रपत्र न केवल संदेहास्पद हैं, वरन् चिकित्सकीय साक्षीगण की साक्ष्य परस्पर असंगत भी है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में पक्षपात करते हुए केस डायरी के उन पर्चों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिनमें अभियुक्तगण की निर्दोषिता को अंकित किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि विवेचना के दौरान घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता न होने के तथ्य के प्रकट होने पर अभियुक्तगण को दोषी साबित करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के मिथ्या साक्षी गढ़े गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। घटना में नामित नहीं किए गए अभियुक्तगण की पहचान विधि अनुसार नहीं कराई गई है। अज्ञात अभियुक्तगण से न तो किसी प्रकार की बरामदगी साबित है और न ही घटना में कथित रूप से प्रयुक्त किसी वस्तु से ऐसे अभियुक्तगण के संबंध को स्थापित किया जा सका है। समस्त घटनाक्रम वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा के पिता द्वारा मिथ्या रूप से अभियुक्तगण को फँसाने के आशय से निर्मित किया गया है। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर अभियुक्तगण को दोषी बनाने के आशय से विवेचना की गई है।

50. उक्त के अतिरिक्त, अभियुक्तगण प्रहलाद, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर, सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता व बॉबी गेडा उर्फ संदीप गुप्ता के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक (plea of alibi) के आधार पर भी अभियुक्तगण के निर्दोष होने की बहस की गई। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क किया गया कि प्रतिरक्षा साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण उपरोक्त की, कथित घटना के समय, घटनास्थल से इतनी दूरी पर उपस्थित होना साबित है, जो घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति को असम्भव बनाता है। इन अधिकांश तथ्यों का समावेश स्वयं विवेचना में भी किया गया था किंतु वादी मुकदमा के प्रभाव में संपादित विवेचना में जानबूझकर इन तथ्यों को पूर्णतया समाहित नहीं किया गया अथवा उनकी अनदेखी की गई।

51. समस्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अभियुक्तगण को निर्दोष बताते हुए दोषमुक्त किए जाने की याचना की गई।

52. अभियोजन तथा अभियुक्तगण की ओर से मौखिक बहस के पश्चात लिखित बहस हेतु भी अवसर की माँग की गई। अभियोजन तथा अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से तथा अभियुक्तगण प्रहलाद, भूपेन्द्र सिंह, ऊधम सिंह गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर, राव राजा तथा भरत सिंह की ओर से व अभियुक्तगण नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सागर राणा, गौरव उर्फ मोण्टी तथा सनम उर्फ माँगे की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

53. लिखित बहस के साथ अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित **विधि–व्यवस्थायें** प्रस्तुत की गई हैः–

1.ओम पाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (उत्तराखण्ड राज्य), 2025 INSC 1262
2.गोवर्धन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2025(3) SCC 378
3.शाहजाँ उर्फ शाहजान ईस्माईल मोहम्मद शेख बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2022 (12)SCR 196
4.वीरेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, (2022) 8 SCC 668
5.पटचैपेरूमल उर्फ पट्चीकुट्टी बनाम स्टेट, 2025 INSC 1478
6.बैजू उर्फ विजय बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2019 CrLJ 2178
7.उमर अब्दुल शकूर सोराथिया बनाम इन्टेलीजेन्स ऑफीसर, एन०सी०बी०, AIR 1999 SC 2562
8.मकबूल उर्फ जुबेर उर्फ शहनवाज बनाम स्टेट ऑफ ए०पी०,(2010)8 SCC 359
9.पूरनमल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2026 INSC 217
1o.दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2016 SC 253
11.अशोक वर्मा बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2024 AIR Online SC 957
12.लखन सिंह उर्फ पप्पू बनाम द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2011:DHC:4777
13.संचित वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य, 2025:AHC:167044
14.राहुल श्रीशैल बैंगोण्डे बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2020:BHC–AS:2414,

अभियुक्तगण प्रहलाद, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर, राव राजा तथा भरत सिंह की ओर से निम्नलिखित विधि–व्यवस्थायें प्रस्तुत की गई हैः–

1.टी०टी० एण्टोनी बनाम स्टेट ऑफ केरला, 2001(6) SCC 181
2.उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश, 2004 (13) SCC 292
3.जलालुद्दीन उर्फ मनोज बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड, 2026 (135) ACC 35
4.स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम वीरेन्दर सिंह एवं अन्य, क्रि० अपील सं०–1184/1992, निर्णीत–26–09–1997
5.स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री तेजा सिंह, 2001(42) ACC 471 (SC)
6.सोनू शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2011 (1) JIC 381 (All)
7.शाहिद खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2016 (2) JIC (1) (SC)
8.जफरउद्दीन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ केरला, 2022(3)505 (SC)
9.मलप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2024 INSC 104
10.विमल सुरेश बनाम चालूवेरा लिंके अपल एस०पी०, 2003 SCC (CRI)596
11.कल्यान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2001 CRI L.J.4677(SC)
12.वीरपाल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2023 (2) JIC 509 (All)
13.फिदा हुसैन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य, 2023 (1) JIC 517 (All)
14.सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2010 (13)SCC 657
15.मोहम्मद जब्बार अली बनाम स्टेट ऑफ असम, 2023(1) JIC 414 (SC)
16.लवकुश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2024:AHC:199404
17.रघुनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2018 (105) ACC 31 (ALL H.C.)
18.गौरव मैनी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 2024(4) JIC 188 (SC)
19.रघुनाथ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य, 2003 SCC (Cri) 326
20.लक्ष्मी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1976 SCC (Cri) 671
21.बबलू बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2012 (2) JIC 842 (All)
22.स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम तरन सिंह एवं अन्य, 2004 CRI L.J. 654 (S.C.)

22.स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरू,
मा० उच्चतम न्या०, क्रि० अपील नं० 373/2004, निर्णीत–04–08–2005
23.दौलत राम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब,
मा० उच्चतम न्या०, क्रि० अपील नं०–489/1989, निर्णीत–29–04–1997
24.जफर बनाम स्टेट ऑफ केरला, 2024 (129) ACC 266 (SC)
25.कनन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ केरला, 1979 SCC (CRI)621
26.उमर अब्दुल शकूर सोराथिया बनाम इन्टेलीजेन्स ऑफीसर, एन०सी०बी०, 2000 Supreme court case (Cri) 200
27.मकबूल उर्फ जुबेर उर्फ शाहनवाज बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, 2010(3) SCC (Cri) 867
28.स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम रामस्वरूप , 1998 (2) JIC 102 (All)
29.जसपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1999 (1) JIC 126 (SC)
30.जे जैककरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1995 Cri.I.L.3992 (SC)
31.जुमनी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2014 SC (Criminal) 968
32.जयन्ती भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, 2002 SCC (Cri) 1873

अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से निम्नलिखित विधि–व्यवस्थाओं को बहस के साथ अंकित किया गया हैः–

1.करिया बनाम स्टेट ऑफ एम०पी०, JLR 2025 MP 3445
2.राजू उर्फ अमोल सिंह उर्फ राजू उर्फ लालू चन्देल बनाम स्टेट ऑफ एम०पी०, JCR 2025 MP 208 (MP)
3.स्टेट ऑफ एम०पी० बनाम रिपुदमन सिंह, JLR 2025 MP 2138
4.पिन्टू उर्फ पृथ्वीराज कोली बनाम स्टेट ऑफ एम०पी०, JLR 2025 MP 2782 (D.B.)
5.स्टेट ऑफ एम०पी० बनाम जगदीश, JLR 2024 MP 265 (D.B.)
6.मलकियत सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ACC Supreme Court
7.रघुनाथ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 SCC Criminal 326
8.जुम्मा बनाम स्टेट, 1992 Allahabad Criminal Rulling Page 313,
9.हरवीर बनाम शीशपाल, 2016 JIC Vol. 3 Page 847 SC
10.टी०टी० एनॉनटी बनाम स्टेट ऑफ केरला, JIC 2001 (2) Page 818 SC
11.पांडुरंग चन्द्रकांत महात्रे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2010(2)JIC Page 478 SC
12.विमल सुरेश कामले बनाम चैलू रूपेन्द्र एवं अन्य, 2003 (3) SCC Criminal
13.मरूदनल अगस्ती बनाम स्टेट ऑफ केरना, 1980 SCC Page 425
14. मिरान बक्स बनाम लालू उर्फ सागिर अहमद , ACC 1993(30) Page 551 SC

54. पत्रावली का अवलोकन किया।

55. अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित हैं, जिन्हें सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। न्यायालय के सम्मुख विचारणीय है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे आरोप को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

56. अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 21–07–2018 की घटना के संदर्भ में तथ्य के तीन साक्षीगण को उपस्थित किया गया है। ये साक्षीगण हैं– पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा संचित वर्मा, पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा तथा पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा।

57. पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा संचित वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नवत बयान दिया है–

"घटना दिनांक 21.07.2018 की है। मैं व मेरे पिताजी झांसी कचहरी आये थे। हम लोग लगभग सुबह 11.00 बजे के करीब कचहरी आये थे। मेर पिताजी की कोर्ट में तारीख नियत थी। तारीख करके मेरे पिताजी लगभग 01.30 बजे दोपहर कचहरी से निकले थे। मेरे पिताजी अपनी पजेरो स्पोर्ट कार सं० UP93AN6301 से निकल थे। गाड़ी को रवि वर्मा चला रहे थे। पिताजी के साथ गाड़ी में सुरक्षाकर्मी जयगोस्वामी व सुनील कुशवाहा भी थे। गाड़ी के पीछे पीछे मैं अपनी काले कलर की एक्टिवा जिसे अजय सोनी चला रहे थे एवं मोटरसाइकिल से गौरव शर्मा व प्रतीक वर्मा भी मेरे साथ में थे। जैसे ही मेरे पिताजी की गाड़ी कचहरी चौराहा से मुड़कर बस स्टैण्ड की तरफ आगे चली तो वहां पर स्थित मंदिर से पहले प्रतीक्षालय के पास एक ट्रक सं० UP93T8047 व एक नीले कलर की लोडर सं० UP93AT3437 था जिसकी आड़ से अचानक सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता पुत्रगण हरीशरण गेड़ा निवासी चतुरायाना, झांसी, भूपेन्द्र उर्फ पुष्पेन्द्र गुर्जर पुत्र मान सिंह गुर्जर, ऊधम गुर्जर पुत्र रामरस गुर्जर, शिवम, प्रह्लाद गुर्जर एवं अंगद गुर्जर पुत्रगण राव राजा गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर पुत्र भरत गुर्जर समस्त निवासीगण ग्राम लकारा, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर आये और अंधाधुंध जान से मारने की नीयत से मेरे पिताजी संजय वर्मा व गाड़ी में बैठे अन्य लोगों रवि वर्मा, सुनील कुशवाहा, जयगोस्वामी पर प्राणघातक हमला किया और फायरिंग की और गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। ड्राइवर रवि वर्मा को गोली लगते ही गाड़ी लोडर, नीला कलर व खड़े ट्रक से टकरा गयी। इस पूरी घटना को मैंने अजय सोनी, गौरव शर्मा व प्रतीक वर्मा आदि लोगों ने देखा है। हमलावरों की फायरिंग से गाड़ी में बैठे मेरे पिताजी संजय वर्मा, रवि वर्मा, जयगोस्वामी, सुनील कुशवाहा को प्राणघातक गंभीर चोटें आयी। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कि किसी ने गवाही देने की हिम्मत की तो जान से मार देंगे, भाग गये। घटनास्थल पर अफरा तफरी व भगदड़ मच गयी। हम सभी लोगों ने सभी घायलों को मेडिकल कालेज ले गये जहां पर पहुंचते ही डाक्टर ने जयगोस्वामी को मृत घोषित कर दिया एवं अन्य लोगों का इलाज शुरू कर दिया। सोनू गेड़ा, सरदार सिंह गुर्जर आदि मुल्जिमानों ने तीस लाख रुपये की अवैध वसूली को लेकर मेरे चाचा जी अजय वर्मा की सन 2006 में हत्या कर दी थी तब से उपरोक्त सभी मुल्जिमान आज तक रंजिश मानते चले आ रहे हैं। मुल्जिमानों को आजीवन कारावास की सजा चाचा जी वाले मुकदमे में सुनाई गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय से भी बरकरार रखा गया एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सभी की रिहे खारिज की गयी। दिनांक 02.07.2018 को राव राजा एवं भोला की रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गयी। इस चाचा जी के सारे मुकदमे की पैरवी मेरे पिताजी संजय वर्मा करते थे। इसीलिये उपरोक्त मुल्जिमानों ने कई बार योजनाबद्ध तरीके से मेरे पिताजी पर हमला करने का प्रयास किया परन्तु असफल होने पर सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर दिन दहाड़े दिनांक 21.07.2018 को मेरे पिताजी व गाड़ी में बैठे अन्य लोगों पर प्राणघातक हमला किया था। सोनू गेड़ा, कमलेश यादव, सरदार सिंह गुर्जर, भरत गुर्जर, राव राजा गुर्जर ने उपरोक्त घटना को कारित करने का षडयंत्र रचा था। सोनू गेड़ा और कमलेश यादव ने अन्य मुल्जिमानों के साथ मौके पर गोलियां भी चलाई थी और इन मुल्जिमानों व इनके परिवारीजनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना की तहरीर मैंने बोल बोलकर दीपक सोनी से लिखवाई थी। मैंने पढ़कर अपने हस्ताक्षर किये और उसे थाने पर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 5ए/1 देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिसकी इबारत को मैं तस्दीक करता हूं। अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया था। विवेचक मुझे बाद में मिला था। उसने मुझे कमलेश यादव, सागर राणा, सनम उर्फ मांगे, नीतेश और रोहित के

फोटो से पहचान अज्ञात व्यक्तियों की कराई थी। मैं इस घटना के सभी मुल्जिमों को भली भांति जानता हूं।"

58. पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा के मुख्य परीक्षा के बयान निम्नवत हैं–

"मैं दिनांक 21.07.2018 को समय करीब 01.30 बजे दिन में कचहरी झांसी न्यायालय जिला जज कोर्ट से अपनी तारीख करे अपनी कार पजेरो स्पोर्ट सं० – UP93AN6301 से वापस जा रहा था। मेरे साथ जय गोस्वामी, सुनील कुशवाहा व ड्राइवर रवि वर्मा साथ में थे मेरी कार के पीछे पीछे मेरा पुत्र संचित वर्मा व अजय सोनी, प्रतीक वर्मा व गौरव शर्मा आ रहे थे जैसे ही हम लोग कचहरी चौराहा से मुड़कर कानपुर रोड बस स्टैण्ड की ओर चले तो प्रतीक्षालय के पास खड़े ट्रक व लोडर की आड़ से अचानक निकल कर सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा, कमलेश यादव, भूपेन्द्र गुर्जर, उधम गुर्जर, ने गोलाम्बर के पास से व राजेन्द्र गुर्जर, प्रह्लाद गुर्जर, अंगद गुर्जर ने डिवाइडर के पास से और शिवम ने चार अज्ञात अन्य के साथ मिलकर प्रतीक्षालय के पास से अपने–अपने हाथों में कट्टा पिस्टल लेकर एक राय होकर मेरी कार को चारों ओर से घेरकर हम लभी लोगों चो कार में बैठे थे के उपर फायरिंग सुरु कर दी जान से मारने की नियत से हम लोगों पर गोलियां चलाई हम सभी लोग गंभीर रुप से घायल हो गये। हम सभी को इला हेतु मेडीकल कॉलेज झांसी ले जाया गया जहां डाक्टरों ने जय गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया। मेरा व रवि और सुनील का इला किया गया। मुल्जिमान बड़े खूखार अपराधी हैं इनका लम्बा आपराधिक इतिहास है। इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 01.11.2006 को तीस लाख रुपये की अवैध वसूली को लेकर मेरे छोटे भाई अजय वर्मा की हत्या बीच शराफा बाजार में उसी की दुकान पर कई गोलियां मार कर हत्या कर दी थी इन्ही मुल्जिमानों ने हत्या की थी जिसके मुकदमे का मैं वादी पैरोकार व चश्मदीद गवाह था तब से ही मुल्जिमान व उनके पिरवार के लोग मुझसे रंजिश मानते हैं। मैं अपने छोटे भाई अजय वर्मा की हत्या का पैरोकार था मुल्जिमान मुझे पैरोकारी करने से रोकते थे जान से मारनी की धमकियां देते थे दिनांक 02.07.2018 को मुल्जिमानों की SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के उन्नीसवे दिन 21.07.2018 को मुझ पर व मेरे सातियों पर बीच कचहरी चौराहे पर दिन दहाड़े हम सभी लोगों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया दिनांक 14.05.2018 को न्यायालय में पेशी पर आये सरदार सिंह गुर्जर से सोनू गेड़ा, भूपेन्द्र गुर्जर, उधम गुर्जर को मिली हुए मैंने देखा था कचहरी से वापस जाते समय सोनू गेड़ा, भूपेन्द्र व उधम नें मुझे धमकाया था कि " तुम बहुत पैरवी करता है तेरा इन्तजाम आज सरदार के साथ फिक्स करके आया हूं" दिनांक 21.07.2018 की घटना का षडयंत्र सरदार सिंह, राव राजा, भरत गुर्जर, ने सोनू गेड़ा, कमलेश यादव, भूपेन्द्र गुर्जर, उधम गुर्जर के साथ मिलकर बनाया था। कमलेश यादव ने अपने कुछ बाहरी लोगों का साथ लिया था तथा सोनू गेड़ा ने रुपये–पैसे और हथियार से मदद की थी। सोनू गेड़ा व कमलेश यादव ने मौके पर भी मेरे व मेरे साथियों के ऊपर गोलियां चलाई थी। सोनू गेड़ा फोरजरी करने का एक आदतन अपराधी है जिसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा के टिकिट लिये ऐसे ही कई लोगों की फर्जी हवाई यात्रा का जनसूचना अधिकार का रिकोर्ड पत्रावली पर दाखिल किया है। सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा ने फर्जी साक्ष्य बनाकर पेश किया। घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैं घटना कारित करने वाले मुल्जिमानो को घटना के पूर्व से अच्छी तरह जानता हूं मुल्जिमानों की वल्दियत के बारे में भी जानता हूं सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा पुत्रगण हरीशरण गेड़ा निवासी चतुरयाना, झांसी, भूपेन्द्र गुर्जर, पुत्र मान सिंह गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर पुत्र भरत सिंह गुर्जर, उधम गुर्जर पुत्र रामरस गुर्जर, अंगद गुर्जर व प्रह्लाद गुर्जर पुत्रगण राव राजा गुर्जर निवासीगण ग्राम लकारा थाना सीपरी बाजार जिला झांसी। मैने दिनांक 22.05.2019 को व 06.06.2019 को झांसी DIG को शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र दिये थे। फर्जी साक्ष्य बनाकर जांच अधिकारियों की शिकायत की थी। आज न्यायालय में अभियुक्त सोनू गेड़ा उपस्थित है।"

59. पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है–

"घटना दिनांक 21.07.2018 की है मेरे साथ संजय वर्मा, सुनील कुशवाहा, जयगोस्वामी थे। हम लोग पजेरो स्पोर्ट गाड़ी में थे। मैं गाड़ी चला रहा था। कचहरी गेट से हम लोग गाड़ी में चले थे। दोपहर के लगभग डेढ़ बजे हम लोग कचहरी चौराहा पहुंचे। जैसे ही हम लोग कचहरी चौराहे से बस स्टैण्ड के लिये मुड़े कि अचानक से सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बोबी गेड़ा, भूपेन्द्र गुर्जर, उधम, शिवम, प्रह्लाद, अंगद, राजेन्द्र, व अन्य अज्ञात लोगों ने हम लोगों की जान से मारनी की नीयत से एक राय होकर मह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें हम लोगों को प्राणघातक चोटें आयी और हमलावर धमकी देते हुए कि "जिसने भी गवाही दी तो जान से मार देगे।" हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे संचित वर्मा, प्रतीक वर्मा, गौरव शर्मा व अजय सोनी ने हम लोगों को गाड़ी से निकालकर मेडिकल अस्पताल पहुंचाया था। जहां पहुंचते ही डाक्टर ने जयगोस्वामी को मृत घोषित कर दिया था। और हम लोगों का इलाज शुरू कर दिया था। संजय वर्मा की गेड़ो व लकारा के गुर्जरों से पुरानी रंजिश चली आ रही है इसी कारण से घटना घटी। मेरे घटना के संबंध में विवेचक ने बयान लिये थे।"

60. अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 21–07–2018 की घटना के सम्बन्ध में तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य के अतिरिक्त मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सम्बन्धित प्रपत्रों व चोटिलों के चिकित्सीय प्रपत्रों को व उक्त से सम्बन्धित प्रपत्रों से सम्बन्धित साक्षीगण को भी प्रस्तुत किया गया है।

61. मृतक जय गोस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श क–2 के रूप में पत्रावली पर है। उक्त प्रपत्र को पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी द्वारा साबित किया गया है। डॉ० शमीम कुरैशी ने पी०डब्लू०–5 के रूप में अपने बयान में दिनांक 21–07–2018 को महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज, झाँसी के आकस्मिक विभाग में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात रहते, स्वयं के समक्ष जय गोस्वामी को मोहित साहू पुत्र मुन्नालाल द्वारा लाने का बयान देते हुये, यह भी बयान दिया है कि परीक्षण के पश्चात जय गोस्वामी को मृत घोषित किया गया था तथा प्रमाणपत्र, प्रदर्श क–2, जारी किया गया था।

62. मृतक जय गोस्वामी के पंचायतनामे को प्रदर्श क–10 के रूप में पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह द्वारा साबित किया गया है। साथ ही पंचायतनामे से सम्बन्धित पुलिस प्रपत्रों को भी पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह ने प्रदर्श क–11 लगायत प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने दिनांक 21–07–2018 को थाना–नवाबाद में बतौर निरीक्षक तैनात रहते, मेडीकल कॉलेज, झाँसी के मोर्चरी में जाकर मृतक जय गोस्वामी के शव के पंचायतनामे की कार्यवाही किये जाने का बयान दिया है। पंचायतनामा, प्रदर्श क–10, के अनुसार थाने में रिपोर्ट दिनांक 21–07–2018 को 15.35 बजे की गई तथा पंचायतनामा उक्त तिथि को ही मेडीकल कॉलेज, झाँसी की मोर्चरी में जाकर 15.40 बजे आरम्भ किया गया। पंचायतनामे में मृतक के शरीर पर दाहिने गाल के ऊपरी भाग पर गोली का निशान तथा पीठ में दाहिने कूल्हे से हाथ तक 7 गोलियों के निशान तथा नाक से खून निकलना अंकित है। पंचों ने मृतक की मृत्यु अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियाँ मारने के कारण होना बताया तथा मृत्यु का सही कारण जानने के लिये मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की संस्तुति की। उपनिरीक्षक ने भी समान राय व्यक्त की। पोस्टमार्टम हेतु शव को सील कर आवश्यक प्रक्रिया की गयी। प्रदर्श क–11 शव के साथ भेजा गया चालान, प्रदर्श क–12 शव विच्छेदन हेतु सी०एम०ओ० को प्रेषित पत्र, प्रदर्श क–13 फोटोलाश, प्रदर्श क–14 सील मुहर है।

63. मृतक की पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श क 6 के रूप में पत्रावली पर है, जिसे पी०डब्ल्यू० 6 डॉ० प्रभात चौरसिया, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, झाँसी द्वारा साबित किया गया है। पोस्टमार्टम आख्या, प्रदर्श क 6, के अनुसार दिनांक 22–07–2018 की दोपहर 11:45 से 12:40 के मध्य किए गए पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर 11 गन शॉट इंजरी पाई

गई। मृतक की मृत्यु मृत्यु पूर्व कारित गन शॉट इंजरी के कारण उत्पन्न शॉक व रक्तस्राव अंकित है। आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई है।

64. **चोटिल सुनील कुशवाहा के चोट प्रपत्र** को पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी ने प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। डॉ० शमीम कुरैशी ने दिनांक 21–07–2018 को 02.50 बजे दोपहर सुनील कुशवाहा को द्वारा सुरेश कुशवाहा ले आये जाने का बयान देते हुये, चोटिल का चिकित्सीय परीक्षण करने तथा चोटिल के शरीर पर निम्न चोटें पाये जाने का बयान दिया है–

चोट नं०–1– राइट निप्पल लैफ्ट साइड गोली का घाव 1x1 सेमी० जो अंदरूनी अंगों तक गहरा था व आसपास कालिमा (ब्लैक्निंग एण्ड टैटूइंग) और अंदर को जाता हुआ घाव था साथ में खून बह रहा था।

चोट क्र०–2– पीठ पर राइट तरफ गोली का अंदर घुसता हुआ घाव , जिसका आकार 5x1 सेमी० जो 1 सेमी० तक गहरा था।

चोट क्र०–3 – राइट कलाई पर लैफ्ट लैटरली गोली का घुसता हुआ घाव, जिसका आकार 5x1 सेमी० जो 1 सेमी० तक गहरा था हाथ में खून बह रहा था।

11. पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी ने **चोटिल रवि वर्मा के चोट प्रपत्र** प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी के बयान के अनुसार रवि वर्मा को दिनांक 21–07–2018 को दोपहर 02.30 बजे द्वारा सुरेन्द्र पुत्र तुलसीदास लाया गया। चोटिल का चिकित्सीय परीक्षण कर निम्न चोटें पाये जाने का बयान साक्षी ने दिया है–

चोट नं०–1– सिर के पिछले भाग पर गोली का घाव 1x1 सेमी० जो अंदरूनी अंग तक गहरा था व आसपास ब्लैकिंग व टैटूइंग थी, यह अंदर घुसता हुआ घाव था।

चोट क्र०–2– लैफ्ट अपर लिम्ब कलाई के बीच के लैफ्ट तरफ गोली का घाव 1x1 सेमी० जो अंदरूनी अंगों तक गहरा था व आसपास ब्लैकिंग व टैटूइंग थी, यह अंदर घुसता हुआ घाव था व ताजा रक्त बह रहा था।

12. पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी ने ही दिनांक 21–07–2018 को दोपहर 03.00 बजे **चोटिल संजय वर्मा** को द्वारा संचित वर्मा पुत्र संजय वर्मा द्वारा लाने का बयान देते हुए चोटिल का चिकित्सीय परीक्षण करने व चोटिल के शरीर पर निम्न चोटें पाये जाने का बयान दिया है–

चोट नं०–1– राइट कंधे पर गोली का अंदर घुसता हुआ घाव, जो 1x1 सेमी० अंदरूनी अंगों तक गहरा व आसपास ब्लैकिंग व टैटूइंग थी व खून बह रहा था।

65. पी०डब्लू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी ने तीनों चोटिलों सुनील कुशवाहा, रवि वर्मा व संजय वर्मा की चोटों की अवधि को ताजी तथा उपयोग में लाये गये हथियार /वस्तु अग्नेयास्त्र होने का बयान दिया है। तीनों ही चोटिलो को एक्सरे की सलाह देने व पुलिस को सूचित कर चोट प्रपत्र तैयार कर चोटिलो का अंगूठा निशानी लेकर प्रमाणित करने तथा स्वयं के हस्ताक्षर होने का भी बयान दिया है। साक्षी ने चोटिल सुनील कुशवाहा तथा रवि वर्मा की चोटों की प्रकृति को प्राणघातक होना बताया है तथा चोटिल संजय वर्मा को भर्ती कराकर निगरानी में रखने का बयान दिया है।

66. पी०डब्लू०–7 डॉ० अंकित कुमार यादव, तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट, मेडीकल कॉलेज, झाँसी ने चोटिल की एक्सरे फिल्मों को देखकर रिपोर्ट तैयार करने का बयान दिया है। साक्षी ने 21–07–2018 को रेडियोलॉजी विभाग से चोटिल रवि वर्मा की तीन एक्सरे फिल्म प्राप्त होने, चोटिल संजय वर्मा की दो एक्सरे फिल्में प्राप्त होने तथा चोटिल सुनील कुशवाहा की चार एक्सरे फिल्में प्राप्त होने का बयान देते हुये, **चोटिलों की इन एक्सरे फिल्म्स** को पत्रावली पर वस्तु प्रदर्श–20 लगायत वस्तु प्रदर्श–29 के रूप में साबित किया है। एक्स–रे फिल्म्स को देखकर रिपोर्ट बनाये जाने का बयान देते हुये, **चोटिलों की स्वयं द्वारा तैयार एक्स–रे रिपोर्ट्स** को प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–7 डॉ० अंकित कुमार यादव, तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट, मेडीकल कॉलेज, झाँसी के अनुसार चोटिल

रवि वर्मा तथा सुनील कुशवाहा के एक्सरे में कोई बोन इंजरी नहीं दिखी थी। चोटिल संजय वर्मा के एक्सरे में चेस्ट व एक्सरे राईट शोल्डर (कंधे) की बांये सहित दो एक्सरे फिल्में में सीने में रेडियो ओपेक मैटेलिक डेन्सिटी पाई थी।

67. अभियोजन पक्ष ने पी०डब्लू०–10 के रूप में डॉ० दिनेश राजपूत को उपस्थित किया है, जिन्होनें 21–07–2018 को मेडीकल कॉलेज, झाँसी में बतौर न्यूरोसर्जन तैनात रहते, चोटिल रवि वर्मा की जाँच करने, रवि वर्मा के राईट पैराईटी ऑक्सीपिटल रीजन में 0.5 सेमी० x 0.5 सेमी० का घाव होने, चोटिल के सिर का सीटी स्कैन कराने तथा उसमें डिप्रेस्ड फैक्चर राईट ऑक्सीपिटल रीजन तथा मैटेलिक फॉरेन बॉडी पाने का बयान दिया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि चोटिल को आर्थोपैडिक डॉक्टर महेश, सीनियर रेजीडेन्ट द्वारा देखा गया था। चोटिल के लैफ्ट फोरआर्म्स में एन्ट्री एवं एक्जिट वूण्ड थे, जिसके एन्ट्री बूण्ड का साइज 1.0 सेमी० x 1.0 सेमी० था। एक्सिट वूण्ड का मार्जन ईरेगुलर व इबर्टिड थे, जिसका साईज 1.5 सेमी० x1.0 सेमी० था, जो 9 सेमी० फ्लैक्सर क्रीज फोरआर्म्स से ऊपर था। पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत ने 24–07–2018 को चोटिल रवि वर्मा का ऑपरेशन करने तथा उसमें मैटेलिक फॉरेन बॉडी राईट ऑक्सीपिटल रीजन से निकाल देने का भी बयान दिया है। चोटिल का दिनांक 01–08–2018 तक स्वयं तथा सहयोगी चिकित्सकों के निर्देशन में भर्ती रहने का बयान दिया है। इस साक्षी ने चोटिल रवि वर्मा की मूल बी०एच०टी० रिपोर्ट मेडीकल कॉलेज के रिकार्ड अनुभाग से साथ लेकर आने तथा सत्र परीक्षण संख्या – 102/2019 सरकार बनाम ऊधम गुर्जर आदि की पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या–22ए/35 लगायत 22ए/57 के रूप में मूल बी०एच०टी० की छायाप्रति मौजूद होने का बयान देते हुये, पत्रावली पर उपलब्ध **बी०एच०टी० की छायाप्रति** को प्रदर्श क–17 के रूप में साबित किया है। साथ ही इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि चोटिल रवि वर्मा के ऑपरेशन के दौरान जो मैटेलिक फॉरेन बॉडी निकाली गई थी, उसे सर्जरी विभाग में सुरक्षित रख दिया गया था, जिसको उसके अर्थात् साक्षी के साथ आये रिकॉर्ड कीपर द्वारा साथ लाया गया है। साक्षी ने रिकॉर्ड कीपर से प्राप्त सर्वशील मुहर डिब्बी को न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा उस पर एम०डी०आर० नं०–234264 नाम इत्यादि विवरण अंकित होने का बयान देते हुए **फॉरेन बॉडी मैटेलिक** को वस्तु प्रदर्श–32, इसे धारित करने वाली प्लास्टिक की डिब्बी को वस्तु प्रदर्श–31 तथा सफेद टेप को वस्तु प्रदर्श–30 के रूप में साबित किया है।

68. पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत ने दिनांक 21–07–2018 को चोटिल संजय वर्मा को देखने, चोटिल के गन शॉट इंजरी राईट शोल्डर एण्ड नेक से पीड़ित होने तथा चोटिल के प्राथमिक उपचार करने एक्सरे व सीटी स्कैन कराने का बयान दिया है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उसमें कंपाउण्ड फ्रैक्चर, प्रौक्जिमल ह्यूमरस राइट साइड फ्रैक्चर, ग्लीनॉइड फ्रैक्चर, राइट कोरेकॉइड, व फ्रैक्चर डी० 1 ट्रांसवर्स प्रौसेस तथा साथ ही डी–1 बर्टिब्रा के पास एक मैटालिक फॉरन बॉडी थी। मरीज की यह मैटालिक फॉरन बॉडी रीढ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक थी और इसका ऑपरेशन करने में वहां खून की नसें व दिमाग की नसों में खराबी आने की संभावना थी, इसलिये उक्त मरीज को वाइटल्स स्टेबल होने के बाद दिनांक 23–07–2018 को हाइयर सेंटर के लिये इलाज हेतु रिफर किया था। साक्षी ने उक्त समय में भर्ती रहे चोटिल संजय वर्मा को स्वयं द्वारा आवश्यक उपचार दिये जाने का भी बयान दिया है। इस साक्षी ने चोटिल संजय वर्मा की बी०एच०टी०, एम०डी०आर० नं०–23465 की, को मेडीकल कॉलेज के रिकॉर्ड रूम से लाने का बयान देते हुये, इसकी छायाप्रति को सत्र वाद संख्या–102/2019 सरकार बनाम ऊधम गुर्जर आदि की पत्रावली में कागज संख्या–22ए/1 लगायत 22ए/16 के रूप में संलग्न होने का बयान देते हुये, **बी०एच०टी० की छायाप्रति** को प्रदर्श क–18 के रूप में साबित किया है।

69. पी०डब्लू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत ने 21–07–2018 को इमरजेन्सी विभाग में भर्ती चोटिल सुनील कुशवाहा की एम०डी०आर० नं०–23468 को भी मेडीकल कॉलेज के रिकॉर्ड अनुभाग से लेकर आने तथा **मूल बी०एच०टी०** को पत्रावली पर दाखिल करने का

बयान दिया है। उक्त प्रपत्र सत्र वाद संख्या–227/2018 में प्रपत्र संख्या–182ए/1 लगायत 182ए/17 के रूप में सम्मिलित किया गया है।

70. अभियोजन पक्ष द्वारा पी०डब्लू० –11 के रूप में डॉ० नितिन पी० घोघें, सीनियर कन्सलटेन्ट, रेडियोलॉजी, इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल को भी उपस्थित किया है, जिन्होनें दिनांक 26–07–2018 को चोटिल संजय वर्मा के UHID No. APD10010142123 को अस्पताल में भर्ती होने का बयान देते हुये यह भी बयान दिया है कि चोटिल के दाहिने कंधे में ज्वाइंट का सिटी स्कैन डॉ० हर्ष भार्गव द्वारा रिफर किये जाने पर उसके अर्थात साक्षी द्वारा किया गया था। साक्षी ने बयान दिया है कि सीटीस्कैन की फिल्म के अनुसार चोटिल की **रिपोर्ट** निम्नवत है–

"Right shoulder joint में comminuted fracture पाया गया। यह fracture humerus और glenoid bone को involve करता हुआ पाया गया। इसके अलावा first rib में fracture पाया गया। Right lung और pleural cavity में contusion पाया गया। रीड की हड्डी के area में D1 vertibral level पर right neural foramina के नजदीक एक metalic foregin body भी पायी गयी।"

71. साक्षी द्वारा समस्त फाइन्डिंग का क्लीनिकल कोरिलेशन आवश्यक बताया तथा सीटी स्कैन रिपोर्ट को प्रदर्श क–19 के रूप में साबित किया है तथा अस्पताल के रिकॉर्ड से चोटिल संजय वर्मा की सीटी स्कैन फिल्म लाकर पत्रावली में दाखिल करने का बयान दिया है, जो पत्रावली पर प्रपत्र संख्या–167ए/1 लगायत 167ए/4 के रूप में सम्मिलित की गई है। **सीटी स्कैन फिल्म** को वस्तु प्रदर्श–35 लगायत 36 के रूप में साबित किया गया है।

72. पी०डब्लू०–12 डॉ० हर्ष भार्गव, सीनियर कन्सलटेन्ट, आर्थोपैडिक, इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली ने दिनांक 25–07–2018 को इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कन्सलटेन्ट, आर्थोपैडिक के रूप में कार्यरत रहते हुये, दिनांक 25–07–2018 को भर्ती रोगी संजय वर्मा को अपने अधीन भर्ती होना बताते हुये, यह भी बयान दिया है कि रोगी के डायग्नोसिस में गन शॉट इंजरी विथ फैक्चर राइट प्रॉक्सिमल हयूमरस था। चोटिल को मेडीकल कॉलेज, झाँसी से रिफर किया गया था। चोटिल को दिनांक 29–07–2018 को डिस्चार्ज कर दिया गया था। **चोटिल संजय वर्मा की डिस्चार्ज समरी** को साक्षी ने प्रदर्श क–20 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उक्त चोटिल अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात अस्पताल में ही उसे अर्थात साक्षी को ओ०पी०डी० में दिखाने आता रहा। ओ०पी०डी० के पर्चों को साक्षी ने प्रदर्श क–21 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने चोटिल संजय वर्मा की चोट को प्राणघातक भी बताया है।

73. इस प्रकार मृतक के पंचायतनामे, पोस्टमार्टम आख्या, चोटिलों के चोट प्रपत्रों व बी०एच०टी० आदि समस्त मेडिकल प्रपत्रों के अवलोकन से तथा इस संदर्भ में दिए गए चिकित्सक साक्षीगण के बयानों से यह साबित होता है कि मृतक जय गोस्वामी की मृत्यु दिनांक 21–07–2018 को शरीर में आई आग्नेयास्त्र की चोटों के फलस्वरुप हुए रक्तस्राव व शॉक (shock) से हुई थी। साथ ही, यह भी साबित है कि दिनांक 21–07–2018 की दोपहर 2:30 बजे से 3:00 के मध्य चोटिल रवि वर्मा, संजय वर्मा व सुनील कुशवाहा के शरीर पर आग्नेयास्त्र की ताजी अवधि की चोटें थीं।

74. तहरीर, प्रदर्श क 1, अभियोजन प्रपत्रों तथा पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा, पी० डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा व पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा बयानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू० 2 संजय वर्मा, पी०डब्ल्यू० 3 रवि वर्मा **चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षी** हैं। चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बालू सुदाम खाल्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य,** 2003 SCC OnLine 355 में स्पष्ट किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया है कि घटना के स्थान व समय पर चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षी की उपस्थिति को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके बयानों में महत्वपूर्ण विसंगति न हो। यदि साक्ष्य के माध्यम से अन्यथा साबित नहीं

होता है तो यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि चोटिल साक्षी वास्तविक अपराधी को बचने की अनुमति देकर अभियुक्त को मिथ्या रूप से नामित नहीं करेगा। चोटिल साक्षी की साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अत्यधिक है तथा यदि बाध्यकारी कारक उपस्थित न हो तो उसके बयानों को आसानी से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। चोटिल साक्षी की साक्ष्य पर सामान्य/प्राकृतिक आचरण में कुछ अलंकरण, अतिश्योक्ति अथवा अल्प विरोधाभास के कारण संदेह नहीं किया जा सकता। यदि चोटिल साक्षी की साक्ष्य में कुछ अतिश्योक्ति अथवा महत्वहीन अलंकरण है तो ऐसी असंगतता, अतिशयोक्ति या अलंकरण को चोटिल की साक्ष्य से निकाल देना चाहिए किंतु चोटिल के संपूर्ण बयान को नहीं।

(""26. When the evidence of an injured eye–witness is to be appreciated, the under–noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eyewitness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded.")।

75. समान विधिक सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जोधन बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** AIR 2015 SCC (Supp) 1591 की विधि व्यवस्था में अभिनिर्णीत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि चोटिल साक्षी को विधि की दृष्टि में विशिष्ट स्थान प्राप्त है तथा उसे आई चोट घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर – स्थापित गारंटी प्रदान करती है ("*A testimony of an injured witness stands on a higher pedestal than other witnesses... ... ... Where a witness to the occurrence has himself been injured in the incident, the testimony of such a witness is generally considered to be very reliable, as he is a witness that comes with a built–in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. It has been also reiterated that convincing evidence is required to discredit an injured witness.*

22. From the aforesaid summarization of the legal principles, it is beyond doubt that the testimony of the injured witness has its own significance and it has to be placed reliance upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and inconsistencies. As has been stated, the injured witness has been conferred special status in law and the injury sustained by him is an inbuilt– guarantee of his presence at the place of occurrence... ..")।

76. उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त सुस्थापित हैं। **विधिक सिद्धान्त से स्पष्ट है कि चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसका साक्ष्यिक महत्व सामान्य साक्षी की साक्ष्य से अधिक है।**

77. पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा, पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा व पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21–07–2018 को दिन में 01.30 बजे के पश्चात् की घटना में मृतक व चोटिलों पर आग्नेयास्त्र से गोलियाँ चलाने का बयान दिया है। पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा ने घटनास्थल पर **आरोपित अभियुक्तगण में से सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेडा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता, भूपेंद्र उर्फ़ पुष्पेंद्र गुर्जर, ऊधम गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर के साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा** घटना कारित करना बताया है। साथ ही, इस साक्षी ने **सोनू गेडा, कमलेश यादव, सरदार सिंह गुर्जर, भरत गुर्जर व राव राजा गुर्जर द्वारा घटना का षडयन्त्र** रचने तथा **सोनू गेडा व कमलेश यादव द्वारा भी अन्य अभियुक्तगण के साथ घटनास्थल पर गोलियां चलाने** का बयान दिया है। इस साक्षी ने विवेचक द्वारा फोटो से कमलेश यादव, सागर राणा, सनम उर्फ मांगे व नीतेश और रोहित की फोटो से पहचान करना बताया है। पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा ने **आरोपित अभियुक्तगण में से सोनू गेडा, बॉबी गेडा, रिंकू गेडा, कमलेश यादव, भूपेंद्र गुर्जर, ऊधम गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर के साथ चार अज्ञात व्यक्तियों** के द्वारा घटना कारित करने का बयान दिया है। पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा ने घटना को **सोनू गेडा, बॉबी गेडा, रिंकू गेडा, भूपेंद्र गुर्जर, ऊधम, प्रहलाद, राजेंद्र के साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों** द्वारा कारित किया जाना बताया है।

78. इस प्रकार, **पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा, पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा व पी०डब्ल्यू० 3 चोटिल रवि वर्मा के मुख्य परीक्षा के बयानों से स्पष्ट है कि तीनों ही साक्षीगण ने दिनांक 21.7 2018 की अभियोजन कथानक की घटना में घटना स्थल पर उपस्थित होकर अभियुक्तगण सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेडा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता, भूपेंद्र सिंह उर्फ़ पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर, प्रहलाद व राजेंद्र गुर्जर द्वारा घटना कारित करना बताया है। पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा, पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में घटनास्थल पर अभियुक्त कमलेश यादव का भी होना बताया है।** प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अभियुक्तगण को नामित किया गया है तथा कुछ अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। अतः विश्लेषण की सुगमता की दृष्टि से अभियुक्तगण को उक्त अनुसार पृथक् श्रेणियों में विभक्त कर साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना तथा निष्कर्ष प्राप्त किया जाना उचित है।

79. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक तथा अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को संदेहास्पद बताते हुए विभिन्न तर्क किये गये हैं।

<u>अभियुक्तगण की ओर से आरोपों के सन्देहास्पद होने का तर्क–</u>

80. समस्त अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक तथा अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को संदेहास्पद बताने का सर्वप्रथम आधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में विलम्ब का किया जाना बताया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि दिन के लगभग 01.30 की कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट रात्रि 09.57 बजे अंकित कराया जाना प्रकट होता है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क किया गया कि यदि वादी मुकदमा मौके पर उपस्थित था तथा वादी मुकदमा का पिता चोटिल संजय वर्मा घटना के पश्चात् होश में रहा था, तो घटना की सूचना अविलम्ब थाने पर दिया जाना स्वाभाविक व अपेक्षित था। घटना की सूचना रात्रि लगभग 10 बजे दिया जाना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अत्यन्त विलम्ब किया जाना दर्शाता है। यह विलम्ब पूर्णतया सोची समझी साजिश के अन्तर्गत अभियुक्तगण को मिथ्या फसाये जाने के आशय से किया गया है। विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विलम्ब के आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतया मिथ्या है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली का

अवलोकन करने से प्रकट होता है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–15, में तथा तहरीर, प्रदर्श क–1, में प्रकरण के घटनाक्रम का आरम्भ दिनांक 21.07.2018 को दिन के लगभग 01.30 बजे होना बताया गया है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–15, के अनुसार उक्त घटना की सूचना थाने पर 21.07.2018 को ही रात्रि 09.57 बजे अंकित की गयी थी। इस विलम्ब के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रासंगिक बयान वादी मुकदमा के हैं। यद्यपि पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में इस विलम्ब के सम्बन्ध में स्पष्टतया व प्रत्यक्षतया कोई कथन नहीं किया है, किन्तु इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 5 पर) यह स्वीकार किया है कि वादी के पिता बहुत घायल थे तथा वह अर्थात् वादी बहुत घबराया हुआ था और उसके हाथ में भी चोट लगी थी। विलम्ब के सम्बन्ध में इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 13 पर) यह भी बयान दिया है कि घटना होने व रिपोर्ट लिखाने के बीच उसके अर्थात् वादी मुकदमा के सामने पुलिस नहीं आयी थी। थाने जाकर तहरीर देकर रिपोर्ट लिखाने के पूर्व उसने अर्थात् वादी मुकदमा ने पुलिस को घटना की कोई जानकारी नहीं दी थी। घटना की जानकारी उसने पुलिस को रात्रि 09.57 बजे दी है। (पृष्ठ 14 पर) साक्षी ने यह स्पष्टतया बयान दिया है कि उसके पिता की हालत गंभीर थी और जब डॉक्टर ने कहा कि अब स्थिर है, तब वह रिपोर्ट लिखाने गया था। इस साक्षी ने ही पृष्ठ 43 पर यह स्पष्ट कहा है कि रात के लगभग 08–09 बजे के आसपास डॉक्टर ने जय गोस्वामी को छोड़कर उसके पिता, रवि वर्मा तथा सुनील कुशवाहा की हालत स्थिर बतायी थी, उन लोगों को मेडिकल कालेज ले जाने से रात 08–09 बजे तक वह अर्थात् साक्षी मेडिकल कालेज के अंदर ही रहा था।

81. वादी मुकदमा के उक्त बयानों में यह स्पष्ट कथन है कि घटना के बाद चोटिलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था तथा जब वादी के पिता को 08–09 बजे रात्रि में लगभग चिकित्सकों ने हालत स्थिर बतायी, तब वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर गया था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में दिनांक–21.07.2018 की घटना में वादी के पिता की चोटिल होने की साक्ष्य प्रस्तुत की है। वादी के पिता के चोटिल होने के चिकित्सीय अभिलेखीय भी पत्रावली पर संलग्न हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार, (2009) 6 SCC 308** की विधि व्यवस्था में विलम्ब के सम्बन्ध में यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि चोटिल की प्राण रक्षा हेतु चोटिल को अस्पताल ले जाने तथा प्रथमतः चोटिल के प्राण की रक्षा करने का पूर्ण प्रयास करने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आचरण पूर्णतया स्वाभाविक है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये इस तर्क में कोई बल नहीं पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित होने के कारण सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मिथ्या है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई पर्याप्त कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

82. अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण, विशेषतया विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार वैभव तिवारी की ओर से यह भी तर्क किया गया कि वस्तुतः वादी मुकदमा की ओर से दर्ज करायी गयी रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने पी०डब्ल्यू०–13 सन्त प्रकाश की साक्ष्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को इंगित करते हुए यह तर्क किया कि वादी मुकदमा द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाने पर सूचना अंकित कराये जाने के पूर्व घटना के विषय में सम्बन्धित थाने पर सूचना प्राप्त हो जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। पी०डब्ल्यू०–13 विवेचक/निरीक्षक सन्तप्रकाश ने घटना की सूचना पर घटना के 10–15 मिनट पश्चात् ही घटना स्थल पर उपस्थित होने का बयान दिया है। इस परिस्थिति में वादी मुकदमा की सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही आधारहीन है तथा इस आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि विधिक रूप से संभव नहीं है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है। यह सत्य है

कि पी०डब्ल्यू०–13 विवेचक/निरीक्षक संतप्रकाश ने घटना के पश्चात् घटना की सूचना पर घटना स्थल पर उपस्थित होने का बयान दिया है। उक्त सूचना निश्चित रूप से वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना से पृथक सूचना है। किन्तु, अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **पटाई उर्फ कृष्ण कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, AIR 2010 SC 2254** की विधि व्यवस्था प्रासंगिक हैं। पटाई उर्फ कृष्ण कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि किसी घटना के विषय में दी गयी सूचना का प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के लिए सूचना का पुलिस अथवा आपराधिक प्रक्रिया को गतिशील बनाने का आशय होना आवश्यक है। घटना के विषय में कोई अप्रकट सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कही जा सकती*("In order for a message or communication to be qualified to be a First Information Report, there must be something in the nature of a complaint or accusation or at least some information of the crime given with the object of setting the police or criminal law into motion. It is true that a First Information Report need not contain the minutest details as to how the offence had taken place nor it is required to contain the names of the offenders or the witnesses. But it must at least contain some information about the crime committed as also some information about the manner in which the cognizable offence has been committed. A cryptic message recording an occurrence cannot be termed as a First Information Report.")* । पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य में उस प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे दिनांक–21.07.2018 की घटना के विषय में वादी मुकदमा द्वारा अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्व ऐसी कोई सूचना थाने पर प्रेषित किया जाना साबित होता हो, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जा सके। यदि घटना के विषय में घटना के पश्चात् वायरलैस सेट अथवा अन्य किसी माध्यम से मात्र घटना के कारित होने के सन्दर्भ में सूचना प्रसारित की गयी, तो इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाना विधि सम्मत नहीं है।

83. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से अत्यन्त बलपूर्वक यह भी तर्क किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा के पिता चोटिल संजय वर्मा के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अनेकों मामले लम्बित हैं। वादी मुकदमा के पिता चोटिल संजय वर्मा की रंजिश वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से होना प्रकट व साबित है। एकाधिक महिलाओं तथा उनकी सम्पत्तियों के संदर्भ में भी वादी के पिता के विरूद्ध मुकदमें लम्बित हैं अथवा रहे हैं। वादी मुकदमा का पिता आपराधिक छवि तथा प्रवृत्ति का है। इस पृष्ठभूमि में वादी मुकदमा के पिता पर अनेक ऐसे व्यक्तियों द्वारा आपराधिक हमला अथवा जान से मारने का प्रयास करना पूर्ण संभावित है, जो वादी मुकदमा के पिता से रंजिश रखते हैं। इस पृष्ठभूमि में अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने को संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता। तर्क के आलोक में पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा ने दिनांक–21.07.2018 की घटना में न केवल अभियुक्तगण को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, वरन् वादी मुकदमा तथा घटना के दो चोटिलों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करने का निरन्तर बयान दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बालू सुदम्म खालडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2023 SCC OnLine SC 355)** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि जब तक कि अन्यथा स्थापित नहीं होता, तब तक यह निश्चित विश्वास किया जाना चाहिए कि एक चोटिल साक्षी घटना कारित करने वाले वास्तविक व्यक्तियों को अदण्डित रूप से बच जाने की अनुमति नहीं देगा तथा किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में मिथ्या आलिप्त करेगा। समान विधिक सिद्धान्त का प्रतिपादन हितबद्ध साक्षी के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उपेन्द्र प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य,**

(2015) 11 SCC 124 की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित किया है कि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य भी अत्यन्त महत्व की तथा भारयुक्त होती है। कोई भी व्यक्ति घटना कारित करने वाले वास्तविक व्यक्ति को छोड़ते हुए निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या नामित करने का इच्छुक नहीं होगा*("We are of the opinion that the testimonies of interested witnesses are of great importance and weightage. No man would be willing to spare the real culprit and frame an innocent person.")।* प्रकरण के दोनों ही चोटिल साक्षीगण (पी०डब्ल्यू०–2 संजय वर्मा तथा पी०डब्ल्यू० –3 रवि वर्मा) ने नामित अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक–21.07.2018 की घटना कारित किये जाने का सशपथ बयान दिया है। प्रतिपरीक्षा के बयानों में भी अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित करने की निरन्तरता है। पी०डब्ल्यू०–1 संचित वर्मा, चोटिल संजय वर्मा का पुत्र है, अतः हितबद्ध साक्षी होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपेन्द्र प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य, (उपरोक्त), में पारित विधि व्यवस्था के सिद्धान्त के आधार पर, बिना किसी ठोस व प्रत्यक्ष साक्ष्य के यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस साक्षी द्वारा घटना कारित करने वाले वास्तविक व्यक्तियों को छोड़कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य अंकित कराया गया है। अन्य व्यक्तियों से रंजिश होने के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित न किये जाने की संभावना के अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क में न्यायालय बल नहीं पाता है।

84. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताने का एक तर्क यह भी किया गया है कि वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा के पिता द्वारा घटना का हेतुक (Motive) वादी मुकदमा के पिता संजय वर्मा से अभियुक्तगण की रंजिश होने को बताया गया है तथा इसी रंजिश के कारण वादी मुकदमा के पिता की हत्या करने के आशय से घटना कारित किया जाना कहा गया है। उक्त हेतुक पूर्णतया आधारहीन है। अभियुक्तगण सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा तथा बॉबी गेड़ा के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश यादव की ओर से उक्त संदर्भ में विशेष बल देते हुए यह तर्क किया गया कि इन तीनों अभियुक्तगण में से मात्र सोनू गेड़ा को चोटिल संजय वर्मा के भाई की हत्या के संदर्भ में नामित किया गया था। उक्त प्रकरण में अभियुक्त से सोनू गेड़ा की दोषमुक्ति का निर्णय पारित हुआ था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया है। चोटिल संजय वर्मा के भाई की हत्या का प्रकरण 2004–05 से सम्बन्धित रहा है, जिसके पश्चात् सोनू गेड़ा, बॉबी गेड़ा अथवा रिंकू गेड़ा को वादी मुकदमा के परिवारीजन के किसी अन्य प्रकरण में नामित नहीं किया गया है। इस पृष्ठभूमि में तथा विशेषतया उस स्थिति में जबकि 2004–05 की घटना के संदर्भ में सोनू गेड़ा को दोषमुक्त कर दिया गया है, इन तीनों अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा अथवा उसके परिवारीजन से रंजिश रखते हुए 2018 में वादी मुकदमा के पिता की हत्या की साजिश के कारण घटना को कारित करना औचित्यहीन है। सोनू गेड़ा, बॉबी गेड़ा अथवा रिंकू गेड़ा का घटना को कारित करने हेतु कोई भी हेतुक उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र आदि की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री कुमार वैभव तिवारी तथा श्री अमीन उद्दीन द्वारा भी यह तर्क किया गया कि कथित घटना के लगभग 10 वर्ष पूर्व से वादी मुकदमा व राजेन्द्र गुर्जर आदि ग्राम लकारा के गुर्जरों के मध्य इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जिससे वर्ष 2018 में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता की हत्या के आशय से घटना कारित की जावे। उक्त आधार पर घटना का हेतुक साबित न होने, अनुपलब्ध होने अथवा मिथ्या रूप से वादी मुकदमा व चोटिल द्वारा प्रकट किये जाने का तर्क अभियुक्तगण की ओर से किया गया। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा तथा घटना के दो चोटिल साक्षीगण (पी०डब्ल्यू०–1, पी०डब्ल्यू०–2 व पी०डब्ल्यू०–3) ने घटना की प्रत्यक्ष व चक्षुदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत की है। न केवल चोटिल साक्षीगण ने वरन् वादी मुकदमा ने भी स्वंय घटना को होते हुए देखने का स्पष्ट सशपथ बयान दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, JT 2021 (3) SC 62** की विधि व्यवस्था में इस सुस्थापित सिद्धान्त को पुनः बलपूर्वक अभिनिर्णीत किया है कि

प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामलों में हेतुक की प्रासंगिकता नहीं होती है। इस सिद्धान्त के आलोक में अभियुक्तगण की ओर से हेतुक के उपस्थित न होने के तर्क के आधार पर अभियोजन कथानक अथवा साक्षीगण की साक्ष्य को मिथ्या मानने का तर्क अग्राह्य पाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पूर्ण स्पष्ट है कि सोनू गेड़ा आदि अभियुक्तगण तथा राजेन्द्र गुर्जर आदि अभियुक्तगण से वादी मुकदमा तथा उसके परिवारीजन की रंजिश रही है। बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने भी इन तथ्यों से इंकार नहीं किया है कि वादी मुकदमा तथा गेड़ा परिवार व गुर्जर परिवार के मध्य हत्याएं जैसे गंभीर मामलों में एक दूसरे पक्ष को आरोपित किया गया है। यदि किसी पक्ष को विचारण से दोषमुक्त भी किया गया हो, तो भी अपील आदि के लम्बित होने तथा इसकी पैरवी करने के दौरान रंजिश का बने रहना तथा रंजिशन एक दूसरे पक्ष के प्रति अपराध कारित करने की संभावना से स्पष्ट इंकार नहीं किया जा सकता है। हेतुक के अभाव अथवा हेतुक के मिथ्या रूप से प्रकट किये जाने के तर्क के आधार पर वादी मुकदमा तथा चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य को संदेहास्पद मानना विधि सम्मत नहीं है।

85. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताने का एक अन्य आधार विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा घटना स्थल की सी०सी०टी०वी० फुटेज अथवा अभियुक्तगण के सी०सी०टी०वी० फुटेज को संकलित न करना बताया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि कथित घटना स्थल शहर का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चौराहा है, जिसके आसपास व्यापारी प्रतिष्ठान, बन्दूक की दुकानें आदि होना अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से ही साबित होता है। सम्भावित होने के बावजूद, विवेचकों द्वारा घटना स्थल से सम्बन्धित सी०सी०टी०वी० फुटेज को वास्तविक रूप से घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को बचाने के आशय से तथा वादी मुकदमा से मिलकर अभियुक्तगण को मिथ्या फसाने के आशय से संकलित नहीं किया गया है। इसी प्रकर विवेचकों द्वारा दौरान विवेचना इस हेतु प्रयास किये जाने के बावजूद वादी मुकदमा तथा उच्चाधिकारियों के दवाब में अभियुक्तगण की मोबाईलों की लोकेशन सम्बन्धी जानकारियां संकलित नहीं की गयी। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना स्थल के आसपास की सी०सी०टी०वी० फुटेज तथा अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन सम्बन्धी साक्ष्य संकलित की जाती, तो इस आधार पर यह पूर्ण साबित होता कि घटना में अभियुक्तगण को मिथ्या रूप से फसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। किसी भी घटना के सी०सी०टी०वी० फुटेज को प्राप्त करने का प्रयास जितना ही शीघ्र किया जावेगा, सी०सी०टी०वी० फुटेज प्राप्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। घटना स्थल की सी०सी०टी०वी० फुटेज के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संतप्रकाश हैं। पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संतप्रकाश घटना की सी०सी०टी०वी० फुटेज के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उक्त साक्षी घटना का प्रथम विवेचक रहा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् उसने अर्थात् साक्षी ने सी०सी०टी०वी० केमरे आदि देखे थे, कचहरी चौराहे के आसपास 4–6 कैमरों में देखने का प्रयास करता रहा था। चौराहे के आसपास सी०सी०टी०वी० कैमरों की जांच में जो टीमें लगी थीं, उन्होंने यह बताया था कि कैमरे चालू हालत में नहीं मिले थे। यद्यपि उक्त साक्षी ने उक्त तथ्य के केस डायरी में अंकित होने से इंकार किया है, किन्तु यह भी सत्य है कि पत्रावली पर इस सन्दर्भ में साक्ष्य नहीं है कि घटना स्थल के आसपास स्थित दुकानों अथवा अन्य किसी भी स्थान पर ऐसा कोई सी०सी०टी०वी० कैमरा लगा था, जिसमें घटना से सम्बन्धित सी०सी०टी०वी० फुटेज रिकॉर्ड हुई हो। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की ओर से पर्याप्त संख्या में सफाई साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से ही ऐसे किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें घटना स्थल के आसपास किसी सी०सी०टी०वी० कैमरे में घटना के रिकॉर्ड होने का तथ्य साबित होता हो। सम्पूर्ण पत्रावली में सी०सी०टी०वी० केमरे की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी साक्ष्य के अभाव में यह कथन

मात्र अनुमान पर आधारित है कि सी०सी०टी० वी० फुटेज को वास्तविक रूप से घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से संकलित नहीं किया गया। उपलब्धता के बावजूद सी०सी०टी०सी० फुटेज को संकलित न करने के किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये इस तर्क में बल नहीं पाता है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक तथा चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य मिथ्या है।

86. अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन सम्बन्धी साक्ष्य को भी संकलित न किये जाने का तर्क किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क किया कि यदि विवेचकों द्वारा अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन सम्बन्धी साक्ष्य को संकलित किया जाता, तो निश्चित रूप से अभियुक्तगण की उपस्थिति अन्य स्थानों पर होना दर्शित होता। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क से सहमत नहीं है। अभियुक्तगण की अपराध में निर्दोषिता का आधार अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन मात्र को नहीं माना जा सकता। यदि मात्र मोबाइल की लोकेशन के आधार पर अभियुक्तगण की निर्दोषिता को विधिक सिद्धान्त के रूप में माना जाये, तो किसी भी अभियुक्त के लिए स्वंय के मोबाइल को किसी अन्य स्थान पर पहुंचाकर मोबाइल से पृथक घटना स्थल पर जाकर घटना कारित किया जाना तथा मोबाइल की लोकेशन के आधार पर निर्दोषिता साबित करना संभव होगा। यदि विवेचकों द्वारा अभियुक्तगण की मोबाइल की लोकेशन के संदर्भ में प्रथमतः प्रयास किये जाने के बावजूद उक्त आधार पर विवेचना के निष्कर्ष को आधारित नहीं किया है, तो यह किसी भी प्रकार से अनुचित अथवा अविधिक नहीं है।

87. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक तथा अभियुक्तगण पर लगे आरोपों के संदर्भ में यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण को बतौर साक्षी उपस्थित नहीं किया है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियोजन कथानक में तीन चोटिल बताये गये हैं। कथित घटना में सुनील कुशवाहा नामक व्यक्ति को भी चोटिल होना बताया गया है। अभियोजन कथानक में चोटिल सुनील कुशवाहा का घटना के समय अन्य चोटिलों के साथ होना कहा गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त चोटिल साक्षी को उपस्थित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण को भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिनमें वे संभावित साक्षी महत्वपूर्ण हैं, जिनके द्वारा मृतक व चोटिलों को घटना स्थल से चिकित्सालय तक ले जाया गया। इन संभावित साक्षीगण के नाम को मृतक व चोटिलों के चिकित्सीय प्रपत्रों (प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 तथा प्रदर्श क–4) में अंकित किया गया है। उक्त प्रपत्रों में अंकित मोहित साहू, सुरेश कुशवाहा तथा सुरेन्द्र को अभियोजन पक्ष बतौर साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिस आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद होता है। इसके अतिरिक्त, चौराहे की दिन की घटना होने के बावजूद अभियोजन पक्ष किसी स्वतन्त्र साक्षी की साक्ष्य को भी प्रस्तुत नहीं कर सका है। उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया कि एक ही तथ्य को साबित करने हेतु एक से अधिक साक्षी की आवश्यकता उस परिस्थिति में नहीं है, जबकि परीक्षित साक्षी के द्वारा वांछित तथ्य साबित किये गये हों। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया कि चक्षुदर्शी–चोटिल साक्षीगण की साक्ष्य से इतर साक्षीगण को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों की साक्ष्य आवश्यक नहीं है, क्योंकि घटना स्थल पर घटना का कारित होना तथा चोटिलों का अस्पताल पहुंचने में कोई संदेह नहीं है। इन परस्पर विरोधी तर्कों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन पक्ष द्वारा तहरीर में अंकित एक अन्य चोटिल सुनील कुशवाहा को बतौर साक्षी उपस्थित नहीं किया गया है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि तीन चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण में से दो साक्षीगण की साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही तथ्य को साबित करने के लिए साक्षीगण की संख्या निश्चित करने का विवेकाधिकार स्वंय पक्षकार के ऊपर है। इस स्थिति में यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप

साबित होता है, तो उस स्थिति में सुनील कुशवाहा को बतौर साक्षी उपस्थित न किये जाने का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पक्ष पर नहीं माना जा सकता। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण स्वंय उक्त साक्षी को बतौर प्रतिरक्षा साक्षी आहूत किये जाने हेतु स्वंतत्र थे, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में सुनील कुशवाहा को बतौर साक्षी उपस्थित न किया जाना, आरोप के अन्यथा साबित होने की स्थिति में महत्वहीन है।

88. अभियुक्तगण की ओर से चोटिलों को चिकित्सालय पहुचाये जाने वाले व्यक्तियों को बतौर साक्षी उपस्थित न किये जाने के आधार पर भी अभियोजन कथानक पर संदेह व्यक्त किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम राकेश कुमार, (2009) 6 SCC 389** की विधि व्यवस्था भी प्रासंगिक हैं, जिसमें स्वाभाविक साक्षीगण के द्वारा अपराध को विनिश्चायात्मक रूप से साबित किये जाने की अवस्था में उस तीन पहिया चालक की साक्ष्य को प्रस्तुत न किये जाने को महत्वहीन माना गया था, जिसने घायल/मृतक को अस्पताल पहुंचाया था। यदि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोपों को संदेह से परे साबित होना पाया जाता है, तो उस स्थिति में मात्र इस आधार पर आरोपों को संदेहास्पद माना जाना विधि सम्मत नहीं है कि चोटिलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी उपस्थित नहीं किया गया है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्वान्त है कि चोटिल –चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आलोक में आरोपों को स्वतन्त्र साक्षी उपस्थित कर आरोपों को साबित कराये जाने की भी बाध्यता नहीं है।

89. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक पर संदेह का एक तर्क पंचायतनामें के आधार पर भी किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने पंचायतनामा, प्रदर्श क–10, में अंकित राय पंचान की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह तर्क किया कि उक्त राय के अन्तर्गत अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियां मारने के कारण जय गोस्वामी की मृत्यु होना अंकित है। पंचायतनामें में हमलावरों का अज्ञात अंकित किया जाना यह प्रकट व स्पष्ट करता है कि वादी मुकदमा व चोटिलों को अभियुक्तगण की पहचान स्पष्ट नहीं थी। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मृतक जय गोस्वामी के पंचायतनामे में वादी मुकदमा अथवा चोटिल पंचान के रूप में नियुक्त नहीं किये गये थे। पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि नियुक्त किये गये पंचाग को वादी अथवा चोटिल ने हमलावरों को न पहचानने के विषय में बताया हो। चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी व वादी मुकदमा से अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार का कोई सुझावात्मक प्रश्न भी नहीं किया गया है। इस पृष्ठभूमि में पंचायतनामे में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने का तथ्य अंकित होने के आलोक में तहरीर में अंकित कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य,** 2026 Live law (SC) 535 की विधि व्यवस्था में भी यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि पंचयातनामें में अभियुक्त का नाम अंकित न होना अभियुक्त की निर्दोषिता का आधार नहीं हो सकता *("It is well settled that the scope of an inquiry under Section 174 of the Code of Criminal Procedure, 1973, now corresponding to Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, is a preliminary enquiry of a limited and specific character confined to ascertaining the apparent cause of death and not to record a detailed account of the incident or the names of the accused persons who could have caused the death.")।*

90. अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया कि मृतक जय गोस्वामी, चोटिल संजय का सुरक्षाकर्मी रहा है। अभियोजन साक्षीगण, विशेषतया वादी मुकदमा व चोटिल संजय वर्मा, की साक्ष्य से यह पूर्ण स्पष्ट है कि वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिवारीजन के नाम

से आग्नेयास्त्र के कई लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं। चोटिल सुनील कुशवाहा भी चोटिल संजय वर्मा की सुरक्षा में ही नियुक्त रहा है। इस समस्त पृष्ठभूमि में यह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है कि वादी मुकदमा, चोटिल संजय वर्मा, सुनील कुशवाहा तथा मृतक जय गोस्वामी के पास घटना कोई आग्नेयास्त्र न रहा हो। यदि उक्त व्यक्तियों के पास आग्नेयास्त्र रहा है , तो घटनाक्रम में चोटिल संजय वर्मा व गनर तथा सुरक्षाकर्मियों द्वारा स्वंय का बचाव अवश्य किया जाता। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिस आधार पर समस्त अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य अविश्वसनीय है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संचित वर्मा ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 18 पर) यह स्पष्ट बयान दिया है कि जय गोस्वामी तथा सुनील कुशवाहा के पास घटना के समय कोई हथियार मौजूद नहीं था। इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०–2 ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 27 पर) यह स्पष्ट बयान दिया है कि सुरक्षाकर्मी बन्दूक नहीं लिये था तथा घटना के समय गाड़ी में कोई हथियार नहीं था। (पृष्ठ 48 पर) चोटिल संजय वर्मा ने प्रतिपरीक्षा में यह बयान अंकित कराया है कि दिनांक–21.07.2018 को कचहरी पेशी कराना था, इसलिए उसके अर्थात् चोटिल संजय वर्मा के पास कोई हथियार नहीं था। इस प्रकार वादी मुकदमा तथा चोटिल संजय वर्मा के बयानों में घटना के समय मृतक अथवा चोटिलों के पास कोई आग्नेयास्त्र न होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से वादी मुकदमा तथा चोटिल संजय वर्मा के उक्त बयानों के खण्डन स्वरूप कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस पृष्ठभूमि में घटना स्थल पर वादी मुकदमा तथा मृतक व सुरक्षाकर्मी के पास हथियार होने का अभियुक्तगण की ओर से किया गया तर्क मात्र अनुमान के आधार पर है, जो साक्ष्य को स्थानापन्न नहीं कर सकता।

91. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने अभियोजन कथानक को तथा वादी मुकदमा व चोटिल साक्षीगण की साक्ष्य को पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश के बयानों के आलोक में पूर्णतया असत्य व परस्पर असंगत बताया। विद्वान अधिवक्तागण ने उक्त साक्षीगण के बयानों को इंगित करते हुए यह तर्क किया कि निरीक्षक संत प्रकाश के बयानों से यह स्पष्ट है कि पुलिस कथित घटना के 10–15 मिनट बाद ही घटना स्थल पर पहुंच गयी थी, जबकि वादी मुकदमा व चोटिल संजय वर्मा के बयानों में घटना के पश्चात् लगभग 40 मिनट तक वादी मुकदमा व चोटिल संजय वर्मा का उपस्थित रहना साबित होता है। यदि घटना के लगभग 15 मिनट बाद ही पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित हो गयी थी, तो वादी मुकदमा तथा चोटिल संजय वर्मा व अन्य चोटिलों के घटना स्थल पर ही पुलिस को घटना के विषय में बताया जाना तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। इस परिस्थिति व पृष्ठभूमि में घटना के सत्य होने की अवस्था में पुलिस द्वारा अविलम्ब घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान को प्रकट करती हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना स्वाभाविक व आवश्यक था, किन्तु इसके ठीक विपरीत कथित रूप से रात्रि लगभग 10 बजे तक प्रकरण की एफ०आई०आर० को दर्ज किये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। विवेचक तथा वादी व चोटिलों द्वारा प्रस्तुत उक्त परस्पर असंगत साक्ष्यों के अवलोकन से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि घटना आरोपित अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गयी है, वरन् गोपनीय रूप से घटित कुछ अन्य घटनाक्रम में अभियुक्तगण को मिथ्या फंसाने के आशय से अतिश्योक्तिपूर्ण रूप से अभियोजन कथानक गढ़ते हुए घटनाक्रम में अभियुक्तगण को नामित किया गया है। इसी अनुक्रम में विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश के बयानों को इंगित कर यह भी तर्क किया गया कि साक्षी/विवेचक के उक्त बयान से यह पूर्ण स्पष्ट है कि घटना के 15 मिनट बाद घटना स्थल पर उपस्थित होकर उक्त साक्षी/विवेचक अविलम्ब मेडिकल कालेज, झांसी उपस्थित हुआ था, जहां न केवल चोटिलों का इलाज किया जा रहा था, वरन् वादी मुकदमा भी उपस्थित था। यदि अभियुक्तगण द्वारा वास्तविक रूप से घटना कारित की जाती, तो अस्पताल में वादी मुकदमा तथा चोटिलों के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के विषय में अवश्य बताया जाता तथा तदनुसार अविलम्ब प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती। प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में नामित अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किया जाना पूर्णतया संदेहास्पद है तथा अभियुक्तगण को मिथ्या फसाये जाने हेतु षड्यन्त्र किया जाना पूर्णतया साबित है। तर्क के आलोक में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि यह सत्य है कि वादी मुकदमा तथा चोटिल संजय वर्मा ने घटना के पश्चात् घटना स्थल पर लगभग 40 मिनट तक रूके होने का बयान दिया है तथा पी०डब्ल्यू०-13 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि आर०टी० सेट के जरिये सूचना प्राप्त होने के लगभग 5-7 मिनट पश्चात् वह अर्थात् साक्षी/विवेचक घटना स्थल पर पहुंच गया था, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के संदर्भ में पी०डब्ल्यू०-13 निरीक्षक संत प्रकाश द्वारा प्रतिपरीक्षा में ही किये गये अग्रेतर बयान भी प्रासंगिक हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि आर०टी० सेट पर सूचना 01.30 बजे के बाद मिली थी। स्पष्ट समय याद नहीं है। साथ ही साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना घटित होने के कितनी देरी बाद वह अर्थात् साक्षी घटना स्थल पर पहुंचा था। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि वह निश्चित समय नहीं बता सकता कि वह कितने बजे घटना स्थल पर पहुंचा था। प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 8 पर) साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह घटना स्थल पर उपस्थित हुआ था, तो कोई भी चोटिल घटना स्थल पर नहीं था। पी०डब्ल्यू०-2 चोटिल संजय वर्मा ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 16 पर) पर इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है कि घटना स्थल से रवाना होने से पहले पुलिस घटना स्थल पर आयी हो। प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 48 पर) इस साक्षी ने यह स्पष्ट बयान दिया है कि दिनांक-21.07.2018 को घटना स्थल पर उसके अर्थात् चोटिल संजय वर्मा के उपस्थित रहने के दौरान उसके पास कोई पुलिस बल, पी०आर०डी०, होमगार्ड या ट्रेफिक पुलिस का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। पी०डब्ल्यू०-3 रवि वर्मा ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 8 पर) इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है कि जब तक वह अर्थात् चोटिल रवि वर्मा घटना स्थल पर रहा था, नवाबाद थाने की पुलिस पहुंच चुकी थी। पी०डब्ल्यू०-13 स्वंय की साक्ष्य में वह स्पष्ट समय बताने में असमर्थ रहा है, जबकि घटना से सम्बन्धित सूचना जरिये आर०टी० सेट उसे अर्थात् साक्षी को प्राप्त हुई थी तथा इसके अनुक्रम में वह अर्थात् पी०डब्ल्यू० -13 विवेचक घटना स्थल पर उपस्थित हुआ था। इसके विपरीत, उक्त साक्षी तथा वादी मुकदमा व चोटिलों द्वारा निरन्तर यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा व चोटिलों के घटना स्थल पर उपस्थित रहने के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये इस तर्क में बल नहीं पाता है कि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से घटना स्थल पर चोटिलों के उपस्थित रहते पुलिस के पहुंच जाने के फलस्वरूप पश्चातवर्ती रात्रिकालीन प्रथम सूचना रिपोर्ट षडयन्त्रपूर्वक मिथ्या रूप से अंकित करायी गयी है। इसी प्रकार, मेडिकल कालेज में घटना के पश्चात् पुलिस के पहुंचने के संदर्भ में अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि पी०डब्ल्यू० -13 निरीक्षक संत प्रकाश की साक्ष्य में यह बयान अवश्य दिया गया है कि घटना की सूचना मिलने पर वह अर्थात् साक्षी/विवेचक घटना स्थल पर तथा घटना स्थल से मेडिकल कालेज पहुंचा था। किन्तु, अभियुक्तगण की ओर से तत्समय पुलिस के मेडिकल कालेज में उपस्थित रहने के दौरान वादी मुकदमा व चोटिलों द्वारा घटना के संदर्भ में बताये जाने के सम्भाव्य होने के तर्क के आलोक में पी०डब्ल्यू०-13 निरीक्षक संत प्रकाश के प्रतिपरीक्षा के बयान ही प्रासंगिक हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 8 पर) यह बयान दिया है कि घटना स्थल से वह अर्थात् साक्षी मेडिकल कालेज गया था, किन्तु चोटिलों का इलाज चल रहा था, इसलिए बातचीत नहीं हो सकी थी। पी०डब्ल्यू०-13 निरीक्षक संत प्रकाश द्वारा साक्ष्य में इस तथ्य का स्पष्ट कथन किया गया है कि इलाज चलते रहने के कारण चोटिलों से बातचीत नहीं हो पायी थी। साक्षी/विवेचक के उक्त बयान से अभियुक्तगण की ओर से किया गया यह तर्क पूर्णतया खण्डित होता है कि मेडिकल कालेज में पुलिस व चोटिलों की उपस्थिति के कारण घटना के

विषय में सम्पूर्ण जानकारी घटना के अविलम्ब पश्चात् ही पुलिस को अवश्य दी गयी रही होगी तथा रात्रि 10 बजे तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराया जाना अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है।

92. अभियुक्तगण की ओर से घटना स्थल से विवेचक द्वारा बरामद की गयी बुलेट्स की संख्या के आधार पर भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताया गया है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क किया गया कि विवेचक ने घटना स्थल से मात्र 14 खोखे बरामद किये गये हैं। यदि अभियोजन कथानक के अनुसार लगभग 15 व्यक्तियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए घटना कारित की गयी होती, तो उक्त परिस्थिति में अत्याधिक संख्या में खोखे की बरामदगी आवश्यक थी। घटना स्थल से मात्र 14 खोखे की बरामदगी अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय तथा संदेहास्पद बनाती है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि घटना स्थल से खोखे पुलिस द्वारा कब्जे में लेने सम्बन्धी फर्द को पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश द्वारा प्रदर्श क–28 के रूप में साबित किया गया है। उक्त प्रदर्श क–28 में बारह खोखे 9 एमएम के तथा दो अन्य खोखे बरामद होने का तथ्य अंकित है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के सम्बन्ध में यह प्रासंगिक है कि उक्त फर्द में उक्त बरामदगी किये जाने का कोई समय अंकित नहीं है। इस तथ्य को पी०डब्ल्यू०–13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि फर्द में समय अंकित नहीं है। इस साक्षी ने (पृष्ठ 10 पर) यह बयान अंकित कराया है कि घटना से सम्बन्धित उक्त सामग्री/साक्ष्य घटना वाले दिन शाम के समय किन्तु सूर्य के उजाले में संकलित की गयी थी। वादी मुकदमा तथा चोटिल की साक्ष्य में घटना के समय घटना स्थल को यातायात के संदर्भ में अत्यन्त व्यस्त नहीं बताया है, किन्तु साथ ही यह स्वीकार किया है कि सामान्यतया उक्त स्थान यातायात के आशय से व्यस्त क्षेत्र है। घटना स्थल को कचहरी चौराहे से मेडिकल कालेज की ओर जाता हुआ मार्ग बताया गया है तथा इसके आसपास महत्वपूर्ण कार्यालयों का होना तथा चौराहे से महत्वपूर्ण स्थानों की ओर रास्तों का जाना बताया गया है। इस परिस्थिति में यह पूर्ण स्पष्ट है कि घटना स्थल वाली सड़क पर सामान्यतया पर्याप्त यातायात रहता है। घटना सड़क की दिन के 01.30 बजे के आसपास की कही गयी है तथा घटना से सम्बन्धित खोखे आदि की बरामदगी शाम की बतायी गयी है। स्पष्ट है कि घटना के समय तथा साक्ष्य/सामग्रियों के संकलन के मध्य पर्याप्त समयान्तराल रहा है तथा इस समयान्तराल में सड़क पर पर्याप्त यातायात संचालित हो जाने का अनुमान किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में कुछ बुलेट्स के घटना स्थल से हट जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त के बावजूद, यदि तर्क के आलोक में यह मान भी लिया जाये कि घटना स्थल पर वास्तविक रूप से कुल 14 खोखे ही उपलब्ध थे तथा कोई भी खोखा विनष्ट नहीं हुआ था अथवा घटना स्थल से हटा नहीं था, तो भी 14 खोखे की बरामदगी घटना कारित किये जाने को प्रमाणित करती है। अभियुक्तगण की ओर से वादी मुकदमा के बयान में 50–60 राउण्ड की फायरिंग किये जाने तथा मात्र 14 खोखे की बरामदगी होने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत **उगर अहीर बनाम स्टेट आफ बिहार AIR 1965 SC 277** की विधि व्यवस्था प्रासंगिक है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि ऐसे किसी साक्षी को पाना बहुत ही कठिन है, जिसकी साक्ष्य में अतिरंजकता अथवा अतिवर्धन के तथ्य अंतर्निहित न हो। *("Hardly one comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate exaggerations, embroideries or embellishments. It is, therefore, the duty of the court to scrutinise the evidence carefully and, in terms of the felicitous metaphor, separate the grain from the chaff.")*। साक्षी की अतिरंजना के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **लीला राम (मृतक) जरिये दुली चन्द बनाम हरियाणा राज्य, 1999 AIR SCW 3756** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट अभिनिर्णीत किया है कि साक्षीगण की साक्ष्य में अतिरंजना स्वाभाविक है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि साक्ष्य से सत्य का उद् घाटन करे। साक्ष्य की विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना

आवश्यक है। *("It is indeed necessary to note that hardly one comes across a witness whose evidence does not contain some exaggeration or embellishments – sometimes there could even be a deliberate attempt to offer embellishment and sometimes in their over anxiety they may give slightly exaggerated account. The Court can sift the chaff from the corn and find out the truth from the testimony of the witnesses. Total repulsion of the evidence is unnecessary. The evidence is to be considered from the point of view of trustworthiness – If this element is satisfied, they ought to inspire confidence in the mind of the Court to accept the stated evidence though not however in the absence of the same.")*। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्त के आलोक में वर्तमान पत्रावली में साबित इन तथ्यों का अवलोकन किये जाने से कि घटना स्थल से 14 खोखे की बरामदगी साबित है तथा अन्य खोखे के विनष्ट होने अथवा घटना स्थल से हट जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, वादी मुकदमा तथा चोटिल के 50–60 राउण्ड की फायरिंग के बयान के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को उस स्थिति में अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, जबकि वादी मुकदमा व चोटिल साक्षी गण ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य के दौरान घटना को नामित अभियुक्तगण के द्वारा कारित किये जाने का निरन्तर साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

93. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताते हुए यह भी तर्क किया गया कि घटना स्थल से जो खोखे बरामद किये गये हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या, प्रदर्श क–41, के अनुसार 9 एमएम पिस्टल व 7.63 एमएम माऊजर पिस्टल तथा .38 बोर रिवाल्वर में प्रयुक्त होने वाले कारतूस से सम्बन्धित हैं। वादी मुकदमा ने तहरीर में अभियुक्तगण के पास कट्टा, पिस्टल होने का तथ्य अंकित किया है तथा समान आशय का साक्ष्य पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा व पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल संजय वर्मा ने अंकित कराया है। इन साक्षीगण ने तहरीर व साक्ष्य में अभियुक्तगण के पास माऊजर अथवा रिवाल्वर होने का कोई कथन नहीं किया है तथा कट्टे की किसी गोली अथवा कारतूस से सम्बन्धित कोई बरामदगी नहीं है। उक्त सभी आग्नेयास्त्र तथा उनमें प्रयुक्त कारतूस अथवा गोली की प्रकृति पृथक पृथक होती है। साक्ष्यों में उक्त भिन्नता अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाती है। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21.07.2018 की घटना त्वरित गति से, अचानक तथा वादी की किसी पूर्व आशंका के बिना घटित हुई थी। अभियुक्तगण का समूहों में व अधिक संख्या में (न्यूनतम 11–12) होने का कथन किया गया है। सभी अभियुक्तगण का समूह बनाकर एकाधिक स्थानों पर खड़ा होना बताया गया है। इस परिस्थिति में सभी अभियुक्तगण के हाथ में लिये गये आग्नेयास्त्र की स्पष्ट पहचान कर पाना अत्यन्त दुष्कर व दुरूह है। यदि वादी मुकदमा व चोटिलों के द्वारा तहरीर व साक्ष्य में विशिष्ट आग्नेयास्त्रों को अंकित नहीं कराया जा सका है, तो इससे समस्त अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं होता है।

94. अभियुक्तगण की ओर से घटना स्थल के संदर्भ में भी तर्क किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क किया कि विभिन्न अभियोजन साक्षीगण ने घटना स्थल को भिन्न–भिन्न होना बताया है। कचहरी चौराहा, गोलम्बर, गोलम्बर के पास स्थित मन्दिर व प्रतीक्षालय के सम्बन्ध में तथा इन स्थानों पर कथित रूप से उपस्थित अभियुक्तगण व ट्रक तथा लोडर के सम्बन्ध में साक्षीगण द्वारा विभिन्न स्थानों पर भिन्न –भिन्न कथन किये गये हैं। अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना स्थल को निरन्तर परिवर्तित किया गया है। घटना स्थल के निरन्तर परिवर्तित किये जाने से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक पूर्णतया मिथ्या है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है। अभियोजन कथानक में घटनाक्रम मृतक तथा चोटिलों के गतिशील कार में रहते हुए गोलम्बर से आरम्भ होकर पास स्थित मन्दिर व प्रतीक्षालय तक विस्तारित होना बताया गया है। बहस के दौरान यह तथ्य प्रकट किया गया कि गोलम्बर तथा

कचहरी चौराहा एक ही नाम से निर्दिष्ट चौराहा है तथा अभियुक्तगण की ओर से उक्त तथ्य का खण्डन नहीं किया जा सका। इस स्थान से मन्दिर तथा प्रतीक्षालय का पास ही स्थित होना साक्ष्य में बताया गया है। घटना चलती हुई कार के दौरान आरम्भ हुई है। अभियुक्तगण का समूहों में विभिन्न स्थानों पर होना बताया गया है। चलती हुई कार में बैठे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध कारित करने की अवस्था में अभियुक्तगण का स्थान के संदर्भ में परिवर्तनशील होना अस्वाभाविक नहीं है। सीमित स्थान के मध्य यदि अभियोजन साक्षीगण द्वारा कुछ अल्पविसंगत कथन किये गये हैं, तो इस अल्पविसंगतता के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

95. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने पी०डब्ल्यू०–3 रवि वर्मा के बयानों के आधार पर भी अभियोजन कथानक में संदेह व्यक्त किया। विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि साक्षी रवि वर्मा द्वारा अभियुक्तगण को नामित करते हुए घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होने का बयान दिया है। साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के कुछ ही माह पूर्व, अधिकतम 8–9 माह पूर्व ही अभियुक्त रवि वर्मा ने चोटिल संजय वर्मा की कार चालन का कार्य आरम्भ किया था। चोटिल रवि वर्मा द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने का कोई औचित्य नहीं रहा है। साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि संजय वर्मा के न्यायालय में आने के दौरान चोटिल रवि वर्मा न्यायालय परिसर के बाहर कार पार्किंग के स्थान के आसपास अथवा किसी अधिवक्ता के कार्यालय पर समय व्यतीत करता था। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि साक्षी रवि वर्मा प्रतिपरीक्षा के दौरान उस/उन अधिवक्ताओं की पहचान को प्रकट करने में सफल नहीं रहा है, जिसके/जिनके कार्यालय में वह उपस्थित होता रहा था। उक्त में असफल रहने में यह पूर्ण रूप से संदेहास्पद है कि साक्षी अभियुक्तगण की पहचान में सक्षम रहा हो। साक्षी रवि वर्मा के बयान पूर्णतया बनावटी हैं तथा वादी मुकदमा व चोटिस संजय वर्मा के दबाव में दिये गये हैं। उक्त आधार पर चोटिल रवि वर्मा की साक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि साक्षी रवि वर्मा घटना का चोटिल है। चिकित्सीय प्रपत्रों में उक्त साक्षी को गोली के दो घाव होना अंकित किया गया है। उक्त गोली के घावों में से एक घाव सिर पर रहा है, जो प्राणघातक रहा है। इस परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बालू सुदम खालडे बनाम महाराष्ट्र राज्य,** उपरोक्त, में पारित विधि व्यवस्था (जिसे विश्लेषण के आरम्भिक स्तर पर ही पूर्व में अंकिया जा चुका है) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में बिना किसी ठोस आधार अथवा साक्ष्य के यह माना जाना विधि सम्मत नहीं होगा कि चोटिल साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा चोट तथा घटना कारित करने वाले वास्तविक दोषियों के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को मिथ्या आरोपित करेगा। उक्त सिद्धान्त के आलोक में डी०डब्ल्यू०–3 रवि वर्मा की साक्ष्य पर सहज ही अविश्वास किया जाना उचित व विधि सम्मत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, पी०डब्ल्यू०–3 की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि साक्षी रवि वर्मा चोटिल संजय वर्मा के वाहन चालक के रूप में घटना से पर्याप्त समय पूर्व लगभग 8–9 माह से कार्यरत रहा है। चोटिल संजय वर्मा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से ही रंजिश होना भी साबित तथा उभयपक्ष को स्वीकार है। इस पृष्ठभूमि में साक्षी रवि वर्मा का साक्ष्य में अंकित व्यक्तियों का पहचानना अस्वाभाविक नहीं है। इंगित तर्क के आलोक में रवि वर्मा की साक्ष्य पर संदेह किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

96. बहस के दौरान अभियुक्तगण की ओर से पी०डब्ल्यू०–3 रवि वर्मा के घटना के पश्चात् वादी मुकदमा के पिता संजय वर्मा का वाहन चालक होने के सम्बन्ध में असंगत साक्ष्य को भी इंगित किया गया। न्यायालय घटना के पश्चात् साक्षी के वादी मुकदमा के पिता का वाहन चालक होने के तथ्य को इस प्रकार प्रासंगिक नहीं पाता है, जिसके आधार पर साक्षी के बयान की विश्वसनीयता का निर्धारण किया जा सके। यदि उक्त संदर्भ में साक्ष्यों का असंगत होना पाया भी जाये, तो भी इससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं होता है।

97. अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताने का एक आधार अभियुक्तगण की ओर से यह लिया गया है कि पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संचित वर्मा तथा पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल

संजय वर्मा तथा पी०डब्ल्यू०–3 रवि वर्मा की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी संजय वर्मा कथित घटना के पश्चात् लगभग 40 मिनट तक घटना स्थल पर ही उपस्थित रहा था। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि पी०डब्ल्यू०–5 डॉ० शमीम कुरैशी के बयान तथा चोटिलों के चोट प्रपत्र, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 तथा प्रदर्श क–5 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चोटिल रवि वर्मा तथा मृतक जय गोस्वामी दोपहर 02.30 बजे, सुनील कुशवाहा 02.50 बजे तथा संजय वर्मा 03.00 बजे मेडिकल कालेज झांसी पहुंचे थे। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क किया गया कि घटना दिन के लगभग 01.30 बजे की बतायी गयी है तथा मेडिकल कालेज की घटना स्थल से दूरी 2–3 किमी० के मध्य है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में चोटिलों का लगभग एक घण्टे पश्चात् से पहुंचना आरम्भ होना तथा संजय वर्मा का लगभग डेढ़ घण्टे पश्चात् मेडिकल कालेज पहुंचना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताता है। इन चोटिलों का अस्पताल में इलाज हेतु एक–डेढ़ घण्टे विलम्ब से पहुंचने का कोई औचित्य नहीं है। विलम्ब के आधार पर यह अनुमान लगाया जाना दुष्कर नहीं है कि वास्तविक रूप से कोई अन्य घटना घटित हुई है तथा अभियुक्तगण को मिथ्या आरोपित करने के आशय से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को गढ़ा गया है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क के सम्बन्ध में तहरीर, प्रदर्श क–1, पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संचित वर्मा व पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल संजय वर्मा की साक्ष्य तथा पी०डब्ल्यू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत द्वारा साबित किये गये प्रपत्र प्रासंगिक हैं। तहरीर तथा पी०डब्ल्यू०–1 व पी०डब्ल्यू०–2 की साक्ष्य में दिनांक–21.07.2018 की घटना में चोटिल संजय वर्मा का अन्य चोटिलों व मृतक के साथ लगभग 01.30 बजे दिन में जिला कचहरी, झांसी से निकलने का कथन किया गया है। इसके पश्चात् रास्ते में कचहरी चौराहा/गोलम्बर पर पहुंचने पर अभियुक्तगण द्वारा फायरिंग की शुरूआत किया जाना बताया गया है। यद्यपि फायरिंग की शुरूआत किये जाने के समय को स्पष्ट व विशिष्ट रूप से अंकित व प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु तहरीर तथा उक्त साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि फायरिंग की शुरूआत 01.30 बजे के कुछ समय पश्चात् हुई थी। पी०डब्ल्यू०–2 ने (पृष्ठ 29 पर) अभियुक्तगण द्वारा लगभग 2 मिनट तक फायरिंग किया जाना बताया है।

98. पी०डब्ल्यू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत द्वारा रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय झांसी के रोगी रवि वर्मा, सुनील कुशवाहा तथा संजय वर्मा के बेड हेड टिकट को प्रमाणित करते हुए रवि वर्मा तथा संजय वर्मा के बेड हेड टिकट को क्रमशः प्रदर्श क–17 तथा प्रदर्श क–18 के रूप में साबित किया है। इन बेड हेड टिकट के अवलोकन से प्रकट होता है कि इनमें रोगी रवि वर्मा तथा संजय वर्मा के भर्ती का दिनांक व समय क्रमशः 21 जुलाई 2018, 14.12 तथा 21 जुलाई 2018, 14.45 बजे अंकित है। पी०डब्ल्यू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत ने सुनील कुशवाहा की बीएचटी रिपोर्ट को साबित नहीं किया, किन्तु इसे दाखिल अवश्य किया है। उक्त रिपोर्ट पर चोटिल सुनील कुशवाहा के चिकित्सालय पहुंचने का दिनांक व समय 21.07.2018, 14.35 बजे अंकित है। पी०डब्ल्यू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत ने भी अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि चोटिल रवि वर्मा 21.07.2018 को समय 14.12 दोपहर पर आकस्मिक विभाग में भर्ती किया गया था। स्पष्ट है कि चोटिल रवि वर्मा की उक्त चिकित्सालय में भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया का आरम्भ घटना की तिथि को ही 14.12 बजे अर्थात् दोपहर 02.12 बजे हो चुका था। चोटिल रवि वर्मा की चिकित्सालय में भर्ती की प्रक्रिया का आरम्भ 14.12 बजे होने की स्थिति से यह पूर्ण स्पष्ट है कि रोगी/चोटिल रवि वर्मा निश्चित रूप से दोपहर 02.12 के पूर्व ही चिकित्सालय में उपस्थित हो चुका था। दोपहर 01.30 के पश्चात् की घटना में चोटिल होने के पश्चात् दोपहर 14.12 बजे के पूर्व अस्पताल पहुंच जाने की स्थिति में यह किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता कि घटना के पश्चात् चिकित्सालय पहुंचने में चोटिल द्वारा इस प्रकार का कोई विलम्ब कारित किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक तथा तहरीर में अंकित घटनाक्रम पर संदेह उत्पन्न होता हो। त्वरित गति से कारित घटना के पश्चात् चोटिलों का आघात/सदमें से बाहर आना तथा

चोटिलों को साधन से चिकित्सालय पहुंचाना तथा रास्ते में कुछ समय लगना पूर्णतया स्वाभाविक है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चोटिल रवि वर्मा के अस्पताल पहुंचने में इस प्रकार का कोई विलम्ब प्रतीत नहीं होता है, जिसके आधार पर अभियोजन कथानक को संदेहास्पद माना जा सके। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि चोटिलों में सर्वप्रथम जय गोस्वामी को, तत्पश्चात् साधन की व्यवस्था होने के पश्चात् रवि वर्मा तत्पश्चात् सुनील कुशवाहा व तत्पश्चात् संजय वर्मा को चिकित्सालय भेजा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श क–17, प्रदर्श क–18 के अवलोकन से चोटिलों का अस्पताल पहुंचने का उक्त क्रम समर्थित होता है। पी०डब्ल्यू०–1 संचित वर्मा ने अपने बयान में यह कहा है कि चोटिलों को उक्त क्रम में साधन मिलने की अवस्था में पहुंचाया गया। उक्त समस्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में चोटिल रवि वर्मा के बिना किसी अप्रत्याशित विलम्ब के घटना के पश्चात् चिकित्सालय पहुंच जाना साबित होता है। पी०डब्ल्यू०–1, पी०डब्ल्यू०–2 व पी०डब्ल्यू०–3 की साक्ष्य में निरन्तर घटना स्थल पर रवि वर्मा के साथ मृतक जय गोस्वामी तथा चोटिल संजय वर्मा तथा सुनील कुशवाहा के उपस्थित होने का बयान दिया गया है। घटना स्थल पर घटना के समय मृतक व तीनों चोटिलों के एक साथ उपस्थित रहने के तथ्य पर संदेह किये जाने का कोई आधार नहीं है। यदि घटना के पश्चात् चोटिल रवि वर्मा सामान्य समय अवधि के भीतर चिकित्सालय पहुंचा था, तो अन्य चोटिलों के चिकित्सालय पहुंचने में लिये गये समय के आधार पर अभियोजन कथानक पर संदेह करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सम्पूर्ण बहस के दौरान निरन्तर इस तथ्य पर अत्यन्त बल दिया गया कि चोटिलों को अस्पताल पहुंचने में एक डेढ़ घण्टे का समय व्यतीत होना अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रतीत होता है कि उक्त तर्क पी०डब्ल्यू०–5 के बयान तथा प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 में अंकित समय के आधार पर किया गया है। वस्तुतः पी०डब्ल्यू०–5 व चोटिलों के उपरोक्त चोट प्रपत्र में अंकित समय चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सक के समक्ष चोटिलों के प्रस्तुत किये जाने का समय है, जो अस्पताल पहुंचने अथवा भर्ती प्रक्रिया के आरम्भ होने के समय का पश्चातवर्ती है। चोटिलों के अस्पताल पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया के आरम्भ होने का समय चोटिलों की बी०एच०टी० में अंकित है, जो पी०डब्ल्यू०–10 डॉ० दिनेश राजपूत की साक्ष्य से साबित है। पी०डब्ल्यू०–5 के बयान तथा चोट प्रपत्रों में अंकित समय के आधार पर चोटिलों के अस्पताल पहुंचने में अप्रत्याशित विलम्ब के होने तथा अभियोजन कथानक के संदेहास्पद होने का तर्क अग्राह्य है।

99. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तथा विशेषतया विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार वैभव तिवारी द्वारा अभियोजन कथानक के संदेह से परे साबित न होने का एक आधार यह भी बताया गया है कि स्वंय अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक–21.07.2018 की घटना के कई संस्करण (Version) बताये गये हैं तथा घटना के पृथक पृथक पहलूओं को प्रकट किया गया है। विवेचकों की केस डायरी सहित अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में किसी एक घटनाक्रम का वर्णन नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का एक पृथक संस्करण प्रस्तुत करती है, जिसमें घटना में अभियुक्तगण को नामित किया गया है। इससे पृथक एक संस्करण केस डायरी के पर्चा–6 में प्राप्त होता है, जिसके अनुक्रम में घटना को पारस गैंग के शूटरों द्वारा कारित किया जाना कहा गया है। पी०डब्ल्यू०–15 विवेचक/निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने घटना को सागर राणा आदि अभियुक्तगण द्वारा स्विफट व मोटर साइकिल से आकर कारित करने का बयान पृष्ठ 35 व 36 पर अंकित कराया है। वादी मुकदमा द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 190(1)(डी) द०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र को देना स्वीकार किया है, जिसमें घटना का एक पूर्ण रूप से पृथक संस्करण प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि दौरान बहस अभियुक्तगण के विरूद्ध लम्बित गैंगस्टर अधिनियम के मामले में विवेचक मुनीन्द्र पाल सिंह के बयान अंकित किये गये हैं, जिसने घटना को पृथक रूप से अंकित कराया है। स्वंय अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में विभिन्न संस्करण होने की

पृष्ठभूमि में अभियुक्तगण के विरूद्ध किया गया अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क से सहमत नहीं है। विवेचना के दौरान किसी घटनाक्रम के विभिन्न पहलूओं से अन्वेषण किये जाने तथा अन्वेषण के दौरान आंशिक रूप से संकलित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष की संभावना को प्रकट किया जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटनाक्रम का अन्वेषण किये जाने के पश्चात् पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता को आंशिक साक्ष्य संकलन के पश्चात् बतौर अभियुक्तगण आहूत किया गया है। विचारण की प्रक्रिया में साक्ष्य को संकलित किया गया है। वर्तमान स्तर पर समस्त अभियोजन तथा बचाव साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्तगण के संदर्भ में विरचित आरोपों पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना ही उचित है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी चोटिल साक्षीगण तथा मृतक व चोटिलों के चिकित्सीय प्रपत्रों को प्रस्तुत किया है। न्यायालय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर ही आरोपों के संदर्भ में निष्कर्ष प्राप्त किया जाना उचित है। यदि विचारण के दौरान विभिन्न विवेचकों द्वारा भिन्न निष्कर्ष अथवा घटनाक्रम प्राप्त किये गये हैं, तो यह अन्वेषण की सामान्य प्रक्रिया में इस प्रकार का अस्वाभाविक घटनाक्रम नहीं है, जिसके आधार पर चक्षुदर्शी चोटिल साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

100. अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त भूपेन्द्र को नामित नहीं किया गया है , वरन् पुष्पेन्द्र नामक व्यक्ति को नामित किया गया है। अभियुक्त भूपेन्द्र का कभी भी पुष्पेन्द्र नाम नहीं रहा है। इस संदर्भ में अभियुक्त ने डी०डब्ल्यू०–10 चन्द्रिका सग्गी की साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त भूपेन्द्र के शैक्षणिक अभिलेख को प्रस्तुत किया है, जिसमें भूपेन्द्र पुत्र मान सिंह नाम अंकित किया गया है। अभियुक्त भूपेन्द्र का कभी भी पुष्पेन्द्र नाम नहीं रहा है। इस आधार पर अभियुक्त भूपेन्द्र की घटना स्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद होती है। उक्त तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुष्पेन्द्र गुर्जर पुत्र मान सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम लकारा, सीपरी बाजार, झांसी को अभियुक्तगण की श्रेणी में नामित किया गया है। इस संदर्भ में पी०डब्ल्यू० –1 वादी संचित वर्मा के प्रतिपरीक्षा के (पृष्ठ 22 पर) दिये बयान प्रासंगिक हैं, जिसमें साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में भूपेन्द्र का दूसरा नाम पुष्पेन्द्र लिखाया था। यह कहना गलत है कि भूपेन्द्र गुर्जर का नाम उर्फ पुष्पेन्द्र न हो। इस साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि भूपेन्द्र को पुष्पेन्द्र भी कहते हैं। प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल संजय वर्मा है, जिसने साक्ष्य के दौरान (पृष्ठ 43 पर) अभियुक्त भूपेन्द्र की पहचान की है। इस साक्षी ने (पृष्ठ 50 पर) यह बयान दिया है कि भूपेन्द्र को पुष्पेन्द्र भी कहते हैं तथा उसने अर्थात् चोटिल ने अपने पुत्र संचित को भूपेन्द्र का उपनाम बताया था। साक्षी ने भूपेन्द्र का उपनाम पुष्पेन्द्र न होने के तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने ग्राम लकारा निवासी मान सिंह गुर्जर के पुत्र को घटना में नामित किया है। अभियोजन साक्षी चोटिल संजय वर्मा ने न केवल न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की है, वरन् यह भी बयान दिया है कि भूपेन्द्र का नाम पुष्पेन्द्र भी है तथा चोटिल संजय वर्मा ने वादी मुकदमा को पुष्पेन्द्र नाम से पहचान कराई थी। इन साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी मुकदमा तथा चोटिल साक्षी के कथन मात्र उस स्थिति में खण्डित होते जबकि यह तथ्य साबित होता कि मान सिंह, निवासी ग्राम लकारा का पुष्पेन्द्र नाम का कोई अन्य पुत्र है, जिसे नामित करते हुए पश्चात् में अभियुक्त भूपेन्द्र के विरूद्ध बयान दिये गये। इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। नाम में भिन्नता के आधार पर अभियुक्त भूपेन्द्र के विरूद्ध आरोप के सन्देहास्पद होने का अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किया गया तर्क अग्राह्य है।

101. अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह भी किया गया है कि प्रदर्श क–28 में चोटिल संजय वर्मा के कार के अन्दर से बुलेट व खोखे आदि बरामद होना भी बताया गया है। यदि कार के समस्त शीशे पूर्णतया बन्द थे, तो बाहर से आग्नेयास्त्र को चलाये जाने की स्थिति में बुलेट, खोखे आदि का कार के अन्दर प्राप्त होना संभव नहीं था। इस आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतया मिथ्या साबित होता है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि वास्तविक रूप में घटी किसी अन्य घटना को कथानक का रूप देते हुए अभियुक्तगण को मिथ्या फंसाने के आशय से मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। घटना स्थल से बुलेट, खोखे व टिकली की बरामदगी प्रकरण के प्रथम विवेचक पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश द्वारा की गयी है। पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश ने उक्त बरामदगी से सम्बन्धित फर्द को प्रदर्श क–28 के रूप में साबित किया है। प्रदर्श क–28 में 14 खोखे बुलेट व टिकली घटना स्थल से बरामद होना बताया गया है। इस फर्द में कार के अन्दर से किसी वस्तु के बरामद होने का कोई अंकन नहीं है। इस संदर्भ में पी०डब्ल्यू०–13 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में भी उक्त वस्तुओं को घटना स्थल से बरामद होने का ही कथन किया है। वस्तुओं की बरामदगी कार से किये जाने का कोई स्पष्ट कथन साक्षी के मुख्य परीक्षा के बयान में नहीं है। मात्र प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 8 पर) इस साक्षी ने प्रदर्श क–28 में अंकित माल को कुछ गाड़ी से व कुछ आसपास से कब्जा पुलिस लिये जाने का बयान दिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श क–8 में वर्णित खोखे, बुलेट व टिकली में से कितने वाहन के अन्दर से तथा कितने वाहन के बाहर से कब्जा पुलिस किया था, इस बात का उल्लेख न तो फर्द में है और न ही केस डायरी में है। इस साक्षी ने प्रदर्श क–27 में अंकित बुलेट के चोटिल संजय वर्मा की कार के अन्दर से बरामद होने का कथन अवश्य किया है, किन्तु अधिक संख्या में अभियुक्तगण द्वारा कार के ऊपर फायरिंग करने की स्थिति में एक बुलेट का कार के अन्दर पाया जाना असंभव नहीं है। मृतक सहित कुल चार व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र की 17 चोटें होने तथा इनमें कुछ चोटों में एन्ट्री व एक्जिट वून्ड होने की स्थिति में, एक बुलेट के कार के अन्दर पाये जाने की अवस्था में सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

102. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने जी०डी० कायमी तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रपत्रों के आधार पर भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताया है। विद्वान अधिवक्तागण ने प्रदर्श क–16 के रूप में संलग्न जी०डी० कायमी की प्रति पर अंकित मुद्रण की तिथि के 24.07.2018 होने के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज होना तथा अभियोजन कथानक के संदेहास्पद होने का तर्क किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–9 एस०आई० विजय नारायण पाठक तथा पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश के विभिन्न बयानों की ओर तथा केस डायरी के लेख में की गयी विभिन्न कटिंग की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा यह तर्क किया गया कि अभियोजन साक्षीगण उक्त असंगतता का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके हैं। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। यद्यपि यह सत्य है कि प्रदर्श क –16 में रिपोर्ट मुद्रण की तिथि दिनांक–24.07.2018 अंकित है, किन्तु उक्त तिथि जी०डी० कायमी से सम्बन्धित प्रपत्र की पत्रावली पर संलग्न प्रति के छपने (प्रिंटआउट) की तिथि है। उक्त तथ्य मात्र से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–21.07.2018 की रात्रि में अंकित न किया जाना साबित नहीं होता है तथा चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि पी०डब्ल्यू०–9 एस०आई० विजय नारायण पाठक ने दिनांक–21.07.2018 को थाना नवाबाद में तैनात रहते उसी तिथि को वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा सम्बन्धित जी०डी० को स्वंय टाईप करके किता करने का बयान दिया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इस प्रकार का कोई तथ्य प्राप्त नहीं होता है, जिससे उक्त जी०डी० के उक्त तिथि पर किता किया जाना संदेहास्पद होता हो।

103. अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह भी किया गया कि कचहरी चौराहे पर घटना स्थल कहा गया है। उक्त चौराहे पर पुलिस की सदैव ड्यूटी रहती है। दिन की घटना के समय पुलिस की उपस्थिति में इस प्रकार की कोई घटना कारित किया जाना संभव नहीं है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट रात्रि 10 बजे तक थाने पर अंकित न होना पूर्णतया असम्भाव्य है। इस संदर्भ में विभिन्न साक्षियों को इंगित कर यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण की ओर से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रपत्र को दाखिल किया गया है, जिसमें घटना की तिथि पर उक्त चौराहे पर पुलिसकर्मी /होमगार्ड की ड्यूटी होने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्कों के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षीगण अथवा प्रतिरक्षा साक्षीगण की साक्ष्य में इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि घटना के समय घटना स्थल पर पुलिसकर्मी अथवा होमगार्ड उपस्थित रहा था। उक्त विशिष्ट तिथि व समय के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्ष्य पी०डब्ल्यू०–9 उपनिरीक्षक विजय नारायण पाठक का है, जिसने दिनांक–21.07.2018 की तिथि को थाना नवाबाद, झांसी में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात होने का बयान दिया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि दिनांक –21.07.2018 को कचहरी चौराहे पर थाना हाजा से किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी। यदि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रपत्र के आधार पर किसी होमगार्ड की ड्यूटी को कचहरी चौराहे पर लगाया जाना मान भी लिया जाये, तो भी मात्र उक्त तथ्य से यह स्वतः साबित नहीं होता है कि घटना के समय घटना स्थल पर अथवा ड्यूटी स्थल पर होमगार्ड अथवा पुलिसकर्मी वास्तविक रूप से उपस्थित रहा था। पत्रावली पर संकलित समस्त साक्ष्यों में इस ऐसी कोई भी विनिश्चयात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि घटना के समय पुलिसकर्मी अथवा होमगार्ड घटना स्थल पर मौजूद रहे हों। इस तर्क के आधार पर भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद मानना उचित नहीं है।

104. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने बहस के दौरान विवेचना की अनेक कमियों को भी दर्शाते हुए विवेचना को पूर्णतया दूषित तथा वादी मुकदमा के प्रभाव में किया जाना बताया। अधिवक्तागण ने के विद्वान अधिवक्तागण ने, विशेष रूप से अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश यादव ने, महानिदेशक पुलिस, उ०प्र० द्वारा विवेचना के संदर्भ में जारी विभिन्न डी०जी० परिपत्रों को संदर्भित करते हुए यह तर्क किया कि सम्पूर्ण विवेचना उक्त परिपत्रों में जारी दिशा निर्देश के अनुसार नहीं की गयी है। प्रकरण के सम्बन्धित बरामदगी के दौरान दिशा निर्देशो का पालन नहीं किया गया है। नक्शा नजरी को माप अंकित कर निर्मित नहीं किया गया है। सी०सी०टी०वी० कैमरे व मोबाइल लोकेशन आदि का साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। आवश्यक साक्षीगण की साक्ष्य को तथा सम्भाव्य रहे जन साक्षीगण के बयान को अंकित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा के पिता की कार तथा कार के अन्दर खून लगे सीटों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। अधिवक्तागण द्वारा विवेचना की विभिन्न त्रुटियों को इंगित करते हुए विवेचना को त्रुटिपूर्ण तथा अभियुक्तगण को आरोपित करने के आशय से किया जाना बताया है। इसी बहस के अनुक्रम में विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा भी विवेचना के उस भाग को साबित नहीं कराया गया है, जिसमें अभियुक्तगण की निर्दोषिता सम्बन्धित साक्ष्य संकलित की गयी थी। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने चोटिल –चक्षुदर्शी साक्षीगण तथा वादी मुकदमा की साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। अभियोजन कथानक तथा वादी मुकदमा के बयान के अनुसार वादी मुकदमा भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। इन साक्षीगण ने आरोपित अभियुक्तगण में से अभियुक्तगण को नामित करते हुए घटना स्थल पर उपस्थित होने तथा घटना कारित करने का निरन्तर बयान दिया है। प्रतिपरीक्षा में इन साक्षीगण की साक्ष्य में इस प्रकार का कोई गंभीर विरोधाभास प्राप्त नहीं होता है, जिससे साक्ष्य में नामित अभियुक्तगण का घटना स्थल पर उपस्थित रहकर घटना कारित किये जाने में संदेह उत्पन्न होता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं में यह सुस्थापित सिद्धान्त पारित है कि चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य विशेष महत्व की है। इस पृष्ठभूमि में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में की गयी त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जाना उचित व विधि सम्मत नहीं है। इस संदर्भ में विधि सुस्थापित है कि विवेचना में की गयी त्रुटि का लाभ उस समय तक अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता, जबकि की गयी त्रुटि से अभियुक्तगण को पूर्वाग्रह कारित होना साबित न होता हो ("*Hence, the principle of law is crystal clear that on the account of defective investigation the benefit will not inure to the accused persons on that ground alone. It is well within the domain of the courts to consider the rest of the evidence which the prosecution has gathered such as statement of the eyewitnesses, medical report etc. It has been a consistent stand of this court that the accused cannot claim acquittal on the ground of faulty investigation done by the prosecuting agency.*,"–Hon'ble Supreme Court in **Edakkandi Dineshan @ P. Dineshan & others,** 2025 LiveLaw (SC) 25)। वर्तमान पत्रावली में इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिसके आधार पर विवेचना में कारित त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जाना उचित व विधि सम्मत हो।

105. अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विवेचना के दौरान ऐसी सामग्री के संकलन को तथा उस सामग्री को धारित करने वाली केस डायरी के भाग को साबित नहीं कराया गया है, जो अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता न होने के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रदान करती हैं। उक्त केस डायरी के उक्त भाग को साबित न कराना येन केन प्रकारेण अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराये जाने के आशय से किया गया है। उक्त आधार पर भी समस्त अभियोजन साक्ष्य व अभियोजन कथानक विश्वास योग्य नहीं है। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क से सहमत नहीं है। अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है तथा एकाधिक अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य को प्रस्तुत भी किया गया है। इन प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभिलेखीय तथा इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित हैं। इस परिस्थिति में यदि अभियोजन पक्ष के द्वारा केस डायरी के कुछ भाग को साबित नहीं भी कराया गया है, तो पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर आरोपों के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्राप्त किया जाना ही उचित व विधि सम्मत है। अभियुक्तगण को केस डायरी में अंकित सामग्री को प्रस्तुत करने/आहूत करने तथा ऐसी सामग्री को संकलित करने वाले किसी विवेचक को बतौर प्रतिरक्षा साक्षी उपस्थित/आहूत करने की पूर्ण अधिकारिता रही है। केस डायरी के भाग अथवा उसमें संकलित सामग्री को साबित न कराये जाने मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक व अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

106. अभियुक्तगण की ओर से मृतक व चोटिल के चिकित्सकीय प्रपत्रों पर भी विभिन्न आधारों पर संदेह व्यक्त किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने संदेह का सर्वप्रथम आधार चोटिलों के चोट प्रपत्र, प्रदर्श क 3, प्रदर्श क 4 व प्रदर्श क 5 में परीक्षित किए गए व्यक्ति के किसी पहचान चिन्ह के अंकित न किए जाने के सम्बन्ध में किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि उक्त चोट प्रपत्रों पर पहचान चिन्ह अंकित न होने के कारण यह संदेहास्पद है कि उक्त चिकित्सकीय प्रपत्र चोटिलों का ही परीक्षण कर तैयार किये गये थे। तर्क के आलोक में पी०डब्ल्यू० 10 डॉक्टर दिनेश राजपूत के बयान प्रासंगिक हैं। उक्त साक्षी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी में न्यूरो सर्जन है, जिसने चोटिलों के बेड हेड टिकट को साबित किया है। बेड हेड टिकट पर चोटिलों के एमआरडी नंबर अंकित हैं। बेड हेड टिकट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटिलों को न केवल घटना की दिनांक को अस्पताल ले जाया गया था, वरन् चोटिल अस्पताल में भर्ती भी रहे। प्रदर्श क 3, प्रदर्श क 4 व प्रदर्श क 5 पर एमआरडी नंबर अंकित होने के कारण मात्र पहचान चिन्ह अंकित न होने के आधार पर इन प्रपत्रों का चोटिलों का होने के संदर्भ में संदेह नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ,

पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी ने भी उक्त प्रदर्शों को तैयार करने तथा मरीज का निशान अंगूठा लगाकर उसे प्रमाणित करने का बयान दिया है। उक्त प्रदर्शों पर निशान अंगूठा अंकित है। चोट प्रपत्रों पर एमआरडी नंबर अंकित होने तथा निशानी अंगूठा के अंकित होने की स्थिति में चिकित्सकीय प्रपत्रों के चोटिलों का न होने के निष्कर्ष हेतु इस संबंध में साक्ष्य आवश्यक था कि उक्त निशान अंगूठा चोटिलों के नहीं हैं। उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने का दायित्व अभियुक्तगण का रहा है। पत्रावली पर न तो इस प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध है और न ही ऐसी किसी साक्ष्य को आहूत किए जाने का कोई निवेदन किसी अभियुक्तगण की ओर से किया गया है। चोटिलों के एमआरडी नंबर तथा निशान अंगूठा, जिसे पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, के अंकित होने के कारण तथा निशान अंगूठा के चोटिलों के होने के खण्डन हेतु किसी साक्ष्य के पत्रावली पर न होने के कारण चोट प्रपत्रों का वर्तमान प्रकरण के चोटिलों का होने के संबंध में संदेह नहीं किया जा सकता।

107. बहस के दौरान बचाव पक्ष के कुछ अधिवक्तागण द्वारा पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी की विश्वसनीयता के संदर्भ में भी तर्क किया गया। विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि डॉक्टर शमीम कुरैशी की छवि गलत अथवा मिथ्या मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सक की रही है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि पत्रावली में बहस के दौरान ही उक्त डॉक्टर शमीम कुरैशी के विरुद्ध चिकित्सालय प्रशासन द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं। डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रपत्र विश्वसनीय नहीं हैं। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किए गए तर्क से सहमत नहीं है। प्रथमतः बचाव पक्ष की ओर से अपनी उक्त मौखिक बहस के संदर्भ में किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है। द्वितीय, डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा शासकीय कार्य के दौरान तैयार आख्या को सत्य माने जाने की उपाधारणा किया जाना ही विधिसम्मत है। यदि बचाव पक्ष की बहस के आधार पर यह मान भी लिया जाए कि उक्त चिकित्सक की सामान्य छवि धूमिल अथवा नकारात्मक है तथा डॉ० शमीम कुरैशी के विरुद्ध चिकित्सालय प्रशासन द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है तो भी इन आधारों पर डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा कृत समस्त शासकीय व पदीय कार्यों को मिथ्या नहीं माना जा सकता। इस हेतु डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा तैयार चोट प्रपत्रों को विशिष्ट रूप से मिथ्या साबित किया जाना आवश्यक था।

108. अभियुक्तगण की ओर से बहस के दौरान एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने तेलियरगंज, इलाहाबाद के प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बतौर साक्षी उपस्थित कर चिकित्सकीय साक्ष्य की रिक्ति (gap) की पूर्ति का प्रयास किया गया है। पी०डब्ल्यू० 7 प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, जिनकी साक्ष्य संदेहास्पद है। न्यायालय बचाव पक्ष की ओर से किए गए उक्त तर्क में भी कोई बल नहीं पाता है। पी०डब्ल्यू० 7 ने साक्ष्य अंकन की तिथि पर स्वयं को प्राइवेट प्रैक्टिशनर अवश्य बताया है, किंतु साक्षी ने स्पष्ट बयान दिया है कि दिनांक 21–07–2018 को वह अर्थात् साक्षी मेडिकल कॉलेज, झांसी में बतौर रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत था। उक्त तिथि की कार्यवाही संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ही साक्षी ने रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट को साबित किया है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर होने के आधार पर पी०डब्ल्यू० 7 की साक्ष्य पर संदेह किए जाने का तर्क आग्रह्य है।

109. अभियुक्तगण की ओर से चोटिलों के मेडिकल प्रपत्र में तथ्यात्मक असंगतता होने के आधार पर भी चिकित्सकीय आख्याओं को संदेहास्पद बताया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी द्वारा तैयार चोट प्रपत्र में रवि वर्मा के सर में अंकित चोट में किसी गोली के होने का तथ्य अंकित नहीं है। पी०डब्ल्यू० 7 डॉक्टर अंकित कुमार यादव ने रवि वर्मा के एक्स–रे रिपोर्ट में रवि वर्मा के सिर में किसी गोली के होने का तथ्य अंकित नहीं किया है। उक्त के विपरीत , पी०डब्ल्यू० 10 डॉक्टर दिनेश राजपूत ने रवि वर्मा के सिर पर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर राइट ऑक्सीपिटल रीजन होना पाते हुए मैटेलिक फॉरेन बॉडी मौजूद होना अंकित किया है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर राइट ऑक्सीपिटल रीजन होने की स्थिति में गोली की स्थिति इस प्रकार होगी कि वह सामान्य रूप

से दिखाई पड़ेगी। पी०डब्ल्यू० 5 व पी०डब्ल्यू० 7 द्वारा रवि वर्मा के सिर में गोली न पाया जाना व पी०डब्ल्यू० 10 द्वारा रवि वर्मा के सिर में गोली पाया जाना, चिकित्सकीय आख्याओं को संदेहास्पद बनाता है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है की पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी ने रवि वर्मा की चोट सं० एक को सिर के पिछले भाग में गोली का घाव होना बताया है तथा चोट को ताजा बताया है। यद्यपि पी०डब्ल्यू० 5 ने अपने बयान में उक्त घाव से खून के बहने अथवा घाव के खून को सूख जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु घाव के ताजा होने के आधार पर यह स्वाभाविक है कि उक्त घाव में खून बहती अथवा सूखी अवस्था में मौजूद अवश्य रहा हो। इस अवस्था में प्राथमिक चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान गोली का अंदर मौजूद होने का पर्यवेक्षण (observation) न कर सकना अस्वाभाविक नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त चोट को गोली का घाव तथा अंदर घुसता हुआ घाव अंकित करने की दशा में भी यह संभव है कि आख्या तैयार करने वाले चिकित्सक द्वारा गोली की स्थिति के स्पष्ट होने के संबंध में आख्या में अंकित न किया गया हो। यह भी उल्लेखनीय है की पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर शमीम कुरैशी ने उक्त चोट के अंदर किसी गोली के न होने का भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। अंदर घुसती हुई गोली का घाव होने व किसी एग्जिट वूण्ड के न होने की स्थिति में गोली के घाव में अंदर गोली होना पूर्ण स्वाभाविक है। रवि वर्मा के सिर पर धाव में गोली होने के संबंध में पी०डब्ल्यू० 5 व पी०डब्ल्यू० 10 की साक्ष्य में इस प्रकार की असंगतता नहीं है, जिसके आधार पर चिकित्सकीय आख्याओं को संदेहास्पद माना जा सके। पी०डब्ल्यू० 7 डॉक्टर अंकित कुमार के बयान में रवि वर्मा की एक्स–रे रिपोर्ट में गोली न पाए जाने के संबंध में पी०डब्ल्यू० 7 का मुख्य परीक्षा का बयान प्रासंगिक है। पी०डब्ल्यू० 7 ने मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह स्पष्ट कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि केवल एक्स–रे फिल्म में सभी इंजरी दिखाई दे। कुछ इंजरी ऐसी होती है जो हायर मोडेलिटी जैसे सी०टी०स्कैन में दिखाई देती है। एक्स–रे में यह भी निर्भर करता है कि एक्स–रे किस व्यू से लिया गया है। उक्त साक्षी रेडियोलॉजिस्ट है, अतः विशेषज्ञ साक्षी है। साक्षी के उक्त बयान से एक्स–रे रिपोर्ट में गोली के न पाए जाने का संभावित कारण दर्शित है। उक्त के अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दिनेश राजपूत ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी में तैनात रहते सी०टी स्कैन में रवि वर्मा के सिर में मैटेलिक फॉरेन बॉडी मौजूद होना पाया था। धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शासकीय अथवा पदीय कर्तव्यों के दौरान किए हुए कार्य हेतु पी०डब्ल्यू० 10 डॉक्टर दिनेश राजपूत के कार्य को नियमित रूप से संपन्न किया गया कार्य माना जाना ही उचित है, जो कार्य के सत्य होने की उपधारणा करता है। पी०डब्ल्यू० 10 द्वारा रवि वर्मा का ऑपरेशन करने तथा मैटेलिक फॉरेन बॉडी को राइट ऑक्सीपिटल रीजन से निकाल देने का भी बयान दिया गया है तथा इसे न्यायालय में वस्तु प्रदर्श 32 के रूप में साबित भी किया गया है। धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डॉक्टर दिनेश राजपूत के कार्य के नियमित न होने के निष्कर्ष हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। चिकित्सकीय प्रपत्रों में असंगतता के आधार पर चिकित्सकीय प्रपत्रों के संदेहास्पद होने का तर्क आग्रह है। अभियुक्तगण की ओर से किया गया यह तर्क आग्रह्य अथवा बलहीन है कि रवि वर्मा के सिर में गोली के संदर्भ में चिकित्सकीय प्रपत्रों में इस प्रकार की भिन्नता है जिसके आधार पर सिर में गोली की चोट संदेहास्पद हो।

110. अभियुक्तगण की ओर से चोटिलों की एक्स–रे फिल्म, वस्तु प्रदर्श 21 लगायत 29, पर भी संदेह व्यक्त किया गया। अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया कि वस्तु प्रदर्श 21 लगायत 29, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने चोटिलों की एक्स–रे रिपोर्ट को साबित कराया है, पर समय, तारीख आदि अंकित नहीं है। फिल्म्स पर मरीज की पहचान अंकित न होने के कारण फिल्म्स और एक्स–रे रिपोर्ट्स का चोटिलों का होना संदेहास्पद है। अभियुक्तगण की ओर से किए गए तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू० 7 ने एक्स–रे फिल्म्स पर पृथक्–पृथक् रेडियोलॉजी नंबर अंकित होना बताते हुए इनके पृथक–पृथक रेडियोलोजी नंबरों को प्रकट भी किया है। साक्षी ने इन एक्स–रे फिल्म्स

को रेडियोलोजी विभाग से प्राप्त होना भी बताया है। बचाव पक्ष के तर्कों के संदर्भ में पी०डब्ल्यू० 7 की प्रति परीक्षा के बयान भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें साक्षी ने यह स्पष्ट कहा है कि एक्स–रे प्लेट वाली सरकारी मशीन में से निकलने वाली एक्स–रे प्लेट पर कोई समय, तारीख का डाटा फिल्म में लिखकर नहीं आता है। यह डाटा कन्वेंशनल एक्स –रे, जो मेडिकल कॉलेज में होता है, मे नहीं फीड रहता है। यह डाटा कन्वेंशनल एक्स–रे मशीन में नहीं फीड कराया जा सकता और न ही पहले से होता है। साक्षी ने अग्रेतर यह भी बयान दिया है कि जितने भी मेडिको–लीगल एक्स–रे होते हैं, वे सारे कन्वेंशनल एक्स–रे से ही किए जाते हैं। साक्षी के उक्त बयान में एक्स–रे फिल्म पर समय, तिथि, नाम, पहचान आदि अंकित न होने का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। एक्स–रे फिल्म्स पर रेडियोलोजी नंबर अंकित होने के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त एक्स–रे फिल्म मेडिकल कॉलेज, झांसी के अभिलेख में दर्ज हैं, जिसका आवश्यक विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इन तथ्यों के साबित होने के बाद एक्स–रे प्लेट्स अथवा फिल्म को वर्तमान प्रकरण के चोटिलों का न होने का अभिवाक करने वाले अभियुक्त पर यह भार अथवा दायित्व था कि वह इन फिल्म्स के वर्तमान प्रकरण के चोटिल से संबंधित न होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता। एक्स–रे फिल्म पर विवरण उपलब्ध न होने के तर्क के आधार पर चिकित्सकीय साक्ष्य के संदेहास्पद होने का तर्क बलहीन है।

111. अभियुक्तगण की ओर से चिकित्सीय प्रपत्रों में चोटिलों के घाव पर ब्लैकनिंग एवं टैटूनिंग होने के आधार पर भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताया गया है। विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया है कि किसी घाव पर ब्लैकनिंग एवं टैटूनिंग मात्र एक फिट की दूरी से शस्त्र चलाने से ही आ सकती है। इस आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद है, क्योंकि अभियुक्तगण की उपस्थिति कार से बाहर सड़क पर होना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में न्यायालय उक्त तर्कों पर भी बल नहीं पाता है। पी०डब्लू० –2 चोटिल संजय वर्मा ने अपनी प्रति–परीक्षा में (पृष्ठ–34 पर) यह स्पष्ट कहा है कि जो अभियुक्तगण गाड़ी के पास थे, उन्होनें गाड़ी के काँच से सटाकर गोलियाँ चलाई थीं तथा कुछ ने 2–3 फिट की दूरी से भी गोलियाँ चलाई थीं। यदि अभियुक्तगण द्वारा कार के बाहर खड़े रहकर कार के काँच में सटाकर गोलियाँ गयीं थीं तो इससे घाव में ब्लैकनिंग एवं टैटूनिंग आना असम्भव नहीं है।

112. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक पर संदेह का एक आधार प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में अंकित वह तथ्य है, जिसके अनुसार अभियुक्तगण ने चारों ओर से चोटिल संजय वर्मा की कार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की थी। विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कार के पीछे के शीशे में कोई गोली से किया गया छेद का निशान नहीं था। बायीं तरफ के शीशे पर भी इस प्रकार के निशान नहीं पाये गये हैं, जिससे अंधाधुंध गोलियों चलाये जाने का प्रमाण प्राप्त होता हो। स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक को मिथ्या रूप से अंकित कराया गया है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी चोटिल–चक्षुदर्शी साक्षी संजय वर्मा है। इस साक्षी ने अपने बयान में घटना के समय पृथक समूहों में अभियुक्तगण के उपस्थित होकर पृथक स्थानों पर होने का निरन्तर बयान दिया है। मुख्य परीक्षा के बयान में इस साक्षी ने कुछ अभियुक्तगण का गोलम्बर के पास से, कुछ का डिवाइडर के पास से तथा कुछ का प्रतीक्षालय से गोली चलाने का बयान दिया है। चोटिल रवि वर्मा के सिर के पीछे के हिस्से में गोली का घाव होना अंकित है। मृतक जय गोस्वामी के पीठ पर गोलियों के निशान होना पाया गया है। चक्षुदर्शी साक्षीगण ने सामने से भी अभियुक्तगण द्वारा गोलियां चलाने का स्पष्ट बयान दिया है, जिनका चोटिलों की चिकित्सकीय आख्या से सम्भव होना प्रकट होता है। इस समस्त पृष्ठभूमि में यदि साक्षीगण द्वारा चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलाने का बयान अंकित कराया है, तो इससे समस्त अभियोजन कथानक तथा साक्षीगण की समस्त साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती है। माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा पारित **उगर अहीर बनाम स्टेट आफ बिहार** AIR 1965 SC 277 तथा **लल्लीराम बनाम हरियाणा राज्य,**

1999 AIR SCW 3756 की विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है (जिन्हें ऊपर अंकित किया जा चुका है) कि साक्षी की साक्ष्य में कुछ अतिरंजकता होना अस्वाभाविक नहीं है। किये गये तर्क के आधार पर समस्त अभियोजन साक्षीगण की समस्त साक्ष्य को मिथ्या मानना विधि सम्मत नहीं है।

113. अभियुक्तगण की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न साक्ष्यों को इंगित कर यह भी तर्क किया गया कि इन साक्ष्यों के अवलोकन से वादी मुकदमा का घटना स्थल पर होना संदेहास्पद है। तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में वादी मुकदमा की घटना स्थल पर उपस्थिति का निरन्तर कथन किया गया है। उक्त के बावजूद, यदि मात्र विश्लेषण के आशय से यह मान भी लिया जाये कि वादी मुकदमा घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद नहीं था, तो भी अभियोजन पक्ष द्वारा दो चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा की साक्ष्य को पृथक् किये जाने की स्थिति में भी चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य से दिनांक – 21.07.2018 की घटना साबित होती है।

114. अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक (Plea of alibi) के आधार पर भी स्वंय के विरूद्ध लगे आरोपों को मिथ्या बताया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा किये गये उक्त अभिवाक के संदर्भ में पृथक से विचार किया जाना आवश्यक है।

<u>अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक (Plea of alibi)–</u>

115. अभियुक्तगण सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर तथा राजेंद्र गुर्जर ने अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक (plea of alibi) किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क किया कि मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण का घटना की तिथि, समय व स्थान पर घटनास्थल से दूर होना साबित है। विद्वान अधिवक्तागण ने अपने–अपने अभियुक्त की घटना के समय ऐसे स्थल पर उपस्थिति को साबित होना बताया है जिससे घटनास्थल पर अभियुक्त का उपस्थित रहना संभव नहीं रहा है। उक्त के विपरीत, अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा वादी मुकदमा व चोटिल के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक (plea of alibi) के आधार पर अभियुक्त को निर्दोष माने जाने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्यत्र उपस्थिति का अभिभावक विवेचना, जांच अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त को प्राप्त सर्वप्रथम अवसर पर किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त को प्राप्त अवसरों में सर्वप्रथम समय अथवा स्तर पर यह अभिवाक नहीं किया गया है, तो पश्चातवर्ती समय अथवा स्तर पर किया गया अभिवाक विधिमान्य नहीं होगा तथा यह अभिवाक अत्यंत दुर्बल प्रकृति का होगा। इसके अतिरिक्त, अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने हेतु अभियुक्त को संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यत्र उपस्थित होने के तथ्य को संदेह से परे साबित करने का भार अभियुक्त पर है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न साक्ष्यों को पृथक–पृथक रूप से इंगित करते हुए यह तर्क किया कि अभियुक्तगण अन्यत्र उपस्थित होने के तथ्य को संदेह से परे साबित नहीं कर सके हैं।

116. अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने बहस के दौरान यह तर्क किया कि प्रतिरक्षा साक्षी की साक्ष्य का भी अभियोजन साक्षी के समान महत्व है। अपने तर्क के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से विभिन्न विधि व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गयीं हैं। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क से पूर्ण सहमत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिरक्षा साक्षी की साक्ष्य का महत्व अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से कम नहीं है, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से किये गये अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक के संदर्भ में पारित विधि व्यवस्थाओं में अंकित सिद्धान्त का अवलोकन किया जाना भी आवश्यक है। अभियुक्तगण द्वारा

अन्यत्र उपस्थित के अभिवाक (plea of alibi) को साबित करने हेतु मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। अभिलेखीय साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी समाहित हैं, अतः अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक के संदर्भ में निष्कर्ष प्राप्त किए जाने के पूर्व अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के संदर्भ में विधिक प्रावधान का अवलोकन आवश्यक है।

117. अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक के संदर्भ में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को पूर्ण निश्चितता के साथ साबित किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य,** 1997(1) SCC 283 की विधि व्यवस्था में यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन किये जाने के पश्चात् अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक करने वाले अभियुक्त के लिए यह पूर्णतया अनिवार्य है कि वह अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को निरपेक्ष निश्चितता (absolute certainty) के साथ इस प्रकार साबित करे कि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की संभावना न रह जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था में यह भी प्रतिपादित किया है कि यदि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को संतोषजनक रूप से स्थापित किया है तो न्यायालय को सामान्यतया ऐसे प्रति–साक्ष्य पर मंद गति से विश्वास करना होगा जो घटना के समय अभियुक्त को घटनास्थल से दूर रहना स्थापित करने का प्रयास करता है। अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने के लिए कठोर साक्ष्य की आवश्यकता होती है। (*"... ... ...once the prosecution succeeds in discharging the burden it is incumbent on the accused, who adopts the plea of alibi, to prove it with absolute certainty so as to exclude the possibility of his presence at the place of occurrence. (v) When the presence of the accused at the scene of occurrence has been established satisfactorily by the prosecution through reliable evidence, normally the court would be slow to believe any counter–evidence to the effect that he was elsewhere when the occurrence happened... .."...................."strict proof is required for establishing the plea of alibi."*)

118. उक्त विधिक सिद्धांत से स्पष्ट है कि किसी अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक मात्र उस स्थिति में साबित माना जा सकता है, जबकि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थित रहने को निरपेक्ष निश्चितता (absolute certainty) से साबित किया हो अर्थात् अभियुक्त की घटना स्थल से अन्यत्र उपस्थिति संदेह से परे साबित हो तथा यह उपस्थिति उस स्थल पर साबित होनी चाहिए जहां से घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित होना संभव न हो।

119. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अनवर पी वी बनाम पी के बशीर,** AIR 2015 SC 180 की विधि व्यवस्था में यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान में अंकित प्रक्रिया के आधार पर ही साबित किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में संचित सूचना को बिना मूल अभिलेख को प्रस्तुत किए मात्र उस स्थिति में अभिलेख माना जा सकता है, जबकि 65 बी(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित चारों शर्तें पूर्ण की गई हों। ऐसे किसी अभिलेख की ग्राह्यता 65 बी(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित चार शर्तों की संतुष्टि पर निर्भर करती हैं। धारा 65 बी(4) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, यदि किसी कार्यवाही में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संदर्भ में कोई तथ्य अथवा वचन प्रस्तुत करने हैं तो यह निम्न शर्तों के अंतर्गत ही अनुमन्य है–

(क) तथ्य अथवा वचन को धारण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान का प्रमाण पत्र हो।

(ख) प्रमाण पत्र में उस विधि का वर्णन हो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

(ग) प्रमाण पत्र में उस यंत्र का विवरण हो, जिसमें अभिलेख की उत्पत्ति हो।
(घ) प्रमाण पत्र में धारा 65 बी(2) की प्रयोज्य शर्तें उल्लिखित हों।
(च) प्रमाण पत्र को प्रासंगिक यंत्र के संचालन में उत्तरदायी कार्यालयीय स्थिति को धारित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

("13. Any documentary evidence by way of an electronic record under the Evidence Act, in view of Sections 59 and 65A, can be proved only in accordance with the procedure prescribed under Section 65B. Section 65B deals with the admissibility of the electronic record. The purpose of these provisions is to sanctify secondary evidence in electronic form, generated by a computer. It may be noted that the Section starts with a non obstante clause. Thus, notwithstanding anything contained in the Evidence Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document only if the conditions mentioned under sub-Section (2) are satisfied, without further proof or production of the original. The very admissibility of such a document, i.e., electronic record which is called as computer output, depends on the satisfaction of the four conditions under Section 65B(2). Following are the specified conditions under Section 65B(2) of the Evidence Act:

(i) The electronic record containing the information should have been produced by the computer during the period over which the same was regularly used to store or process information for the purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of that computer;

(ii) The information of the kind contained in electronic record or of the kind from which the information is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activity;

(iii) During the material part of the said period, the computer was operating properly and that even if it was not operating properly for some time, the break or breaks had not affected either the record or the accuracy of its contents; and

(iv) The information contained in the record should be a reproduction or derivation from the information fed into the computer in the ordinary course of the said activity.

14. Under Section 65B(4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:

(a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;

(b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;

(c) The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;

(d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B(2) of the Evidence Act; and

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device.

15. It is further clarified that the person need only to state in the certificate that the same is to the best of his knowledge and belief. Most importantly, such a

certificate must accompany the electronic record like computer printout, Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), pen drive, etc., pertaining to which a statement is sought to be given in evidence, when the same is produced in evidence. All these safeguards are taken to ensure the source and authenticity, which are the two hallmarks pertaining to electronic record sought to be used as evidence. Electronic records being more susceptible to tampering, alteration, transposition, excision, etc. without such safeguards, the whole trial based on proof of electronic records can lead to travesty of justice.

16. Only if the electronic record is duly produced in terms of Section 65B of the Evidence Act, the question would arise as to the genuineness thereof and in that situation, resort can be made to Section 45A — opinion of examiner of electronic evidence.")

120. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंतयाल,** 2020 SCCOnLineSC 571 व **कर्नाटक राज्य बनाम टी. नसीर @ थाड़ीयन्ताविडा नसीर,** 2023 LiveLaw (SC) 965 की विधि व्यवस्थाओं में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र विचारण के किसी भी स्तर पर दिया जा सकता है।

<u>पत्रावली में अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक–</u>

121. अभियुक्तगण सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर तथा राजेंद्र गुर्जर ने अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् किया है तथा अपने अभिवाक् के समर्थन में मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है।

<u>अभियुक्तगण ऊधम सिंह गुर्जर का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक–</u>

122. अभियुक्त ऊधम सिंह गुर्जर ने धारा–313 द०प्र०सं० के बयान में घटना के दिन आगरा में होने का बयान दिया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया कि अभियुक्त ऊधम सिंह गुर्जर दिनांक–21.07.2018 को आगरा में स्थित न्यायालय में उपस्थित था। अभियुक्त ने उक्त तथ्य को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य तथा न्यायालय के आदेशपत्रक की सत्यप्रतिलिपि को भी प्रस्तुत किया है। अभियुक्त ऊधम सिंह की ओर से उपस्थित **डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट** ने दिनांक–21.07.2018 को दिन के समय आगरा के न्यायालय में स्वंय व ऊधम सिंह की उपस्थिति का बयान दिया है तथा **आगरा के न्यायालयों के आदेशपत्र** को **प्रदर्श ख–20** व **प्रदर्श ख–21** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को संदेह से परे साबित होने का तर्क किया।

123. डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट ने ऊधम सिंह के साथ दिनांक–20.07.2018 को झांसी से पैसेंजर ट्रेन से आगरा जाने, रात्रि में स्वयं, ऊधम व भूपेन्द्र के अशोका गेस्ट हाउस, बालूगंज आगरा में रूकने, रात्रि 10–10.30 बजे प्रहलाद के आगरा में मिलने, प्रहलाद व भूपेन्द्र के ताज महल घूमने के लिए जाने आदि का बयान देते हुए यह भी बयान दिया है कि वह अर्थात् साक्षी तथा ऊधम आगरा स्थित न्यायालय के लिए 21.07.2018 को गेस्ट हाउस से निकले थे। वे दोनों दिनांक–21.07.2018 को 10.45 बजे दिन में आगरा स्थित न्यायालय पहुंचे थे। आगरा स्थित डकैती कोर्ट और गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमों की तारीख पेशियां थीं, वह अर्थात् साक्षी व ऊधम सिंह डकैती कोर्ट में साथ में तारीख पर उपस्थित हुये थे तथा न्यायालय के पेशकार द्वारा ऊधम सिंह के हस्ताक्षर व साक्षी देशराज की अंगूठा निशानी लगाये गये थे। XIII ए०डी०जे०, आगरा के न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण 505/2014 राज्य बनाम देशराज आदि अन्तर्गत धारा–364 भा०द०सं० थाना मलपुरा, आगरा के **आदेश पत्रक दिनांकित–21.07.2018 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श क–20** के रूप में साबित करते हुए यह भी कहा है कि आदेश पत्रक पर साक्षी के अंगूठा निशान के ऊपर

ऊधम सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसने उसके अर्थात् साक्षी के सामने हस्ताक्षर बनाये थे। उक्त न्यायालय में तारीख करने के बाद वह तथा ऊधम सिंह दोनों आगरा स्थित विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट में गये थे तथा दो–ढाई बजे के बीच गैंगस्टर कोर्ट में दोनों को अगली तारीख पेशी मिली थी। गैंगस्टर कोर्ट की पत्रावली जी०एस०टी० संख्या–61/2015 राज्य बनाम देशराज, धारा–2/3 जीएसटी एक्ट थाना–मलपुरा, आगरा के **आदेशपत्रक दिनांक–21.07.2018** को साक्षी ने **प्रदर्श ख–21** के रूप में साबित किया है तथा अपने निशानी अंगूठा के ठीक नीचे ऊधम सिंह के हस्ताक्षर की पहचान की है।

124. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में दिनांक–21.07.2018 को ऊधम सिंह के साथ आगरा में होने की बात पूर्व में अन्य किसी सक्षम अधिकारी को न बताया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रदर्श ख–20 व प्रदर्श ख–21 में इंगित निशानी अंगूठा के क्रमशः नीचे व ऊपर लिखी इबारत को किसके द्वारा लिखा गया अथवा इबारत में क्या लिखा है, यह बता सकने में असमर्थता व्यक्त की। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अंगूठा व हस्ताक्षर कराते समय कौन पेशकार था, यह वह अर्थात् साक्षी नहीं जानता और न ही वह पेशकार उन्हें अर्थात् साक्षी व ऊधम सिंह को जानता था।

125. डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति न केवल ऊधम सिंह के साथ इंगित प्रकरणों में सहअभियुक्त है, वरन् अभियुक्त ऊधम सिंह का साथी भी है। साक्षी का अभियुक्त ऊधम सिंह का शुभेच्छु होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त के पक्ष में बयान देने हेतु हितबद्ध साक्षी है। हत्या से सम्बन्धित **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, (2010) 6 SCC 469 की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को, प्रतिरक्षा साक्षी के अभियुक्त के साथी/हितबद्ध होने के कारण तथा अन्यत्र उपस्थिति का उपयुक्त व पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य न होने के कारण, साबित होना नहीं पाया। यद्यपि उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्ण समान नहीं है, किन्तु विधि व्यवस्था में अभिनिर्णीत विधिक सिद्धान्त के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि बिना पर्याप्त व उचित अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को साबित हुए, मात्र हितबद्ध साक्षी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित माना जाना विधि सम्मत नहीं है।

126. साक्षी देशराज केवट द्वारा न्यायालय के आदेश पत्रक को प्रस्तुत कर इस पर ऊधम सिंह के हस्ताक्षर होने का बयान अवश्य दिया गया है, किन्तु आदेश पत्रक में अंकित हस्ताक्षर मात्र से हस्ताक्षर का अभियुक्त का होने अथवा न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने को संदेह से परे प्रमाण नहीं माना जा सकता। हस्ताक्षर को अभियुक्त का होने के तथ्य को संदेह से परे साबित होने के लिए कथित हस्ताक्षर को अभियुक्त के स्वीकृत हस्ताक्षर से मिलान करने की हस्तलेख विशेषज्ञ की आख्या से सम्पुष्ट होना आवश्यक था। डी०डब्ल्यू०–13 की साक्ष्य से यह लेशमात्र भी प्रकट नहीं होता है कि न्यायालय के पेशकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की पहचान को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अभियुक्त के हस्ताक्षर आदेश पत्र पर बनवाये गये थे। उक्त तथ्यों के साबित होने के अभाव में मात्र सहअभियुक्त के बयान के आधार पर आगरा स्थित न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति को संदेह से परे प्रमाणित मानना उचित तथा विधि सम्मत नहीं है।

127. अभियुक्त ऊधम सिंह की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के संदर्भ में उक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त ऊधम सिंह का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक संदेह से परे साबित नहीं है।

अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक–

128. अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर ने घटना के समय आगरा में होने का अभिवाक किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि घटना

के समय पर अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र का आगरा स्थित ताज महल में होना पूर्णतया साबित है। इस हेतु अभियुक्तगण की ओर से डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा तथा डी०डब्ल्यू०–8 कमान्डेन्ट सी०आई०एस०एफ० बृजभूषण की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। इन साक्षीगण ने दिनांक–21.07.2018 की दिन की आगरा स्थित ताजमहल की सी०सी०टी०वी० फुटेज को प्रस्तुत व साबित किया है, जिससे घटना की तिथि व समय पर उक्त दोनों ही अभियुक्तगण का आगरा स्थित ताजमहल में होना पूर्णतया साबित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि डी०डब्ल्यू० –7 तथा डी०डब्ल्यू०–8 द्वारा प्रस्तुत व साबित सी०सी०टी०वी० फुटेज तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अभियुक्तगण के नियंत्रण के बाहर की स्थिति में सी०आई०एस०एफ० के नियंत्रण के अन्तर्गत रहा है, जिसमें संदेह का कोई आधार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि उक्त सी०सी०टी०वी० फुटेज में अभियुक्तगण की उपस्थिति को तथा दिनांक–21.07.2018 को अभियुक्तगण के ताजमहल में होने सम्बन्धी तथ्य को डी०डब्ल्यू०–25 सतेन्द्र सिंह तथा डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट के द्वारा साबित भी किया गया है। घटना की तिथि पर ही नहीं वरन् घटना के समय भी अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह का आगरा स्थित ताज महल में होना पूर्णतया साबित है, जिससे घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

129. तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को साबित करने के आशय से **डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा**, **डी०डब्ल्यू०–8 कमान्डेन्ट सी०आई०एस०एफ० बृजभूषण**, **डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट** तथा **डी०डब्ल्यू०–25 सत्येन्द्र सिंह** की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है।

130. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट ने अपने बयान में दिनांक–20.07.2018 की रात्रि को 10 बजे के लगभग आगरा में प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह के मिलने तथा साथ में होटल में रूकने का बयान दिया है। इसके पश्चात् साक्षी ने बयान दिया है कि प्रहलाद व भूपेन्द्र ताज महल घूमने के लिए कहकर चले गये थे।

131. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रहलाद, ऊधम सिंह व भूपेन्द्र सिंह परस्पर परिवारीजन हैं। ऊधम सिंह से सम्बन्धित होने की वजह से उक्त साक्षी प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह से भी हितबद्ध है। अतः **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, (2010) 6 SCC 469 की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिना विनिश्चयात्मक अभिलेखीय साक्ष्य से समर्थित हुए मात्र साक्षी के बयान के आधार पर अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने बयान में दिनांक–20.07.2018 की रात्रि में आगरा में मिलने व रात्रि में रूकने का बयान अवश्य दिया है, किन्तु इसके पश्चात् यह कथन किया है कि अभियुक्त प्रहलाद तथा भूपेन्द्र ताज महल देखने जाना बताकर चले गये थे। साक्षी द्वारा वह स्पष्ट समय प्रकट नहीं किया गया है, जिस समय प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह कथित रूप से डी०डब्ल्यू०–13 देशराज केवट से अलग होकर गये थे। इस परिस्थिति में डी०डब्ल्यू०–13 के बयान के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह आरोप में अंकित घटना की तिथि व समय पर घटना स्थल से इतनी दूर थे कि उनका घटना स्थल पर उपस्थित होना संभव नहीं था। आगरा से प्रातः कालीन समय में साधन से चलकर दोपहर तक झांसी पहुँच जाना असंभव नहीं है।

132. इसी प्रकार डी०डब्ल्यू०–25 सत्येन्द्र सिंह ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दिनांक–21.07.2018 की सुबह आगरा पहुंचकर उसी तिथि को 10.30 बजे प्रहलाद के बुलाने पर ताज महल पहुंचने तथा भूपेन्द्र व प्रहलाद सहित ताज महल जाने घूमने का बयान दिया है। इस साक्षी ने डी०डब्ल्यू०–7 द्वारा दाखिल की गयी पेन ड्राईव में धारित सी०सी०टी०वी० वीडियो देखकर उसमें अपने भाई भूपेन्द्र सिंह तथा प्रहलाद के होने की पहचान की। इस साक्षी ने स्वंय को अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह का भाई/चचेरा भाई होना बताया है।

133. डी०डब्ल्यू०–25 ने जिस पेन ड्राईव के वीडियो/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र की पहचान की है, उस पेन ड्राईव को डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा ने न्यायालय में दाखिल किया है। उक्त प्रतिरक्षा साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्न बयान दिया है–

*"मैं ताजमहल आगरा में पोस्टेड हूँ। सी०आई०एस०एफ० आगरा में कस्टोडियन इनचार्ज की कोई पोस्ट नहीं है इसलिए जो भी क्राईम एण्ड इंटेलिजेन्स विंग का इनचार्ज रहता है वही सी०सी०टी०वी० की देखरेख करता है। मैं आज जो डाटा लाया हूँ वह सी०सी०टी०वी० के डी०वी०आर० से नहीं लाया हूँ, कार्यालय के कम्पयूटर में पहले से मौजूद व संरक्षित डाटा था उसको पेन–ड्राईव में ट्रान्सफर करके लाया हूँ। मैं जो डाटा पेन–ड्राईव में लेकर आया हूँ उसमें मैंने कोई काट–छाट, छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं की है। जो पेन–ड्राईव में लेकर आया हूँ उसको साक्ष्य शपथ–पत्र 65 बी के अन्तर्गत शपथ–पत्र सहित अदालत में दाखिल कर रहा हूँ। शपथ–पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं व दिनांक 25.11.2025 अंकित है। शपथ–पत्र पर जो इबारत लिखी गई है, मैंने बोली थी वही लिखी गई है, उसको पढ़कर व समझकर मैंने हस्ताक्षर किया है, तभी शपथ–पत्र दिया है। जो पेन–ड्राईव में अपने साथ लाया हूँ और अदालत में दाखिल किया है पर जो पत्रावली पर वस्तु सं० 419 ए के रूप में सम्मिलित की गई जिस पर वस्तु **प्रदर्श ख–7** डाला गया तथा मूल शपथ–पत्र 65 बी साक्ष्य अधिनियम पत्रावली पर कागज सं० 420 ए है जिस पर **प्रदर्श ख–8** डाला गया। ताजमहल सुरक्षा में जो सी०सी०टी०वी० कैमरा लगे हैं उनकी रिकार्डिगं क्षमता डी०वी०आर० में 90 तक संरक्षित रहती है तथा उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। चूंकि दिनांक 21.07.2018 से सम्बन्धित डाटा के सम्बन्ध में प्रस्तुत मुकदमे के विवेचक ने डाटा से सम्बन्धित जानकारी मांगी थी इसलिए उसे महत्वपूर्ण मानते हुए ताजमहल सुरक्षा ने दिनांक 21.07.2018 से सम्बन्धित डाटा को कम्पयूटर में संरक्षित कर लिया था। डाटा के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है मैं उस समय वहाँ तैनात नहीं था। जो डाटा कम्पयूटर में सेव था उसे मैं वरिष्ठ कमान्डेंड, सी०आई०एस०एफ० ताजमहल आगरा के आदेश से लेकर आया हूँ।"*

134. इस साक्षी ने पेन ड्राईव, प्रदर्श ख–7, के साथ शपथपत्र 65B साक्ष्य अधिनियम भी प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श ख–8 के रूप में पत्रावली पर है। उक्त शपथपत्र, प्रदर्श ख–8, में निम्नवत् कथन किये हैं–

"(1) यह कि शपथकर्ता ताजमहल सुरक्षा ईकाई के क्राइम एण्ड इंटेलिजेंस विंग में कार्यरत है।

(2) यह कि शपथकर्ता ताजमहल (आगरा) की सुरक्षा में लगे C.I.S.F. के CCTC कैमरों की रिकार्डिंग से संबधित मूल रिकार्ड से Pendrive बनाकर, जो कि दि० 21/07/2018 ताजमहल (पूर्वी द्वारा) से सम्बद्ध है, अपने साथ लाया हूँ। तथा न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ।

(3) यह कि शपथकर्ता द्वारा मूल DVR से ट्रान्सफर कर Pendrive में संरक्षित किया गया है जो कम्प्यूटर में सुरक्षित रखी हुई है तथा दि० 21/07/18 से कम्प्यूटर में सुरक्षित है व आज भी मौजूद है।

(4) यह कि शपथकर्ता द्वारा लाई Pendrive में जो डाटा है उसमें कोई कॉटछॉट नहीं की गई है ना ही कोई छेड़छाड़ कर एडिटिंग की गई है, जैसा डाटा है, वह मूल रिकार्ड से Match कर, Pendrive में लाई कई है।

तसदीक– शपथपत्र की धारा 1–4 मेरी जानकारी में पूर्णतः सच व सही है इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, यह तसदीक आज दि० 25/11/25 को जजी झाँसी में की गई। "

135. डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा द्वारा जिस पेन ड्राईव को प्रस्तुत किया गया है, उसमें संचित अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। डी०डब्ल्यू०–7 ने उक्त पेन ड्राईव में संचित इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सी०सी०टी०वी० के डी०वी०आर० से न लाकर वरन् कार्यालय के

कम्प्यूटर में पहले से मौजूद व संरक्षित डेटा को पेन ड्राईव में ट्रांसफर करके लाने का बयान दिया है। स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तुत इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख , पूरक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (Secondary Electronic Record) है।

136. धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो मूल नहीं है, के लिए धारा–65B(2) व धारा–65(4) के शपथपत्र को आवश्यक बनाता है। उक्त प्रावधान व इस संदर्भ में **अनवर पी वी बनाम पी के बशीर,** AIR 2015 SC 180 व **अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंतयाल,** 2020 SCCOnLineSC 571 की विधि व्यवस्थाएं, धारा–65B साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत साक्ष्य को अभिलेख होने के लिए अर्थात् साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने के लिए यह आज्ञापक बनाती है कि ऐसे शपथपत्र को प्रस्तुत किया जावे, जो तथ्य (वीडियो, ऑडियों या अन्य इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की सूचना) को धारण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को चिन्हित (Identify) करता हो। साथ ही, शपथपत्र में उस उपकरण का भी विवरण होना आवश्यक है, जो उस अभिलेख के निर्माण (Production) से सम्बन्धित है। उक्त शपथपत्र में धारा–65B(2) साक्ष्य अधि० की प्रयोज्य शर्तें भी अंकित होनी चाहिए तथा उक्त शपथपत्र को संदर्भित यंत्र /उपकरण के संचालन (Opration) के विषय में उत्तरदायी कार्यालयीय पद को धारित करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उक्त शर्तों की संतुष्टि के बिना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ग्राह्य नहीं है।

137. यदि अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवलोकन किया जाये, तो प्रकट होता है कि डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव, प्रदर्श ख–7, के संदर्भ में एक मात्र शपथपत्र, जिसे धारा–65B साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत दिया जाना कहा गया है, **प्रदर्श ख–8** के रूप में पत्रावली पर है। प्रदर्श ख–8 में धारा–65B(4) साक्ष्य अधि० के समस्त अवयवों/शर्तों को अंकित नहीं किया गया है। उक्त शपथपत्र में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान को अथवा उस यंत्र /उपकरण के विशिष्ट विवरण को जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से सम्बन्धित है, को प्रकट करने वाला कोई भी तथ्य अंकित नहीं है। धारा–65B(4) भारतीय साक्ष्य अधि० के प्रावधान के अन्तर्गत उक्त शपथपत्र में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान (File name or extansion, hash value MetaData आदि) तथा संधारित करने वाले यंत्र/उपकरण के विवरण (MAC NO. आदि) को अंकित करना आज्ञापक है, जिससे न केवल डेटा की मूल प्रकृति के संदर्भ में विनिश्चय किया जा सके, वरन् इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा अपमिश्रण के भी न होने का निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। डी०डब्ल्यू० –7 द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में 65B(2) भारतीय साक्ष्य अधि० के आज्ञापक प्रावधान की पूर्ति भी नहीं अंकित है, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट करना अपेक्षित था कि डेटा में संकलित सामग्री के समय कम्प्यूटर से सम्बन्धित सिस्टम उचित रूप से कार्य कर रहे थे तथा उसमें नियमित रूप से सम्बन्धित स्थान की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। इन आज्ञापक प्रावधानों के अभाव में डी०डब्ल्यू० –7 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को प्रदर्श ख–7 के साथ धारा–65B(4) भारतीय साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत दाखिल शपथपत्र नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि धारा–65B(4) भारतीय साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि उक्त प्रमाण पत्र को संदर्भित यंत्र/उपकरण के संचालन के विषय में उत्तरदायी कार्यालयीय पद पर धारित करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह की ओर से धारा–65B(4) भारतीय साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत प्रस्तुत शपथपत्र, प्रदर्श ख –8, डी०डब्ल्यू०–7 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो सी०आई०एस०आई० ताजमहल, आगरा में कांस्टेबल के रूप में तैनात है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह कथन किया है कि दिनांक–21.07.2018 से सम्बन्धित कम्प्यूटर के डेटा के सम्बन्ध में उसे अर्थात् साक्षी को जानकारी नहीं है क्योंकि उक्त समय पर वह वहां (संभवतः ताज महल पर) तैनात नहीं था। उक्त डेटा को वह अर्थात् साक्षी वरिष्ठ कमाण्डेंट सी०आई०एस०एफ०, ताज महल, आगरा के आदेश से लेकर आया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उक्त डेटा

कम्प्यूटर में किसके आदेश से संरक्षित किया गया था, इसकी साक्षी को जानकारी नहीं है। उक्त डेटा उसके अर्थात् साक्षी के सामने संरक्षित नहीं किया गया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि इसकी जानकारी उसे अर्थात् साक्षी को नहीं है कि सी०सी०टी०वी० फुटेज का जो मूल डेटा होता है, वह सी०सी०टी०वी० कैमरे से सम्बन्धित डी०वी०आर० में संरक्षित होता है। इस साक्षी के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय में दाखिल पेन ड्राईव को जिस कम्प्यूटर से लिया जाना कहा गया है, उस कम्प्यूटर तथा उसमें संरक्षित डेटा के संदर्भ में साक्षी को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वह अर्थात् डी०डब्ल्यू०–7 *'प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारित करने वाले अथवा उससे सम्बन्धित यंत्र/उपकरण (कम्प्यूटर) के संचालन हेतु उत्तरदायी कार्यालयीय पद धारित करने वाला व्यक्ति'* नहीं है। डी०डब्ल्यू० –7 ने ही अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सी०सी०टी०वी० की देखभाल को क्राइम एण्ड इंटेलिजेंस विंग के इंचार्ज के द्वारा किया जाना बताया है। पूर्ण स्पष्ट है कि यंत्र के संचालन में कार्यालयीय पद धारित करने वाला व्यक्ति डी०डब्ल्यू०–7 कां० चन्द्रकान्त शर्मा नहीं है। अतः डी०डब्ल्यू० –7 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को विधितः ग्राह्य शपथपत्र नहीं माना जा सकता।

138. न्यायालय इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से किये गये अन्य तर्क को अंकित करना आवश्यक समझता है। अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि सी०सी०टी०वी० फुटेज तथा इसके सम्बन्ध में धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत साक्ष्य शपथपत्र के संदर्भ में अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्तगण द्वारा यथा संभव साक्ष्य तथा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे अधिक उच्च कोटि का शपथपत्र प्रस्तुत करना अभियुक्तगण के लिए संभव नहीं था, क्योंकि सी०सी०टी०वी० कैमरा अथवा उसके संचालन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी अभियुक्तगण के नियंत्रणाधीन नहीं हैं। अभियुक्तगण की ओर से किये गये उक्त तर्क के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंतयाल, 2020 SCC OnLine SC 571** में पारित विधिक सिद्धान्त महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। उक्त विधिक सिद्धान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी इलेक्टॉनिक अभिलेख के संदर्भ में वांछित शपथपत्र प्राप्त न किये जाने की अवस्था में उक्त शपथपत्र के आज्ञापक प्रावधान को मात्र उस स्थिति में उन्मोचित किया जा सकता है ,जबकि सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर, शपथ पत्र प्राप्त करने में असफल रहने पर न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित प्राधिकारी को शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही की गयी हो। उक्त स्थिति में जारी न्यायालय की आदेशिका के बावजूद व्यक्ति द्वारा उक्त शपथपत्र को प्राप्त न किये जाने की स्थिति में ही शपथपत्र से उन्मोचन उचित है। पत्रावली में अभियुक्तगण के द्वारा स्वंय प्राधिकारी को अथवा न्यायालय को ऐसे किसी प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करने की कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क के आधार पर आज्ञापक प्रावधान को उन्मोचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

139. उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र की ओर से जिस सी०सी०टी०वी० फुटेज/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत किया गया है, वह विधितः ग्राह्य नहीं है तथा न्यायालय द्वारा उस पर आधारित होकर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है।

140. अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह की ओर से डी०डब्ल्यू०–8 कमाण्डेंट सी०आई० एस०एस० बृजभूषण सिंह की भी साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षी ने दिनांक 17 अप्रैल, 2017 से 11 जून, 2020 तक सी०आई०एस०एस० इकाई ताज महल आगरा में पदस्थ रहने का बयान देते हुए पुलिस के एक कर्मचारी के कार्यालय में उपस्थित होने पर विवेचनाधिकारी के लिखित अनुरोध पर पुलिस के द्वारा मांगी गयी सी०सी०टी०वी० फुटेज को संरक्षित करने का आदेश सी०सी०टी०वी० प्रभारी को बुलाकर मौखिक रूप से देना

बताया। इस साक्षी ने दिनांक–21.07.2018 की फुटेज को देखकर उसे ताज महल के पूर्वी गेट की होने की पुष्टि अवश्य की है, किन्तु उक्त साक्षी की मौखिक साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के विधितः ग्राह्य न होने के आलोक में अभियुक्तगण के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायी नहीं है।

141. डी०डब्ल्यू० 25 सत्येन्द्र सिंह ने उक्त सी०सी०टी०वी० फुटेज में अभियुक्त प्रह्लाद व भूपेन्द्र सिंह की पहचान की है, किन्तु सी०सी०टी०वी० फुटेज के साक्ष्य में ग्राह्य न होने की स्थिति में डी०डब्ल्यू० 25 सत्येन्द्र सिंह द्वारा फुटेज में की गयी पहचान निष्फल है।

142. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि केस डायरी में सी०सी०टी०वी० फुटेज को अंकित करते हुए सी०सी०टी०वी० फुटेज में अभियुक्तगण के होने की पहचान स्वंय वादी मुकदमा द्वारा किये जाने का तथ्य अंकित है तथा इसे पी०डब्ल्यू०–15 विवेचक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार भी किया गया है। सी०सी०टी०वी० फुटेज की विवेचक द्वारा स्वीकार्यता, अभियुक्तगण की निर्दोषिता को साबित करती है। न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क से सहमत नहीं है। सी०सी०टी०वी० फुटेज के सम्बन्ध में विवेचक की मौखिक साक्ष्य तथा केस डायरी में अंकित तथ्य की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को साबित नहीं माना जा सकता। यह उस स्थिति में अग्रेतर अनुचित है, जबकि प्रतिरक्षा साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त की ओर से कथित सी०सी०टी०वी० फुटेज सम्बन्धी साक्ष्य को साबित करने का पर्याप्त अवसर रहा है। ऐसा किया जाना उस स्थिति में अग्रेतर अविधिक भी होगा, जबकि चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य में अभियुक्तगण का घटना स्थल पर उपस्थित रहने का बयान दिया है, जिसकी साक्ष्य को विधि व्यवस्थाओं में अधिक महत्व का माना गया है।

143. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रहलाद व भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से किया गया अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक उस निरपेक्ष निश्चितता की स्थिति तक साबित नहीं है, जिसकी विधि मंशा रखती है।

<u>अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता की अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक–</u>

144. अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता ने धारा –313 दं०प्र०सं० के बयान में तथा अभियुक्त के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया कि घटना की तिथि पर सोनू गेड़ा गोवा में उपस्थित था। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि दिनांक –17.07.2018 से 21.07.2018 की सांय तक अभियुक्त सोनू गेड़ा के गोवा में निरन्तर उपस्थित रहने तथा दिनांक–21.07.2018 की सांय को गोवा से दिल्ली व तत्पश्चात् भोपाल जाने को प्रतिरक्षा साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। घटना की तिथि व समय पर अभियुक्त गोवा में उपस्थित था, जिस कारण अभियुक्त का झांसी स्थित घटना स्थल पर उपस्थित होना संभव नहीं था।

144. अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को साबित करने के लिए अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता की ओर से **डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता**, **डी०डब्ल्यू०–12 स्वंय अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा**, **डी०डब्ल्यू०–20 रामेश्वर शिवहरे** (कर्मचारी, इण्डिगो एयरलाइन्स) **डी०डब्ल्यू०–19 अक्षय बाजपेयी** (साइबर सिक्योरिटी व डिजिटल एविडेन्स एक्सपर्ट) तथा **डी०डब्ल्यू०–24 अजीत** (होटल व्यवसायी, गोवा) को बतौर साक्षी उपस्थित किया गया है।

145. डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता ने स्वयं को अभियुक्त सोनू गेड़ा का पिता बताते हुए अभियुक्त की निर्दोषिता के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को प्रेषित **प्रार्थनापत्र** को **प्रदर्श ख–1** तथा इसकी **मूल डाक रसीद** को **प्रदर्श ख–2** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता का दिल्ली से गोवा जाने के इण्डिगो फ्लाइट के बोर्डिंग पास की छायाप्रति दिनांकित–17–07–2018, व गोवा से दिल्ली की बोर्डिंग पास की छायाप्रति दिनांकित–21–07–2018 को प्रार्थनापत्र के संलग्नक 9 के रूप में दाखिल करने का बयान दिया है।

डी०डब्ल्यू०–12 स्वंय अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता ने दिनांक 17–07–2018 को हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा जाने, गोवा के होटल फर्न कदम्बा में दिनांक 17–07–2018 से 21–07–2018 की रात लगभग 9–9.30 बजे तक होटल में रूकने, गोवा एयरपोर्ट के अन्दर दिनांक 21/22–07–2018 की रात्रि वीडियो बनाने तत्पश्चात् दिल्ली तथा दिल्ली से भोपाल आने का बयान दिया है। इस साक्षी ने दिनांक 17–07–2018, 18–07–2018 व 21–07–2018 की सी०सी०टी० वी० फुटेज गोवा के होटल फर्न कदम्बा से प्राप्त कर सी०डी० में न्यायालय में दाखिल करने तथा गोवा एयरपोर्ट के अन्दर की सी०डी० दाखिल करने का भी बयान दिया है। इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने दिनांक– 17–07–2018 से 21–07–2018 के स्वंय व साथियों के विभिन्न बिल भी न्यायालय में दाखिल करने का बयान देते हुए इण्डिगो कॉर्पोरेट ऑफिस से स्वंय के ट्रेवल सर्टिफिकेट को 2023 में प्राप्त करने का भी बयान दिया है। साक्षी के बयान के अनुसार आलोक मिश्रा ने साक्षी/अभियुक्त के भतीजे दिव्य गुप्ता के मेल पर सर्टिफिकेट भेजा था, जिसे वह अर्थात् साक्षी न्यायालय में दाखिल कर रहा है। दिनांक 17–07–2018 व 21/22–07–2018 के इण्डिगो फ्लाइट तथा जेट एयरवेज के बोर्डिंग पास व बिल तथा सी०डी० आदि सी०बी०सी०आई०डी० के विवेचक जे०पी० यादव को दिये जाने का भी बयान दिया है। इस साक्षी ने स्वंय के भतीजे दिव्य गुप्ता द्वारा अपना अर्थात् अभियुक्त का तथा अपने मित्रों का ट्रेवल सर्टिफिकेट हेतु आवेदन के ऑनलाईन प्रार्थनापत्र के रसीद को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने सत्र परीक्षण सं०–1010/2021 सरकार बनाम सनम मांगे की पत्रावली में संलग्न कागज सं०–18ए/4 को **प्रदर्श ख–13** के रूप में साबित किया है, जिसे **असल बोर्डिंग** पास बताया है। साथ ही, साक्षी ने बोर्डिंग पास के साथ स्टेपल की गयी **पांच लगेज की रसीदों** को भी साबित किया है, जो **संयुक्त रूप से प्रदर्श ख–14** है। दिनांक– 21–07–2018 का गोवा से दिल्ली आने के **बोर्डिंग पास** को **प्रदर्श ख–15**, दिनांक 22–07–2018 के जेट एयरवेज के **असल बोर्डिंग पास** व **संलग्न दो लगेज की रसीदों** को क्रमशः **प्रदर्श ख–16** व **प्रदर्श ख–17**, **लगेज की मूल रसीद** गोवा से दिल्ली की जिस पर अपना नाम अंकित होना साक्षी ने बताया है, को **प्रदर्श ख–18** के रूप में साबित किया है। गोवा से भोपाल लोटने के समय दिनांक–22–07–2018 को **होटल बेंज महिपालपुर में रूकने की असल रसीद** को साक्षी ने **प्रदर्श ख–19** के रूप में साबित किया है। साक्षी के द्वारा प्रथमतः साबित किये गये कुछ प्रपत्रों पर प्रदर्श अंकित किये जाने के पश्चात् न्यायालय ने बयान के दौरान ही आदेश पारित करते हुए डाले गये प्रदर्श को निरस्त किया है। इसके अतिरिक्त, 17–07–2018, 21–07–2018 व 22–07–2018 की सी०सी०टी०वी० फुटेज की सी०डी०/डीवीडी तथा लिफाफे को कागज सं०–467बी,468बी के रूप में, भुगतान की रसीदें 469बी/1 लगायत 469बी/19 के रूप में दाखिल होना बताया है। उक्त बिल गोवा के होटल फर्न कदम्बा के कम्प्यूटर जनरेटिड बिल होने का बयान देते हुए गवाह ने यह भी कहा है कि कुछ बिलों पर उसके अर्थात् अभियुक्त के तथा उसके मित्रों व साथियों के हस्ताक्षर हैं। केसिनो डेल्टिंग रॉयल के मूल बिल को 460बी के रूप में संलग्न होने का बयान दिया गया है तथा स्वंय के ट्रेवल सर्टिफिकेट दिनांकित– 17–07–2018 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाण पत्र को कागज सं०–471बी/1 व 22–07–2018 के ट्रेवल सर्टिफिकेट को 471बी/2 के रूप में साबित किया गया है।

146. सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता की ओर से **डी०डब्ल्यू०–20 रामेश्वर शिवहरे** को भी उपस्थित किया गया है। उक्त साक्षी इण्डिगो एयरलाइन्स में सीनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत रहा है, जिसने गोवा–दिल्ली पी०एन०आर० संख्या–DJTEPH यात्रा दिनांक–22.07.2018 के सम्बन्ध में डिटेल व दिल्ली–गोवा पी०एन०आर संख्या–TGIJ9D यात्रा दिनांक–17.07.2018 के सम्बन्ध में डिजिटल पेपर अपने ग्वालियर कार्यालय के मैनेजर के हस्ताक्षर से सीलमुहर अंकित कर न्यायालय के समक्ष दाखिल करने का तथा हस्ताक्षर की शिनाख्त करने का बयान दिया है। उक्त प्रपत्र पत्रावली पर क्रमशः **प्रदर्श ख–25** लगायत **प्रदर्श**

ख–33 हैं। साक्षी ने उक्त पी०एन०आर० DJTEPH पर अन्य व्यक्तियों के साथ श्री सचिन गुप्ता नाम लिखा होने तथा अन्य प्रपत्र पर यात्रियों का सीट नंबर व स्टेट्स में 'ऑल बोर्डेड' अंकित होने का बयान दिया है।

147. सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता की ओर से **डी०डब्ल्यू०–24 अजीत** को भी उपस्थित किया गया है। इस साक्षी ने होटल फर्न कदम्बा, पणजी गोवा में जनरल मेनेजर के पद पर कार्यरत रहते हुए 17.07.2018 से 21.07.2018 के मध्य होटल के कमरा नंबर–410 में नरेन्द्र कुमार, सचिन गुप्ता व संजीव गुप्ता के रूके होने तथा 412 कमरा नंबर में शैलेन्द्र गुप्ता व संदीप सागर के रूकने की लेटरपैड को पत्रावली पर संलग्न होना स्वीकार किया है। साक्षी ने बयान दिया है लेटर के अनुसार यह सभी लोग 17.07.2018 को समय 16.23 बजे होटल आये थे और 21.07.2018 को 21.21 बजे चैक आउट किया था। सत्र परीक्षण संख्या–1010/2021 सरकार बनाम सनम मांगे की पत्रावली में मौजूद कागज सं०–22A/2 लगायत 22A/7 को साक्षी ने **होटल के कम्प्यूटर जनरेटेड बिल** होना स्वीकार किया है, जो **प्रदर्श ख–37, प्रदर्श ख–38** तथा **प्रदर्श ख–39** के रूप में है। साक्षी ने सत्र परीक्षण संख्या –227/2018 सरकार बनाम राजेन्द्र की पत्रावली में मौजूद कागज सं० –469B/1 लगायत 469B/19 को अपने **होटल के कम्प्यूटर जनरेटेड बिल** होने की पहचान की है, जो पत्रावली पर **प्रदर्श ख–40** के रूप में है। पत्रावली पर मौजूद कागज सं०–467B लिफाफे के अन्दर रखी सी०डी० को सी०डी० प्लेयर पर चलाकर दिखाने पर साक्षी ने वीडियों में अंकित 17.07.2018 के 16.11.05 के दृश्य को देखकर इस दृश्य को होटल के रिसेप्शन काउंटर का बताया है।

148. प्रतिरक्षा साक्ष्य में उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्य तथा साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया।

149. डी०डब्ल्यू०–1 की साक्ष्य से इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि उक्त साक्षी अभियुक्त सोनू गेड़ा का पिता है। अतः अभियुक्त के पक्ष में बयान देने हेतु हितबद्ध साक्षी है। हत्या से सम्बन्धित **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, (2010) 6 SCC 469 की विधि व्यवस्था में पारित विधिक सिद्धान्त (जिसे ऊपर अंकित किया जा चुका है) के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि बिना पर्याप्त व उचित अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को साबित हुए, मात्र हितबद्ध साक्षी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को साबित माना जाना विधि सम्मत नहीं है। इस विधिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता, जो अभियुक्त का पिता है, की मौखिक साक्ष्य अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस साक्षी ने घटना के पश्चात् अभियुक्त सोनू गेड़ा की निर्दोषिता को पुलिस उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से प्रेषित किये जाने का बयान देते हुए पत्र की प्रति को पत्रावली पर संलग्न होना बताया है, किन्तु अभियुक्त के पिता द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित प्रार्थनापत्र मात्र के आधार पर अभियुक्त को निर्दोष साबित मानना अथवा अभियुक्त को अन्यत्र उपस्थित मानना विधि सम्मत व औचित्यपूर्ण नहीं है। डी०डब्ल्यू०–1 की साक्ष्य अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार डी०डब्ल्यू०–12 स्वंय अभियुक्त सचिन गुप्ता की मौखिक साक्ष्य भी अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त के बयान से अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को संदेह से परे साबित होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को संदेह से परे साबित किया गया हो। डी०डब्ल्यू०–12 स्वंय अभियुक्त ने जिन अभिलेखों को प्रदर्श के रूप में साबित किया है, उस पर कहीं भी यात्रा करने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण अंकित नहीं है, वरन् मात्र सचिन गुप्ता नाम अंकित है। प्रतिपरीक्षा ने इस साक्षी/अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि सचिन गुप्ता नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श ख–13 लगायत 19 पर कहीं भी उसकी अर्थात् अभियुक्त की पहचान जैसे की आधार कार्ड अथवा वोटर कार्ड का विवरण अंकित नहीं है। डी०डब्ल्यू० –12 अभियुक्त

सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता द्वारा जिन भी अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है, उनमें उस व्यक्ति का पूर्ण विवरण न होने के कारण, प्रपत्रों को संदेह से परे अभियुक्त के सन्दर्भ में ही होना साबित नहीं माना जा सकता।

151. डी०डब्ल्यू०–20 रामेश्वर शिवहरे ने इण्डिगो एयर लाइन्स के बोर्डिंग पास पर सचिन गुप्ता नाम लिखा होना तथा बोर्डिंग पास में अंकित सभी व्यक्तियों की स्टेट्स में ऑल बोर्डेड अंकित होने का बयान अवश्य दिया है, किन्तु इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दाखिल अभिलेखों, प्रदर्श ख–25 लगायत प्रदर्श ख–33, में यात्रियों के नाम के आगे उनकी वल्दियत अथवा उनका पता अंकित नहीं है। साक्षी ने साक्ष्य के दौरान दाखिल किये गये प्रपत्रों में यात्रा के पूर्व यात्रियों द्वारा दिखाये गये किसी भी पहचान पत्र को दाखिल न करने का बयान दिया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिल्ली से गोवा जाने वाले यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने का कार्य उसका अर्थात् साक्षी का नहीं है। दाखिल अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा का प्रिंट आउट बताते हुए साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इन प्रपत्रों की सत्यता के सम्बन्ध में उसने अर्थात् साक्षी ने कोई शपथपत्र दाखिल नहीं किया था। साक्षी द्वारा दिये गये सम्पूर्ण बयानों से यह संदेह से परे साबित नहीं है कि साक्षी द्वारा दाखिल किये गये प्रपत्र अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा से ही सम्बन्धित हैं तथा साक्षी द्वारा दाखिल प्रपत्रों के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा ही हवाई यात्रा की गयी थी। डी०डब्ल्यू०–20 की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा किया गया अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक भी संदेह से परे साबित नहीं होता है।

152. अभियुक्त सोनू गोडा उर्फ सचिन गुप्ता की ओर से डी०डब्ल्यू० 19 अक्षय वाजपेई को भी उपस्थित किया गया है। उक्त साक्षी ने तीन पेन ड्राइव व तीन डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र प्रस्तुत करने का बयान दिया है तथा तीन **डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट व शपथ पत्र अं० धारा 65 बी भा०सा०अधि०** को **प्रदर्श ख 23, प्रदर्श ख 24** व **प्रदर्श ख 35** के रूप में तथा तीन **पेन ड्राइव** को **वस्तु प्रदर्श ख 16, वस्तु प्रदर्श ख 17** व **वस्तु प्रदर्श ख 25** के रूप में साबित किया है।

153. यद्यपि उक्त किसी प्रपत्र को अक्षय वाजपेई ने सोनू गोंडा उर्फ सचिन गुप्ता का होना नहीं बताया है, किंतु प्रदर्श ख 23, जिसे संदीप गुप्ता की गोवा के संबंध में रिपोर्ट होना बताया गया है, के गोवा से संबंधित होने के कारण, यदि विश्लेषण के आशय से, अभियुक्त सोनू गोंडा उर्फ सचिन गुप्ता से संबंधित होने को आशयित होना मान भी लिया जाए तो भी उक्त साक्षी की साक्ष्य अभियुक्त के लिए लाभदायी नहीं है। इस सन्दर्भ में साक्षी के प्रति परीक्षा के बयान प्रासंगिक हैं, जिसमें साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त साक्षी को उपलब्ध कराया गया डाटा स्वयं मूल स्रोत से कलेक्ट नहीं किया था। जिस व्यक्ति द्वारा उसे अर्थात् साक्षी को सीडी/ डीवीडी जांच के लिए दी गई थी, उसके द्वारा भी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र नहीं दिया गया था। जो सीडी/डीवीडी जांच हेतु उपलब्ध कराई गई थी, वह न्यायालय में दाखिल नहीं है।

154. साक्षी के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने जिस इलेक्ट्रॉनिक डाटा के संबंध में फॉरेंसिक आख्या प्रस्तुत की है, उसके मूल स्रोत के विषय में साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी को जिस व्यक्ति द्वारा डाटा दिया गया था, उसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है तथा उसके द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत न किया जाना साक्षी ने स्वीकार किया है। इस परिस्थिति में डाटा को सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता के गोवा से ही संबंधित होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गोवा स्थित वीडियो फुटेज के के सन्दर्भ में शपथ पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना अपेक्षित है जो जो उस यंत्र अथवा उपकरण के संचालन के लिए उत्तरदायी है, जिससे डाटा प्राप्त किया गया है।

155. कथित सीसीटीवी फुटेज धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र के अभाव में साक्ष्य में विधितः ग्राह्य नहीं है। डी०डब्ल्यू० 19 अक्षय बाजपेई द्वारा दिंया गया प्रमाण पत्र अप्रासगिक है तथा अभियुक्त के लिए लाभदायी नहीं है।

156. डी०डब्ल्यू०–24 अजीत ने सत्र वाद संख्या–1010/2021 सरकार बनाम सनम उर्फ मांगे की पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–22A/1 को अपने होटल का लेटर पैड बताया है, किन्तु इस प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर को न होने को स्वीकार करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त प्रपत्र पर ग्राहको के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण अंकित नहीं है। ग्राहको के पिता का नाम, पता, उम्र, आधार कार्ड अथवा ग्राहको की पहचान का अन्य कोई भी विवरण इस प्रपत्र पर अंकित नहीं है। प्रपत्र पर प्रपत्र को जारी करने की दिनांक भी नहीं अंकित की गयी है। साक्षी ने प्रदर्श ख–37 लगायत प्रदर्श ख–40 को अपने होटल का बिल अवश्य बताया है, किन्तु साथ ही इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उक्त प्रपत्र न तो उसके अर्थात् साक्षी के समक्ष तैयार किये गये हैं, न ही इन पर उसके हस्ताक्षर हैं और न ही इनकी सत्यता के सम्बन्ध में कोई शपथपत्र या प्रमाण पत्र साक्षी के द्वारा दिया गया है। साक्षी ने होटल की बुकिंग मेक माई ट्रिप एप्प के माध्यम से होने का बयान देते हुए यह भी कहा है कि मेक माई ट्रिप द्वारा होटल को ग्राहक की पहचान के सम्बन्ध में कोई भी पहचान पत्र नहीं दिया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श ख–37 लगायत प्रदर्श ख–40 में ग्राहक की पहचान के सम्बन्ध में कोई भी विवरण अंकित नहीं है। ग्राहक द्वारा किसी पहचान पत्र को देने का विवरण भी इन प्रपत्रों में अंकित नहीं है। डी०डब्ल्यू० –24 की साक्ष्य के आधार पर यह संदेह से परे साबित नहीं है कि डी०डब्ल्यू०–24 अजीत द्वारा साबित किये गये अभिलेखीय साक्ष्य अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा से ही सम्बन्धित हैं।

157. अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा की ओर से दाखिल अभिलेखीय प्रपत्रों का संदेह से परे रूप में अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा से ही सम्बन्धित होना साबित नहीं है, जिस कारण कारण घटना की तिथि पर सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक निरपेक्ष निश्चितता के साथ (with absolute certainty) साबित नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त सचिन गुप्ता उर्फ सोनू गेड़ा अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा।

अभियुक्तगण रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक्–

158. अभियुक्तगण रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता ने धारा–313 द०प्र०सं० के बयान में घटना के पूर्व लम्बे समय से भोपाल में रहकर व्यवसाय करने तथा घटना के दिनांक व समय पर भोपाल में मौजूद होने का कथन किया है। अपने अभिवाक/कथन को साबित करने के लिए रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता की ओर से **डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता**, **डी०डब्ल्यू०–2 महेन्द्र अग्रवाल** (उपशाखा प्रबन्धक, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, सतना, म०प्र०), **डी०डब्ल्यू०–3 ब्रिजेन्द्र सिंह चौधरी** (तत्कालीन बैंक कर्मचारी, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, शक्ति नगर, भोपाल), **डी०डब्ल्यू०–9 मो० शाहिद कुरैशी** (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, साकेत नगर, भोपाल), **डी०डब्ल्यू०–15 स्वंय अभियुक्त रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता** तथा **डी०डब्ल्यू०–19 अक्षय बाजपेयी** (साइबर सिक्योरिटी व डिजिटल एविडेन्स एक्सपर्ट) को बतौर प्रतिरक्षा साक्षी उपस्थित किया गया है।

159. रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता की ओर से उपस्थित प्रतिरक्षा साक्षीगण ने अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये हैं। **डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता** ने सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता की निर्दोषिता की सूचना विभिन्न प्राधिकारियों को भेजने सम्बन्धी **प्रार्थनापत्र की प्रति** को **प्रदर्श ख–1** तथा प्रार्थनापत्र को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किये जाने की **मूल रसीद** को **प्रदर्श ख–2** के रूप में साबित किया

है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेडा उर्फ सन्दीप गुप्ता की कथित भोपाल स्थित दुकान, न्यू आस्था मोटर्स व सैटर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स, की दिनांक–21.07.2018 की कथित सी०सी०टी०वी० फुटेज, डीवीडी में तैयार कराने तथा इसकी कॉपी को पेनड्राईव में लिए जाने का बयान देते हुए **डीवीडी** को **प्रदर्श ख–3** के रूप में साबित किया है। डी०डब्ल्यू०–3 ब्रिजेन्द्र सिंह चौधरी ने सत्र परीक्षण सं० –102/2019 की पत्रावली में मौजूद कागज सं० –10A/3 को स्वंय द्वारा जारी **पत्र** बताते हुए इसे **प्रदर्श ख–4** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने **कपड़े**, **वस्तु प्रदर्श ख–1**, के अन्दर **पॉलीथीन**, **वस्तु प्रदर्श ख–2** व पॉलीथीन के अन्दर **दो टुकड़ो में पायी गयी डीवीडी** को **वस्तु प्रदर्श ख–3** के रूप में साबित किया है। साक्षी के अनुसार डीवीडी पर आई०सी०आई०सी०आई० बैंक मनीष गुप्ता एकाउण्ट 656501500051 दिनांक–21.07.2018, 01.59 पी०एम० अंकित है। इस साक्षी के द्वारा साबित प्रदर्श ख–4 में निम्नवत् कथन किये गये हैं–

"As per your notice, Please find the attached DVD clipping of our Branch dated 21-07-2018 from 1.30 PM, This clipping pertain to ICICI Bank Ltd Plot No 1 Sector 1 Shakti Nagar Bhopal Branch ATM. As per your notice, the following information gatehred by clipping of CD.

1. As per footage, two camera were there a) In outer camera, Mr Manish Gupta is appear to enter in the ATM permises, howere it can not be ascertain that the same person inside the ATM at that point of time As camere 2 clipping is corrupted.

2. The amount withdrawn from account no 6564501500051 dated 21-07-2018 at 14.00.07 is Rs 1500/- This account pertain to Mr Manish Gupta.

3. The amount as per statement is 1500/-(fifteen hundred) is withdrawn from ICICI bank Shakti Nagar Bhopal ATM at 14.00.07

the attached CD/DVD is for your record."

160. रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता की ओर से उपस्थित **डी०डब्ल्यू०–9 मो० शाहिद कुरैशी** (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, साकेत नगर, भोपाल) ने सत्र परीक्षण सं०–102/2019 की पत्रावली में संलग्न कागज सं०–10A/2 को प्रदर्श ख–9 के रूप में साबित किया है। प्रदर्श ख–9 शाखा प्रबन्धक (बैंक ऑफ इण्डिया, साकेत नगर, भोपाल) की ओर से प्रभारी निरीक्षक/विवेचक को प्रेषित पत्र है, जिसमें निम्नवत् कथन किये गये हैं–

"संदर्भ– आपके पत्र क्रमांक–दिनांक–15/02/2019

आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है.

1. बैंक शाखा के खुलने का समय प्रातः 10.30 व बंद होने का समय साँय 5.30 बजे है।

2. हम इस पत्र के साथ दिनांक–21 जुलाई, 2018 की दोपहर 2 बजे से 2 बजकर 40 मिनट की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अपने मूल रूप में है।

3. शाखा में खाते संबंधित जानकारी हेतु आए।"

161. अभियुक्त **बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता** ने घटना के दिनांक–21.07.2018 को अपने भाई रिंकू उर्फ मनीष गुप्ता के साथ भोपाल में रहकर निवास करने तथा घटना के समय व दिनांक पर भी भोपाल में होने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक के सम्बन्ध में **डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता**, **डी०डब्ल्यू०–2 महेन्द्र अग्रवाल** (उपशाखा प्रबन्धक, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक) तथा **डी०डब्ल्यू०–5 आलोक जैन** (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, साकेत नगर, भोपाल), **डी०डब्ल्यू०–18 स्वंय अभियुक्त बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता** तथा **डी०डब्ल्यू०–19 अक्षय बाजपेयी** (साइबर सिक्योरिटी व डिजिटल एविडेन्स एक्सपर्ट) की साक्ष्य को प्रस्तुत किया है।

162. **डी०डब्ल्यू०–5 आलोक जैन** ने दिनांक–21.07.2018 की सी०सी०टी०वी० फुटेज विवेचक को देने, दिये गये सी०सी०टी०वी० फुटेज में संदीप गुप्ता के आते हुए दिखाई देने,

सी०सी०टी०वी० फुटेज की सी०डी० विवेचक को सही अवस्था में प्राप्त कराने , सी०सी०टी०वी० फुटेज को देखकर यह सुनिश्चित करने, कि दिनांक–21.07.2018 को संदीप गुप्ता बैंक आये थे, आदि का बयान देते हुए **सफेद कपड़े**, **वस्तु प्रदर्श ख–4**, के अन्दर **सफेद लिफाफे**, **वस्तु प्रदर्श ख–5**, के अन्दर पांच टुकड़े में विभक्त **सी०डी०** को **वस्तु प्रदर्श ख–6** के रूप में साबित किया है।

163. अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को साबित करने के लिए डी०डब्ल्यू०–1 के रूप में स्वंय के पिता हरिशरण गुप्ता को प्रस्तुत किया है। **डी०डब्ल्यू०–1 हरिशरण गुप्ता** ने वर्ष 2010 से रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के झांसी से वर्ष 2010 में पलायन कर भोपाल जाकर व्यवसाय करने तथा निवास करने का बयान देते हुए यह कहा है कि घटना दिनांकित–21.07.2018 को उक्त दोनों लड़के भोपाल में अपने –अपने व्यवसाय के स्थान पर थे तथा तीसरा लड़का सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। इस साक्षी ने दिनांक–21.07.2018 की शिकायती प्रार्थनापत्र को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे जाने आदि का बयान देते हुए अपने लड़को के साथ उनके प्रतिष्ठानों की फुटेज प्राप्त करने, फुटेज 23.07.2018 को संरक्षित करने, फुटेज को डीवीडी में तैयार करने तथा उसकी कॉपी को पेनड्राईव में दाखिल करने का बयान देते हुए **डीवीडी** को **प्रदर्श ख–3** के रूप में साबित किया है। पुनः उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में पारित विधिक सिद्धान्त के आलोक में यह पूर्ण स्पष्ट है कि अति निकट सम्बन्धी मौखिक साक्ष्य के आधार मात्र पर अभियुक्तगण की अन्यत्र उपस्थिति को साबित नहीं माना जा सकता। इस हेतु संदेह रहित अभिलेखीय साक्ष्य आवश्यक है।

164. उक्त अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित डी०डब्ल्यू०–2 महेन्द्र अग्रवाल ने किसी प्रासंगिक तथ्य को साबित नहीं किया है। डी०डब्ल्यू०–3 बिजेन्द्र सिंह चौधरी ने अपने बयान में अपने द्वारा जारी किये गये पत्र को प्रदर्श ख –4 के रूप में साबित किया है। इस पत्र में अंकित है, *"As per the footage to camera were there a) in outer camera, Mr. Manish Gupta is appear to enter in the A.T.M. Premises, hower it can not be ascertain that the same person inside the A.T.M. at that point of time as camera to clipping is corrupted."*। इस पत्र में अंकित उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में साक्षी ने यह स्पष्ट कहा है कि इस वाक्य में जो *appear* शब्द लिखा है, *"उसका अर्थ है कि लग रहा है, निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता कि सी०सी०टी०वी० फुटेज में दिखायी देना वाला व्यक्ति मनीष गुप्ता ही है। और यह भी सही है कि कोई और भी हो सकता है और हो सकता है कि मनीष गुप्ता ही हो।"* स्वंय साक्षी के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि स्वंय प्रतिरक्षा साक्षी डी०डब्ल्यू०–3 बिजेन्द्र सिंह चौधरी ही अपने पत्र में अंकित तथ्य के संदर्भ में यह निश्चित नहीं कह सकते कि जिस सी०सी०टी०वी० फुटेज को देखकर उन्होंने पत्र तैयार किया है, वह उसमें दिखायी देना वाला व्यक्ति मनीष गुप्ता ही है। इसके अतिरिक्त, मात्र पत्र के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को साबित नहीं माना जा सकता। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बैंक से सम्बन्धित डी०वी०डी० टुकड़ों में विभक्त है। उक्त पत्र में ए०टी०एम० मशीन से मनीष के खाते से 1500/–रुपये नगद निकाले जाने का भी विवरण है, किन्तु स्वंय साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिसका एकाउण्ट हैं, वही ए०टी०एम० से पैसा निकाल सकता है। जिस किसी को भी ए०टी०एम० का पिन पता है, वह उस ए०टी०एम० का प्रयोग कर खाताधारक के खाते से पैसा निकाल सकता है। डी०डब्ल्यू०–3 के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि मात्र ए०टी०एम० मशीन से किसी व्यक्ति के खाते से पैसा निकाले जाने के आधार पर अभियुक्त की उक्त स्थल पर उपस्थिति को सुनिश्चित रूप से साबित नहीं माना जा सकता। डी०डब्ल्यू०–3 बिजेन्द्र सिंह चौधरी की साक्ष्य के

आधार पर अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता की अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक साबित नहीं होता।

165. बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता ने डी०डब्ल्यू०–5 आलोक कुमार जैन की साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने अपने बैंक की सी०सी०टी०वी० फुटेज को विवेचक को दिये जाने का बयान दिया है तथा विवेचक को दिये पत्र को प्रदर्श ख–5 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने विवेचक को दिये पत्र, प्रदर्श ख–5, के साथ सी०सी०टी०वी० फुटेज की सत्यता के संदर्भ में धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधि० का कोई प्रमाण पत्र दिये जाने का बयान नहीं दिया है। सी०सी०टी०वी० फुटेज के न्यायालय में दाखिल होने तथा उक्त के संदर्भ में ग्राह्य प्रमाण पत्र के संलग्न न होने की स्थिति में मात्र डी०डब्ल्यू० –5 की ओर से जारी पत्र के आधार पर अभियुक्त बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की अन्यत्र स्थिति को विधिपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि सी०सी०टी०वी० फुटेज को न्यायालय में प्रस्तुत व साबित नहीं किया जा सकता है, जो सी०सी०टी०वी० फुटेज न्यायालय में सफेद लिफाफे से निकाली गयी, उसे पाँच टुकड़ों में विभक्त होना अंकित किया गया है। डी०डब्ल्यू०–5 आलोक जैन की ओर से इस प्रकार का कोई विधितः ग्राह्य संदेह रहित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित माना जा सके।

166. अभियुक्त रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता की ओर से डी०डब्ल्यू०–9 मो० शाहिद कुरैशी को उपस्थित किया गया है। इस साक्षी ने प्रकरण के विवेचक को दिनांक–16.02.2019 को पत्र देना स्वीकार किया है, किन्तु साथ ही साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह स्पष्ट कथन किया है कि, *"मैंने पत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि मनीष गुप्ता बैंक में आये थे या नहीं। मैंने यह लिखा है कि मनीषा गुप्ता बैंक में आये थे या नहीं यह सी०सी०टी०वी० फुटेज देखकर पता चलेगा।"* इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में ही दिनांक–21.07.2018 को मनीष गुप्ता के बैंक आने की पुष्टि करने से इंकार किया है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि जो सी०सी०टी०वी० फुटेज उसने अर्थात् साक्षी ने विवेचनाधिकारी को उपलब्ध कराया था, उस सी०सी०टी०वी० फुटेज को उसने स्वंय नहीं देखा था। इस साक्षी की साक्ष्य के दौरान भी कपड़े के अन्दर रखे प्लास्टिक में सी०डी० को खोलने पर सी०डी० टुकड़ों में विभक्त मिली। **सी०डी०** को **वस्तु प्रदर्श ख–10** के रूप में साबित किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने सी०सी०टी०वी० फुटेज के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65B का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था या नहीं, उसे अर्थात् साक्षी को याद नहीं है। इस प्रकार साक्षी के बयानों में भी इस प्रकार का कोई संदेह रहित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जिसके आधार पर अन्यत्र उपस्थिति के अभियुक्त रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता के अभिवाक की निरपेक्ष निश्चितता के साथ पुष्टि होती हो।

167. रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता ने स्वंय को डी०डब्ल्यू०–15 के रूप में परीक्षित किया है। इस साक्षी ने दिनांक–21.07.2018 को सुबह 9–10 बजे दुर्गा मन्दिर जाने तथा दोपहर में 11–11.30 बजे अपनी दुकान न्यू आस्था मोटर्स पर जाकर लगभग 2 बजे तक रहने का बयान दिया है। तत्पश्चात् ए०टी०एम० से 1500/–रुपये शक्ति नगर से निकालने का बैंक ऑफ इण्डिया जाकर पुनः न्यू आस्था मोटर्स आने का बयान दिया है। अपनी दुकान पर सी०सी०टी०वी० लगे होने का बयान देते हुए दिनांक–21.07.2018 की सी०सी०टी०वी० फुटेज की सी०डी० को न्यायालय में दाखिल करने का बयान दिया है। साथ ही इस साक्षी ने यह भी कहा है कि इस सी०डी० को उसके अर्थात् अभियुक्त के घर से अभियुक्त के पिता लेकर आये हैं। सी०डी० दुकान पर मौजूद स्टाफ के द्वारा पिता व उसके स्वंय की मौजूदगी में बनायी गयी थी। सी०सी०टी०वी० के डीवीआर में कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ न करने का बयान देते हुए सी०डी० के सम्बन्ध में 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। **सी०डी०** को **प्रदर्श ख–22** के रूप में पत्रावली पर सम्मिलित किया गया है। **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में पारित निर्णय के आलोक

में मात्र अभियुक्त के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता। अभियुक्त की ओर से जिस सी०डी० को प्रदर्श ख–22 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ प्रस्तुत शपथपत्र अन्तर्गत धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधि०, विधि की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उक्त शपथपत्र में धारा – 65B(4) भारतीय साक्ष्य अधि० के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान सम्बन्धी आवश्यक विवरण, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारित करने वाले कम्प्यूटर का विशिष्ट विवरण आदि अंकित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए धारा 65B भा०साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत शपथ पत्र आवश्यक है, जिसमें अंकित होने वाले आज्ञापक तथ्यों का वर्णन अभियुक्तगण प्रह्लाद व भूपेन्द्र सिंह गुर्जर के प्रतिरक्षा साक्ष्य के विश्लेषण के अन्तर्गत किया जा चुका है। विधितः ग्राह्य 65B भारतीय साक्ष्य अधि० के शपथ पत्र के अभाव में सी०सी०टी०वी०फुटेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि सी०डी० दिनांक–21.07.2018 के बाद पिता और अभियुक्त के सामने दुकान पर स्टाफ द्वारा बनाकर दी गयी थी। उसके बाद जब जब आवश्यकता पडी, उसी कम्प्यूटर से कॉपी बनवा ली गयी। 10–12 कॉपी बनवायी थी। साक्षी ने उक्त सी०डी० को बयान की तिथि पर ही पिता द्वारा दिये जाने के पश्चात् न्यायालय में दाखिल करना बताया है। स्पष्ट है कि उक्त पूरक अभिलेखीय साक्ष्य के मूल स्त्रोत के सम्बन्ध में ही स्थिति संदेहास्पद है तथा सी०डी० / डी०वी०डी० के डेटा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न किये जाने के स्पष्ट/अपेक्षित साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रस्तुत सी०डी० /डी०वी०डी० प्रदर्श ख–22 के आधार पर ही अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक निरपेक्ष, निश्चितता के साथ साबित नहीं माना जा सकता।

168. अभियुक्तगण की ओर से **डी०डब्ल्यू० 19 अक्षय वाजपेई** को भी उपस्थित किया गया है। उक्त साक्षी ने तीन पेन ड्राइव व तीन डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र प्रस्तुत करने का बयान दिया है तथा तीन **डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट व शपथ पत्र अं० धारा 65 बी भा०सा०अधि०** को **प्रदर्श ख 23, प्रदर्श ख 24** व **प्रदर्श ख 35** के रूप में तथा तीन **पेन ड्राइव** को **वस्तु प्रदर्श ख 16, वस्तु प्रदर्श ख 17** व **वस्तु प्रदर्श ख 25** के रूप में साबित किया है।

169. तीन **डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट व शपथ पत्र अं० धारा 65 बी भा०सा०अधि०** में एक को संदीप गुप्ता की गोवा के सम्बन्ध में होना बताया है तथा इसे प्रदर्श ख 23 के रूप में साबित किया है। **पेन ड्राइव** को **वस्तु प्रदर्श ख 16** के रूप में साबित किया है। दूसरी **डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट व शपथ पत्र** को संदीप गुप्ता की भोपाल के संबंध में रिपोर्ट होना बताया है, इसे **प्रदर्श ख 24** के रूप में साबित किया है। **पेन ड्राइव** को **वस्तु प्रदर्श ख 17** के रूप में साबित किया है। तीसरी **डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट व शपथ पत्र** को रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता के संबंध में रिपोर्ट होना बताया है, इसे **प्रदर्श ख 35** के रूप में साबित किया है। **पेन ड्राइव** को वस्तु प्रदर्श ख 25 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य अभियुक्तगण के लिए लाभदायी नहीं है, जिसके कारण का उल्लेख अभियुक्त सोनू गेडा उर्फ सचिन गुप्ता के प्रतिरक्षा साक्ष्य के विश्लेषण के दौरान किया जा चुका है। पुनः उल्लेखनीय है कि साक्षी ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि उक्त साक्षी को उपलब्ध कराया गया डाटा स्वयं मूल स्रोत से कलेक्ट नहीं किया था। जिस व्यक्ति द्वारा उसे अर्थात् साक्षी को सीडी / डीवीडी जांच के लिए दी गई थी, उसके द्वारा भी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शपथ पत्र नहीं दिया गया था। जो सीडी/डीवीडी जांच हेतु उपलब्ध कराई गई थी, वह न्यायालय में दाखिल नहीं है।

170. साक्षी के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने जिस इलेक्ट्रॉनिक डाटा के संबंध में फॉरेंसिक आख्या प्रस्तुत की है, उसके मूल स्रोत के विषय में साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी को जिस व्यक्ति द्वारा डाटा दिया गया था, उसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है तथा उसके द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत न किया जाना साक्षी ने स्वीकार किया है। इस परिस्थिति में डाटा को अभियुक्तगण रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता

व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता से ही संबंधित होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सी०सी०टी०वी० फुटेज के सन्दर्भ में शपथ पत्र, उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना अपेक्षित है जो उस यंत्र अथवा उपकरण के संचालन के लिए उत्तरदायी है, जिससे डाटा प्राप्त किया गया है।

171. कथित सीसीटीवी फुटेज धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र के अभाव में साक्ष्य में विधितः ग्राह्य नहीं है। डी०डब्ल्यू० 19 अक्षय बाजपेई द्वारा दिंया गया प्रमाण पत्र अप्रासगिक है तथा अभियुक्त के लिए लाभदायी नहीं है।

172. उक्त समस्त विश्लेषण से यह पूर्ण स्पष्ट है कि अभियुक्तगण रिंकू गेडा उर्फ मनीष गुप्ता व बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से किया गया अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक निरपेक्ष निश्चितता के रूप में साबित नहीं है। प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विधिक रूप से ग्राह्य होने की श्रेणी में नहीं है तथा इनके आधार पर अभियुक्तगण की अन्यत्र उपस्थिति को निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित नहीं माना जा सकता है।

अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक–

173. बहस के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह तर्क किया कि दिनांक–21.07.2018 को अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर बलसाड, गुजरात में उपस्थित था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अभियुक्त ने उक्त तथ्य को प्रतिरक्षा साक्ष्य के माध्यम से साबित भी किया है। यद्यपि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर के द्वारा धारा–313 द०प्र०सं० के बयान के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है, किन्तु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किये गये तर्क तथा अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर न्यायालय अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर के अन्यत्र उपस्थिति के संदर्भ में भी निष्कर्ष प्राप्त किया जाना आवश्यक पाता है।

174. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने के लिए **डी०डब्ल्यू०–11 सलमान हैदर** (मेनेजर/रिसेप्शनिस्ट, होटल विश्राम बलसाड, गुजरात), **डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल**, **डी०डब्ल्यू०–22 संदल दीप** (तत्कालीन असिस्टेंट कमर्शियल मेनेजर, भारतीय रेल), **डी०डब्ल्यू०–23 सुशील लाल चन्द्र यादव** (सी०सी०टी०वी० इंजीनियर) तथा **डी०डब्ल्यू०–25 सत्येन्द्र सिंह** को बतौर साक्षी उपस्थित किया है।

175. डी०डब्ल्यू०–11 सलमान हैदर ने दिनांक–20.07.2018 को होटल विश्राम बलसाड, गुजरात में मेनेजर/रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत रहने का बयान देते हुए होटल विश्राम के मूल रजिस्टर को अपने साथ लाने का बयान दिया है। साक्षी ने उक्त रजिस्टर दिनांक–01.05.2018 से 19.11.2018 तक का होना बताया है। साक्षी के अनुसार मूल रजिस्टर के पेज 51 पर क्रमांक 661 पर राजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम लकारा, झांसी अंकित है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि राजेन्द्र, प्रमोद श्रीवास्तव नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ दिनांक–20.07.2018 को 03.30 बजे दोपहर होटल विश्राम आये थे तथा दूसरे दिन 21.07.2018 तक होटल में रूके थे। साक्षी ने आते वक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर के मूल रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराये थे। इस रजिस्टर में केवल चेक इन व चेक आउट की एंट्री उसके अर्थात् साक्षी के हाथ की है, शेष एंट्री उसके हाथ की नहीं है। चेक इन व चेक आउट की एंट्री को गवाह ने तस्दीक किया। **रजिस्टर के पेज नंबर–51 की प्रमाणित प्रति** को **प्रदर्श ख–11** के रूप में तथा इस रजिस्टर के **कवर पेज की प्रति** को **प्रदर्श ख–12** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने पत्रावली में मौजूद प्रपत्र संख्या –27B कॉम्पैक्ट डिस्क को देखकर फूटेज को दिनांक–21.07.2018 की होटल विश्राम के रिसेप्शन काउंटर की तथा दूसरी क्लिप को रिसेप्शन काउंटर पर अपने बैठे होने की तथा सामने खड़े दो लड़को के होने की बताया।

176. डी०डब्ल्यू०–11 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह स्वीकार किया है कि होटल के रजिस्टर के पृष्ठ 51 प्रदर्श ख–11 में सिग्नेचर ऑफ गेस्ट के कॉलम में जो हस्ताक्षर हैं, वह राजेन्द्र सिंह का है अथवा नहीं, वह नहीं बता सकता। साथ ही, इस साक्षी ने सी०सी०टी०वी० फुटेज के विषय में यह बयान दिया है कि उक्त फुटेज होटल से किसको दी गयी थी, इसकी उसे अर्थात् साक्षी को जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा होटल विश्राम बलसाड, गुजरात में रूके व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में प्रासंगिक कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, *"रजिस्टर जो मैं अपने साथ लाया हूँ उसके कवर पेज (प्रदर्श ख–12) पर कहीं भी होटल का नाम अंकित नहीं है। जब होटल में कोई गैस्ट आता है, तो उससे पहचान पत्र लिया जाता है पर रजिस्टर में उस पहचान पत्र के विवरण का कोई उल्लेख नहीं करते पर फॉर्म में करते हैं। फिर कहा कि फॉर्म में नहीं करते बिल में करते हैं। बिल में भी जरूरी नहीं है। कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। ऐसा कोई बिल या फॉर्म गैस्ट की पहचान के सम्बन्ध में नहीं लाया हूँ। प्रदर्श ख–11 में पहचान पत्र अंकित किये जाने का कोई कॉलम नहीं है। प्रदर्श ख–11 पर होटल की मोहर के ऊपर जो हस्ताक्षर हैं, वह मेरे नहीं हैं। प्रदर्श ख–11 व प्रदर्श ख–12 पर सम्पूर्ण प्रविष्टियों में कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं।"* साक्षी के प्रतिपरीक्षा के उक्त बयान से यह तथ्य संदेहास्पद है कि प्रदर्श ख –11 में अंकित व्यक्ति के रूप में अभियुक्त ही होटल में निवास किया था। डी०डब्ल्यू० –11 ने होटल के अभिलेख में मात्र दिनांक–20.07.2018 को राजेन्द्र सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति की प्रविष्टि होना साबित किया है। साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि होटल में रूके व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने हेतु होटल के अभिलेख में ऐसा कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है , जिससे यह संदेह से परे साबित हो सके कि होटल में रूकने वाला व्यक्ति अभियुक्त ही रहा है। डी०डब्ल्यू० –11 की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

177. अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर की ओर से एक अन्य प्रतिरक्षा साक्षी डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल मनोज पाल को उपस्थित किया गया है, जिसने राजेन्द्र पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम लकारा, थाना सीपरी बाजार, झांसी तथा प्रमोद श्रीवास्तव के दिनांक–20.07.2018 को आने की सूचना देने, 20.07.2018 को ही उसकी अर्थात् साक्षी की मुलाकात होटल विश्राम बलसाड में होने, तीनों व्यक्तियों का दमन बीच घूमने जाने, दमन बीच पर खाना खाने, फोटो ग्राफर से फोटो खिचवाने का बयान दिया है तथा खिचवायी **फोटो** को **वस्तु प्रदर्श ख–11** व **वस्तु प्रदर्श ख–12** व **वस्तु प्रदर्श ख–13** के रूप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि इन तीनों फोटोग्राफ्स पर किसी प्रकार की कोई तरमीमी नहीं है, जिस तरह की फोटों हैं, वही उसने अर्थात् साक्षी ने प्रस्तुत की है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि दिनांक–21.07.2018 को दिन में लगभग 20.20 बजे वह होटल विश्राम गया था और वहां से उसने अर्थात् साक्षी ने राजेन्द्र व प्रमोद को साथ लेकर बलसाड स्टेशन पर पश्चिम एक्सप्रेस के एस–01 कोच की सीट नंबर–53 व 54 पर बैठाया था, जिन पर राजेन्द्र व प्रमोद का रिजर्ववेशन था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक–21.07.2018 के 8–10 दिन बाद राजेन्द्र के भाई बैताल के फोन आने पर बैताल ने राजेन्द्र को झूठा फंसाने की सूचना दी और होटल विश्राम की सी०सी०टी०वी० फुटेज लेकर देने को कहा। इस पर साक्षी होटल विश्राम के मालिक के पास 8–10 दिन बाद गया। दिनांक–31.07.2018 को होटल विश्राम के मालिक ने टेक्नीशियन से मिलवाकर कहा कि जो सी०सी०टी०वी० इन्हें चाहिए, वो इन्हें दे देना। टैक्नीशियन ने डीवीआर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके वह फुटेज लेकर एक सी०डी० में बनाकर उसे अर्थात् साक्षी को दे दी। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि जब डीवीआर से फुटेज लैपटॉप के माध्यम से सी०डी० में ट्रांसफर की जा रही थी, तो वह अर्थात् साक्षी वहीं मौजूद था। सी०सी०टी०वी० फुटेज जो डीवीआर से लैपटॉप के माध्यम से सी०डी० में दी गयी थी, में कोई काट छाट या एडिटिंग नहीं की गयी थी। वह सी०डी० उसने अर्थात् साक्षी ने कोरियर के माध्यम से राजेन्द्र के भाई बैताल को लकारा, झांसी भेज दी थी। साक्षी ने

सी०डी०/डीवीडी की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर कहा कि यह वही सी०डी०/डीवीडी है, जिसमें मौजूद रिकॉर्डिंग उसके अर्थात् साक्षी के सामने होटल विश्राम के टैक्निशियन ने डीवीआर से लेपटॉप के माध्यम से उसे अर्थात् साक्षी को दी थी। साक्षी ने इसी डीवीडी/सी०डी० को बिना कोई काटछाट किये और बिना कोई एडिटिंग किये बैताल को भेजने का बयान दिया था। **सी०डी०/डीवीडी** को साक्षी ने **वस्तु प्रदर्श ख 14** के रूप में साबित किया है।

178. अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से ही उपस्थित किये गये डी०डब्ल्यू०–11 सलमान हैदर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि डी०डब्ल्यू०–11 को साक्ष्य के लिए मनोज पाल ने ही कहा था। इसी प्रकार, अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से उपस्थित किये गये एक अन्य प्रतिरक्षा साक्षी डी०डब्ल्यू०–23 सुशील लाल चन्द्र यादव ने भी अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह स्वीकार किया है कि होटल के सी०सी०टी०वी० फुटेज को देने के लिए होटल के मालिक ने उसे अर्थात् साक्षी को मनोज पाल से मिलवाया था। उक्त बयानों तथा स्वंय डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल के सम्पूर्ण बयान से स्पष्ट है कि मनोज पाल अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर का शुभेच्छु है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य**, (उपरोक्त, जिसका संदर्भ ऊधम सिंह गुर्जर के अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक के निष्कर्ष के दौरान दिया जा चुका है) की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में हितबद्ध साक्षी होने के कारण मात्र मनोज पाल की मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति को संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता। अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को संदेह से परे साबित होने के लिए हितबद्ध साक्षी के मौखिक साक्ष्य को पर्याप्त व स्पष्ट संदेह रहित अभिलेखीय साक्ष्य से सम्पुष्ट होना आवश्यक है।

179. डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल ने कथित रूप से गोवा की तीन फोटोग्राफ्स को वस्तु प्रदर्श ख–11 लगायत वस्तु प्रदर्श ख–13 के रूप में साबित किया है, किन्तु साक्षी के द्वारा न तो फोटोग्राफ्स की निगेटिव फिल्मस को दाखिल किया गया है और न ही फोटोग्राफ्स के सम्बन्ध में धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र को ही दाखिल किया गया है। यदि उक्त कथित फोटोग्राफ्स निगेटिव रील से खींचकर बनायी गयी हैं, तो फोटोग्राफ्स को संदेह से परे साबित होने के लिए अभियुक्त की ओर से इन फोटोग्राफ्स के निगेटिव रील्स को प्राप्त कर दाखिल करना आवश्यक था। निगेटिव रील्स की उपलब्धता के बिना फोटोग्राफ्स विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यदि उक्त फोटोग्राफ्स इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से खींची गयी हैं, तो फोटोग्राफ्स को साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र होना आवश्यक था। अभियुक्त तथा प्रतिरक्षा साक्षी की ओर से फोटोग्राफ्स की निगेटिव अथवा धारा–65B भा०साक्ष्य अधि० के प्रमाणपत्र का अभाव फोटोग्राफ्स को साक्ष्य हेतु अग्राह्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी तथ्य है कि मात्र फोटोग्राफ्स से फोटोग्राफ्स के गोवा अथवा आसपास के क्षेत्र में होने अथवा फोटोग्राफ्स का 21.07.2018 की दिनांक का होने का निष्कर्ष संदेह से परे रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। डी०डब्ल्यू०–16 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अर्थात् साक्षी ने वस्तु प्रदर्श ख–11, वस्तु प्रदर्श ख–12 व वस्तु प्रदर्श ख–13 के कोई निगेटिव दाखिल नहीं किये गये हैं तथा इनमें कोई दिनांक, समय अथवा स्थान अंकित नहीं है। यद्यपि साक्षी ने फोटोग्राफ्स के निगेटिव न होने का बयान दिया है, किंतु विधिक प्रावधान के अनुसार फोटोग्राफ्स के मूल स्त्रोत अथवा उचित प्रमाण पत्र के बिना फोटोग्राफ्स को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। साक्षी ने वस्तु प्रदर्श ख–11 में DAMAN & DU लिखा होना स्वीकार किया है, जिस पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत बहस की गयी। अभियोजन पक्ष द्वारा DU अक्षरों के अंकन से फोटोग्राफ्स को दमन द्वीव के न होने को साबित होने का तर्क किया गया, जबकि बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया कि उक्त दामन द्वीव अंग्रेजी से अन्यत्र भाषा में अंकित होने के कारण स्पेलिंग को पृथक रूप से अंकित किया गया है। न्यायालय उक्त संदर्भ में किसी निष्कर्ष को अप्रासंगिक पाता है, क्योंकि बिना मूल स्त्रोत

अथवा उचित प्रमाण पत्र के वस्तु प्रदर्श ख–11 साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। यदि वस्तु प्रदर्श ख–11 को साक्ष्य में ग्राह्य भी माना जाये, तो भी इसमें आये किसी टेबल पर बिछे कवर पर कुछ अंकित होने से ही फोटो का उस स्थान से सम्बन्धित होना संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

180. डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर का अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

181. डी०डब्ल्यू०–22 संदल दीप को भी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के पद पर कार्यरत रहने का बयान देते हुए इस साक्षी ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्रेषित करने का बयान दिया है। साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि दिनांक –21.07.2018 को पी०एन०आर० नंबर–8561596478 ट्रेन संख्या–12925, पश्चिम एक्सप्रेस बलसाड से नई दिल्ली के लिए सीट नंबर–53 व 54 पर रजिन्द्र सिंह व प्रमोद कुमार ने सफर किया था। साक्षी ने दी गयी सूचना को प्रदर्श ख–36 के रूप में साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है, *"यात्रा करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन मैंने स्वंय नहीं किया, स्वंय कहा कि टी०टी०ई० करते हैं। टी०टी०ई० द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मैंने प्रदर्श ख–36 के साथ नहीं दी थी प्रदर्श ख–36 के साथ मैंने यात्रा करने वाले यात्रियों की पहचान के सम्बन्ध में कोई भी पहचान पत्र की छायाप्रति नहीं प्रेषित की है।"*

182. डी०डब्ल्यू०–22 द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित नहीं है कि उपरोक्त कथित ट्रेन से रिजर्वेशन कराने तथा यात्रा करने वाला व्यक्ति स्वंय अभियुक्त ही था। उक्त साक्षी ने प्रदर्श ख–36 में मात्र रजिन्द्र तथा प्रमोद कुमार द्वारा सफर किये जाने का अंकन होना स्वीकार किया है। साक्षी ने रजिन्द्र व प्रमोद कुमार के अन्य किसी विवरण अथवा पहचान को स्पष्ट नहीं किया है। प्रतिपरीक्षा के साक्षी के बयान भी यात्रा करने वाले यात्री की पहचान को संदेहास्पद ही बनाते हैं। डी०डब्ल्यू०–22 की साक्ष्य से भी अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है।

183. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से डी०डब्ल्यू० –23 के रूप में सुशील लाल चन्द्र यादव को भी उपस्थित किया गया है। उक्त साक्षी ने स्वंय को सी०सी०टी०वी० इंजीनियर बताते हुए यह बयान दिया है कि दिनांक–21.07.2018 को होटल विश्राम, बलसाड, गुजरात के सीसीटीवी सिस्टम का समस्त कार्य वह अर्थात् साक्षी ही देखता था तथा वर्तमान में ही देखता है। इस साक्षी ने बयान दिया है कि दिनांक–21.07.2018 को होटल विश्राम के मालिक ने उसे अर्थात् साक्षी को मनोज पाल नामक व्यक्ति से मिलवाया था, जिसने 20.07.2018 से 21.07.2018 के बीच होटल में रूके व्यक्तियों की सी०सी०टी०वी० फुटेज मांगी थी। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उसने अर्थात् साक्षी ने होटल विश्राम के सी०सी०टी०वी० फुटेज को होटल के डीवीआर से लेकर अपने लैपटॉप में डालकर उससे पैनड्राईव में कॉपी करके डीवीडी बनाकर मनोज पाल को दिया था, जब उसने डीवीआर से फुटेज निकाली थी, डीवीआर तथा लैपटॉप ठीक से काम कर रहा था। सी०सी०टी०वी० फुटेज को डीवीआर से लेकर कॉपी देते समय उसमें कोई काटछाट नहीं की थी। यह फुटेज दिनांक–20.07.2018 से 21.07.2018 की थी। साक्षी ने प्रदर्श ख–14 में रखी डीवीडी को सी०डी० प्लेयर पर देखने पर 21.07.2018 को समय 13 बजे के आसपास से सम्बन्धित फुटेज को देखकर स्वीकार किया कि यह वही सी०सी०टी०वी० फुटेज है, जो उसने अर्थात् साक्षी ने मनोज पाल को उपलब्ध करायी थी। उक्त तिथि की 14.01 बजे की सी०सी०टी०वी० फुटेज देखकर गवाह ने सी०सी०टी०वी० फुटेज को होटल विश्राम के रिसेप्शन का बताया तथा होटल के रिसेप्शन सीट पर सलमान के बैठे होने तथा सलमान के अलावा दो अन्य लड़को के दिखने का भी बयान दिया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि जब वह

सी०सी०टी०वी० फुटेज को डीवीआर से लैपटॉप में अंतरित कर रहा था, तो इस प्रक्रिया को मनोज पाल ने देखा था। साक्षी ने सी०सी०टी०वी० फुटेज की पहचान की है।

184. सी०सी०टी०वी० फुटेज की प्रमाणिकता तथा ग्राह्यता के सम्बन्ध में उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा के बयान महत्वपूर्ण हैं। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि डीवीआर में जो दिनांक व समय सेट होता है, वह मैनुअली सेट किया जाता है, जो दिनांक व समय डीवीआर में मैनुअली सेट किया जाता है, वही सी०सी०टी०वी० स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि डीवीआर से लैपटॉप में डेटा सीधे डाउनलोड नहीं होता, इसे मैनुअली नेटवर्क के माध्यम से करना पड़ता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि डीवीआर से लिए गये डेटा को पैनड्राईव में डालने के सम्बन्ध में उसने अर्थात् साक्षी ने कोई शपथपत्र या प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया था, उसने अर्थात् साक्षी ने पेनड्राईव से कोई डीवीडी तैयार नहीं की थी, उसने कोई भी डीवीडी तैयार करके मनोज पाल को नहीं दी थी।

185. डी०डब्ल्यू०–23 सुशील लाल चन्द्र यादव ने यह स्वीकार किया है कि डीवीआर में दिनांक व टाईम मैनुअली सेट किया जाता है। साक्षी के उक्त बयान के आधार पर अभियुक्त की ओर से दाखिल होटल बलसाड की कथित वीडियो फुटेज को दिनांक–21.07.2018 का होने के सम्बन्ध में संदेह से परे प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, डी०डब्ल्यू०–23 ने सुशील लाल चन्द्र यादव ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अर्थात् साक्षी ने डीवीआर से लिए गये डेटा की कोई डीवीडी तैयार नहीं की थी। डेटा को पेनड्राईव में डालने के सम्बन्ध में कोई शपथपत्र अथवा प्रमाण पत्र भी किसी व्यक्ति को न देने का बयान दिया है। साक्षी ने मनोज पाल को डीवीडी तैयार करके न दिये जाने को भी स्पष्टतया स्वीकार किया है।

186. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से कथित रूप से होटल विश्राम बलसाड, गुजरात की जिस डीवीडी/सीडी को पत्रावली पर दाखिल किया गया है, उसके संदर्भ में धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधि० का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। डी०डब्ल्यू०–23 सुशील लाल चन्द्र यादव ने होटल की सी०सी०टी०वी० फुटेज की डीवीडी मनोज पाल को न दिये जाने तथा पेनड्राईव में डाले गये डेटा के सम्बन्ध में कोई शपथपत्र या प्रमाण पत्र न दिये जाने का भी स्पष्ट बयान दिया है। डीवीडी के सम्बन्ध में डी०डब्ल्यू०–16 मनोज पाल अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा–65B भारतीय साक्ष्य अधि० का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। डीवीडी के द्वितीयक साक्ष्य /अभिलेख होने के कारण अभियुक्त की ओर से उचित व्यक्ति के द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। प्रमाण पत्र के बिना डीवीआर में अंकित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को बतौर साक्ष्य ग्राह्य किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

187. डी०डब्ल्यू० 25 सत्येन्द्र सिंह ने उक्त डीवीडी /सीडी में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की पहचान की है, किन्तु डीवीडी/सीडी के साक्ष्य में ग्राह्य न होने की स्थिति में डी० डब्ल्यू० 25 सत्येन्द्र सिंह द्वारा डीवीडी/सीडी में की गयी पहचान निष्फल है।

188. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से जिन प्रतिरक्षा साक्षीगण की साक्ष्य तथा अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है, उनके आधार पर अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित नहीं होती है।

189. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण की ओर से अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को साबित करने हेतु जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनके आधार पर अभियुक्तगण की अन्यत्र उपस्थिति निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित नहीं है। चोटिल – चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अधिक होने तथा अभियुक्तगण द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक् को निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित नहीं किये जा सकने के कारण अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता।

<u>अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य तथा संदेह के आधारों के विश्लेषण का निष्कर्ष–</u>

190. अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिनांक–21.07.2018 को मृतक जय गोस्वामी की आग्नेयास्त्र से लगी गोली से मृत्यु होने तथा उक्त तिथि की दोपहर को चोटिल संजय वर्मा, रवि वर्मा तथा सुनील कुशवाहा के आग्नेयास्त्र से आयी गोली की चोटें होना साबित किया है। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संचित वर्मा, पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल संजय वर्मा तथा पी०डब्ल्यू०–3 चोटिल रवि वर्मा, अर्थात् दिनांक–21.07.2018 के तथ्य के समस्त साक्षीगण ने मृतक को आयी चोटों को अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर द्वारा कारित किया जाना बताया है। इन सभी साक्षीगण ने उक्त समस्त अभियुक्तगण का घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटना कारित किये जाने का निरन्तर कथन किया है। चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के विशेष महत्व का होने के सिद्धान्त के आधार पर, उक्त घटना में उक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा घटना स्थल पर उपस्थित रहकर चोटिलों को आग्नेयास्त्र से गोली की चोट पहुंचाना साबित होता है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बताने हेतु अभियुक्तगण की ओर से जो तर्क किये गये हैं, उन्हें अग्राह्य अथवा बलहीन पाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से अन्यत्र उपस्थिति का भी अभिवाक किया गया तथा उक्त को साबित करने हेतु साक्ष्य को भी प्रस्तुत किया गया, किन्तु विश्लेषण से उक्त साक्ष्यों का विधि की अपेक्षा के अनुरूप होना न पाते हुए अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को निरपेक्ष निश्चितता के साथ (with absolute certainty) साबित होना नहीं पाया गया। इन समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर व राजेन्द्र गुर्जर के विरूद्ध दिनांक –21.07.2018 की दोपहर लगभग 01.30 बजे आग्नेयास्त्र के माध्यम से चोटें कारित कर मृतक जय गोस्वामी की हत्या करने तथा चोटिल संजय वर्मा, रवि वर्मा व सुनील कुशवाहा को प्राणघातक चोटें कारित करने के सम्बन्ध में लगे आरोप संदेह से परे साबित होते हैं।** इन तथ्यों व साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त का घातक आयुध के साथ सामान्य उद्देश्य से घटनास्थल पर उपस्थित होना तथा अपराध कारित करना सन्देह से परे साबित है। वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण द्वारा घटना–स्थल पर जान से मारने की धमकी देने का भी साक्ष्य दिया है, जिस पर भी सन्देह का कोई आधार नहीं है।

191. अभियुक्त कमलेश यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है , किन्तु अभियुक्त कमलेश यादव का घटना में सम्मिलित होने का तथा दिनांक–21.07.2018 की घटना में उपस्थित होकर आग्नेयास्त्र से चोटें कारित करने का स्पष्ट बयान पी०डब्ल्यू० –2 चोटिल संजय वर्मा ने दिया है। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संचित वर्मा ने भी अपने बयान में उक्त तथ्य का समर्थन किया है। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा के बयान में पृष्ठ 3 पर कमलेश यादव द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ घटना स्थल पर उपस्थित रहकर गोलियां चलाने का बयान दिया है। यद्यपि पी०डब्ल्यू०–3 रवि वर्मा ने मुख्य परीक्षा के बयान में कमलेश यादव का नाम अंकित नहीं कराया है, किन्तु इस साक्षी के सम्पूर्ण बयान से घटना स्थल पर कमलेश यादव के उपस्थित होने का खण्डन भी प्राप्त नहीं होता है। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा तथा पी०डब्ल्यू०–2 चोटिल संजय वर्मा के प्रतिपरीक्षा के बयानों में ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जिसमें घटना स्थल पर घटना के समय कमलेश यादव के द्वारा उपस्थित रहकर आग्नेयास्त्र से चोटें कारित करने का खण्डन होता हो। चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य को विशेष महत्व का दर्जा होने के आधार पर अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध भी दिनाकं–21.07.2018 की घटना में उपस्थित रहकर आग्नेयास्त्र से चोट कारित करने का आरोप साबित होता है।

192. अभियुक्त कमलेश यादव की ओर से अभियुक्त के प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित न होने के आधार पर अभियुक्त कमलेश यादव की घटना स्थल पर उपस्थिति को संदेहास्पद होने का

तर्क किया गया है। तर्क के संदर्भ में पत्रावली पर अंकित पी०डब्ल्यू० –2 संजय वर्मा के प्रतिपरीक्षा के बयान (पृष्ठ 31 पर) महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हैं, जिसमें चोटिल ने यह बयान दिया है कि वादी मुकदमा संचित वर्मा, कमलेश यादव को नहीं जानता था, किन्तु वह अर्थात् संजय वर्मा कमलेश यादव को घटना के पूर्व से जानता था। संजय वर्मा ने यह भी बयान दिया है कि वादी मुकदमा ने कमलेश का नाम अज्ञात में लिखवाया था। पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा ने (पृष्ठ 19 पर) दिये बयान में अभियुक्त कमलेश को विवेचक द्वारा दिखायी गयी फोटो से जानने का बयान दिया है। उक्त पृष्ठ पर अंकित प्रतिपरीक्षा के बयानों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वादी मुकदमा घटना के पूर्व कमलेश यादव को पहचानता नहीं था। उक्त तथ्य से पी०डब्ल्यू० –2 संजय वर्मा के इस बयान की पुष्टि होती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पहले वादी मुकदमा कमलेश को नहीं जानता था। इस परिस्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित न होने के आधार पर अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध आरोपों को संदेहास्पद मानना उचित नहीं है।

193. अभियुक्त कमलेश यादव की ओर से यह भी तर्क किया गया कि यदि कमलेश घटना में सम्मिलित होता तो पुलिस को दिये बयानों में कमलेश यादव का नाम घटना कारित करने वालों में अवश्य अंकित होता। इस तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि पी०डब्ल्यू०–2 संजय वर्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 14 पर) यह बयान दिया है कि उसने अर्थात् संजय वर्मा ने पुलिस को दिये बयान में यह बता दिया था कि आरोपी सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा, कमलेश यादव, भूपेन्द्र गुर्जर व ऊधम गुर्जर ट्रक व लोडर की आड़ से निकलकर गोलम्बर के पास से उन पर अर्थात् कार सवार व्यक्तियों पर फायरिंग किये थे। इस बयान के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू० –13 निरीक्षक संत प्रकाश हैं, जिसने प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 20 पर) यह स्पष्ट कहा है, *"मुझे गवाह संजय वर्मा ने दिये गये 161 सीआरपीसी के बयानों में बताया था "आरोपी सोनू, बॉबी व रिंकू, कमलेश यादव, भूपेन्द्र गुर्जर और ऊधम गुर्जर ट्रक व लोडर की आड़ से निकलकर हम लोगों पर फायरिंग की" परन्तु बयानों में यह नहीं बताया था कि* ***गोलम्बर के पास से*** *सभी ने मिलकर फायरिंग की थी।"* इस प्रकार पी०डब्ल्यू०–13 निरीक्षक संत प्रकाश ने अपने बयान में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि कमलेश यादव के घटना में उपस्थित होने के विषय में चोटिल संजय वर्मा द्वारा उसे अर्थात् विवेचक को बताया गया था। उल्लेखनीय है कि विवेचक के द्वारा दिये गये उक्त बयान पर कमलेश यादव की ओर से उक्त बयान के गलत दिये जाने के संदर्भ में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पी०डब्ल्यू० –13 निरीक्षक संत प्रकाश का उक्त बयान सत्य साबित होता है। स्पष्ट है कि साक्ष्य के अनुसार चोटिल संजय वर्मा ने प्रकरण के प्रथम विवेचक को ही घटना में संलिप्त होने के विषय में बताया था। इस आधार पर अभियुक्त की ओर से किया गया तर्क अभियुक्त कमलेश यादव पर लगे आरोप को संदेहास्पद बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

194. इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि **दिनांक–21.07.2018 की घटना के संदर्भ में चोटिल चक्षुदर्शी साक्षी, वादी मुकदमा तथा अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से घटना के समय घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति तथा घटना कारित किया जाना संदेह से परे साबित होता है।**

195. उक्त विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण के रूप में नामित किये गये तथा तत्पश्चात् चिन्हित किये गये अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप के संदर्भ में विचार किया जाना उचित है।

<u>अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बन्ध में विश्लेषण–</u>

196. तहरीर, प्रदर्श क 1, में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में अज्ञात व्यक्तियों को भी अंकित किया गया है। दौरान विवेचना घटना कारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की पहचान सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, गौरव उर्फ मोंटी, सनम उर्फ मांगे तथा कमलेश यादव के रूप में की गई। उक्त अभियुक्तगण में से मात्र कमलेश यादव को चोटिल संजय वर्मा ने पूर्व से पहचानने का बयान दिया है, जिसके सन्दर्भ में पृथक् से निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है।

197. सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के संदर्भ में प्रकरण के प्रथम विवेचक , पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने अपने बयान में यह कहा है कि दिनांक 09–08–2018 को रोहित उर्फ रोहताश की गिरफ्तारी की सूचना जनपद अलीगढ़ से मिलने पर इन अभियुक्तगण का बयान टप्पल, अलीगढ़ जाकर अंकित किया था तथा इन अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, मोंटी, सरदार सिंह, धांधू उर्फ पटवारी, मांगे व अजय के नाम प्रकाश में आए थे। इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया है कि रोहित उर्फ रोहिताश व सागर राणा ने अपने बयानों में क्या कहा था। किंतु,,यदि केस डायरी के अनुसार सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश द्वारा पुलिस को घटना में अपराध की संस्वीकृति व अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का बयान देना मान भी लिया जाए तो भी उक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को साबित होना नहीं माना जा सकता। पी०डब्ल्यू० 13 अथवा अन्य विवेचकों द्वारा न तो अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश का बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित कराया गया है और न ही अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत*'सह–अपराधी'* के रूप में प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही की गई। आरोप विरचन के अन्तर्गत व धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में उक्त अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया है। अभियुक्तगण की पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति धारा 25 व धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाधित है। उक्त कथित संस्वीकृति का विधि अनुरूप साबित न होने के कारण, सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के पुलिस को दिये बयान में अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध किए गए कथन, धारा 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी ग्राह्य नहीं हैं। अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस को दिया गया बयान अंतर्गत 161 दंड प्रक्रिया संहिता, अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को साबित करने हेतु धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता से भी बाधित है।

198. सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के संदर्भ में पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दोनों अभियुक्तगण के फोटोग्राफ्स को जरिए व्हाट्सएप प्राप्त किया गया था तथा घटनास्थल के आसपास के सी०सी०टी०वी० कैमरे को देखने पर विनय ट्रेडर्स पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में दिनांक 21–07–2018 की फुटेज को भली भाँति देखा गया, जिसमें 13.00 से 14.00 बजे के मध्य एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति एस०एच०ओ०, टप्पल द्वारा उपलब्ध कराए गए सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश से मेल खाते पाए गए। गौर से देखने पर मोटरसाइकिल सवार सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहताश का ही होना पाया गया। सी०सी०टी०वी० कैमरे के फुटेज से फोटो बनवाए।

199. पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में तथा पी०डब्ल्यू० 2 संजय वर्मा ने अपनी प्रति परीक्षा के बयान में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की फोटो दिखाने तथा फोटो से अभियुक्तगण को पहचानने का बयान अवश्य दिया है किंतु प्रकरण के विवेचकों, पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक सन्त प्रकाश अथवा पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने अभियुक्तगण की पहचान कथित फोटो से वादी मुकदमा अथवा चोटिल साक्षीगण से कराने का कोई बयान नहीं दिया है। अभियुक्तगण के अज्ञात होने की अवस्था में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य के विनिश्चयीकरण हेतु शिनाख्त परेड (TIP– Test Identification Parade) ही सर्वाधिक विधि मान्य प्रक्रिया है। किंतु, अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के कथित रूप से टप्पल अलीगढ़ में गिरफ्तार होने के पश्चात दौरान विवेचना शिनाख्त परेड क्यों व किन परिस्थितियों में नहीं कराई गयी, इसका कोई भी स्पष्टीकरण संपूर्ण पत्रावली व अभियोजन साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है। यदि सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश को थाना टप्पल, अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया था तथा उक्त अभियुक्तगण द्वारा वर्तमान प्रकरण की घटना को पुलिस को दिए बयान में स्वीकार किया गया था तो, वादी मुकदमा व चोटिलों को अभियुक्तगण के पूर्व से न पहचानने की अवस्था में शिनाख्त परेड कराया जाना

आवश्यक व अपेक्षित था। शिनाख्त परेड न कराए जाने के, अथवा शिनाख्त परेड न कराए जाने के कारण को स्पष्ट न किए जाने के, फलस्वरूप दिनांक 21–07–2018 की घटना की तहरीर में अज्ञात अभियुक्तगण के रूप में अंकित व्यक्तियों की पहचान, दौरान विवेचना प्रकाश में आए अभियुक्तगण के रूप में संदिग्ध होती है।

200. फोटो से अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित करने के साक्ष्यिक मूल्य के संदर्भ में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष द्वारा बहस की गई। फोटो से अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित करने की विधिसम्मतता के सन्दर्भ में अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से विभिन्न विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गयीं किंतु, न्यायालय इस संदर्भ में विधि का विश्लेषण करने की आवश्यकता इस कारण आवश्यक नहीं समझता है क्योंकि वादी मुकदमा व चोटिल से अभियुक्तगण की पहचान फोटो के जरिये कराये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर न ही कथित विनय ट्रेडर्स की सी०सी०टी०वी० फुटेज दाखिल व साबित है, न ही वे फोटोग्राफ्स दाखिल व साबित हैं, जिन्हें कथित रूप से वादी मुकदमा व चोटिल को दौरान विवेचना दिखाकर अभियुक्तगण की पहचान कराई गई थी। यदि फोटोग्राफ्स के माध्यम से अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान कराया जाना प्रत्येक परिस्थिति में आवश्यक ही था, तो भी शिनाख्त परेड के समान उक्त प्रक्रिया का पुलिस की अनुपस्थिति में न्यायिक अथवा कार्यपालक मजिस्टेट अथवा अन्य अधिकृत व सक्षम प्राधिकारी व न्यूनतम दो निष्पक्ष जनसामान्य की उपस्थिति में अपेक्षित व विधिसम्मत था। उक्त कार्यवाही का लिखित विवरण भी अंकित किया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **बुधसेन बनाम उ०प्र०राज्य, AIR 1970 SC 1321** की विधि व्यवस्था का सन्दर्भ आवश्यक है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिनाख्त परेड की कार्यवाही में इस अपेक्षित प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया है *("Generally speaking, the Magistrate must make a note of every objection raised by an accused at the time of identification and the steps taken by them to ensure fairness to the accused, so that the court which is to judge the value of the identification evidence may take them into consideration in the appreciation of that evidence. The power to identify, it may be kept in view, varies according to the power of observation and memory of the person identifying and each case depends on its own facts, but there are two factors which seems to be of basic importance in the evaluation of identification. The persons required to identify an accused should have bad no, opportunity of seeing him after the commission of the crime and before identification and secondly that no mistakes are made by them or the mistakes made are negligible. The identification to be of value should also be held without much delay. The number of persons mixed up with the accused should be reasonably large and their bearing and general appearance not glaringly dissimilar.")*। शिनाख्त परेड के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रक्रिया **भाष्कर वीरप्पा कंचन बनाम महाराष्ट राज्य, 2003 Bom CR (Cri) 1648** व **नल्लम कृष्णाराया बाबू बनाम राज्य, 1996 CrLJ 4484 (Mad)** की विधि व्यवस्थाओं में भी अंकित है। वर्तमान पत्रावली में मौखिक साक्ष्य में भी किसी भी अभियोजन साक्षी ने उक्त पहचान कराने की तिथि, समय व प्रक्रिया के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है। इन आवश्यक विवरण के बिना, ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाए जाने के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फोटो से पहचान कराकर अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान, अपराध करने वाले अभियुक्त के रूप में करने को शिनाख्त परेड से अधिक सशक्त व विश्वसनीय प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती। यदि विधि शिनाख्त परेड को साबित करने हेतु इस संदर्भ में अपनाई गई प्रक्रिया के आवश्यक तथ्यों को साबित करने को आवश्यक बनाती है तो मात्र विवेचक, चोटिल साक्षी तथा वादी मुकदमा के मौखिक बयानों के आधार पर फोटो के माध्यम से अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित करने को उचित व विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। यह उस स्थिति में अग्रेतर

अविधिक होगा, जबकि किसी भी अभियोजन साक्षी ने उक्त कथित फोटोग्राफ से पहचान की प्रक्रिया के आवश्यक विवरण को प्रकट नहीं किया है।

201. उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहरीर में अंकित अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान दौरान विवेचना सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के रूप में सुनिश्चित किये जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका है।

202. अभियोजन पक्ष द्वारा एक तर्क यह भी किया गया कि वादी मुकदमा व चोटिल ने दौरान विचारण अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान की है। यदि फोटो से पहचान करने के तथ्य को साबित न भी माना जाए तो भी दौरान विचारण दिए बयान से घटना में आरोपित व्यक्तियों की संलिप्तता तथा उनकी पहचान सुनिश्चित होती है। न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से किए गए तर्क से सहमत नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि शिनाख्त परेड के बिना उस अभियुक्त की प्रथम बार न्यायालय में पहचान, जिसे घटना के पूर्व साक्षी जानता पहचानता न हो, अत्यंत दुर्बल कोटि की साक्ष्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पी शशि कुमार बनाम राज्य,** 2024 LiveLaw (SC) 460 की विधि व्यवस्था में पारित सिद्धांत का अनुसरण करते हुए **नाजिम बनाम उत्तराखंड राज्य,** 2025 LiveLaw (SC) 1019 की विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्णीत किया है कि साक्षी की अभियुक्त से पूर्व पहचान न होने की स्थिति में न्यायालय में अभियुक्त की साक्षी द्वारा पहचान, बिना पूर्व शिनाख्त परेड के अल्प साक्ष्यिक मूल्य का है। वर्तमान प्रकरण में अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान के लिए न तो कोई शिनाख्त परेड कराई गई है और न ही शिनाख्त परेड न कराए जाने के कारण को स्पष्ट किया गया है। इस परिस्थिति में साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान प्रथम बार न्यायालय में करना अत्यंत दुर्बल कोटि का साक्ष्य है, जिसके आधार पर बिना अन्य किसी सम्पोषक साक्ष्य के, अपराध में अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान सन्देह से परे स्थापित होना नहीं माना जा सकता। इस स्तर पर पुनः उल्लेखनीय है कि फोटो से अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान कराने कर तथ्य को भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका है।

203. वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा अथवा चोटिल द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान किए जाने का तथ्य अग्रेतर संदेहास्पद है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित है कि दिनांक 21–07–2018 की घटना की कोई पूर्व आशंका वादी मुकदमा अथवा चोटिल को नहीं थी। चोटिल की चलती हुई कार तथा वादी मुकदमा के चलते हुए दुपहिया वाहन के दौरान, बिना किसी पूर्व आशंका के अचानक अभियुक्तगण द्वारा कार पर फायरिंग आरम्भ की गई। घटना में सड़क पर तीन तरफ अलग–अलग समूह बनाकर अभियुक्तगण का फायरिंग करना कहा गया है, जिसमें 9 अभियुक्तगण को वादी व चोटिल द्वारा पूर्व से पहचाना तथा अन्य दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों का होना बताया गया है। घटना का अल्प समयावधि तक ही घटित होना तथा घटना के पश्चात् अभियुक्तगण के घटना–स्थल से भाग जाने का कथन किया गया है। पूर्व किसी आशंका के अभाव में इतनी अधिक संख्या में सड़क पर कई समूहों में विभक्त अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने की स्थिति में कार में बैठे व्यक्ति अथवा पीछे से दोपहिया वाहन पर आ रहे निकट संबंधी द्वारा फायरिंग से स्वयं को सुरक्षित रखने के प्रयास में स्वयं को छिपाना व बचाना पूर्ण स्वाभाविक है। इस अस्थिरता, असुरक्षा तथा प्राण के संकट की स्थिति में, तीव्र घटनाक्रम के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान वादी मुकदमा या चोटिल द्वारा किया जाना सम्भव है, जो पूर्व से परिचित रहा हो। किन्तु, उक्त परिस्थिति में वादी मुकदमा या चोटिल द्वारा पूर्व में अज्ञात रहे व्यक्ति की पहचान सन्देह से परे रूप से सुनिश्चित करना सदैव संदेहास्पद होगा। अज्ञात अभियुक्तगण के 4–5 की संख्या में होने की स्थिति में यह अग्रेतर सन्देहास्पद होगा। वर्तमान प्रकरण में शिनाख्त परेड के बिना न्यायालय में अभियुक्तगण को पहचानने के साक्ष्यिक मूल्य की दुर्बलता, उक्त विश्लेषण से अग्रेतर दुर्बल होती है। अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के घटनास्थल पर उपस्थित होकर घटना कारित करने को, उपलब्ध साक्ष्य के माध्यम से संदेह से परे साबित होना नहीं माना जा सकता।

204. केस डायरी तथा पी०डब्ल्यू० 13, पी०डब्ल्यू० 15 व पी०डब्ल्यू० 16 (विवेचकों) के बयानों के अनुसार अपराध में अभियुक्तगण नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सनम उर्फ मांगे तथा गौरव उर्फ मोंटी की संलिप्तता का आधार सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के पुलिस को दिए बयान हैं। पुनः उल्लेखनीय है कि सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के उक्त कथित पुलिस को दिए बयान धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 25 व 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हैं। इन कथित बयानों के विधितः साबित न होने के कारण इन बयानों के आधार पर अन्य अभियुक्तगण नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सनम उर्फ मांगे तथा गौरव उर्फ मोंटी की घटना में संलिप्तता को धारा 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं माना जा सकता। उक्त बयानों के आधार पर ऐसा कोई तथ्य प्राप्त होना भी साबित नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण गौरव उर्फ मोंटी, सनम उर्फ मांगे तथा नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू को घटना दिनांकित 21–07–2018 में संलिप्त होना संदेह से परे साबित माना जा सके। अभियुक्त गौरव उर्फ मोंटी को सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के गैंग का लीडर बताया गया है, किंतु इसके संबंध में कोई ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

205. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात अभियुक्तगण के रूप में नामित किये गये व्यक्तियों की पहचान के पश्चात् उक्त के संदर्भ में केस डायरी पर संकलित सामग्री तथा इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से **अभियुक्तगण सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, सनम उर्फ मांगे, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू तथा गौरव उर्फ मोंटी द्वारा घटना दिनांकित–21.07.2018 में घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटना कारित किये जाने के संदर्भ में संदेह से परे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।**

206. घटना के संदर्भ में आपराधिक षड्यन्त्र किये जाने का भी आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित है। न्यायालय आपराधिक षड्यन्त्र के आरोप के संदर्भ में निष्कर्ष प्राप्त किया जाना भी समीचीन पाता है।

<u>आपराधिक षडयन्त्र के आरोप का विश्लेषण–</u>

207. आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के संदर्भ में निष्कर्ष प्राप्त किए जाने हेतु केस डायरी में आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में संकलित सामग्री का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

208. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 21–07–2018 की घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दौरान विवेचना नामित अभियुक्त राजेंद्र गुर्जर की गिरफ्तारी 01–08–2018 को की गई। अभियुक्त राजेंद्र गुर्जर ने रंजिशन घटना कारित किये जाने को पुलिस से स्वीकारा। अभियुक्त राजेंद्र गुर्जर ने प्रहलाद, ऊधम व भूपेंद्र के साथ योजना बनाने, प्रहलाद द्वारा शूटरों तथा पैसों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी भी पुलिस को दी। केस डायरी के अनुसार अधिकांश रूपयों की व्यवस्था प्रहलाद गुर्जर द्वारा तथा रूपये दो लाख की व्यवस्था राजेंद्र गुर्जर द्वारा की गई थी। राजेंद्र गुर्जर के बयान के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध षड्यंत्र के संदर्भ में धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी की गई।

209. षड्यंत्र के संदर्भ में केस डायरी में अग्रिम सामग्री दिनांक 09–08–2018 को संकलित की गई। केस डायरी के अनुसार दिनांक 09–08–2018 को विवेचक को थाना टप्पल, अलीगढ़ से अभियुक्त सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहतास के गिरफ्तार होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश ने पुलिस को दिए बयान में अभियुक्त सरदार सिंह गुर्जर का अभियुक्त मोंटी से संपर्क में आने तथा सरदार सिंह गुर्जर द्वारा संजय वर्मा की हत्या के लिए 20 लाख रूपयों को देने की बात को स्वीकार किया गया। इन बयानों में अभियुक्तगण सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश ने घटना कारित करने के लिए प्रहलाद द्वारा दो मोटरसाइकिल उपलब्ध कराए जाने की भी जानकारी दी। इन अभियुक्तगण ने घटना के पश्चात पल्सर मोटरसाइकिल को जेल की दीवार के पास खड़ा किया जाना भी बताया। अभियुक्तगण सागर राणा तथा रोहित

उर्फ रोहितास के उक्त बयानों के आधार पर सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, सरदार सिंह गुर्जर, मोंटी, धांधू उर्फ पटवारी, मांगे तथा अजय का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के बयान अंकन के पश्चात केस डायरी में विवेचक द्वारा जेल की दीवाल के पीछे पल्सर मोटरसाइकिल के खड़े होने की सूचना प्राप्त होने का अंकन किया।

210. केस डायरी के अनुसार दिनांक 15–08–2018 को अभियुक्त प्रहलाद की गिरफ्तारी की गई, जिसके पश्चात प्रहलाद का बयान पुलिस द्वारा अंकित किया गया। प्रह्लाद ने पुलिस को दिए बयान में यह स्वीकार किया कि सोनू गोंडा व कमलेश यादव ने घटना कारित करने के लिए शूटर हायर किए थे। प्रह्लाद ने चार तारीख को वादी मुकदमा की ओरछा में रिंग सेरेमनी व 17–07–2018 को व्यापारिक गोष्ठी व शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संजय वर्मा की हत्या की योजना बनाए जाने के विषय में भी पुलिस को बताया। पुलिस को दिए बयान के आधार पर पुलिस ने दिनांक 04–07–2018 की वादी मुकदमा की रिंग सेरेमनी कार्ड व 17–07–2018 के व्यापारिक शपथ ग्रहण व गोष्ठी समारोह के कार्ड को अवलोकित कर प्रहलाद के बयान को प्रमाणित पाया। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त प्रह्लाद ने दिनांक 17–07–2018 के व्यापारिक शपथ ग्रहण व गोष्ठी समारोह में संजय वर्मा के उपस्थित न होने के विषय में कमलेश द्वारा बताये जाने का बयान दिया था। केस डायरी के अनुसार उक्त शपथ ग्रहण व व्यापारिक गोष्ठी में संजय वर्मा उपस्थित नहीं हुआ था, अतः घटना व इसके षड्यंत्र में कमलेश की भूमिका की पुष्टि होना माना गया।

211. विवेचक ने केस डायरी के पर्चा नंबर 24 दिनांकित 02–10–2018 में यह अंकित किया कि अभियुक्त सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश की फोटो थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ से जरिये व्हाट्सएप प्राप्त हुई, जिसके आधार पर घटनास्थल के आस–पास सी०सी०टी०वी० फुटेज प्राप्त कर फोटो का मिलान किया गया। पर्चा नंबर 26 दिनांकित 06–10–2018 के अनुसार विनय ट्रेडर्स पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में दिनांक 21–07–2018 का फुटेज देखा गया, जिसमें दोपहर एक से दो बजे के मध्य मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति थाना टप्पल से उपलब्ध कराए गए सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश की फोटो से मेल खाते पाये गए।

212. दिनांक 13–10–2018 को पर्चा नंबर 29 में अभियुक्त रावराजा से अंगद पुत्र रावराजा व अभियुक्त भरत सिंह से राजेंद्र पुत्र भरत सिंह के द्वारा जेल में मुलाकात किए जाने के तथ्य को अंकित किया गया।

213. दिनांक 24–10–2018 को पर्चा नंबर 37 अंकित किया गया जिसमें सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के बयानों में स्वीकारोक्ति किए जाने तथा 9 एमएम पिस्टल, स्विफ्ट डिजायर कार, मोटरसाइकिल बरामद करने तथा सह अभियुक्तगण सनम उर्फ मांगे, पटवारी उर्फ धांधू, मोंटी उर्फ मोनू तथा अजय को पकड़वाने का बयान दिया गया। दिनांक 29–10–2018 को एससीडी नंबर दो में सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश्व से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभियुक्तगण ने घटनास्थल तथा इसके पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती घटनाक्रम के स्थलों का भौतिक सत्यापन करने की बात को कहा, जिसके आधार पर दिनांक 29–10–2018 को कराए गए भौतिक सत्यापन के पश्चात प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता को प्रमाणित पाया गया।

214. षड्यंत्र के संदर्भ में एक अन्य तथ्य एससीडी संख्या 7 दिनांकित 11–11–2018 में अंकित है, जिसके अनुसार प्रहलाद की सीडीआर के अवलोकन से सह अभियुक्तगण राजेंद्र गुर्जर, सोनू गेडा तथा ऊधम सिंह से काफी बार बात किए जाने का विवरण प्राप्त होने का अंकन है। सीडीआर, कैफ तथा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को संलग्न सीडी होना अंकित किया गया।

215. एससीडी 8A दिनांक 12–11–2018 को अंकित करते हुए विवेचक द्वारा अब तक की विवेचना से सरदार सिंह, राव राजा, भरत, प्रहलाद तथा कमलेश द्वारा अपराध का आपराधिक षड्यंत्र किए जाने तथा सागर राणा आदि को 20 लाख रुपया देकर हत्या करने व

घटना कारित करने के लिए स्विफ्ट कार, पल्सर व बजाज मोटरसाइकिल सागर राणा आदि को मुहैया कराए जाने का निष्कर्ष प्राप्त किया, जिसके आधार पर प्रहलाद, सागर राणा तथा रोहित उर्फ रोहिताश के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

216. इसके पश्चात दिनांक 26–11–2018 को एससीडी 9 किता की गई, जिसमें विजय सोनी तथा संजीव गुप्ता के बयान अंकित किए गए। इन साक्षीगण के बयान के आधार पर सरदार सिंह, भरत सिंह व राव राजा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, दिनांक 29–03–2019 को कमलेश यादव के आत्म समर्पण की सूचना के पश्चात अभियुक्त कमलेश यादव का बयान अंकित किया गया जिसने भी षड्यंत्र की जानकारी दी। कमलेश की निशानदेही पर तमंचा बरामद होने की फर्द एससीडी 56 दिनांकित 04–04–2019 को किता की गई। दिनांक 28–06–2019 को एससीडी 63 किता करते हुए नितेश उर्फ धांधू उर्फ पटवारी की गिरफ्तारी की सूचना पर नितेश उर्फ धांधू उर्फ पटवारी का बयान अंकित किए जाने का तथ्य अंकित किया गया। केस डायरी के अनुसार उक्त बयान में अभियुक्त ने सनम उर्फ मांगे, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश तथा गौरव उर्फ मोंटी सभी के द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकारा।

217. संपूर्ण केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण विवेचना में दिनांक 26–11–2018 को विजय सोनी व संजीव गुप्ता के बयानों में षड्यंत्र के संबंध में दी गई जानकारी के अतिरिक्त, संपूर्ण षड्यंत्र संबंधी सामग्री प्रकरण के अभियुक्तगण के पुलिस को दिए बयानों में ही सन्निहित है। समस्त केस डायरी में अभियुक्तगण द्वारा अपराध का षड्यंत्र किए जाने की सामग्री, मात्र अभियुक्तगण की ही पुलिस के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति अथवा अभियुक्तगण का पुलिस को दिए बयानों में, घटनाक्रम में अन्य अभियुक्तगण का षड्यंत्र में सम्मिलित होने का किया गया कथन है। विचारण के दौरान विवेचकों द्वारा न्यायालय के सम्मुख दिए अपने सशपथ बयान में भी अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में आने के पश्चात जुर्म स्वीकारोक्ति किए जाने तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किए जाने का कथन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकारोक्ति धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 25 व 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। यदि केस डायरी में अंकित तथ्यों के अनुसार तथा विवेचकों द्वारा अभियोजन साक्षीगण के रूप में दी गई साक्ष्य के अनुसार, यह मान लिया जाए कि अभियुक्तगण द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष जुर्म स्वीकारोक्ति की गई थी तो संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा विवेचक का यह दायित्व था कि वह अभियुक्त को धारा164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति किए जाने के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों अथवा विवेचकों द्वारा अभियुक्त को धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुपालन में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न करना, न केवल अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वरन यह पुलिस के समक्ष की गई कथित स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में पूर्णतया आग्रह्य बनाता है। इसी प्रकार, यदि प्रकरण के किसी अभियुक्त के द्वारा पुलिस को दिए बयान में जुर्म की स्वीकारोक्ति करते हुए अन्य अभियुक्तगण का घटना को कारित करने में षड्यंत्र करने का कथन किया गया था तो संबंधित पुलिस अधिकारी/विवेचक से अपेक्षित था कि वह धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी व प्रयोज्य बनाने के लिए आवश्यक उपक्रम करता। षड्यंत्र की सूचना देने तथा अपराध की संस्वीकृति करने वाले अभियुक्त को धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत *'सह–अपराधी'* के रूप में पत्रावली में स्थापित करना आवश्यक व अपेक्षित था। इस संपूर्ण प्रक्रिया का पालन न किए जाने के कारण पुलिस के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति व अन्य अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र की सूचना दिए जाने संबंधी तथ्य साक्ष्य में आग्रह हैं। अपराध की स्वीकारोक्ति व अन्य अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किये जाने के सन्दर्भ में विवेचकों के, विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण के रूप में दिए गए बयान का कोई

साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण की कथित संस्वीकृति साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा षड्यंत्र के संदर्भ में पुलिस को दी गई सूचना धारा 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी ग्राह्य नहीं है। स्पष्ट है कि केस डायरी में संकलित तथा प्रकरण के विवेक के द्वारा अभियोजन साक्षीगण के रूप में अंकित कराए गए बयानों में अभियुक्तगण की अपराध की संस्वीकृति व अन्य अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र की अथवा सह अभियुक्तगण द्वारा अपराध के लिए षड्यंत्र किए जाने का कथन अथवा सूचना का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। इनके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित षड्यंत्र के आरोप को किसी भी प्रकार से साबित नहीं माना जा सकता। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **पी० कृष्णा मोहन रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2025 LiveLaw (SC) 598** की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त को सन्दर्भित किया जा सकता है ("*Where such police statement of an accused is confessional statement, the rigour of Section(s) 25 and 26 respectively will apply with all its vigour. A confessional statement of an accused will only be admissible if it is not hit by Section(s) 24 or 25 respectively and is in tune with the provisions of Section(s) 26, 28 and 29 of the Evidence Act respectively. In other words, a police statement of an accused which is in the form of a confession is per se inadmissible and no reliance whatsoever can be placed on such statements either at the stage of bail or during trial. Since such confessional statements are rendered inadmissible by virtue of Section 25 of the Evidence Act, the provision of Section 30 would be of no avail, and no reliance can be placed on such confessional statement of an accused to implicate another co-accused.*")

218. न्यायालय के सम्मुख यह भी विचारणीय है कि क्या पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से इस प्रकार का कोई तथ्य साबित है जो धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य हो तथा इसके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र कारित करना साबित माना जा सके। उल्लेखनीय है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पता चले किसी तथ्य को साबित किया जा सकने का प्रावधान करती है। प्रकरण के विवेचक पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने राजेंद्र गुर्जर की गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस को यह बताने का बयान दिया है कि प्रकरण के अभियुक्तगण ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से घटना कारित करवाया। शूटरों को अधिकांश रुपया प्रहलाद गुर्जर द्वारा दिया गया था तथा रू०दो लाख की व्यवस्था गेहूं बेचकर राजेन्द्र द्वारा की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से दी गई उक्त जानकारी से संपूर्ण विवेचना में ऐसे किसी तथ्य का ज्ञात होना साबित नहीं होता है जिसके आधार पर अभियुक्तगण का अपराध में षड्यंत्र किया जाना साबित माना जा सके।

219. इसी प्रकार पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने दिनांक 09-08-2018 को रोहित उर्फ रोहिताश व सागर राणा की गिरफ्तारी के पश्चात् इन अभियुक्तगण का बयान अंकित किए जाने का कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। यद्यपि इन अभियुक्तगण द्वारा दिए गए बयानों को विवेचक पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया है, किंतु यदि केस डायरी में संकलित सामग्री का अवलोकन किया जाए तो पुलिस को दिए अभियुक्तगण उपरोक्त के बयानों में षड्यंत्र के अंतर्गत सरदार सिंह गुर्जर द्वारा संजय वर्मा की हत्या के लिए 20 लाख रुपया देना तथा प्रहलाद के द्वारा दो मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जाना बताया गया है। इन अभियुक्तगण ने पुलिस को दिए बयान में घटना के पश्चात् मोटरसाइकिल को जेल की दीवाल के पास खड़ा किया जाना बताया था। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा पुलिस को कथित रूप से दिए गए उक्त बयानों के आधार पर ऐसे किसी तथ्य की खोज को साबित नहीं कर सका है, जिनके आधार पर किन्हीं अभियुक्तगण द्वारा घटना में षड्यंत्र किया जाना साबित होता हो। केस डायरी में जेल की दीवार के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी होना पाया जाना अवश्य अंकित है, किंतु पत्रावली पर इस प्रकार का

कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता हो कि जेल की दीवार के पास कथित रूप से खड़ी उक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्तगण के बयान के आधार पर अथवा अभियुक्तगण की निशानदेही पर प्राप्त किया गया था। अभियोजन पक्ष उक्त कथित मोटरसाइकिल की बरामदगी को किसी अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कर सका है। उक्त मोटरसाइकिल विचारण के दौरान न तो प्रस्तुत की जा सकी है और न ही मोटरसाइकिल की बरामदगी के संबंध में अथवा मोटरसाइकिल को कथित रूप से पुलिस चौकी अथवा पुलिस थाने पर खड़ी किए जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष थाने की जी०डी० सहित अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका है। उक्त कथित मोटरसाइकिल को कथित रूप से अभियुक्त प्रहलाद द्वारा अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश को उपलब्ध कराए जाने के विषय में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। इस तथ्य के संदर्भ में मात्र अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश द्वारा पुलिस को दिया गया बयान होना कहा गया है, जो स्वयं साक्ष्य के रूप में अग्राह्य है। इस प्रकार, अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के पुलिस को दिये कथित बयानों में इस प्रकार का कोई तथ्य साबित होना नहीं पाया जाता है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का षड्यंत्र कारित किया जाना साबित होता हो।

220. इसी प्रकार, अभियुक्तगण द्वारा घटना के संबंध में षड्यंत्र कारित किए जाने का एक आधार केस डायरी में दिनांक 15–08–2018 को अभियुक्त प्रहलाद की गिरफ्तारी के पश्चात् प्रहलाद द्वारा पुलिस को दिए गए बयान को बताया गया है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त प्रहलाद ने घटना में जुर्म को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किया जाना तथा संजय वर्मा की हत्या किए जाने की योजना बनाना बताया गया। पुलिस के समक्ष दिए गए प्रहलाद के बयान के अनुसार अभियुक्तगण ने चोटिल संजय वर्मा की हत्या 4 तारीख को ओरछा में संजय वर्मा के पुत्र की रिंग सेरेमनी में करने तथा इसमें असफल रहने पर 17–07–2018 को व्यापारियों के शपथ ग्रहण समारोह व गोष्ठी में करने की योजना बनाई गई। विवेचक ने रिंग सेरिमनी कार्ड के आधार पर तथा दिनांक 17–07–2018 के व्यापारिक गोष्ठी व शपथ ग्रहण कार्यक्रम के स्नेह आमंत्रण कार्ड का अवलोकन कर प्रहलाद के बयान को पुष्ट होना पाया। इन तथ्यों के संदर्भ में पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने अपने बयान में मात्र यह कथन किया है कि दिनांक 15–08–2018 को प्रहलाद की गिरफ्तारी कर बयान अंकित किया था, जिसने अपने बयान में सोनू गेडा व कमलेश यादव का घटना को कारित करने के लिए शूटर हायर करने के बारे में बताया था। पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने मुख्य परीक्षा के बयान में (पृष्ठ दो पर) पुलिस को अभियुक्त प्रहलाद द्वारा दिए गए बयान के विषय में बताया है, किंतु इन बयानों के आधार पर भी इस प्रकार का कोई तथ्य अथवा किसी वस्तु की बरामदगी साबित नहीं है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र कारित किया जाना साबित होता हो। उल्लेखनीय है कि विवेचक ने रिंग सेरेमनी कार्ड तथा व्यापारिक गोष्ठी के संबंध में छपे स्नेह आमंत्रण कार्ड के आधार पर प्रहलाद के बयानों को पुष्ट होना बताया है किंतु रिंग सेरेमनी कार्ड तथा व्यापारिक गोष्ठी दिनांकित 17–07–2018 का स्नेह आमंत्रण कार्ड इस प्रकार की कोई विशिष्ट वस्तु नहीं है, जिसके संदर्भ में जानकारी अभियुक्त प्रहलाद को ही विशिष्ट रूप से रही हो। उक्त कार्ड सामान्य उपलब्ध कार्ड है जिसके आधार पर अभियुक्त प्रहलाद के बयान की संपुष्टि अथवा अपराध में षड्यंत्रकारी के रूप में अभियुक्तगण के सम्मिलित होने को साबित नहीं माना जा सकता।

221. केस डायरी के पर्चा 29 में अभियुक्तगण के द्वारा षड्यंत्र किए जाने के निष्कर्ष के संदर्भ में एक तथ्य यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक 01–06–2018 से 20–07–2018 के बीच अभियुक्त राव राजा व भरत सिंह से क्रमशः अंगद व राजेंद्र गुर्जर के द्वारा मुलाकात की गई। पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा अपने बयान में उक्त तथ्य का कथन भी किया गया है। किंतु, स्वयं बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंगद, अभियुक्त राव राजा का तथा राजेंद्र अभियुक्त भरत सिंह का पुत्र है। भरत व राव राजा के जेल में होने की स्थिति में

उनके पुत्रों का जेल में मिलने जाना किसी भी प्रकार से अस्वाभाविक नहीं है। मात्र उक्त तथ्य के साबित होने से अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र कारित किया जाना साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष उक्त मुलाकात के दौरान अभियुक्तगण की परस्पर बातचीत के संदर्भ में ऐसे किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर सका है जिसके आधार पर यह साबित माना जा सके कि अंगद तथा राजेंद्र सिंह की उक्त मुलाकात किसी षड्यंत्र की योजना के बनाए जाने के आशय से हुई थी अथवा उक्त मुलाकात के दौरान षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी।

222. आपराधिक षडयंत्र के अन्य आधार केस डायरी के पर्चा 37 दिनांकित 24–10–2018 में अंकित हैं, जिसके अनुसार अभियुक्त रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा ने पुलिस को दिए बयान में 9 एमएम पिस्टल, स्विफ्ट डिजायर कार तथा मोटरसाइकिल की बरामदगी कराए जाने व कुछ अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार करवाने का बयान दिया है। अभियुक्तगण की उक्त कथित स्वीकारोक्ति का कथन पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने अपने बयान में अंकित कराया है, किंतु पुनः यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस को की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी अपराध में संलिप्तता को साबित नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रोहित उर्फ रोहिताश तथा सागर राणा के बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त किसी हथियार, कार अथवा मोटरसाइकिल को बरामद करने के तथ्य को साबित नहीं कर सका है। कथित बरामदगी की कोई फर्द भी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

223. इसी प्रकार पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने अभियुक्तगण सागर राणा व रोहित उर्फ रोहिताश के द्वारा घटनास्थल का भौतिक सत्यापन दिनांक 29–10–2018 को कराए जाने का बयान दिया है। उक्त कथित भौतिक सत्यापन के संदर्भ में पी०डब्ल्यू० 15 के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। विवेचक के द्वारा घटनास्थल का भौतिक सत्यापन कराए जाने के कथन मात्र के आधार पर किसी अभियुक्त का अपराध में सम्मिलित होना संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

224. इस प्रकार, षड्यंत्र के संदर्भ में केस डायरी पर संकलित सामग्रियों के संदर्भ में साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पुलिस के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति अथवा अन्य अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किए जाने के बयान के साक्ष्य में ग्राह्य न होने के कारण उक्त आधार पर षड्यंत्र के आरोपों को साबित नहीं माना जा सकता। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस को दिए कथित बयान से ऐसे किसी तथ्य का भी प्रकट होना साबित नहीं होता है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा घटना के संबंध में षड्यंत्र कारित किए जाने को संदेह से परे साबित माना जा सके।

225. षड्यंत्र के संदर्भ में पूरक केस डायरी के पर्चा नंबर 9 में विजय सोनी तथा संजीव गुप्ता के बयान अंकित हैं। अभियोजन पक्ष ने संजीव गुप्ता को पी०डब्ल्यू० 4 के रूप में उपस्थित किया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में निम्न कथन किए हैं–

"दिनांक 31.08.2017 को जब मैं विजय सोनी के साथ उसके निजी काम से कचहरी आया था मैं गैंग्स्टर कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था मेरे साथ विजय सोनी थे उसी समय भरत, सरदार, रावराजा गुर्जर को पुलिस लेकर आयी। उनके पीछे सोनू गेड़ा , ऊधम व भूपेन्द्र भी आये। सरदार ने सोनू गेड़ा से कहा कि मेरे परिवार को संजय वर्मा ने तबाह व बर्बाद कर दिया है और मुझे भी आज गैंग्स्टर मे सजा करवा दी। अब संजय वर्मा का मरना बहुत जरूरी हो गया है। तब सोनू गेड़ा ने कहा कि मैं असलहे व रूपये पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। तब सरदार , रावराजा और भरत ने कहा कि तुम रूपये पैसे और असलहे की व्यवस्था करो कमलेश तुम्हारी मदद के लिये कुछ बाहरी बदमाशों की व्यवस्था कर देगा यह सुन कर हम डर गये और घबरा गये। उसके १०–११ महीने बाद जब कचहरी चौराहे पर संजय वर्मा के उपर गोलियां चली और उसमें उनका एक सुरक्षा कर्मी मारा गया और वह स्वयं भी घायल हो गये तब मुझे याद आया कि मैंने जो गैंग्स्टर कोर्ट के बाहर सुना व देखा था वह घटना आज सत्य हो गयी । सरदार सिंह, रावराजा, भरत, सोनू गेड़ा , भरत , ऊधम और भूपेन्द्र इन लोगों ने

षडयंत्र रचकर अपने कार्य को अंजाम दे दिया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था तो मैंने सब दरोगा जी को बता दिया था।"

226. पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने घटना दिनांक 21–07–2018 के लगभग 11 माह पूर्व अभियुक्तगण के मध्य वार्ता को सुना जाना बताया है। पी०डब्ल्यू० 15 ने अपनी मुख्य परीक्षा में संजीव गुप्ता के बयान को दिनांक 26–11–2018 को अंकित करना बताया है। प्रति–परीक्षा में (पृष्ठ 51 तथा 54 पर) पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी/विवेचक ने यह स्वीकार किया है कि संजीव गुप्ता का बयान उसने अर्थात् विवेचक ने दिनांक 26–11–2018 को लिया था। पी०डब्ल्यू० 15 विवेचक ने (पृष्ठ 54 पर) यह बयान दिया है कि उक्त बयान कचहरी के बाहर चाय की दुकान पर लिया था तथा चाय की दुकान पर उक्त गवाहों के मिलने से पूर्व वह अर्थात् विवेचक उन गवाहों को न तो जानता था और न ही उनसे कभी मुलाकात हुई थी।

227. विवेचक के उक्त बयानों से प्रकट होता है कि पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता द्वारा दिनांक 31–08–2017 की घटना का प्रथम प्रकटन दिनांक 26–11–2018 को अर्थात 31–08–2017 की षडयन्त्र की कथित वार्ता को सुनने के लगभग 15 माह पश्चात व अपराध की घटना दिनांकित 21–07–2018 के लगभग चार माह पश्चात किया है। यह विलंब दिनांक 31–08–2017 की घटना को संदेहास्पद बनाता है।

228. इस विलंब के कारण को पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता या पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में स्पष्ट नहीं किया गया है। किंतु, पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने प्रति–परीक्षा में (पृष्ठ 55 पर) यह बयान दिया है कि देरी का कारण पूछने पर गवाह ने कहा था कि उपरोक्त लोग (अर्थात् अभियुक्तगण) अपराधी हैं, इसलिए वह डर रहा था। लेकिन, अचानक डर खत्म होने पर बयान देने आया है। पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने (पृष्ठ तीन पर) यह बताया है कि वह पार्षद है तथा नेता भी है। नेता का पुलिस वालों से भी परिचय होता है। अभियुक्तगण द्वारा संजीव गुप्ता को पूर्व से पहचानने का कोई साक्ष्य नहीं है। इस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के विषय में अभियुक्तगण द्वारा बातचीत किये जाने अथवा षड्यंत्र किए जाने की वार्ता को सुनने मात्र से पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता का भयभीत हो जाना विश्वसनीय नहीं है। यदि पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता अभियुक्तगण की वार्ता को सुनकर भयभीत हो भी गया था तो भी उक्त वार्ता से संबंधित सूचना को गोपनीय रूप से चोटिल संजय वर्मा या पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाया जाना दुष्कर नहीं था। पी०डब्ल्यू० 4 ने प्रति परीक्षा में (पृष्ठ 9 पर) बयान में कहा है कि लगभग एक डेढ़ महीने तक उसके ऊपर डर बना रहा। जब डर खत्म हुआ तब भी उसने यह चर्चा किसी से नहीं की। डर खत्म होने के बाद उसने उक्त बात अपने परिवार या समाज के किसी व्यक्ति या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नहीं बताई। डर खत्म होने के बाद वह सामान्य गति से अपना दैनिक कार्य करता रहा। शहर में घूमता रहा।

229. इस प्रकार, पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता के बयानों में एक डेढ़ माह बाद डर समाप्त होने तथा सामान्य क्रियाकलाप व दैनिक कार्य धंधा करने की बात कही है। यदि डर समाप्त हो गया था तो दिनांक 31–08–2017 की घटना के विषय में संजय वर्मा या उसके परिवरीजन को साक्षी द्वारा बताया जाना स्वाभाविक था। यह संभव है कि दैनिक कार्यकलाप में लगने पर दिनांक 31–० 8–2017 की घटना के लगभग एक–डेढ़ माह बाद साक्षी ने घटना के विषय में चोटिल संजय वर्मा को बताना औचित्यहीन समझा हो। दिनांक 31–08–2017 की घटना की सत्यता की स्थिति में दिनांक 21–07–2018 की घटना के पश्चात इस विषय में अविलंब संजय वर्मा को अथवा पुलिस को इस विषय में सूचना देना स्वाभाविक था। साक्षी ने प्रति परीक्षा में (पृष्ठ 9 पर) यह स्वीकार किया है कि अखबार में घटना के विषय में पढकर उसे अर्थात् संजीव गुप्ता को संजय वर्मा की मदद का ख्याल आया। वह अर्थात् संजीव गुप्ता गोली कांड वाले दिन ही संजय वर्मा व अन्य लोगों को देखने अस्पताल गया था। अस्पताल में पुलिस थी। अस्पताल में घटना के बारे में पुलिस को बताया नहीं था। किसी चोटिल या संजय

वर्मा को भी नहीं बताया। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि वह उस दिन अस्पताल में बात भूला नहीं था। यदि साक्षी संजीव गुप्ता का डर दिनांक 31–08–2017 के एक–डेढ़ माह बाद समाप्त हो गया था तथा घटना के विषय में संजय वर्मा की मदद करने का साक्षी संजीव गुप्ता इच्छुक था और घटना दिनांक 21–07–2018 के पश्चात् उसी दिन अस्पताल चोटिलों को देखने गया भी था, तो साक्षी द्वारा अस्पताल में उपस्थित पुलिस कर्मियों व संजय वर्मा के परिजनों को दिनांक 31–08–2017 की घटना की सूचना न देना पूर्णतया अस्वाभाविक व अविश्वसनीय है ।

230. पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने अपना मकान नंबर 56 वासुदेव, बड़ा बाजार, अंकित कराया है तथा मकान नंबर 57 संजय वर्मा का बताया है। यद्यपि प्रति–परीक्षा में साक्षी ने उक्त मकान नंबर 56 से पृथक रहने का बयान दिया है किंतु यह स्वीकार किया है (पृष्ठ 12 पर) कि मकान नंबर 56 उपरोक्त में इसका अर्थात् साक्षी का भाई निवास करता है तथा उसके भाई से साक्षी के अच्छे संबंध हैं, मोबाइल पर बातचीत होती है तथा षड्यंत्र की बात सुनने से घटना हो जाने तक 10–20 बार भाई के घर गया है। साक्षी ने (पृष्ठ 6 पर) संजय वर्मा के वार्ड से ही पार्षद का चुनाव लड़कर जीतने का बयान दिया है। उक्त पृष्ठभूमि में, जब कि (पृष्ठ तीन पर) साक्षी ने संजय वर्मा से दुश्मनी न होने तथा संजय वर्मा का शुभचिंतक होना भी स्वीकार है, षड्यंत्र की वार्ता सुनने की जानकारी संजय वर्मा या उसके परिवारीजन को, षड्यंत्र की वार्ता सुनने के अविलंब पश्चात् अथवा कथित डर के समाप्त होने के अविलंब पश्चात् अथवा दिनांक 21–07–2018 की घटना के अविलंब पश्चात न देना अस्वाभाविक तथा अविश्वसनीय है।

231. पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने प्रति परीक्षा में (पृष्ठ चार पर) बयान दिया है कि उसकी भरत, सरदार व राव राजा से न कभी दोस्ती रही और न वह उन लोगों के घर गया। अभियुक्तगण भरत, सरदार, राव राजा, ऊधम व भूपेंद्र के नाम की जानकारी विजय के द्वारा दिया जाना बताया है। साक्षी ने (पृष्ठ 8 पर) यह स्पष्ट कहा है कि विजय सोनी ने ही अभियुक्तगण की जानकारी बताई थी। (पृष्ठ 9 पर अंकित बयान में) साक्षी ने स्पष्टतया स्वीकार किया है कि सरदार सिंह का चेहरा उसने अर्थात साक्षी ने घटना के पूर्व सामने से नहीं देखा था। साक्षी के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि साक्षी संजीव गुप्ता अभियुक्तगण भरत सिंह, सरदार सिंह, राव राजा, भूपेंद्र सिंह व ऊधम सिंह गुर्जर को दिनांक 31–08–2017 की कथित घटना के पूर्व नहीं जानता था तथा अभियुक्तगण की पहचान के विषय में साक्षी को जानकारी विजय के द्वारा दी गई थी। स्पष्ट है कि दिनांक 31–08–2017 की घटना में उपस्थित व्यक्तियों की पहचान के संबंध में साक्षी संजीव गुप्ता की साक्ष्य, विजय सोनी की सूचना पर आधारित थी। अभियोजन पक्ष द्वारा विजय सोनी को बतौर साक्षी उपस्थित नहीं किया गया है। दिनांक 31–08–2017 की कथित घटना में उपस्थित व्यक्तियों की पहचान संबंधी संजीव गुप्ता की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी की है, जो विजय सोनी के साक्ष्य के अभाव में कथित घटना में अभियुक्तगण के ही उपस्थित होने को संदेह से परे साबित नहीं करती है।

232. पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने मुख्य परीक्षा में गैंगस्टर कोर्ट के बाहर खड़े रहने के दौरान अभियुक्तगण की वार्तालाप सुना जाना बताया है। प्रतिपरीक्षा में (पृष्ठ 4 पर) साक्षी ने बयान दिया है कि न्यायालय में जब अभियुक्तगण भरत सिंह, सरदार सिंह व राव राजा को लाया गया था, तब उनके हाथों में हथकड़ी थी और हथकड़ी में लगी हुई रस्सी पुलिस वाले नजदीक ही पकड़े खड़े थे। साक्षी संजीव गुप्ता व एक अन्य व्यक्ति विजय सोनी के दो–तीन कदम की दूरी पर ही खड़े होना भी बताया गया है। साक्षी ने (पृष्ठ आठ पर) स्वीकार किया है कि अदालतों में काफी भीड़ बनी रहती है, पुलिस लगी रहती है। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह अर्थात् साक्षी पुलिस से दो–तीन कदम की दूरी पर खड़ा था। साक्षी ने (पृष्ठ नौ पर) बयान दिया है कि इन लोगों के अलावा 20–22 लोगों की भीड़ थी । साक्षी के इन बयानों से स्पष्ट है कि कथित वार्तालाप के समय कथित अभियुक्तगण के पर्याप्त निकट पुलिसकर्मी व अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस परिस्थिति में, अभियुक्तगण का षड्यंत्र हेतु प्रकट व स्पष्ट रूप से वार्ता

करना अस्वाभाविक है। यदि अभियुक्तगण को रस्सी अथवा हथकडी लगी थी, तो अभियुक्तगण के पास पुलिस बल अथवा पुलिसकर्मियों की उपस्थिति रहना अत्यन्त स्वाभाविक था। न्यायालय में अन्य व्यक्तियों के होने को भी साक्षी ने स्वीकार किया है, जो स्वाभाविक भी है। इस प्रकार, यदि अभियुक्तगण के पास पुलिसबल व अन्य जनसामान्य उपस्थित था, तो अभियुक्तगण द्वारा संजय वर्मा की हत्या की साजिश प्रकट रूप से बनाना अथवा साजिश को स्पष्टतया प्रकट करना विश्वास योग्य नहीं है।

233. एक अन्य तथ्य दिनांक 31–08–2017 की घटना को संदेहास्पद बनता है। प्रकरण के विवेचक पी०डब्ल्यू० 15 इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने दिनांक 26–11–2018 को अंकित किए गए संजीव गुप्ता के बयान में दिनांक 31–08–2017 की घटना के विषय में बताए जाने का बयान दिया है। प्रति–परीक्षा में भी पी०डब्ल्यू० 15 ने दिनांक 26–11–2018 को ही साक्षी संजीव गुप्ता द्वारा बयान देने की बात स्वीकारी है। इसके विपरीत पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा ने (पृष्ठ 19 पर) घटना के 10–15 दिन बाद ही संजीव गुप्ता द्वारा षड्यंत्र की उक्त घटना दिनांकित 31–08–2017 के विषय में बताने का बयान दिया है। पी०डब्ल्यू० 2 संजय वर्मा ने (पृष्ठ 54 पर) भी यह बयान दिया है कि सरदार सिंह के षड्यंत्र की बात उसे अर्थात साक्षी को संजीव गुप्ता ने बताई थी तथा उसे सरदार सिंह के षड्यंत्र वाली बात की जानकारी घटना के 10–15 दिन बाद हुई थी। पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता ने प्रति परीक्षा में (पृष्ठ दो पर) यह बयान दिया है कि उसने अर्थात संजीव गुप्ता ने संजय वर्मा को तथा संचित वर्मा को दिनांक 31–08–2017 की वार्तालाप की जानकारी घटना के 10–15 दिन बाद दे दी थी। इस साक्षी ने (पृष्ठ दो पर) बताया है कि संजय वर्मा को गोली लगने के 17–18 दिन बाद उसका बयान हुआ था। प्रति–परीक्षा में साक्षी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को उसने अर्थात् संजीव गुप्ता ने उक्त वार्तालाप की जानकारी दिनांक 26–11–2018 को दी हो। यदि धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन में बयान की तिथि 26–11–2018 अंकित हो तो यह कैसे अंकित है कारण नहीं बता सकता।

234. स्पष्ट है कि स्वयं अभियोजन साक्षीगण ने संजीव गुप्ता द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में दिनांक 31–08–2017 की घटना की जानकारी देने की तिथि के संबंध मे परस्पर पूर्णतया असंगत कथन किए हैं। यदि साक्षी संजीव गुप्ता द्वारा घटना दिनांकित 31–08–2017 की जानकारी वादी मुकदमा व परिवरीजन को दिनांक 21–07–2018 के 10–15 दिन बाद दी गई थी तो विवेचक को इसकी सूचना 26–11–2018 के पूर्व न दिया जाना अस्वाभाविक व अविश्वसनीय है। इसी प्रकार, यदि पी०डब्ल्यू० 15 विवेचक के बयान के आधार पर संजीव गुप्ता द्वारा दिनांक 26–11–2018 को प्रथम बार सूचना देना मान भी जाए तो इससे वादी मुकदमा व चोटिल संजय वर्मा तथा पी०डब्ल्यू० 4 के बयानों में दिनांक 31–08–2017 की घटना के संदर्भ में किए गए कथनों पर सन्देह का आधार उत्पन्न होता है।

235. पी०डब्ल्यू० 4 संजीव गुप्ता के बयानों में (पृष्ठ चार पर) कथन है कि विजय सोनी दिनांक 31–08–2017 को किसी पेशी पर नहीं गए थे, न ही उसके सामने किसी वकील से मिले थे। उसे अर्थात् साक्षी को नहीं मालूम कि विजय सोनी को दिनांक 31–08–2017 को क्या निजी काम था। साक्षी ने (पृष्ठ 10 पर) स्पष्ट कहा है कि उक्त वार्तालाप (दिनांक 31–08–2017 की घटना का) के पहले या घटना के बाद वह कभी न्यायालय नहीं आया। पी०डब्ल्यू० 4 ने (पृष्ठ चार पर ही) यह स्वीकार किया है कि दिनांक 31–08–2017 को संजीव गुप्ता का झांसी कचहरी में कोई निजी काम नहीं था। स्पष्ट है कि साक्षी संजीव गुप्ता प्रकरण का एक *संयोग का साक्षी* (chance witness) है, जिसकी साक्ष्य अस्वाभाविक व अविश्वसनीय है। पी०डब्ल्यू० 4 के बयानों के आधार पर दिनांक 31–08–2017 की घटना संदेह से परे साबित नहीं होती है।

236. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष दिनांक 31–08–2017 की घटना के सन्दर्भ में सन्देह से परे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है तथा घटना दिनांकित 31–08–2017 के सन्दर्भ में दी गयी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। घटना दिनांकित 31–08–2017

के सन्देह से परे साबित होने की अवस्था में उक्त कथित घटना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा घटना में सम्मिलित होना तथा दिनांक 21–07–2018 की घटना के लिए षडयन्त्र करना सन्देह से परे साबित नहीं है।

237. पी०डब्ल्यू० 2 चोटिल संजय वर्मा ने अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र किए जाने के संदर्भ में अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में दिनांक 14–05–2018 की घटना का भी कथन किया है। साक्षी ने बयान दिया है कि उक्त तिथि पर न्यायालय पेशी पर आए सरदार सिंह गुर्जर से सोनू गेड़ा, भूपेंद्र गुर्जर, ऊधम गुर्जर को उसने अर्थात् साक्षी ने मिलते देखा था। कचहरी से वापस जाते समय सोनू गेड़ा, भूपेंद्र गुर्जर व ऊधम गुर्जर ने धमकाया था कि बहुत पैरवी करता है। आज तेरा (संजय वर्मा का) इंतजाम सरदार के साथ करके आये हैं। पी०डब्ल्यू० 2 के उक्त बयान के संदर्भ में भी विश्लेषण आवश्यक है। प्रति–परीक्षा में इस साक्षी ने घटना की शिकायत की प्रति विवेचक को दिया जाना बताया है तथा यह भी कहा है कि शिकायत की प्रति उसने अर्थात संजय वर्मा ने विवेचक को दिनांक 23–07–2018 को दी थी।

238. अभियोजन पक्ष की ओर से कथित घटना दिनांकित 14–05–2018 के किसी शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति को साबित नहीं कराया गया है। पी०डब्ल्यू० 2 संजय वर्मा ने अपनी प्रति परीक्षा में (पृष्ठ 19 पर) घटना के विषय में पुलिस को दिनांक 23–07–2018 को दिए बयान में बताए जाने का कथन किया है। यह स्वाभाविक है कि यदि दिनांक 14–05–2018 की घटना सत्य होती तो इस घटना के संदर्भ में संजय वर्मा द्वारा पुलिस को दिनांक 23–07–2018 को दिए बयान में घटना के विषय में अवश्य बताया गया होता। किन्तु, प्रकरण के प्रथम विवेचक पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश, जिन्होंने 23.7.2018 का संजय वर्मा का बयान लेने का बयान दिया है, ने अपनी प्रति–परीक्षा में (पृष्ठ 19 पर) संजय वर्मा द्वारा ऐसा कोई बयान दिए जाने से स्पष्ट इन्कार किया है। इस साक्षी ने पृष्ठ 21 अंकित प्रति परीक्षा में षड्यंत्र की बात संजय वर्मा द्वारा बताए जाने का पुनः स्पष्ट खंडन किया है। पी०डब्ल्यू० 13 निरीक्षक संत प्रकाश ने (पृष्ठ 23 पर) वादी मुकदमा संचित वर्मा के बयानों में भी ऐसे किसी षड्यंत्र के विषय में बताए जाने से स्पष्ट इनकार किया।

239. प्रकरण के एक अन्य विवेचक पी०डब्ल्यू० 15 इं० देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने भी प्रति परीक्षा में (पृष्ठ 49 पर) यह स्वीकार किया है कि वादी मुकदमा ने उसे अर्थात् विवेचक को दिए धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में यह नहीं बताया था कि सभी आरोपीगण ने आपस में षड्यंत्र कर घटना कारित की। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा चोटिल संजय वर्मा का पुत्र है। यदि दिनांक 14–05–2018 की घटना वास्तव में घटित होती तो वादी मुकदमा को इस घटना के विषय में जानकारी अवश्य होती। विवेचकों के दिनांक 14–05–2018 की घटना के संदर्भ में वादी मुकदमा व चोटिल के द्वारा न बताए जाने के बयान के कारण दिनांक 14–05–2018 की घटना को संदेहास्पद है।

240. स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से घटना दिनांकित 14–05–2018 संदेह से परे साबित नहीं होती है। उक्त समस्त विश्लेषण से घटना दिनांकित 14–05–2018 के संदर्भ में अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांकित 21–07–2018 के लिए षड्यंत्र कारित किया जाना संदेह से परे साबित नहीं है।

241. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष घटना के संदर्भ में केस डायरी में अंकित षड्यन्त्र के तथ्यों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। षड्यन्त्र के रूप में जिन भी पहलुओं अथवा घटनाक्रम को बताया गया है, वे साक्ष्य के अवलोकन से संदेह से परे साबित नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि भरत सिंह, सरदार सिंह तथा रावराजा के घटना स्थल पर उपस्थित होने का कोई भी कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्षीगण के धारा–161 द०प्र०सं० तथा दौरान विचारण दिये बयान में नहीं किया गया है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध षड्यन्त्र के लिए विरचित आरोप भी संदेह से परे साबित नहीं है। शेष अभियुक्तगण गौरव उर्फ मोंटी, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, सनम उर्फ मांगे, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू के संदर्भ में घटना स्थल पर होने तथा षड्यन्त्र करने के विषय में भी केस डायरी पर सामग्री व

दौरान विवेचना साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इन अभियुक्तगण के विरूद्ध भी घटना दिनांक–21.07.2018 का षड्यन्त्र किया जाना संदेह से परे साबित नहीं है।

242. इस प्रकार **षड्यन्त्र के आरोपों के संदर्भ में सरदार सिंह, भरत सिंह, रावराजा, गौरव उर्फ मोंटी, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, सनम उर्फ मांगे, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू के विरूद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं है।**

अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध विरचित धारा –3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का विश्लेषण–

243. अभियुक्त कमलेश यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत भी आरोप विरचित है। उक्त के संदर्भ में भी निष्कर्ष प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

244. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 21–07–2018 की घटना में अभियुक्त कमलेश यादव द्वारा प्रयुक्त अवैध आयुध को दिनांक 04–04–2019 को अभियुक्त कमलेश यादव की निशानदेही पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया। उक्त प्रकरण थाना नवाबाद, जनपद झांसी में मुकदमा अपराध संख्या 188/2019 के रूप में दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त कमलेश यादव पर लगे उक्त आरोप को साबित करने के लिए कुल चार साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है। ये चार साक्षीगण हैं– **पी०डब्ल्यू० 16 निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी, पी०डब्ल्यू० 18 हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, पी०डब्ल्यू० 19 उप निरीक्षक दामोदर सिंह तथा पी०डब्ल्यू० 20 उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार (विवेचक)**।

245. अभियोजन कथानक के अनुसार, पी०डब्ल्यू० 16 निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी प्रकरण के वादी हैं, जिन्होने फर्द बरामदगी को तैयार कराया है तथा इसे प्रदर्श क 32 के रूप में साबित किया है। पी०डब्ल्यू० 18 हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने प्रकरण की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क 34 के रूप में साबित किया है। पी०डब्ल्यू० 19 उप निरीक्षक दामोदर सिंह फर्द बरामदगी, प्रदर्श क 32, के लेखक हैं, जिन्होने बरामद तमन्चे को वस्तु प्रदर्श 89, खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श 90 तथा इनको धारित करने वाले कपडे को वस्तु प्रदर्श 88 के रूप में साबित किया है। पी०डब्ल्यू० 20 उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार प्रकरण के विवेचक हैं, जिन्होने नक्शा नजरी को प्रदर्श क 36, अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क 37 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रदर्श क 38 के रूप में साबित किया है।

246. पी०डब्ल्यू० 16 निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने तमंचे की बरामदगी से संबंधित फर्द को साबित किया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि एससीडी नंबर 56 दिनांक 04–04–2019 को किता की गई, जिसमें अभियुक्त कमलेश की पुलिस कस्टडी रिमांड में थाना नवाबाद लाकर हवालात में पूछताछ की गई थी, जिसमें दौरान पूछताछ अभियुक्त द्वारा आलाकत्ल तमंचा 315 बोर बरामद कराने को कहा गया था। अभियुक्त को साथ ले जाकर अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया था। बरामदगी के बाद मौके पर अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने यह बताया था यह वही तमंचा है जिससे उसने घटना कारित की थी।

247. फर्द बरामदगी, प्रदर्श क 32, के अवलोकन से प्रकट होता है कि कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। कथित बरामदगी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू० 16 ललितेश नारायण त्रिपाठी है, किंतु इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथित बरामदगी के समय किसी जनसाक्षी के उपस्थित रहने अथवा किसी जनसाक्षी की उपस्थिति का प्रयास किए जाने का कोई कथन नहीं किया है। कथित बरामदगी का एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू० 19 उप निरीक्षक दामोदर सिंह है, जिसकी उपस्थिति में बरामदगी होना कहा गया है, किंतु इस साक्षी ने भी अपने संपूर्ण बयान में किसी जनसाक्षी की उपस्थिति बरामदगी के दौरान होने अथवा बरामदगी के दौरान जनसाक्षी की उपस्थिति का प्रयास किए जाने का कोई भी बयान नहीं दिया है। यद्यपि फर्द बरामदगी, प्रदर्श क 32, में कथित बरामदगी

के समय लोगों को गवाही के लिए कहने का तथा लोगों का तैयार न होने का तथ्य अंकित है, किन्तु अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में उक्त तथ्य के सन्दर्भ में लोप है , जिस कारण जनसाक्षी को साथ लिए जाने के प्रयास को साबित नहीं माना जा सकता। कथित बरामदगी में किसी जनसाक्षी की अनुपस्थिति, बरामदगी को संदेहास्पद बनाती है। प्रकरण के विवेचक पी०डब्ल्यू० 20 उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने भी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अर्थात विवेचक साक्षी में बरामदगी के स्थान के आसपास के लोगों के बयान नहीं लिए थे। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बयान लेने का कारण वह नहीं बता सकता।

248. संपूर्ण साक्ष्य तथा फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त की निशानदेही पर कथित बरामदगी के पूर्व पुलिसकर्मियों द्वारा एक दूसरे की तलाशी लिए जाने की प्रक्रिया की अनुपालना भी नहीं की गई।

249. पी०डब्ल्यू० 16 ललितेश नारायण त्रिपाठी ने फर्द बरामदगी को प्रदर्श क 32 के रूप में साबित किया है किंतु उक्त प्रदर्श में अंकित एक अन्य तथ्य बरामदगी को संदेहास्पद बनाता है। प्रकरण की घटना दिनांक 21–07–2018 को घटित हुई है, जबकि तमंचे की कथित बरामदगी दिनांक 04–04 2019 को अर्थात् घटना के आठ माह पश्चात की गई है। फर्द बरामदगी में अंकित है कि बरामद तमंचे में एक खोखा फंसा हुआ है जिसमें गंध आ रही है। यदि बरामद तमंचा तथा उसमें फंसा हुआ खोखा दिनांक 21–07–2018 की घटना में प्रयुक्त हुआ था तो लगभग आठ माह पश्चात खुले स्थान पर झाड़ियों के बीच प्राप्त तमंचे व खोखे से गन्ध आना, घटना में बरामद तमंचे के प्रयोग किए जाने को संदेहास्पद अवश्य बनाता है। इस गन्ध का कोई भी कारण अथवा गन्ध की प्रकृति को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क अवश्य किया गया कि यदि तमंचे को प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन के कवर में बंद करके खुले स्थान पर रखा जाए तो आठ माह बाद बरामद होने की स्थिति में भी तमंचे अथवा खोखे से गन्ध आना संभव है। अभियोजन पक्ष की ओर से किए गए उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी अथवा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में इस प्रकार का कोई भी तथ्य अंकित तथा कथित नहीं है कि उक्त तमंचे अथवा खोखे की बरामदगी किसी प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन के कवर में लिपटी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में अथवा फर्द बरामदगी में उक्त तथ्य का न होना अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अग्राह्य बनाता है।

250. फर्द बरामदगी, प्रदर्श क 32 में बरामद तमंचे को चालू हालत में होने को अंकित अवश्य किया गया है किंतु फर्द बरामदगी अथवा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कथित बरामदगी की पुलिस टीम के सदस्य किस आधार पर तमंचे को चालू हालत में होने का निष्कर्ष प्राप्त किये। स्वयं अभियोजन कथानक के अनुसार बरामद तमंचा व खोखा 8 माह से अधिक समय तक खुले में झाड़ झंकार के बगल निरंतर पडा रहा था इस स्थिति में बिना किसी आधार के वादी मुकदमा तथा संबंधित पुलिस टीम के सदस्यों का तमंचे के चालू हालत में होने का निष्कर्ष संदिग्ध अवश्य होता है। तमंचे के चालू हालत में होने के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा अन्य कोई प्रासंगिक आख्या पत्रावली पर संलग्न नहीं है। तमंचे के चालू हालत में होने के निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु तमंचे का प्रयोगात्मक उपयोग किए जाने का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कथित रूप से बरामद तमंचे का चालू हालत में होने का निष्कर्ष भी संदेहास्पद है।

251. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष **अभियुक्त कमलेश यादव के विरुद्ध लगे धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।**

252. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध दिनांक –04.04.2019 को अवैध तमंचे की बरामदगी संदेह से परे साबित न होने के परिणामस्वरूप दिनांक–21.07.2018 की घटना में अभियुक्त कमलेश यादव की संलिप्तता तथा उक्त घटना के संदर्भ

में अभियुक्त पर लगा आरोप को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोवर्धन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2025 LiveLaw (SC) 50** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्टतया अभिनिर्णीत किया है कि बरामद हथियार के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक बरामदगी करने की प्रक्रिया के अभाव के कारण बरामदगी के संदेहास्पद होने के बावजूद, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि चोटिल की मृत्यु अभियुक्त के द्वारा कारित चोटों से होने की प्रत्यक्ष साक्ष्य है, जो चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है, अभियोजन का हत्या का प्रकरण संदिग्ध नहीं होता। *("Even assuming that the seizure of the weapon was effected without meticulously following the procedures and thus doubtful, in view of the medical evidence which clearly showed that the deceased died because of the injuries caused by sharp weapon which was seen by a direct eye witness, namely LataBai (P.W.10), in our opinion it would not prejudice the prosecution case")* समान विधिक सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओमपाल बनाम उ०प्र० राज्य, 2025 INSC 1262** में प्रतिपादित है।

<u>प्रस्तुत विधि व्यवस्थाएं–</u>

253. अभियोजन तथा बचाव पक्ष की ओर से अत्यधिक संख्या में विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गई है। न्यायालय द्वारा समस्त विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।

254. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्बित होने के स्पष्टीकरण होने की परिस्थिति में, विलम्ब के आधार पर अभियोजन कथानक को संदेहास्पद न मानने के सम्बन्ध में ओम पाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (उत्तराखण्ड राज्य), उपरोक्त, विधि व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। उक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप ही निर्णय के निष्कर्ष हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा आलाकत्ल की बरामदगी न होने के कारण अभियोजन कथानक को कमजोर न होने की विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित करती गोवर्धन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व ओम पाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (उत्तराखण्ड राज्य), उपरोक्त, की विधि व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया है। वर्तमान निर्णय के निष्कर्ष भी प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुकूल हैं। चक्षुदर्शी चोटिल साक्ष्य के चिकित्सीय साक्ष्य से सम्बन्धित होने के सन्दर्भ में शाहजाँ उर्फ शाहजान ईस्माईल मोहम्मद शेख बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था , विवेचना में त्रुटि व अल्प विसंगति के आधार पर अभियोजन कथानक को संदेहास्पद न मानने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विधि व्यवस्था पटचैपेरूमल उर्फ पट्चीकुट्टी एवं अन्य बनाम स्टेट रिप्रेजेन्टेड बाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एवं अन्य, उपरोक्त की विधि व्यवस्था में पारित सिद्धान्त तथा अन्यत्र उपस्थिति तथा धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम में पूरनमल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान,दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अशोक वर्मा बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, लखन सिंह उर्फ पप्पू बनाम द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, संचित वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य, राहुल श्रीशैल बैंगोण्डे बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त निष्कर्ष में समाहित किये गये हैं। फोटो से पहचान कराये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से भज्जू उर्फ विजय बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उमर अब्दुल शकूर सुरैथिया बनाम इन्टेलीजेन्टस ऑफीसर, नार्कोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली तथा मकबूल उर्फ जुबेर उर्फ शहनवाज एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ ए०पी०, समस्त उपरोक्त की विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गई है। निर्णय में अंकित विश्लेषण से फोटो से अभियुक्तगण की पहचान कराने की प्रक्रिया के साबित न होने के कारण उक्त विधि व्यवस्थायें अभियोजन पक्ष के लिये लाभकारी नहीं है।

255. अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था करिया बनाम स्टेट ऑफ एम०पी०, उपरोक्त, में आपराधिक इतिहास के आधार पर दोषसिद्धि को उचित न ठहराने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। वर्तमान निर्णय में निष्कर्ष अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास पर आधारित नहीं है। हितबद्ध साक्षी से सम्बन्धित राजू उर्फ अमोल सिंह उर्फ राजू उर्फ लालू चन्देल बनाम स्टेट ऑफ

एम०पी०, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। उक्त विधि व्यवस्था वर्तमान प्रकरण में इस आधार पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के चोटिल चक्षुदर्शी साक्षीगण को तथा समर्थन में चिकित्सीय प्रपत्रों को प्रस्तुत व साबित किया गया है। स्टेट ऑफ एम०पी० बनाम रिपुदमन सिंह, उपरोक्त, विधि व्यवस्था यह सिद्धान्त प्रतिपादित करती है कि दो मत होने पर अभियुक्त के पक्ष को स्वीकार किया जावेगा। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि वर्तमान निर्णय में अभियोजन व अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण कर, निष्कर्ष पारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालू सुदामा खालडे बनाम महाराष्ट्र, उपरोक्त की विधि व्यवस्था में चक्षुदर्शी चोटिल की साक्ष्य को अधिक महत्व का होना माना है। पिन्टू उर्फ पृथ्वीराज कोली बनाम स्टेट ऑफ एम०पी०, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था प्रदर्श न अंकित होने वाले अभियोजन प्रपत्रों के सन्दर्भ में है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य तथा अभियुक्तगण के साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण कर निर्णय पारित किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से इंगित संदेह के आधारों पर समस्त विश्लेषण किया जा चुका है। मलकियत सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा केस डायरी के सारभूत साक्ष्य न होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। वर्तमान निर्णय में निष्कर्ष में प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी को सारभूत साक्ष्य मानते हुये पारित नहीं किया गया है। मलकियत सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा रघुनाथ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य, उपरोक्त, की विधि व्यवस्थायें प्रतिरक्षा साक्षी की साक्ष्य को अभियोजन साक्षी की साक्ष्य के सामान्य महत्वपूर्ण होने का सिद्धान्त प्रतिपादित करती हैं। उक्त सिद्धान्त विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। यह भी स्पष्ट है कि बालू सुदामा खालडे बनाम महाराष्ट्र, उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में चोटिल चक्षुदर्शी की साक्ष्य का विशेष महत्व तथा अधिक भार होना बताया गया है। यदि अभियुक्तगण द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को निरपेक्ष निश्चितता के साथ साबित नहीं किया जा सका है, तो इस स्थिति में चोटिल चक्षुदर्शी की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय माना जाना, उक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है। घटना स्थल के बदलने के सम्बन्ध में जमुना बनाम स्टेट, उपरोक्त, विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। घटना स्थल के परिवर्तन के तर्क के सन्दर्भ में निर्णय में विश्लेषण किया जा चुका है। घटना को चलती कार में होना बताया गया है। यदि परिवर्तन होना भी मान भी लिया जाये तो यह मात्र अत्यल्प क्षेत्र के भीतर है। घटना स्थल का परिवर्तन इस प्रकार नहीं है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद होता हो। अभियुक्तगण की ओर से द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट के मान्य न होने के सन्दर्भ में टी०टी० एण्टोनी बनाम स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य तथा पांडुरंग चन्द्रकांत महात्रे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उपरोक्त, की विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई है। उक्त विधि व्यवस्थायें वर्तमान सन्दर्भ में प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि वादी मुकदमा द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्व किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंकित किया जाना साबित नहीं है। उक्त के सन्दर्भ में विश्लेषण निर्णय में किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा–161 दं०प्र०सं० के पृथक बयान होना, बयान के मान्य न होने के सन्दर्भ में विमल सुरेश कामले बनाम चैलू रूपेन्द्र एवं अन्य उपरोक्त , की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण किया गया है तथा कथित विसंगितयों के सन्दर्भ में भी निष्कर्ष प्राप्त किया गया है। मिरान बक्स बनाम लालू उर्फ सागिर अहमद एवं अन्य , उपरोक्त, की विधि व्यवस्था में अविश्वसनीय साक्षीगण की साक्ष्य तथा साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण के साक्षीगण की साक्ष्य में विसंगति के सन्दर्भ में विश्लेषण निर्णय में किया जा चुका है। जिन अभियुक्तगण की साक्ष्य में सन्दर्भ में विसंगति नहीं पाई गई, उन अभियुक्तगण के विरूद्व प्रकरण संदेह से परे साबित है।

256. शेष अभियुक्तगण की ओर से भी या तो उपरोक्त विधिक सिद्धन्तों का प्रतिपादन करती विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयीं हैं अथवा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाएं पृथक् तथ्यों के अन्तर्गत पारित होने के कारण वर्तमान प्रकरण में अप्रयोज्य हैं।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण का सार–

257. उक्त किये गये समस्त विश्लेषण का सार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य से मृतक जय गोस्वामी की मृत्यु दिनांक–21.07.2018 को आग्नेयास्त्र से कारित चोटें के फलस्वरूप होना तथा चोटिल संजय वर्मा, रवि वर्मा तथा सुनील कुशवाहा को उक्त तिथि को दिन में आग्नेयास्त्र की ताजा चोटें आना संदेह से परे साबित किया गया है। चोटिल संजय वर्मा, रवि वर्मा तथा वादी मुकदमा की साक्ष्य के अनुसार दिनांक–21.07.2018 को दिन में लगभग 01.30 बजे कचहरी चौराहा, झांसी के पास एक साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर तथा कमलेश यादव द्वारा आग्नेयास्त्र से उक्त चोटें कारित की थीं। अभियुक्तगण की ओर से उक्त तथ्यों के संदेह के संदर्भ में जिन आधारों को बताया गया है, वे समस्त आधार अग्राह्य अथवा बलहीन पाये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से उक्त तिथि को घटना स्थल पर उपस्थित होकर अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, राजेन्द्र गुर्जर तथा कमलेश यादव द्वारा मृतक जय गोस्वामी तथा चोटिल संजय वर्मा, रवि वर्मा तथा सुनील कुशवाहा को आग्नेयास्त्र से प्राणघातक चोटें कारित करना संदेह से परे साबित है।

258. उक्त अभियुक्तगण के अतिरिक्त अज्ञात अभियुक्तगण के रूप में नामित व पश्चात् में चिन्हित सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, गौरव उर्फ मोंटी, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सनम उर्फ मांगे की घटना स्थल पर उपस्थिति संदेह से परे साबित नहीं है।

259. अभियुक्तगण सरदार सिंह, भरत सिंह व राव राजा का घटना स्थल पर उपस्थित रहने का कोई कथन अभियोजन कथानक में नहीं है। इन अभियुक्तगण तथा अभियुक्तगण सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, गौरव उर्फ मोंटी, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सनम उर्फ मांगे का घटना दिनांकित–21.07.2018 हेतु षड्यन्त्र किया जाना भी संदेह से परे साबित नहीं है।

260. उक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण सरदार सिंह, भरत सिंह, राव राजा, सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश, गौरव उर्फ मोंटी, नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू, सनम उर्फ मांगे के विरूद्ध कोई भी आरोप का संदेह से परे साबित नहीं है।

261. अभियुक्त कमलेश यादव के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम का आरोप भी संदेह से परे साबित नहीं है।

262. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर तथा कमलेश यादव का धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120B भा०दं०सं० के अन्तर्गत, अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर के विरूद्ध धारा–147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत, अभियुक्त रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता के विरूद्ध धारा–147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत, अभियुक्त सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता व प्रहलाद के विरूद्ध धारा –148, 302/149, 307/149, 506 व 302/120B तथा 307/120B भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित हैं।

263. साक्ष्य के अनुसार उक्त न्यूनतम आठ अभियुक्तगण ने घटना स्थल पर एक साथ उपस्थित होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आग्नेयास्त्र के द्वारा गोलियां चलाकर मृतक की मृत्यु तथा चोटिलों को चोटें पहुंचायी। समस्त अभियुक्तगण का घटना स्थल पर घटना के समय एक साथ उपस्थित होना तथा एक साथ घटना कारित करना सामान्य उद्देश्य के होने को साबित करता है। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक में कथित घटना के किसी षड्यन्त्र को किया जाना तो साबित नहीं है, किन्तु सामान्य उद्देश्य से घटना स्थल पर उपस्थित होना तथा घटना कारित करना संदेह से परे साबित है। वादी मुकदमा संचित वर्मा ने अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देना का भी बयान दिया है। उक्त आरोपित

अभियुक्तगण का षड्यन्त्र के अन्तर्गत आरोपित धाराओं के अतिरिक्त, अन्य समस्त धाराओं में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अतः–

264. अभियुक्तगण ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर तथा कमलेश यादव धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं तथा धारा–120B भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

265. अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर धारा –147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

266. अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता धारा–147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

267. अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता व प्रहलाद धारा–148, 302/149, 307/149 व 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किये जाने तथा धारा –302/120B व 307/120B भा०दं०सं० में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

268. उक्त अभियुक्तगण के अतिरिक्त, अन्य समस्त अभियुक्तगण समस्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण ऊधम सिंह गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर तथा कमलेश यादव को धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा–120B भा०दं०सं० के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजेन्द्र गुर्जर को धारा–147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता को धारा–147, 148, 302/149, 307/149 तथा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता व प्रहलाद को धारा–148, 302/149, 307/149 व 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा –302/120B व 307/120B भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण सागर राणा, रोहित उर्फ रोहिताश को धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120B, 307/120B भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण सरदार सिंह, भरत सिंह, राव राजा को धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120B भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त गौरव उर्फ मोन्टी को धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120B भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त नीतेश उर्फ पटवारी उर्फ धांधू को धारा–148, 302/149, 307/149, 506, 302/120B, 307/120B भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सनम उर्फ मांगे को धारा –148, 302/149, 307/149, 506, 302/120B, 307/120B भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त कमलेश यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्तगण, प्रत्येक, की ओर से धारा–437A द०प्र०सं० के अन्तर्गत एक सप्ताह के भीतर रुपये 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाये।

दोषमुक्त अभियुक्तगण, जो अभिरक्षा में हैं, का रिहाई परवाना अविलम्ब सम्बन्धित कारागार प्रेषित हो। दोषसिद्ध अभियुक्तगण, यदि जमानत पर हैं, को अविलम्ब अभिरक्षा में लिया जावे।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक –30.05.2026 को कारागार से उपस्थित हो।

(अनुभव द्विवेदी)
दिनांक–29.05.2026
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम),
झांसी।
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 1637)

<u>दिनांक–30.05.2026</u>

269. पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रहलाद, सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता तथा कमलेश यादव विभिन्न कारागारों से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण राजेन्द्र गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर तथा भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर को तलब किये जाने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया। अवगत कराया गया कि प्रशासनिक कारणवश उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सका है। अभियुक्तगण जरिये वीडियो कान्फ्रेन्सिंग उपस्थित हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता तथा दोषसिद्व अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्तागण भी उपस्थित हुये।

270. दण्ड के प्रश्न पर सुना।

271. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा शहर के मुख्य चौराहे पर दिन–दहाड़े गोलियाँ मारकर मृतक जय गोस्वामी की हत्या की गई है तथा तीन चोटिलों को आग्नेयास्त्र की चोटें पहुँचाई गई हैं। अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य सामाजिक शान्ति तथा कानून व्यवस्था के लिये अत्यन्त घातक है। अभियुक्तगण का अत्यन्त विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो पत्रावली पर पूर्व से ही दाखिल है। अभियुक्तगण के कृत्य तथा आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्तगण का अपराध निकृष्टतम श्रेणी का है, जिसके निवारण प्रभाव (deterrent effect) हेतु अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड दिया जाना आवश्यक है। समाज में अपराध के प्रति भय हेतु अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

272. दोषसिद्ध अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया कि आपराधिक इतिहास मृत्युदण्ड का उचित नहीं हो सकता है। किसी दोषसिद्धि के अभाव में मात्र प्रकरणों के लम्बित होने से अभियुक्त के आपराधिक प्रवृत्ति के होने तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के फलस्वरूप अभियुक्त को कठोरतम दण्ड दिया जाना किसी भी प्रकार से उचित व विधि सम्मत नहीं है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सामूहिक रूप से यह भी कथन किया गया है कि सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता परस्पर सगे भाई हैं तथा इनके अतिरिक्त इनका अन्य कोई भाई नहीं है। इसी प्रकार अभियुक्तगण प्रहलाद, राजेन्द्र गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर तथा भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, एक ही परिवार के हैं। इन परिवारों के इतनी अधिक संख्या में अभियुक्तगण के विगत कई वर्षों से जेल में निरूद्ध रहने के कारण परिवार के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये, दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अभियुक्त न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। साथ ही अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यूनतम अर्थदण्ड का आदेश पारित किये जाने की भी याचना की गयी।__

273. पत्रावली का अवलोकन किया।

274. अभियुक्तगण **राजेन्द्र गुर्जर, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता** एवं **बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता** को धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त **प्रहलाद** तथा **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता** को धारा–148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण **भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर**, **कमलेश यादव** एवं **ऊधम सिंह गुर्जर** को धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

275. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980(2) SCC 684** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही पारित **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) SCC 470** की विधि व्यवस्थाओं में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये

जाने वाले मामलो में आजीवन कारावास की सजा दिया जाना नियम है तथा मृत्युदण्ड का दिया जाना एक अपवाद है। उक्त प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालयों ने मृत्युदण्ड को विरल में से विरलतम मामलो में ही दिये जाने को उचित माना है। वर्तमान प्रकरण का विरल की कोटि का होना संभव है, किन्तु न्यायालय के मत में वर्तमान प्रकरण विरल में से विरलतम की कोटि के अन्तर्गत आता प्रतीत नहीं होता है ,

जिस कारण न्यायालय अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना उचित नहीं पाता है।

276. अभियोजन पक्ष की ओर से आपराधिक इतिहास होने के आधार पर कारित अपराध को जघन्य बताते हुये मृत्युदण्ड की याचना की गई है। यद्यपि यह सत्य है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विरूद्व दिनांक 21–07–2018 की घटना में मध्य दिवस झाँसी शहर के एक प्रमुख चौराहे पर जघन्य अपराध को कारित किया जाना साबित हुआ है, किन्तु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कारित अपराध को विरल से विरलतम की श्रेणी का होना नहीं पाया गया है। इस कारण मात्र अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास होने के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायालय उचित नहीं पाता है।

277. अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्तगण के सन्दर्भ में अभियुक्तगण की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुये, न्यायालय समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विरूद्व निम्न दण्डादेश पारित किया जाना उचित एवं विधि सम्मत पाता है –

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, राजेन्द्र गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश यादव** एवं **ऊधम सिंह गुर्जर**, प्रत्येक, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा रुपये 1,00,000/– (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में अर्थदण्ड अदा न किये जाने वाला दोषसिद्ध अभियुक्त 1 वर्ष (एक वर्ष) का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, राजेन्द्र गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश यादव** एवं **ऊधम सिंह गुर्जर**, प्रत्येक, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत 10 वर्ष (दस वर्ष) के सश्रम कारावास की सजा तथा रुपये 50,000/– (पचास हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में अर्थदण्ड अदा न किये जाने वाला दोषसिद्ध अभियुक्त 6 माह (छः माह) का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, राजेन्द्र गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश यादव** एवं **ऊधम सिंह गुर्जर**, प्रत्येक, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 में दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 5,000/– (पाँच हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में अर्थदण्ड अदा न किये जाने वाला दोषसिद्ध अभियुक्त 1 माह (एक माह) का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, राजेन्द्र गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश यादव** एवं **ऊधम सिंह गुर्जर**, प्रत्येक, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–148 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/– (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में अर्थदण्ड अदा न किये जाने वाला दोषसिद्ध अभियुक्त 2 माह (दो माह) का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **सोनू गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, राजेन्द्र गुर्जर, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, कमलेश**

यादव एवं **ऊधम सिंह गुर्जर**, प्रत्येक, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 में पाँच वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/– (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न दिए जाने की दशा में अर्थदण्ड अदा न किये जाने वाला दोषसिद्ध अभियुक्त 2 माह (दो माह) का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

पृथक–पृथक दोषसिद्ध अभियुक्तगण के लिये उक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की प्रकरण में निरूद्ध अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट तैयार किया जाये। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये।

निर्णय व आदेश की एक प्रति नियमानुसार सम्बन्धित कारागारों के अधीक्षक को तथा एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, झांसी को प्रेषित की जाये।

इस निर्णय व आदेश की एक–एक प्रति सम्बन्धित सत्र परीक्षण वादों की पत्रावलियों में रखी जाये।

दिनांक–30.05.2026

(अनुभव द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
झांसी।
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 1637)

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक–30.05.2026

(अनुभव द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)
झांसी।
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 1637)